एकादश माला, खंड 7, अंक 11

गुरूवार, 5 दिसम्बर, 1996
14 अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 7 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपरसचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

5 दिसम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद के
हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
64	नीचे से 13	(क) से (घ)	(क) से (च)
95	8 के पश्चात जोड़ें	"(ग) से (ङ) रेलों ने स्टेशनों की सफाई विभागीय तौर पर आरंभ करने का प्रस्ताव किया है, इसके लिए विभिन्न उपाय यथा सफाई वालों की रिक्तियों को भरना, भुगतान करें एवं उपयोग करें" शौचालय योजना को आरंभ करना, आधुनिक उपस्करों का उपयोग आदि आरम्भ किए जाएंगे ।	
99	7	(छ)	(ङ)
101	नीचे से 15	श्री बार·एल·पी·वर्मा	श्री आर·एल·पी· वर्मा
136	19	(क)	(क) और (ख)
213	नीचे से 2	(क)	(क) और (ख)
298	9	अनुमोदनों	अनुमोदन

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 11, गुरुवार, 5 दिसम्बर, 1996/14 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	201 से 204	1 -27
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	205 से 220	27 44
अतारांकित प्रश्न संख्या	1881 से 2110	45- 250
सभा पटल पर रखे गए पत्र		250- 252
राज्य सभा से संदेश		252
शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 1996		253
राज्य सभा द्वारा यथापारित		253
मंत्री द्वारा वक्तव्य		253- 275
(एक) चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति की भारत यात्रा		
श्री इन्द्र कुमार गुजराल		253 257
(दो) भारतीय वायु सेना के लिए रूस द्वारा 40 एस.यू.-30 एम.के. वायुयानों की आपूर्ति		
श्री मुलायम सिंह यादव		264---265
जम्मू और कश्मीर में श्री नगर के निकट कुलगाम कस्बे पर आतंकवादियों के हमले के बारे में		275--280
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) मध्य प्रदेश में मंदसौर में एक केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता		
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय		280--281
(दो) बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए राजस्थान को धनराशि दिए जाने की आवश्यकता		
श्री गिरधारी लाल भार्गव		281
(तीन) पश्चिम उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता		
डा. कृपासिन्धु भोई		281--282
(चार) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रख-रखाव और उनकी मरम्मत सुनिश्चित करने की आवश्यकता		
श्री राम कृपाल यादव		282
(पांच) तमिलनाडु में केन्द्रीय परियोजनाओं को कार्यान्वित न किए जाने के कारणों की जांच किये जाने की आवश्यकता		
श्री एन.एस.वी. चित्थन		282--283
(छह) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुपर रेलवे लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता		
श्री डी. वेणुगोपाल		283

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(सात) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की पुनरीक्षा किए जाने से पूर्व इस पर विस्तृत चर्चा किए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत मेहता	283—284
उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत	284—338
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री प्रमथेस मुखर्जी	284—286
डा. देवी प्रसाद पाल	286—290
श्री मुख्तार अनीस	290—291
श्री जार्ज फर्नान्डीज	298—310
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	310—312
श्री संतोष मोहन देव	312—314
श्री प्रमोद महाजन	315—322
श्री इन्द्रजीत गुप्त	322—327, 334—336
श्री जसवन्त सिंह	336—337
श्री एच.डी. देवेगौड़ा	337—338
दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक	339—346
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	339
श्री जगमोहन	339—343

लोक सभा

गुरूवार, 5 दिसम्बर, 1996/14, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल जब मेरी पार्टी, भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की कश्मीर में एक सार्वजनिक सभा हो रही थी उस समय वहां एक गम्भीर घटना हुई। कुछेक आतंकवादियों और उग्रवादियों ने हथगोलों और घातक हथियारों के साथ हमला किया। इस घटना में छह लोगों की मौत हुई और राज्य में हमारे सचिव श्री यूसुफ, जो विधान सभा के सदस्य भी हैं, बाल-बाल बचे थे। यह एक गम्भीर घटना है जो कश्मीर में हुई है। मैं चाहूंगा कि ग्रह मंत्री इस संबंध में अपना वक्तव्य दें... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इसको हम जीरो-आवर में ले लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : जीरो आवर में एलाऊ कर दीजिएगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

ग्रेनाइट का निर्यात

+

***201. श्रीमती शीला गौतम :**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रेनाइट को एक प्रमुख खनिज घोषित करके इसे अपने नियंत्रण में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान और मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट के उत्खनन स्थल कहां-कहां हैं; और

(घ) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रेनाइट का निर्यात किया गया और इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रेनाइट एक गौण खनिज होने के कारण खनिज रियायतें राज्य सरकार द्वारा अपने-अपने गौण खनिज रियायत नियमों जो प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हैं, के तहत दी जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट की खानें मुख्य रूप से निम्नलिखित जिलों में स्थित हैं :—

राजस्थान : अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाडमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डुंगरपुर, जयपुर, जालौड़, झुंझनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और उदयपुर जिला।

मध्य प्रदेश : बालाघाट, बस्तर, बेतूल, बिलासपुर, छत्तरपुर, दतिया, देवदास, ग्वालियर, झाबुआ, जबलपुर, मांडला, पन्ना, रायपुर, राजनन्दगांव, सागर, शिवपुरी, सिधी और टीकमगढ़ जिला।

(घ) भारत से ग्रेनाइट 100 से अधिक देशों को निर्यात किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख देश इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, बेल्जियम, सिंगापुर, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम आदि हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात ग्रेनाइट का मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य करोड़ रु. में
1993-94	772
1994-95	993
1995-96	1100*

*अनन्तिम

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसमें भाग 'क' और 'ख' के बारे में कहा है कि प्रश्न ही नहीं उठता है। भाग 'घ' के बारे में तो पता नहीं उत्तर किस कंजूसी से दिया गया है। मैंने प्रश्न किया था, ग्रेनाइट निर्यात करने में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई, लेकिन मंत्री जी ने कहीं पर इसका कोई जिक्र नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं, गत तीन वर्षों में ग्रेनाइट के निर्यात में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और 1996-97 में निर्यात का क्या लक्ष्य है तथा वह लक्ष्य पूरा किया गया है या नहीं, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष के चार महीने शेष हैं? इसी के साथ मेरा दूसरा प्रश्न है, कितनी विदेशी कंपनियों को लाइसेंस और परमिट दिए गए हैं तथा उनमें प्रवासी भारतीयों का भी जिक्र है या नहीं और साथ ही जो लाइसेंस व परमिट दिए गए हैं, उनमें कितनी छूट दी गई है?

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, ग्रेनाइट का निर्यात करने से जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है, उसके बारे में, मैं विस्तृत तथ्य और आंकड़े करोड़ रुपयों में पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। मैंने इस संबंध में सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत किया है। वर्ष 1993-94 में 772 करोड़ रुपए, 1994-95 में 993 करोड़ रुपए और 1995-96 में 1100 करोड़ रुपए के मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए दूसरे प्रश्न के संबंध में ...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सरपोतदार : जो कुछ भी आप बता रहे हैं, वह लिखित उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है। लेकिन उनका प्रश्न इससे पूर्णतः भिन्न है...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : वह यह जानना चाहती हैं कि कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई...**(व्यवधान)**

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : मैंने तथ्यों और आंकड़ों के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

दूसरे प्रश्न के बारे में, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ड़) के अंतर्गत ग्रेनाइट एक गौण खनिज है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : उपाध्यक्ष जी, इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने पूर्ण रूप से नहीं दिया है। मंत्री जी को कम से कम मेरे प्रश्नों का पूर्ण रूप से उत्तर तो देना चाहिए कि इतनी कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए, प्रवासियों को इतने दिए गए। मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि भारतवर्ष में खनिजों के छोटे-छोटे अनेक भंडार हैं उनके रख-रखाव के लिए बहुत सारी अनुसूचित जातियों के लोग यहां पर कार्य करते हैं। क्या आपने उनको भी सहकारी बैंकों से ऋण दिलाने के लिए कोई योजना बनाई है? बड़े उद्योगों को तो ऋण दे देते हैं लेकिन इन छोटे-छोटे उद्योगों को नहीं मिलता है। यहां पर ऐसा होता है कि वे चौकके निकालते हैं उनको पूर्ण रूप से तराशने के लिए कोई सामान नहीं मिलता है। फिर विदेशी लोग उन चोकर्कों को तराश करके और ज्यादा मुद्रा कमा लेते हैं, क्या आप उनको भी एस्टेबलिश करने के लिए कार्य कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय ग्रेनाइट एक गौण खनिज है। इस खनिज के बारे में लाइसेंस देने, खनन संबंधी कार्य को पट्टे पर देने आदि के संबंध में नीति राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती है। केन्द्र सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन ग्रेनाइट हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। इससे बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है।

इस बात को मद्देनजर रखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 1995 में ग्रेनाइट विकास परिषद का गठन किया था। इस परिषद की पहली बैठक फरवरी, 1995 में हुई थी। परिषाद ने एक उपदल का गठन किया था जिसके अध्यक्ष संयुक्त सचिव, खान थे। इस दल में राज्य सरकार और ग्रेनाइट उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक के प्रतिनिधि भी हैं। वे ग्रेनाइट को विकसित करने के लिए एक नीति तैयार कर रहे हैं।

मैं यह दोहराना चाहूंगा कि ग्रेनाइट एक गौण खनिज है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार गौण खनिज को राज्य विषय माना गया है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय 53 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला यह खनन उद्योग मृतप्राय होता जा रहा है। आपने सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन कम्पनियों को हेमर फरनिस ऑयल नहीं मिलता, जिसके कारण अनेक कम्पनियां राजस्थान में बंद होने की स्थिति में हैं। कृपा करके स्पष्ट करें कि यह हेमर फरनिस ऑयल इनको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, यह मेरा प्रश्न के है। दूसरा इसी के साथ ख प्रश्न है कि सुरक्षित खनिजों के नाम पर केन्द्र सरकार अपने यहां से विदेशी कम्पनियों को आयात करके ग्लोबलाइजेशन के नाम पर सारे खनन उद्योग को विदेशों को तेजी से देती चली जा रही है जिसके कारण उस क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई है। कृपा करके आप निश्चित कीजिए कि कितना क्षेत्र ग्लोबलाइजेशन के नाम पर विदेशों को देंगे और कितना क्षेत्र आप अपने स्थानीय कामगारों के लिए सुरक्षित करेंगे। यह दो मेरे स्पष्ट प्रश्न हैं, कृपा करके इनका ठीक से जवाब दें।

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : मैं पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। ग्रेनाइट उद्योग वास्तव में कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है। कई ग्रेनाईट खनन उद्योग बंद होने की स्थिति में है। हमारे देश में 449 शत प्रतिशत ईडीयू में से, केवल 119 ही काम कर रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्वाइण्टों से सहमत हूं। आज ग्रेनाइट उद्योग के सामने मुख्य समस्या ग्रेनाइट को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने की है। प्रत्येक राज्य में रॉयल्टी भी अलग-अलग है और विभिन्न राज्यों की खनन और पट्टा संबंधी नीतियां भी भिन्न-भिन्न हैं। यह इसलिए है क्योंकि ग्रेनाइट एक गौण खनिज है। यद्यपि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तथापि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार ग्रेनाइट राज्य का विषय है। भारत सरकार ने इसके विकास के लिए कई कदम उठाए हैं।

खान मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने भी इस समस्या से निबटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उदाहरणार्थ, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के संबंध में 1994 में एक ज्ञापन मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने ग्रेनाइट को छोड़कर बाकी सभी अन्य संशोधनों को अनुमोदित कर दिया था।

मंत्रिमंडल ने खान मंत्रालय को राज्यों के मुख्य मंत्रियों अथवा राज्यों के खान मंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। तदनुसार दो बैठकें आयोजित हुई थीं : पहली खान उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ और दूसरी खान राज्य मंत्रियों के साथ। खान उद्योग के प्रतिनिधियों का यह मत था कि खान उद्योग को विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई जा रही भिन्न-भिन्न नीतियों की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है...**(व्यवधान)** मैंने उपयुक्त उत्तर दे दिया है।. ..**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : यह केन्द्र का विषय है। आप राज्य सरकार पर जिम्मेदारी डालकर अपने कंधे मत झाड़िए। केन्द्र सरकार उनको फर्नेस आयल नहीं देती। इसलिए 300 उद्योग बंद पड़े हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर दे देने दीजिए।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, यह राज्य का विषय है और केन्द्र इस दायरे में नहीं आ सकता है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : फर्नेस ऑयल का परमिट आप देते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप वह इश्यू ही नहीं करते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : फर्नेस ऑयल का परमिट केन्द्र सरकार नहीं देती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : फर्नेस ऑयल के लिए परमिट कौन देता है?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, ग्रेनाइट पेट्रोलियम मंत्रालय का एक राज्य विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक ग्रेनाइट के लिए लाइसेंस देने का प्रश्न है, यह राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि फर्नेस ऑयल के लिए परमिट कौन देता है?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : यह पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या फर्नेस ऑयल के लिए भी यह मंत्रालय परमिट देता है?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : जी, हां।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : फर्नेस ऑयल का कोटा ही नहीं दिया जाता है। आप बोल रहे हैं*...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, यह एक गौण खनिज है।.

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : तेल की बात करें।...**(व्यवधान)** वह मिलता नहीं है, उसका कोटा पूरा नहीं मिलता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खनिज के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वे उस उद्योग के साथ सम्बद्ध फर्नेस ऑयल के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, ग्रेनाइट राज्य का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह केन्द्र सकरार द्वारा सप्लाई किया जाता है।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : जी, नहीं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें कहां से फर्नेस ऑयल प्राप्त होता है?

(व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : उन्हें यह राज्य सरकार से मिलता है. ..**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मुझे स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेने दें। राज्य सरकार को फर्नेस ऑयल कहां से मिलता है?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, ग्रेनाइट राज्य सरकार का उत्पाद है। यह केन्द्र सरकार द्वारा सप्लाई नहीं कराया जाता है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : राज्य सरकारों को उनका कोटा ही इश्यू नहीं किया जाता है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)** क्या बात है, हमारी तो 350 फैक्टियां बंद पड़ी हैं, लोग भूखे मर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : जी, नहीं।

---

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ भ्रांति है। श्री जोशी का यह कथन है कि फर्नेस ऑयल केन्द्र द्वारा सप्लाई किया जाता है जबकि माननीय मंत्री का यह कथन है कि फर्नेस ऑयल राज्य सरकार द्वारा सप्लाई किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, परिस्थिति अपनी-अपनी जगह दोनों ठीक हैं। परिस्थिति यह है कि फर्नेस ऑयल का कोटा केन्द्र सरकार राज्यों को देती है लेकिन स्टेट का कोटा इतना कम है कि वह फैक्टिरयों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री इससे सहमत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : केन्द्र को राजस्थान राज्य का कोटा आवश्यकता के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। पेट्रोलियम मिनिस्टर को आप कम से कम...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, ग्रेनाइट राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : राजस्थान सरकार ने जितना कोटा मांगा था...**(व्यवधान)** जनरल आयोग के लिए, वह कोटा भी राजस्थान को नहीं देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दाऊ दयाल जी, एक मिनट बैठिए

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मंत्री महोदय आपका मंत्रालय शायद फर्नेस ऑयल को डील नहीं करता है

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री रामसागर : माननीय सदस्य ने अनपार्लियामैंट्री शब्द का प्रयोग किया है। इसे पंच कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में से निकाल देंगे।

[अनुवाद]

कृपया शिष्टाचार बनाए रखें। आपका मंत्रालय फर्नेस ऑयल को डील नहीं करता है। यह पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सप्लाई किया जाता हो। या आप यह कहें कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है अथवा...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस : उपाध्यक्ष महोदय, अनपार्लियामैंट्री शब्द को कार्यवाही में से निकाल दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही रिकार्ड में से निकाल दिया है।

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा फर्नेस ऑयल का रिकार्ड रखा जाता है न कि खान मंत्रालय द्वारा। ग्रेनाइट के संबंध में मेरी संकल्पना शत प्रतिशत सही है।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि फर्नेस ऑयल का संबंध आपके मंत्रालय से न होकर दूसरे मंत्रालय से है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दूसरे मंत्रालय द्वारा देने दें।

श्री एस. बंगारप्पा : यह प्रश्न ग्रेनाइट के उत्खनन से संबंधित है। पहला पक्ष सामान्य नीति के ढांचे से संबंधित है और दूसरा पक्ष राजस्थान और मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट के उत्खनन से संबंधित है। यह हमारे देश में आम बात है, कर्नाटक राज्य में भी यह बात देखने में आई है। कर्नाटक की खानों में भी रंगीन ग्रेनाइट की विभिन्न किस्मों का उत्खनन किया जा रहा है। पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीविदों ने अपने मामले यह कहते हुए प्रस्तुत किए हैं कि देश भर में ग्रेनाइट का अवैध अथवा वैध उत्खनन करने से, विशेषरूप से कर्नाटक राज्य में, पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ा है। क्या सरकार ने इस मामले को गम्भीरता से लिया है और क्या वह अवैध उत्खनन को रोकने के लिए कदम उठा रही है? हालांकि यह राज्य का विषय है, क्या मंत्री महोदय अवैध उत्खनन पर रोक लगाने और वैध उत्खनन पर नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त कदम उठाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्यावरण संबंधी मामले को छुआ न जाए क्योंकि इससे पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ता है?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमारे देश के ग्रेनाइट उद्योग ने उत्खनन का परम्परागत तरीका अपनाया है। जब कभी भी हम परम्परागत पद्धति अपनाते हैं तब ही हमेशा पर्यावरण अथवा पारिस्थितिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हालांकि यह राज्य का विषय है, खान मंत्रालय ने इस संबंध में कुछेक कदम उठाए हैं और कुछेक-दिशा-निर्देश राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट का भारी भंडार है। कई जिले उसमें ऐसे हैं जहां बहुतायत से ग्रेनाइट निकलता है। आपने ग्रेनाइट विकास परिषद भी बनायी है जिसकी केवल एक बैठक 1995 में हुई। क्या आप उसकी बैठक बुलाएंगे जिससे समयगत नीति तैयार की जा सके, निर्यात में आने वाली कठिनाइयां दूर हो सकें और ज्यादा से ज्यादा ग्रेनाइट का उत्पादन होकर ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। क्या ऐसी पॉलिसी निर्धारित करने के लिए ग्रेनाइट विकास परिषद की बैठक बुलाने का या अन्य कोई कार्यवाही करने का विचार है?

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : मुझे सभा को बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि खान मंत्रालय 26 और 27 दिसम्बर को दिल्ली में एक मंत्री स्तरीय राज्य खान सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है।

डाकघर रहित गांव

*202. **श्री शरत पटनायक :**
श्री भक्त चरण दास :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान अब तक उड़ीसा में कितने गांव डाकघर रहित हैं;

(ख) राज्य में जिला वार, श्रेणी-वार डाकघरों वाले गांवों की संख्या कितनी है; और

(ग) राज्य में वर्ष 1996-97 के दौरान जिला वार, श्रेणी-वार कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान अब तक उड़ीसा में डाकघर रहित गांवों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	डाकघर रहित गांवों की संख्या
1994-95	39418
1995-96	39418
1996-97	39412

(ख) राज्य में उन गांवों की जहां डाकघर हैं, जिलावार और श्रेणीवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उड़ीसा में 1996-97 के दौरान 4 विभागीय उपडाकघर तथा 4 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है। अब तक मंजूर किए गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अब तक कोई विभागीय उपडाकघर मंजूर नहीं किया गया है।

विवरण-I

उड़ीसा सर्किल के उन गांवों की जिलावार और श्रेणीवार संख्या जहां डाकघर हैं।

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघरों वाले गांवों की कुल संख्या	विभागीय उप-डाकघर वाले गांवों की संख्या	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर वाले गांवों की संख्या	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर वाले गांवों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंगुल	223	17	7	199
2.	बालासोर	469	41	6	422
3.	बारगढ़	206	20	2	184
4.	बौद्ध	113	10	—	103
5.	भद्रक	306	33	6	267
6.	बोलनगिरि	257	21	5	231
7.	कटक	304	39	21	244
8.	देवगढ़	37	2	—	35
9.	धेनकनाल	221	18	9	194

1	2	3	4	5	6
10.	गजपति	139	12	—	127
11.	गंजम	602	46	17	539
12.	जगतसिंहपुर	230	24	5	201
13.	जाजपुर	287	29	18	240
14.	झारसुगुडा	80	9	2	69
15.	कालाहांडी	285	20	6	259
16.	केन्द्रपाड़ा	261	31	20	210
17.	क्योंझर	415	27	9	379
18.	मलकानगिरी	82	8	1	73
19.	खुर्द	213	17	5	191
20.	कोरापुट	221	17	—	204
21.	मयूरभंज	678	60	4	614
22.	नवरंगपुर	74	14	—	160
23.	नयागढ़	201	22	1	178
24.	नुआपाड़ा	105	5	5	95
25.	फुलबनी	259	20	3	236
26.	पुरी	270	24	6	240
27.	रायगढ़	190	14	—	176
28.	संबलपुर	212	12	4	196
29.	सुबर्णपुर	89	5	3	81
30.	सुन्दरगढ़	347	35	8	304
	कुल	7476	652	173	6651

विवरण--II

उड़ीसा में 1996--97 के दौरान अब तक मंजूर किए गए डाकघरों का जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1.	कटक	—	फकीरपुरा
2.	क्योंझर	—	बेगानीपेल
3.	कालाहांडी	—	मालगुर्डा
4.	जगतसिंहपुर	—	खेलगांव
5.	सुंदरगढ़	—	तुलसोकोनी
6.	गंजम	—	मोराबाई

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने एक सूची दी है और मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। उड़ीसा के बोलंगार जिले में, 274 ग्राम पंचायतें हैं। हम इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं लेकिन अब तक बोलंगार जिले के सभी पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर नहीं खुले हैं। माननीय मंत्री महोदय बहुत ही सक्षम हैं और विकास संबंधी कार्यों के प्रति उनका रवैया भी अनुकूल है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार उड़ीसा के बोलंगार जिले में यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में डाकघर खोलने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, डाकघर खोलने के कुछ नार्म्स हैं और उसमें जनसंख्या और दूरी का भी है। उनको देखते हुये

हमारे पूरे देश में उन नार्म्स के अनुसार जितने डाकघर होने चाहिए, उतने नहीं हैं। उड़ीसा में भी 8072 डाकघरों के द्वारा सेवायें प्रदान की जा रही हैं जिसमें से 7476 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में हैं। उड़ीसा में प्रति डाकघर द्वारा 19.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक 3922 की जनसंख्या में सेवा प्रदान की जा रही है। यह अखिल भारतीय स्तर की तुलना में उड़ीसा राज्य में डाक सुविधाओं के प्रावधान की स्थिति काफी बेहतर है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य का सुझाव किसी विशेष डाकघर के बारे में हो तो मुझे दे दें। जो हमारी वित्तीय और वैधानिक सीमायें हैं, उनको देखते हुये जो कुछ कर सकते हैं, देख लेंगे।

श्री शरत पटनायक : बहुत धन्यवाद। जैसा कि मंत्री जी ने कहा लेकिन प्रोत्साहन होते हुये भी हमारे बोलंगीर जिला पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यून्सी के लिये देना चाहते हैं और पहले दे भी चुके हैं, वहां के जो बड़े-बड़े गांव हैं, उनके आसपास कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि हम बोलंगीर और नवापाड़ा जिलों के लिये कोई प्रोपोजल दें तो क्या उसको कर देंगे या नहीं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमने बताया कि तीन किलोमीटर की दूरी होनी चाहिये, 3000 की जनसंख्या होनी चाहिये और 33.5 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिये जो डाकघर पर खर्चा आता है। मैं एक बार फिर यह बात कहूंगा कि जो विभाग के नार्म्स हैं, उसके अनुसार देश में जितने डाकघर होने चाहियें, उतने नहीं हैं फिर भी जो आपका सुझाव हो, हमें दे दें और उन सीमाओं के अंतर्गत जो कर सकते हैं, करने का प्रयास करेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, डाकघर खोलने के बारे में हमेशा ही संचार विभाग की तरफ से कठिनाई पेश की जाती है कि स्थान उपलब्ध नहीं है और आप स्थान उपलब्ध करवा दीजिये तो हम डाकघर खोल देंगे। हमारा यह कहना है कि इनका बजट स्थान लेने का इतना कम है कि उसमें कोई स्थान उपलब्ध ही नहीं होता। क्या मंत्री महोदय जमीन के बढ़े हुये दामों, महंगाई को देखते हुये स्थान लेने के लिये बजट में राशि बढ़ाने पर विचार करेंगे और स्थान लेने की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने के बजाय विभाग स्वयं पर लेगा? मैं स्वयं अपने क्षेत्र में ऐसी कठिनाइयों का महसूस कर रही हूं जहां पर खुले हुये डाकघर बंद हो गये हैं और कह रहे हैं कि स्थान नहीं है और जहां नये डाकघर खोलने की बात की जाती है तो हमें कहा जाता है कि स्थान दिलवायें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन तो उड़ीसा का है लेकिन जनरल पूछा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हां, वहां पर प्राब्लम आ रही है कि स्थान नहीं है...

उपाध्यक्ष महोदय : हां मैं खुद कह रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का मैं व्यक्तिगत रूप से आदर करता हूं इसलिये उन्होंने हमारी कठिनाई को खुद ही कह दिया है तो मैं इतना ही कहूंगा कि यह सही है कि विभाग के पास कठिनाइयां हमेशा रहती हैं और यह घाटे का विभाग है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ में 3000 शाखा डाकघर और 100 अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य आवंटित किया गया था जिसमें योजना आयोग ने संशोधन करके उसके 3600 अतिरिक्त विभागीय डाकघर और 650 विभागीय उप-डाकघर कर दिया है।

शायद बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा इस लक्ष्य में कटौती कर दी गई तथा इनसे 1440 अतिरिक्त विभागीय डाकघर खोलने तक सीमित कर दिया गया और इस उद्देश्य के लिए 23.654 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज की तारीख तक 148। अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 372 विभागीय डाकघर खोले गए। इनमें से 90 अतिरिक्त विभागीय डाकघर और 12 विभागीय उप-डाकघर उड़ीसा में खोले गए:

माननीय सदस्या ने ठीक कहा कि इस विभाग को वित्त की कठिनाई है और प्लानिंग कमीशन से हमें जो पैसा आवंटित हुआ था उसमें भी वित्त मंत्रालय ने कटौती कर दी। अब यह योजना होने वाली है। अगले वित्तीय वर्ष में आपके जो सुझाव हैं, उस पर हम पूरी तरह से गौर करने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उड़ीसा राज्य के संबंध में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनसे देखा जा सकता है कि डाकघरों की संख्या को बढ़ाने में कोई प्रगति नहीं हुई है। यही स्थिति दूसरे राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के मामले में भी देखी जा सकती है।

एक ओर तो सरकार संचार व्यवस्था पर बहुत जोर दे रही है और दूसरी ओर इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उड़ीसा राज्य से संबंधित है।

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : महोदय, मैं केवल उड़ीसा राज्य के बारे में बात कर रहा हूं। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने 1000 आबादी वाले प्रत्येक गांव में डाकघर खोलने की सभी योजनाओं को बंद कर दिया है। यदि हां, तो इस प्रकार के डाकघरों को स्थापित करने के लिए क्या कार्य-प्रणाली अपनाई जाती है?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमान्, वैसे तो विश्व में सबसे बड़ा डाकखानों का नैटवर्क हमारे देश में ही है। आबादी में चीन हमसे ज्यादा जरूर है लेकिन वहां जो जानकारी मिली है, केवल 52000 डाकघर हैं। हमारे देश में 1,53,000 के आस-पास डाकघर हैं लेकिन फिर भी अभी जो मॉडर्नाइजेशन उनमें होना चाहिए और जिन सर्विसेज की अपेक्षा हम करते हैं, वह नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा और सुधारने की जरूरत है। माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या मापदंड है। तो आम तौर से 3000 की जनसंख्या, तीन किलोमीटर की दूरी और

साढ़े तैंतीस प्रतिशत से अधिक घाटा न हो। रिमोट एरिया में 550 की जनसंख्या को और रैड्यूस किया जा सकता है।

कुमारी शैलजा : उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि यह प्रश्न उड़ीसा के बारे में है, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा जनरल प्रश्न है। हमने भी कई बार अपने इलाके में कोशिश की कि अतिरिक्त डाकघर खोले जाएं लेकिन हर बार इनकी हैल्पलैसनेस के सामने हमें झुकना पड़ा। अभी सुषमा स्वराज जी के सवाल के जवाब में भी इन्होंने कहा कि इनके पास पैसे की भी कमी है। यह हम सब मानते हैं, लेकिन हम इनकी मदद ही करना चाहेंगे। मुझे विश्वास है कि पूरा सदन इससे सहमत होगा कि जब इतनी स्कीमें हमारे देश में डाकघर के द्वारा चलायी जाती हैं, महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं हैं, पैसे का वितरण किया जाता है तो सारी चीजों को देखते हुए हमारी गुजारिश है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इसको प्रायोरिटी क्षेत्र में लाए कि ज्यादा से ज्यादा डाकघर खोले जाएं। क्योंकि हमने देखा है कि क्राइटीरिया फुलफिल होने के बावजूद भी ये डाकघर नहीं खुल पाते हैं। मेरी गुजारिश है कि मंत्री जी इसमें थोड़ा जोर देकर पहल करें और हम भी आपकी मदद करेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी ज्यादा से ज्यादा डाकघर खोलने की कोशिश करेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : जरूर करेंगे। कोशिश करने के लिए ही तो हमें यहां बैठाया है।

[अनुवाद]

हवाई सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

+

***203. श्री संतोष मोहन देव :**

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हवाई सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1995-96 और वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(क) जी, हां।

(ख) विमान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के मौजूदा ढांचे, वायुयान अधिनियम, 1934, वायुयान नियम, 1937 और विभिन्न सुरक्षा विनियमों की संवीक्षा करने के लिए एयर मार्शल जे.के. सेठ (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रचालकों की सुरक्षा ऑडिट, विमान दुर्घटनाओं इत्यादि की जांच से प्राप्त सिफारिशों के कार्यान्वयन आदि कदमों को निरन्तर उठाया जाता है ताकि विमान सुरक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके।

(ग) वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान विमान सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय ने प्लान स्कीमों के अन्तर्गत 1.61 करोड़ रुपए खर्च किये थे और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थात् 1996-97 में, इस प्रयोजन के लिए कुल 2.90 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी है।

(घ) विमानन सुरक्षा में सुधार हुआ है। पिछले 4 वर्षों के दौरान विमान दुर्घटनाओं की संख्या उत्तरोत्तर कम हो गई है।

श्री सन्तोष मोहन देव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में दिल्ली के निकट एक दुर्घटना घटी थी जिसमें 351 से अधिक जानें गई थीं। ऐसी घटनाएं पहले भी घटी हैं। पिछले दो अथवा तीन वर्षों में इंडियन एयरलाइंस और अन्य एयरलाइनों में लगभग आठ दुर्घटनाएं घटी हैं।

बंगलौर हवाई दुर्घटना के पश्चात् इंडियन एयरलाइंस के तत्कालीन चेयरमैन, श्री प्रताप ने पद से इस्तीफा दे दिया था। श्री सिंधिया ने भी एक और हवाई दुर्घटना के पश्चात् पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली की घटना के पश्चात् मैं नहीं चाहता कि मंत्री महोदय इस्तीफा दें। यह उनकी गलती नहीं है। लेकिन मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब हमारा हवाई क्षेत्र निजी क्षेत्र और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए खोला गया था तो यहां इस सदन में कई संसद सदस्यों ने आपत्ति की थी, नीति की नहीं, बल्कि उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि क्या विभिन्न विमानपत्तनों में हमारी विमान संचालन प्रणाली इतनी अद्यतन है कि वह विमान संचालन की मांगों को पूरा कर सकेगी और उन्हें सुरक्षित बनाएगी। वही मूल प्रश्न था। तब तत्कालीन मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खां ने इस संसद में, जहां तक मुझे याद है, एयरबस 320 की खरीद ने प्रश्न को उठाया था और उन्होंने स्वयं कहा था कि हमारी नागर विमानन प्रणाली अद्यतन नहीं थी। अब हम यह देखकर हैरान हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ, जो विश्व नागर विमानन उद्योग का शीर्ष निकाय है, ने यह कहकर इंडियन एयरलाइंस को भारी धक्का पहुंचाया है कि सुरक्षा की दृष्टि से यह अत्यन्त जोखिम वाली एयरलाइन है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री सन्तोष मोहन देव : आई ए टी ए समिति ने वर्ष 1985 और 1994 के बीच हुई दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए 16 और 17 अप्रैल को एक गुप्त बैठक बुलाई और अन्ततः इस निर्णय पर पहुंची कि दुर्घटना दर विश्व औसत दर से काफी अधिक है ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह प्रश्न पूछने के आदी नहीं है ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : सी पी एम के हमारे मित्रों ने सरकार का समर्थन करते हुए मंत्रियों का भी समर्थन करने के लिए अति उत्साहित हैं। एक दिन वह भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। उन्हें यह भी भूलना चाहिए।

मेरा प्रश्न अत्यन्त विशिष्ट है। मैं मंत्री को दोष देना नहीं चाहता। मैं इंडियन एयरलाइंस अथवा एयर इंडिया को दोष देना नहीं चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय हवाई सुरक्षा उपायों से स्वयं संतुष्ट हैं अथवा नहीं। वह एक अन्य मंत्री हैं। वह इस बारे में गहराई से सोचते हैं। मैं भी जानता कि उन्हें कितना समय मिलता है। वह पूरे देश में भाषणों का भाषांतरण करते हैं।

मंत्री महोदय, आपको मंत्रालय में जो भी समय मिलता है, क्या आप सुरक्षा उपायों से स्वयं संतुष्ट हैं और यदि नहीं, तो विश्व निकायों द्वारा किये जा रहे प्रचार के सम्बन्ध में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? आपका कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है और आप विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उस दिन मैं अमरीका में था। सभी प्रसारण माध्यम इण्डियन एयरलाइन्स को अत्यन्त जोखिम वाली एयरलाइंस बता रहे थे। यह अच्छा नहीं है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, आपके और मेरे बीच भी एक दुर्घटना हो सकती है।

मैं जानना चाहता हूं कि नागर विमानन प्रणाली में सुरक्षा उपायों को अद्यतन करने के लिए मंत्री महोदय क्या कदम उठा रहे हैं; वर्तमान स्थिति क्या है; और क्या सभी महानगरों में स्थित विमानपत्तनों पर, जहां अन्तर्राष्ट्रीय विमान उतरते और चढ़ते हैं, अच्छी विमान संचालन प्रणाली हैं...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आशा व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि केवल दो दिन पहले ही इस सदन में वक्तव्य देते हुए मैंने कहा था कि जब मैंने इस मंत्रालय का कार्य भार ग्रहण किया था वो इस को देखते ही मैंने तुरन्त एयर मार्शल जे.के. सेठ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। मैंने यह समिति दो महीने पहले नियुक्त की थी। यह समिति पूरे मामले की जांच करेगी और हमारी हवाई सुरक्षा प्रणाली के बारे में और इस बारे में कि क्या हमारे विमानत्तन अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं अथवा नहीं, विस्तृत रिपोर्ट देगी।

आज की तारीख तक जो भी हमारे प्रबंध हैं उसके बारे में मैं अत्यन्त आश्वस्त हूं और उनसे सन्तुष्ट हूं : वे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। महोदय, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1993 में भारत में 13 दुर्घटनाएं हुईं, 1994 में यह घटकर नौ हो गई। 1995 में यह संख्या छह और 1996 में घटकर पांच रह गई। जब हम अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र से इसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय आकाश कम दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है। इस तथ्य को केवल मैंने ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भी स्वीकार किया गया है। जब मैंने समाचार सुना, आई ए टी ए ने जो कुछ भी कहा था, मैंने तत्काल अपने नागर विमानन सचिव से कहा था कि वह उनसे सम्पर्क करें। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि आई ए टी ए ने इससे इन्कार किया है और उन्होंने 'फैक्स' द्वारा इस आशय का एक पत्र भेजा है कि उन्होंने इण्डियन एयरलाइंस के बारे में ऐसे कोई प्रश्न नहीं उठाए हैं।

महोदय, आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इण्डियन एयरलाइंस द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि में कमी आई है क्योंकि हमारे यहां दुर्घटना दर कम है और हमारे सुरक्षा उपाय अच्छे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यह खेद की बात है कि चाहे रेल मंत्री हों अथवा नागर विमानन मंत्री हों, वे दुर्घटनाओं की दर में कमी लाकर अपनी दक्षता दिखाने का प्रयास करते हैं। यह दुर्घटनाओं की दर में कमी लाने का मामला भी है। कोई भी दुर्घटना होना वांछनीय नहीं है। आज मैं कलकत्ता जा रहा हूं। मैं उस कम प्रतिशत का शिकार हो सकता हूं। अतः ऐसा मत कहिए। मैं कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहा हूं।

अन्य बात, 14 नवम्बर 1996 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा सम्पादकीय है, और यह पूरे विश्व में जा रहा है जिसमें कहा गया है:

"अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइंस विमान चालक संघ विश्व विमानपत्तनों की आवधिक वाली सूची प्रकाशित करता है। यह उन विमानपत्तनों को काला स्टॉर देता है जिसे इसके सदस्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के बिल्कुल अनुरूप नहीं समझा जाता है। जिन अन्य विमानपत्तनों को असुरक्षित समझा जाता है लेकिन वे कम खतरनाक हैं तो उन्हें लाल स्टार और उससे कम खतरनाक को नारंगी स्टार लगाकर वर्गीकृत किया जाता है। दिल्ली विमानपत्तन को इसके अत्यन्त खराब विमान संचालन उपस्करों के कारण काफी लम्बे समय से काला स्टार दिया गया है और इसकी त्रुटिपूर्ण उपकरण अवतरण प्रणाली विगत में कई हवाई दुर्घटनाओं का कारण रही है। यह विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संघों की अवधारणा है। मंत्री महोदय जैसा कि मैंने कहा है, मैं किसी के विरूद्ध नहीं कह रहा हूं क्योंकि यह तो व्यवस्था है जो इस प्रकार चल रही है। मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि यह ठीक समय है जब आपने वह समिति गठित की। उस समिति की सिफारिशों के अनुसार आपको देखना चाहिए कि हमारे सभी विमानपत्तन चाहे वे छोटे हैं अथवा बड़े, बेहतर नागर विमान संचालन प्रणाली से सुसज्जित हों ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए। क्या आप इस बारे में हमें समयबद्ध कार्यक्रम बता सकते हैं कि आपको कब तक रिपोर्ट प्राप्त होने की सम्भावना है और आप कब तक उपचारी कदम उठाने जा रहे हैं? कृपया मुझे बताएं कि पूर्वोत्तर में कौन सा विमान सुरक्षित है ताकि मैं तद्नुसार अपना टिकट ले सकूं।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं भी उसी उड़ान से यात्रा कर रहा हूं जिससे वह यात्रा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिए कोई अलग है, ऐसी बात नहीं है। जहां तक इस कमेटी का सवाल है, जिसको हमने अभी बनाया है, इसका उद्देश्य ही यह था कि जो सिस्टम आज है, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, जिसके माध्यम से मुझे इन्फार्मेशन मिल रही है, क्या वह ठीक है? क्योंकि फारेन अखबार के माध्यम से एक चीज आती है और मेरे डिपार्टमेंट के माध्यम से दूसरी चीज उसी के बारे में आती है, तो मैंने यह तय किया कि इसके लिए एक कमेटी बने और वह अपनी रिपोर्ट तुरंत दे कि किस तरह की एयर सेफ्टी है। क्या हम एकोर्डिंग टू दि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या नहीं, अगर हैं, तो इनको कैसे और सुधारा जा सकता है और अगर नहीं है, तो इनमें क्या कमियां हैं?

दूसरी चीज यह है कि जो फारेन सोर्सेस हैं, जो समाचार पत्र में आया है, जिसका उल्लेख अभी माननीय सदस्य कर रहे थे, उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशों में हमेशा कंपटीशन की वजह से हमारी हर चीज यह कहा जाता है कि वह बेकार है। यदि उनकी चीज यहां पर लाकर लटका दी जाए, तो वे कहेंगे कि वह ठीक है और जो हमारी चीज यहां पहले से लटकी है, वह बेकार है। वे चाहते हैं कि विदेशी टैक्नालाजी यदि हम यहां लाएं, तो हमें यह सुविधा होगी। इस प्रकार से बाकायदा प्रयास हो रहा है कि इस देश की जो टैक्नालोजी है उसे बदनाम किया जाए और उसे बुरा बताया जाए। विदेशियों का हमेशा से यही प्रयास रहा है। विदेशी लोग हमारी टैक्नालोजी और सिस्टम को सिस्टेमेटीकली खराब कहने और उसे बेकार बताने की कोशिश कर रहे हैं।

एयर चीफ मार्शल सेठ की एयर सेफ्टी रिपोर्ट आने के बाद सारी दुनिया में इस बात का सबूत होगा कि हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में जो आज उपकरण लगे हैं वे आधुनिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं।

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : रिपोर्ट कब तक आएगी?

श्री सी.एम. इब्राहीम : उन्होंने दिल्ली में मार्च 1997 तक करने की अंडरटेकिंग दी है और मुम्बई के बारे में बताया है कि जून 1997 तक कर देंगे।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन के इर्दगिर्द घूमता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह सभी के हित में है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आपको प्रश्न पूछने में दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं एक मिनट और 45 सैकण्ड लूंगा।

श्री प्रमोद महाजन : हम आशा करते हैं कि आपकी वर्तमान दुर्घटना का हवाई सुरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं अत्यन्त प्रसन्न हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे मंत्री जो अत्यन्त गतिशील हैं जिनमें असाधारण आत्मविश्वास है।

[हिन्दी]

"हिम्मत से जबाव देता है हिम्मत से काम करता है"

[अनुवाद]

माननीय प्रधान मंत्री के साथ पूरे भारत में दौरा करने के अलावा उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय जैसे अत्यन्त सक्रिय मंत्रालय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय हमें अत्यन्त प्रसन्नता है कि वे नागर विमानन मंत्रालय में अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें अत्यन्त प्रसन्नता है कि वे हमारे हितों की रक्षा कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं प्रत्येक सदस्य की ओर से बोल रहा हूं...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : वह फिल्म लाइन में भी है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रेड्डी संक्षेप में बोलिए।

(व्यवधान)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : हाल ही में 27 नवम्बर को मेरे निर्वाचन क्षेत्र विशाखापत्तनम में, हम एक सम्भावित दुर्घटना से बाल-बाल बच गए जब माननीय सदस्य श्री अय्यन्ना पटरुधु, जो यहां बैठे हुए हैं, सहित 119 यात्रियों को ले जा रहा विमान उड़ान भरने के दस मिनट पश्चात् ही दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, लेकिन ईश्वर ने हम सभी को बचा दिया और हम सब सुरक्षित हैं...**(व्यवधान)** अतः दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुर्घटनाएं होनी चाहिए। मानव जीवन अत्यन्त अनमोल है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे देश में विद्यमान पुराने राडारों को अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अत्याधुनिक उच्चकोटि के राडारों के साथ बदलने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास केवल आधा मिनट और है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रश्न पूछने से पहले मैं उसके बारे में अवश्य बताऊंगा... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं :

> "वाशिंगटन स्थित एक परामर्शदाता द्वारा किये गए अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि इण्डियन एयर

लाइंस उद्योग में कुशल पायलटों की कमी है और हवाई यातायात अनुदेश न्यूनतम मानदण्ड से भी कम है।"

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, विशेषज्ञों के अनुसार अफ्रीका, चीन और सी आई एस देशों के बहुत से विमानपत्तनों की तरह भीड़भाड़ वाला नई दिल्ली विमानपत्तन भी अफ्रीका विमान संचालन उपकरणों और यातायात प्रबंधन प्रणाली जिससे हाल की दुर्घटनाएं रोकी जा सकती थी, से पूर्णतः अभावग्रस्त है।

[अनुवाद]

अब मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात लाना चाहूंगा।

मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि एटीसी स्वचालन प्रणाली अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1988 में यह महसूस किया गया कि हमें इस प्रणाली को आरंभ करना चाहिए जिसकी उस समय लागत 200 करोड़ रुपये थी। लेकिन दुर्भाग्य से, उस समय इसे लागू नहीं किया जा सका और अब, मरी समझ से इसकी कीमत बढ़कर 423 करोड़ रुपये हो गयी है। इसलिए मंत्री महोदय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि अब इस स्वचालन प्रणाली को आरंभ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी आपका प्रश्न क्या है? कृपया प्रश्न पूछिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय वित्त मंत्रालय से इस बात पर बातचीत करने जा रहे हैं कि वह उन्हें स्वचालन प्रणाली आरंभ करने के लिए 423 करोड़ रुपये दें जिससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़े और हमारी जिंदगी भी सुरक्षित रहे। मंत्री महोदय हमें यह भी आश्वस्त करें कि भविष्य में, विशाखापट्टनम की भांति जहां पर हम बाल-बाल बच गये थे, कोई दुर्घटना नहीं होगी। मैं जानना चाहूंगा कि वह इस संबंध में क्या एहतियाती कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, जहां तक स्वचालन प्रणाली का संबंध है, हमने मुंबई तथा दिल्ली में पहले ही नई तकनीक आरंभ की है। मैं सभा को बताना चाहूंगा कि तीन वर्ष के अंदर समूचे देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं सेकेंडरी राडार प्रणाली देखना चाहता हूं, और हम इसे करके रहेंगे। आज जब हम अपने अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उन्हें निर्देश दिया कि नये विमानों को खरीदने के बजाय, पहले हमें समूचे देश में सेकेंडरी राडार प्रणाली विकसित करनी चाहिए। समूचे क्षेत्र में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सेकेंडरी राडार प्रणाली आरम्भ की जायेगी। तीन वर्षों के अंदर हम ऐसा करने जा रहे हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मंत्री महोदय ने विशाखापत्तनम दुर्घटना के बारे में जवाब नहीं दिया है। उन्हें विशाखापत्तनम दुर्घटना के बारे में जवाब देना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, उन्हें विशाखापत्तनम दुर्घटना के बारे में उत्तर देना चाहिए, जिसमें श्री अय्यन्ना पटरुधु, जो यहां बैठे हैं, बाल-बाल बच गये थे।

एक माननीय सदस्य : बाल-बाल कैसे बच गये थे?

श्री सी.एम. इब्राहीम : क्योंकि वह वहां थे ही नहीं।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, विगत कुछ वर्षों से हमारे हवाई मार्गों में अत्यधिक भीड़ होती जा रही है और अगले कुछ वर्षों में उनके और अधिक व्यस्त हो जाने की संभावना है। इसलिए, स्वाभाविक है कि बहुत कड़े नियंत्रण की आवश्यकता है। दुर्घटनाओं की संख्या बताने वाला यह आंकड़ा भरा विवरण संतोषजनक नहीं है। कभी-कभी संख्यावार, भले ही यह एक दुर्घटना हो लेकिन इससे सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है और इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। इसलिए हालांकि हमारे द्वारा पूछे गये प्रश्न पर सरकार का उत्तर सकारात्मक है कि क्या सरकार इसको उच्च प्राथमिकता दे रही है, जबकि शेष भाग पूरी तरह से विरोधाभासी है।

डी जी सी ए का बजट एक वर्ष में केवल 1.3 करोड़ रुपये ही बढ़ाया गया है तथा डी जी सी ए-मंत्री और उसके विश्वासपात्र इसमें शामिल नहीं है-से अपेक्षा की जाती है कि वे हवाई सुरक्षा के बारे में कुछ करें। इसलिए, डीजीसीए को सक्षम और समर्थ बनाना है। इसके पास कर्मचारी पूरे होने चाहिए। भीड़ भरे भारतीय हवाई मार्गों से निबटने के लिए बजटीय आवंटन होना चहिए। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि नागरिक विमानन संबंधी स्थायी समिति ने विगत दो-चार वर्षों से सरकार को एक सुझाव दिया है कि हमें अपनी डीजीसीए को भारतीय हवाई मार्गों के नियंत्रण के लिए एफएफएफ की भांति और अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर विनियामक तथा पर्यवेक्षक प्राधिकरण के रूप में विकसित करना है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, यह बहुत अच्छा सुझाव है। मैं इसे जरूर ध्यान में रखूंगा। महोदय, माननीय सदस्य इस बात की अवश्य ही तारीफ करेंगे कि छः महीने की अवधि के अंदर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एअर मार्शल सेठ समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद, हम निश्चय ही इस ओर ध्यान देंगे...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : यह समिति आपको कार्य करने से तो मना नहीं करती है। क्या समिति की रिपोर्ट आने तक आप इंतजार करेंगे?

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैं इस बात से सहमत हूं...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : यह क्या बात हुई? क्या आप समिति बनाकर चुपचाप बैठ जाते हैं?...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, इसे स्वतंत्र बनाने के लिए कल रिपोर्ट की आवश्यकता है। यदि मैं कहता हूं ऐसा नहीं हो सकता, यदि मुझे इसे स्वतंत्र बनाना है तो कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और उसके बाद ये प्रश्न भी उठते हैं कि समिति नियुक्त करने का अधिकार किसे है अथवा इसके सदस्य कौन हो सकते हैं अथवा उनकी नियुक्ति कौन करेगा अथवा उनकी नियुक्ति मेरे द्वारा की जायेगी या बोर्ड करेगा और फिर पी.ई.एस.बी., ए.सी.सी., डी.जी.सी.ए. आदि का मसला भी सामने आता है।

[हिन्दी]

यह पूरा खत्म करते-करते मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन रिपोर्ट नहीं आयेगी।

[अनुवाद]

पूरी प्रणाली ही ऐसी है यहां तक कि यदि मुझे एक चेयरमैन की आवश्यकता है, तो मुझे इसके लिए लिखना पड़ेगा और फिर इसके बाद सारी औपचारिताएं पूरी करनी पड़ेंगी और फिर छः महीने बाद जवाब आयेगा। अब, मैं जिसे करने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि इस प्रणाली को एकदम खत्म किये बिना, यदि हम समिति की रिपोर्ट प्राप्त करते हैं तो हम इस बारे में तुरंत निर्णय कर सकते हैं जैसा कि हमारे माननीय मित्र महाजन जी ने इसे स्वतंत्र बनाने की बात कही है। यदि यह स्वतंत्र रूप से काम करती है तो फिर मंत्री द्वारा खतरा मोल लेने का सवाल नहीं उठता।

इसलिए, मैं यह सुझाव दे रहा हूं क्योंकि रेलवे सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर आती है। रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट, वहां की लेखा परीक्षा तथा नियुक्तियां नागरिक विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। निश्चित ही इन सब बातों को ध्यान में रखा जायेगा और मैं यह कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट मिलने के बाद मैं इस पर कुछ न कुछ निर्णय लूंगा।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा सुरक्षा उपायों की बेहतरी के लिए उठाये गये कदमों की सराहना करता हूं। लेकिन, इसके साथ-साथ, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि क्या हमारी सुरक्षित हवाई यात्राओं के लिए पुराने पड़ चुके बोइंग 737 जो विशाखापत्तनम तथा अन्य जगहों में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं तथा एअर बस एबी-300 जैसे विमान खतरा नहीं हैं? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 20 या 30 वर्ष पुराने एबी-300 तथा बोइंग 737 जैसे जीर्ण-शीर्ण विमान जिन्हें कोई देश काम पर लगाना नहीं चाहेंगा, को चरणबद्ध ढंग से हटाने पर विचार करेगी? लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंडियन एअरलाइंस अब भी इन विमानों को चला रही है।

एक और बात भी है। माननीय मंत्री महोदय को यह बात पता होगी कि कुछ समय पूर्व बंगलौर में एक निजी एअर लाइन की दुर्घटना के बारे में क्या हुआ। कुछ निजी एअरलाइनों का इंजीनियरी विभाग ढंग से काम नहीं कर रहा है। वे इंडियन एअरलाइंस तथा एअर इंडिया की भांति सुरक्षा उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वह इस मामले में तथा मेरे मित्र श्री महाजन द्वारा दिये गये इस सुझाव के बारे में कि डी.जी.सी.ए. को स्वतंत्र तथा सक्षम बनाने तथा अमेरिका के एफ.ए.ए. की भांति इसे साज-सज्जित किया जाये, क्या कदम उठाना चाहेंगे?

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, जहां तक बोइंग 737 विमान का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार यह 15 वर्ष पुराना है। मैंने इस बारे में पहले ही निर्देश जारी किये हैं कि जो भी विमान पुराना पड़ जाये....

[हिन्दी]

जब तक डी.जी.सी.ए. और इंजीनियरिंग सेक्शन क्लियरेंस नहीं देता, तब तक कोई जहाज उड़ नहीं सकता।

श्री ई. अहमद : उसके बाद भी हुआ।

श्री सी.एम. इब्राहीम : मशीन तो मशीन है, कभी-कभी नई मशीन भी टूट जाती है, यह तो पुराना था। पुराने में मेनटेनेंस ज्यादा होती है। हम चाहते हैं पुराने की जगह नया जल्दी से जल्दी रिप्लेस करें।

[अनुवाद]

मैंने पहले ही निर्देश जारी कर दिये हैं। मैंने डी.जी.सी.ए. से सभी विमानों, चाहें वे इंडियन एअर लाइंस के हों, अथवा एअर इंडिया के या फिर निजी एअर लाइन के, यह जानने के लिए कि वह अच्छी हालत में है, का समयबद्ध निरीक्षण और अचानक निरीक्षण करने को कहा है। उन्हें ऐसा करना है और इसके बारे में मासिक अथवा यहां तक साप्ताहिक रिपोर्ट हमारे मंत्रालय को देनी है कि उन्होंने अब तक कितने विमानों का निरीक्षण या अचानक निरीक्षण किया है। वे इस संबंध में सारे कदम उठा रहे हैं। जहां तक डी.जी.सी.ए. का स्वतंत्र बनाने का प्रश्न है, मैंने इस मामले पर विचार के लिए पहले ही इसे अपने हाथ में लिया है।

एअर मार्शल सेठ समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद, मैं निश्चित ही इस मामले को देखूंगा और इस पर आगे निर्णय लूंगा।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में पहले से ही पांच अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा का निर्णय है कि एक प्रश्न पर पांच से अधिक अनुपूरक नहीं पूछे जायें।

(व्यवधान)

श्री तिरुची शिवा : आप नये सांसदों को बढ़ावा दे रहे हैं।... **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : इस तरह के मामले पर आप आधे घंटे की चर्चा करवायें...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माफ करें। ऐसा नहीं हो सकता।

दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करना

*204. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**

श्री के.एच. मुनियप्पा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष में उनके मंत्रालय में बड़ी संख्या में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके वित्तीय प्रभाव क्या होंगे;

(ग) क्या देश में "स्टीम लोको शेडों" के बंद किये जाने के कारण बेरोजगार हुए दिहाड़ी मजदूरों को भी पुनः रोजगार देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). उन सभी लगभग 56,000 नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को 1997-98 तक नियमित करने का विनिश्चय किया गया है जिनके नाम 30.4.1996 को रेलों पर रजिस्टर में दर्ज थे। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी रेलों/इकाइयों को आवश्यक अनुदेश दे दिए गए हैं। चूंकि इन सभी नैमित्तिक श्रमिकों के नाम पहले ही रजिस्टर में दर्ज हैं और ये प्रायः नियमित वेतनमानों में हैं, इसलिए तत्काल इसका कोई वित्तीय फलितार्थ नहीं होगा।

(ग) और (घ). रेलों द्वारा नियोजित ऐसे नैमित्तिक श्रमिक, जो भाप रेल इंजन शेडों के बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए हों और जिनके नाम चालू रजिस्टरों अथवा पूरक चालू रजिस्टरों में दर्ज हों, पुनः काम उपलब्ध होने पर फिर से नियोजन के पात्र हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, 56,000 दिहाड़ी मजदूरों की सूची दी है। मैं जानना चाहता हूं कि 30.4.96 को इसके सिवाय कोई दूसरा नियम था जिसके आधार पर इसको चुना है क्योंकि आपका दूसरा नियम 120 दिन जिसने काम किया है, उसको रेगुलेराइज करने का है। एक तो आपका वह नियम है और दूसरा यह है कि जिनका रजिस्टर में नाम चढ़ा है लेकिन कोयला उठाने, कोयला चढ़ाने और राख हटाने का काम सहकारिता के मजदूर और ठेकेदार के मजदूर ही करते हैं, वे भी बेकार हुए होंगे। ऐसे लोगों की आपने कोई सूची नहीं बनाई है और 56,000 में से वर्ष 1997-98 तक कितने मजदूरों को सरकार काम में लगा देगी?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो 56,000 कैजुअल लेबर्रस का आईडेंटीफिकेशन किया है, वह 30.4.96 तक का है और हमने निर्णय लिया है कि हम वर्ष 1997-98 तक सबको रेगुलेराइज कर देंगे। अभी तक जो पहली स्टेज है वह स्क्रूटिनाइजिंग की है। चूंकि उसमें एक भी मजदूर को छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए जहां तक काम का सवाल है, वह तो हम तीन महीने में सबको रेगुलेराइज कर सकते हैं लेकिन हमारे सामने वैधानिक दिक्कत यह हुई है कि 56,000 में से कितने एस.सी.एस.टी. के मजदूर हैं? यदि उनकी संख्या कोटा के अनुसार होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोटा के अनुपात में उनकी संख्या कम होगी तो उसके लिए फ्रैश एपोइंटमेंट करनी होगी। उसका मतलब यह नहीं है कि जो 56,000 कर्मचारी हैं, उनको रेगुलेराज्ड नहीं किया जाएगा। सिर्फ यह स्क्रूटिनाइज करने के लिए कि 56,000 में से कितने एस.सी./एस.टी. के कर्मचारी परमानेंट होंगे, इस चीज को देखने के लिए स्क्रूटिनाइजिंग हो रही है और करीब-करीब साढ़े चार या पांच हजार तक हो गई है। हमारा टारगेट है कि मार्च के महीने में हम इसको तीन हजार तक कर देंगे और बाकी जो बचेंगे, उनको भी हम जल्दी से जल्दी वर्ष 1997 तक पूरा कर देंगे और जब हमारा टारगेट पूरा हो जाता है तो जो लोग लाइव रजिस्ट्रेशंस में हैं और जो आपने कहा कि स्टीम इंजन खत्म हो गया है, अब डीजल इंजन चल रहे हैं, अब इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो उस समय भी काफी संख्या में मजदूर बचे हुए हैं, हालांकि वे रेलवे के मजदूर नहीं हैं, वे कांट्रैक्ट लेबर्रस थे लेकिन उनके प्रति भी हमें सिम्पेथेटिक एटीट्यूड लेकर विचार करना है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मेरा यह पूछना है कि जिस प्रकार से 120 दिन वाला है और आपने 30.4.96 तक किया है। जो 120 दिन काम करके बैठे हों, ऐसे मजदूरों का कुछ हिसाब-किताब होगा कि नहीं होगा और आपने इनका कुछ हिसाब नहीं दिया है कि "स्टीम लोको शेडों" के बाद जो मजदूर बेकार होंगे, उनके बारे में आपने कोई सूचना नहीं दी है कि इस काम के कारण ऐसे कितने मजदूर बेकार हुए हैं और अभी तक एक भी नियुक्ति नहीं की गई है।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि करीब-करीब पांच हजार मजदूरों को परमानेंट कर दिया गया है और मार्च तक हम 30,000 मजदूरों को परमानेंट कर देंगे। जो 120 दिन का मामला है, उसमें ऐसा है कि जिसके 120 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसको सरटेन फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो जाती है, टेम्परारी कैजुअल लेबर्रस के रूप में उसकी गिनती होनी शुरू हो जाती है और 360 दिन पूरे हो जाने के बाद उसको सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

अभी जो कैज्युअल लेबर्रस हैं, उनको फैसीलिटीज मिल रही हैं। परमानेंट होने के बाद फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की तरह से उनको

सुविधायें मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात आपने स्टीम इंजन के खत्म होने से बचे कर्मचारियों के बारे में कही है। बसुदेव आचार्य और अन्य माननीय सदस्यों ने इस संबंध में कहा है और हम उसके बारे में सैंप्रेटली कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जिनका हक पहले बनता है, हम उनको पहले दे रहे हैं। जहां तक उनकी संख्या की बात है, कमेटी के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसके अनुसार 1993 या 1994 में उनकी संख्या छः हजार थी, जो अब घट कर कम हो गई है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : लोको शेड में जो कोयला चढ़ाते हैं, मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री राम विलास पासवान : एक तो वे हैं, जिनसे रेलवे अपना काम करवाती है, वे सारे के सारे कैज्युअल में चले आयेंगे। रेलवे के अलावा प्राइवेट कान्ट्रैक्टर्स के द्वारा जिनसे काम करवाया जाता है, उनकी मांग माननीय सदस्यों के द्वारा बहुत जोरों से उठाई गई है। मैं उनके संबंध में कह रहा हूं। जो कान्ट्रैक्ट लेबरर्स है, उनकी लिस्ट रेलवे के पास नहीं रहती है, लेकिन रेलवे ने किसी से उनकी लिस्ट मंगवाई है और मंत्री बनने के बाद हमने निर्णय लिया है, वे बहाल हो जायेंगे तथा उनके ऊपर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के नगरों के लिये विमान सेवायें

***205. श्री अशोक प्रधान** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख नगरों को विमान सेवाओं से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार, अनेक राजनीतिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने राज्य में कुछ विमानपत्तनों का निर्माण करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) इंडियन एयरलाइंस आगरा, वाराणसी और लखनऊ के लिए अनुसूचित सेवाएं प्रचालित कर रही है। सहारा इंडिया एयरलाइंस लखनऊ और वाराणसी के लिए प्रचालन कर रहे हैं। गैर-सरकारी विमान कंपनियां इलाहाबाद और कानपुर के लिए प्रचालन कर रही थीं परन्तु हाल ही में इन्होंने प्रचालन बन्द कर दिये हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). हवाई अड्डों के निर्माण/बरेली, चित्रकूट, फैजाबाद, जौनपुर और काशीपुर से उड़ानों के प्रचालन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) और (च). बरेली का हवाई क्षेत्र रक्षा हवाई क्षेत्र है और वहां पर कोई सिविल एन्क्लेव नहीं है। चित्रकूट, जौनपुर और काशीपुर में नये हवाई अड्डों का निर्माण, जो वर्तमान हवाई अड्डों से काफी कम दूरी पर स्थित है, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। फैजाबाद का हवाई अड्डा राज्य सरकार का है। किसी भी विमान कंपनी ने न तो बरेली के लिए अथवा न ही फैजाबाद के लिए अनुसूचित सेवाओं के प्रचालन में रूचि दिखाई है।

देशभक्ति की फिल्में

***206. श्री पंकज चौधरी :**

श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भक्ति की फिल्मों के निर्माण में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान देशभक्ति की कितनी फिल्मों का निर्माण और प्रसारण किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). फीचर फिल्मों का निर्माण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में किया जाता है और निर्माता अपनी फिल्मों के विषयों के बारे में स्वयं निर्णय करते हैं। तथापि, फिल्म प्रदर्शित करने वाले किसी व्यक्ति को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है। बोर्ड किसी फिल्म के विषय का "देशभक्ति पूर्ण" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण नहीं करता। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि देशभक्ति की फीचर फिल्मों में वृद्धि हो रही है या उनमें कमी आई है। हाल ही में कुछ फिल्में बनी हैं जिनमें देशभक्ति की भावना पर बल दिया गया है जैसे "1942 ए लव स्टोरी," "हिन्दुस्तानी", "सजा-ए-कालापानी", "दा मेकिंग ऑफ दी महात्मा" आदि।

जहां तक फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित वृत्तचित्र फिल्मों का संबंध है, प्रभाग द्वारा इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों एवं देशभक्तों पर फिल्में बनाई जाती रही हैं। इनमें महात्मा गांधी, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली, शेख अब्दुल्ला, आसफ अली, रफी

अहमद किदवई, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, विनोबा भावे आदि पर बनाई गई फिल्में शामिल हैं। फिल्म प्रभाग द्वारा इस प्रकार की फिल्मों के निर्माण में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए फीचर फिल्मों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान फिल्म प्रभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों पर 20 वृत्तचित्र फिल्में/न्यूज मैगजीन बनाई गई। ये फिल्में प्रसारण के लिए भी होती हैं और इन्हें दूरदर्शन समय-समय पर प्रसारित करता है।

(घ) और (ङ). ऊपर बताए अनुसार, फीचर फिल्मों का निर्माण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में किया जाता है और विषयों का चयन निर्माताओं द्वारा किया जाता है। इस संबंध में हस्तक्षेप करना सरकार की नीति नहीं है।

फिल्म प्रभाग के निर्माण कार्यक्रम में निम्नलिखित वृत्तचित्र शामिल हैं :—

(1) एम.एन. राय (भाग 1 तथा 2)
(2) बाबू जगजीवन राम
(3) सरदार पटेल
(4) आंध्र केसरी टी. प्रकाशन
(5) अमर शहीद भगत सिंह
(6) मानापुरुष शंकर देवा
(7) ज्योति प्रसाद अग्रवाल
(8) डा. राधानाथ रथ
(9) बाबा पृथ्वीसिंह आजाद
(10) गांधी जी थ्रू दा आईज ऑफ कार्टूनिस्ट
(11) गांधी जी एज एन यूनिवर्सल मैन
(12) कन्ट्रीब्यूशन ऑफ महाराष्ट्र इन फ्रीडम स्ट्रगल
(13) कन्ट्रीब्यूशन ऑफ असम इन फ्रीडम स्ट्रगल
(14) कर्मवीर गौरी शंकर राय (एस. वी,)
(15) कन्ट्रीब्यूशन ऑफ केरल इन फ्रीडम स्ट्रगल
(16) नेहरू थ्रू दा आईज ऑफ कार्टूनिस्ट

[अनुवाद]

दिल्ली में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ.

***207. डा. बलिराम :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गैर-सरकारी/एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों की संख्या कितनी है;

(ख) नवम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार बूथों के आबंटन की प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं;

(ग) इन्हें कब तक कनैक्शन दे दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या आबंटन पात्रता के आधार पर ही किये जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.10.1996 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली में 5976 एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ कार्यरत हैं।

(ख) एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों के आबंटन के लिए 773 आवेदन-पत्र लंबित हैं।

(ग) मार्च, 1997 तक।

(घ) जी, हां।

(ङ) एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को आबंटित किए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रिक/हाईस्कूल पास है (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8वीं पास)। निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है :—

(1) नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्ति।
(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार।
(3) पूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं।
(4) दूरसंचार विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारी अथवा उनके आश्रित।
(5) स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित।
(6) धर्मार्थ संस्थाएं/अस्पताल।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक रेल लाइन

***208. श्री के.पी सिंह देव :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने दक्षिणी अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर से उत्तरी अंडमान द्वीप में डिगलीपुर तक प्रस्तावित रेल लाइन बिछाने के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित रेल लाइन की लंबाई और इसकी परिवहन क्षमता कितनी है और इसका निर्माण अनुमानतः कितनी होगी;

(ग) क्या प्रस्तावित रेल लाइन से अंडमान द्वीप समूह में परिस्थितिकी को और पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ख) इनका पता सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही चलेगा।

(ग) और (घ). इस क्षेत्र में किसी रेल संपर्क का कार्य शुरू करने से पहले, इकॉलोजी और पर्यावरण संबंधी पहलुओं पर विधिवत विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार हेतु लघु-उपग्रह संपर्क

***209. श्री ललित उरांव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बेहतर टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए वहां के चार महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को लघु-उपग्रह से जोड़ने के लिए कोई योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेतारहाट में टावर स्थापित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो वहां अब तक टावर स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार नेतारहाट के लिए अलग एस. टी.डी. कोड प्रदान करने का है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। दूरदराज के स्थानों को बेहतर टेलीफोन सेवा हेतु लंबी दूरी का माध्यम प्रदान करने के लिए "मल्टीपल-चैनल-पर-कैरियर-वैरी-स्मॉल-अपर्चर-उपग्रह टर्मिनल (एमसीपीसी-वी-सेट)" का प्रयोग करके एक स्कीम बनाई गई है।

(ख) बिहार के निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जहां एम सी पी सी, वी-सेट की योजना है :—

(1) नेतारहाट, (2) बालमीकिनगर, (3) मधुबन (पारसनाथ), (4) राजेश्वर

(ग) जी नहीं।

(घ) नेतारहाट में "मल्टीपल-चैनल-पर-कैरियर-वैरी-स्मॉल-अपर्चर-उपग्रह टर्मिनल (एमसीपीसी-वी-सेट)" की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए टावर की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) नेतारहाट को एस.टी.डी. कोड नंबर 06523 एलॉट कर दिया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली-जम्मू-लेह के लिये मोदीलुफ्त को लाइसेंस

***210. श्री पी. नामग्याल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोदीलुफ्त को दिल्ली-जम्मू-लेह और दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर मार्गों पर अपनी विमान सेवाओं के परिचालन हेतु लाइसेंस प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या मोदीलुफ्त ने इस समझौते का उल्लंघन करके जम्मू व कश्मीर में विशेष लद्दाख क्षेत्र में अपनी विमान सेवाएं रद्द कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). मैसर्स मोदीलुफ्त लिमिटेड को 20 नवम्बर, 1994 को अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए परमिट जारी किया गया था। संबंधित परमिट की निबंधन और शर्तें संलग्न विवरण में दी गयी हैं। तदनुसार संबंधित विमान-कम्पनी को जम्मू और कश्मीर में उड़ानों के प्रचालन के साथ-साथ प्रचालन की स्वीकृति दी गयी थी।

(ग) और (घ). मोदीलुफ्त ने अक्तूबर, 1996 से विमानों की अनुपलब्धता के कारण, अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं।

विवरण

अनुसूचित विमान परिवहन के धारक द्वारा अनुपालित की जाने वाली शर्तें

1. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 1.3.94 के आदेश संख्या एवी 11012/2/94-ए के अनुसार परमिट धारक देश के विभिन्न क्षेत्रों और मार्गों पर सेवाएं परिचालित करेगा तथा हमेशा दिनांक 1 मार्च, 1994 की नागर विमानन अपेक्षाएं (सी ए आर) खंड 3 विमान परिवहन श्रृंखला "सी" भाग-II, अंक 1 में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करता रहेगा।

2. परमिट धारक अपनी उड़ान सूची को 30 दिन पहले से ही महानिदेशक से अनुमोदित कराएगा तथा समय-समय पर अनुमोदित अनुसूची एवं अनुमोदन के नियम और शर्तों के अनुसार ही सेवाएं परिचालित करेगा। वर्तमान अनुसूची की विधिवत अनुमोदित एक प्रति पाराशिष्ट II के रूप में इसके साथ संलग्न है। इस अनुसूची में महानिदेशक की पूर्व अनुमति लिए बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

3. विमान फाइल की गई और अनुमोदित अनुसूचियों का कड़ाई से पालन करेगा। प्रस्थान में 15 मिनट से अधिक की देरी होने के मामले में परिवर्तित ई टी डी के संबंध में विमान यातायात नियंत्रण यूनिट का निर्णय लागू होगा तथा हवाई अड्डा प्राधिकारियों की विमान को दूसरे स्थान पर ले जाने संबंधी किसी भी प्रकार की हिदायतों का परमिट धारक द्वारा तुरंत अनुपालन किया जाएगा।

4. परमिट धारक प्रचालन मैनुअल की अपेक्षाओं के अनुरूप ही उड़ान परिचालित करेगा, जिसकी एक प्रति विमान में साथ रखी जाएगी।

5. परमिट धारक, सदा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित किए गए निर्धारित सुरक्षा कार्यक्रम का अनुपालन करेगा।

6. परमिट धारक द्वारा निजी/लीज पर लिए गए तथा परिचालित सभी विमान सदा निम्नलिखित खतरों के लिए पर्याप्त रूप से बीमाकृत रहेंगे।

(1) युद्ध जोखिम सहित अवतरण जोखिम।

(2) यात्री की शारीरिक चोट या मृत्यु और विमान अधिनियम 1972 के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं तक सामान और/या माल के गुम होने या क्षति का उत्तरदायित्व।

(3) विस्तृत तीसरी पार्टी की जिम्मेदारी।

7. परमिट धारक, यात्री और सामान के परिवहन के लिए वसूल की जाने वाली अधिकतम व न्यूनतम किराया और मालभाड़ा दरें महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा। वर्तमान किराया और दरें जो प्रचालक द्वारा वसूल की जा सकती हैं, दर्शाने वाली शुल्क-दर सूची परिशिष्ट-III के रूप में इसके साथ संलग्न है।

8. इस परमिट के अंतर्गत महानिदेशक नागर विमानन की अनुमति के बिना किसी भी ऐसी उड़ान परिचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसकी प्रविष्टि परमिट में नहीं है।

9. इस परमिट की एक प्रति प्रत्येक विमान में साथ रखी जाएगी।

10. परमिट धारक निर्धारित समय के भीतर सरकार अथवा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित फार्म में नियमित रूप से वित्तीय और प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करेगा।

11. परमिट धारक यह सुनिश्चित करेगा कि विमान अधिनियम, 1934, विमान नियमावली, 1937 के उपबंधों, वैमानिकी सूचना प्रकाशन-भारत, अधिनियम या नियमों के अंतर्गत महानिदेशक द्वारा जारी किसी भी आदेश, निदेश या अपेक्षा तथा अन्य किसी सांविधिक उपबंध का सख्ती से अनुपालन किया जाता है।

12. यह अनुसूचित विमान परिवहन प्रचालक परमिट अहस्तांतरणीय होगा।

13. विमान को रात्रि के दौरान किसी अनुसूचित आधार पर किसी ऐसे अन्य विमान क्षेत्र जिसे परिशिष्ट-I में नहीं दर्शाया गया है, पर महानिदेशक की पूर्व अनुमति के बिना खड़ा नहीं किया जाएगा।

14. रक्षा विमान क्षेत्रों पर प्रचालन के लिए संबंधित रक्षा प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी।

गाड़ी सूचना प्रदर्शक प्रणाली

***211. श्री वसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ी नियंत्रण में सुधार लाने और गाड़ियों की संख्या के संदर्भ में उत्पादकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से गाड़ी सूचना प्रदर्शक प्रणाली (ट्रेन डिस्क्राइबर सिस्टम) का आयात किया गया था और उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रणाली की लागत कितनी है और उसे किस वर्ष लगाया गया था;

(ग) क्या उक्त प्रणाली अच्छी तरह कार्य कर रही है और इससे गाड़ी नियंत्रण में सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रणाली में गाड़ी नियंत्रण और गाड़ी सूचना प्रणाली शामिल हैं तथा नियंत्रण केन्द्र में निर्देश पैनल, नई दिल्ली, दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन में प्रदर्श बोर्ड तथा नई दिल्ली, दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्थित पूछताछ और केन्द्रीय पूछताछ कार्यालयों में वी.डी.यू. हैं। लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रणाली मार्च 94 में चालू की गई थी जिसमें से 4.35 मिलियन पौंड ओ.डी.ए.यू.के. द्वारा अनुदान के रूप में दिये गये थे।

(ग) और (घ). यह प्रणाली गाड़ी नियंत्रण और यात्रियों को सूचना देने के लिए उपयोगी रही है। संविदा कार्यान्वयन के बाद, विन्यास संबंधी परिवर्तन हुए हैं। इसके लिए अपेक्षित आवश्यक आशोधन पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

खनिज संबंधी उप-समिति

***212. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज संबंधी उपसमिति ने देश में विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खनिजों की अधिकतम भूमि सीमा बढ़ाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने विदेशी कंपनियों को मालिकाना हक देने के लिए उनकी पूंजी निवेश की सीमा भी बढ़ाने का निश्चय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). इस प्रकार की कोई उपसमिति गठित नहीं की गई है। तथापि, खान मंत्रालय ने हाल ही में पूर्वेक्षण लाइसेंसों के लिए 25 वर्ग किमी. से अधिक क्षेत्रों की मंजूरी देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जहां हवाई सर्वेक्षण अपेक्षित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे वैगनों की आवश्यकता

***213. प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कोयला, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और खाद्यान्न जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों के लिए अपने माल की ढुलाई हेतु रेलवे वैगनों की अनुमानित वार्षिक मांग कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त प्रत्येक उद्योग को दिए गए रेलवे वैगनों की संख्या कितनी है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रेलों द्वारा ढोए जाने वाले माल यातायात के अनुमानों का आंकलन, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए मिलियन टन में किया जाता है और संबंधित मंत्रालय तथा योजना आयोग के परामर्श से इनका निर्धारण किया जाता है। यह अनुमान माल डिब्बों की संख्या के हिसाब से नहीं लगाया जाता। 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्र के पण्यों, यथा कोयला, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और खाद्यान्न के लिए लक्ष्य निम्नानुसार थे :—

(मिलियन टन)

वर्ष	कोयला	उर्वरक	इस्पात	सीमेंट	खाद्यान्न
1993-94	168.00	18.25	12.25	32.50	27.50
1994-95	173.00	22.00	12.00	33.00	22.00
1995-96	181.00	23.00	12.00	31.00	26.00
1996-97 (पूरा वर्ष)	194.00	23.50	13.50	35.00	27.00
1996-97 (अप्रैल-सितम्बर)	91.00	10.95	6.30	16.20	12.10

(ख) वास्तविक लदान के आंकड़े, मिलियन टन और माल डिब्बे, दोनों में रखे जाते हैं। उपरोक्त अवधि के लिए उपर्युक्त पण्यों का मिलियन टन में वास्तविक लदान नीचे लिखे अनुसार था :—

(मिलियन टन)

वर्ष	कोयला	उर्वरक	इस्पात	सीमेंट	खाद्यान्न
1993-94	167.00	19.50	12.08	32.54	26.68
1994-95	172.38	21.47	12.02	31.45	20.72
1995-96	184.30	23.24	12.06	31.80	25.81
1996-97 (अप्रैल से सितम्बर, 96)	93.37	9.11	5.82	16.48	14.04

उपरोक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त पण्यों से वास्तव में लादे गए माल डिब्बों की संख्या निम्नानुसार थी :—

(चौपहियों के हिसाब से माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या)

वर्ष	कोयला	उर्वरक	इस्पात	सीमेंट	खाद्यान्न
बड़ी लाइन					
1993-94	19192	1974	1493	3052	2500
1994-95	19717	2282	1526	3181	2190
1995-96	20709	2475	1509	3167	2785
1996-97 (अप्रैल से सितम्बर, 96)	21252	1992	1480	3360	2974
मीटर लाइन					
1993-94	153	306	1	687	572
1994-95	157	267	1	689	332
1995-96	156	299		646	380
1996-97 (अप्रैल से सितम्बर, 96)	132	256		574	402

[अनुवाद]

नए स्वर्ण अयस्क तथा हीरा क्षेत्र

***214. श्री प्रमथेस मुखर्जी :**
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में विभिन्न राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में नए स्वर्ण अयस्क तथा हीरा क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सोने तथा हीरों के भंडार की कितनी मात्रा का पता चला; और

(ङ) देश की विभिन्न स्वर्ण खानों से अनुमानतः कितनी मात्रा में सोने के उत्खनन की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्वर्ण अयस्क भंडारों (स्वर्ण निक्षेप) का पता लगाया है जो निम्न प्रकार है :—

राज्य	भंडार एम.टी. अयस्क	ग्रेड (ग्रा./टन एयू)
आंध्र प्रदेश		
1. डोना टैम्पल ब्लाक, करनूल जिला	0.4	6.0
2. कोथापाले ब्लाक, अनन्तपुर जिला	0.115	2.65
3. कुडीथानापल्ले ब्लाक, चित्तौड़ जिला (जान-2 का पुनः आंकलन)	0.48	1.2
कर्नाटक		
1. हीरा बुद्दीनी ब्लाक, रायचूर जिला	0.47	11.99
2. चिनमुलगुंड, धारवार जिला	1.5	3.0
3. अज्जनहल्ली वेस्ट ब्लाक, तुमकूर जिला	0.38	1.3
4. अज्जनाहल्ली मेन ब्लाक, तुमकूर जिला	0.77	2.09
5. जी.आर. हल्ली साउथ ब्लाक, चित्रदुर्ग जिला	0.6	4.0
केरल		
1. कप्पील सेक्टर, मालापुरम जिला	0.065	1.75
राजस्थान		
1. आनन्दपुरी भुकिया, बासवाड़ा जिला (आक्सीडाइज्ड अयस्क) (10मी. की गहराई तक)	0.015	1.7
	0.98	1.49-2.5
(100 मी. की गहराई तक प्राथमिक अयस्क)		
मध्य प्रदेश		
1. गुरहाड़ पहाड़ प. ब्लाक, सिधी जिला	2.1	1.28
महाराष्ट्र		
1. परसोरी प. ब्लाक, नागपुर जिला	0.137	5.23

हीरा

आंध्र प्रदेश

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मद्दूर नारायणपेट क्षेत्र, महबूबनगर जिले और वजराकपूर क्षेत्र, अनन्तपुर जिले में अनेक किम्बरलाइट पिण्डों हीरे के लिए प्रांत शैल का पता लगाया है।

मध्य प्रदेश

वर्ष 1992-94 के दौरान रायपुर जिले के बहराडीह पयालीखंड क्षेत्र में पांच किम्बरलाइट पिण्डों का पता लगाया गया।

कर्नाटक

गुलबर्ग जिले में पांच किम्बरलाइट पिण्डों का पता लगाया गया है। इन किम्बरलाइट पिण्डों में हीरे के अंश का अभी परीक्षण किया जाना है।

(ग) वर्तमान स्तर पर इनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में तब तक अनुमान लगाना असामयिक होगा जब तक इनका व्यावसायिक विदोहन नहीं किया जाता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण भंडारों का वर्ष-वार विवरण निम्न प्रकार है :—

1993-94 : 1.2 ग्रा./टन से 5.23 ग्रा./टन एयू के बीच के ग्रेड वाला 1.877 टन अयस्क।

1994-95 : 1.75 ग्रा./टन से 11.99 ग्रा./टन एयू के बीच के ग्रेड वाला 1.535 एम.टी. अयस्क।

1995-96 : 1.28 ग्रा./टन से 3.0 ग्रा./टन के बीच के ग्रेड वाला 4.395 एम.टी. अयस्क।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हीरे के भंडार की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ङ) स्वर्ण के अनुमानित भंडार अस्थायी स्वरूप के हैं। प्रमाणित संसाधनों का आंकलन करने के लिए इनका अन्वेषणात्मक खनन के माध्यम से और अधिक विस्तृत अंवेषण अपेक्षित होगा।

आई.एस.डी. कालों की धोखाधड़ी

***215. श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में 1996 के दौरान आई.एस.डी. और एस.टी.डी. कॉलों की धोखाधड़ी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाये गये लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(ख) राजधानी में 1.1.1996 से आई.एस.डी. और एस.टी.डी. कॉलों के गैर-कानूनी विपथन के निम्नलिखित मामले पकड़े गये हैं :—

(1) बस्ती निजामुद्दीन में एक निजी होटल-एवं-संचार केन्द्र को एस.टी.डी./आई.एस.डी. टेलीफोन नं. का विपथन विभाग को 1.5 करोड़ रु. का घाटा हुआ।

(2) रैगरपुरा करोल बाग में एक प्राइवेट व्यक्ति ने अपने घर पर जाली नामों से 2 टेलीफोन लगवाये और वह उनका उपयोग आई.एस.डी./एस.टी.डी. कॉल करने के लिए करता रहा। विभाग को 25 लाख रु. का घाटा हुआ।

(3) ईदगाह एक्सचेंज में एक प्राइवेट व्यक्ति ने दूसरे प्राइवेट व्यक्ति का टेलीफोन गैर-कानूनी तरीके से विभागीय कर्मचारी की मदद से अपने नाम पर शिफ्ट करवाया और अपने टेलीफोन के साथ-साथ इसका दुरूपयोग आई.एस.डी./एस.टी.डी. कॉल करने के लिए करता रहा। विभाग को 35 लाख रु. का घाटा हुआ।

(ग) उपर्युक्त तीन मामलों पर नीचे लिखे अनुसार कार्रवाई की गई :—

(1) सी बी आई ने रेस्टोरेंट के मालिक सहित चार अराजपत्रित कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। अराजपत्रित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया है। सी बी आई द्वारा आगे जांच की जा रही है।

(2) संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। इस मामले की सी बी आई द्वारा आगे जांच की जा रही है।

(3) सी बी आई ने एक विभागीय कर्मचारी को गिरफ्तार किया। उसे निलम्बित कर दिया गया है। इस रैकेट को चलने वाला प्राइवेट व्यक्ति लापता है।

(घ) ऐसे रैकेट को समाप्त करने के लिए एम टी एन एल में अर्पाक्षत सहायक कर्मचारियों सहित वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के एक अधिकारी के नियंत्रण में एक पूर्ण सतर्कता सेल गठित किया गया है। एम टी एन एल, दिल्ली के लिए केवल लाइनों के विपथन के मामले पकड़ने के लिए तथा राजस्व की हानि रोकने के लिए सी बी आई का एक विशेष सेल बनाया गया है जिसमें एक पुलिस उप अधीक्षक तथा अन्य सहायक कर्मचारियों सहित तीन निरीक्षक कार्य कर रहे हैं।

राज्यों में विरासती पर्यटन (हेरिटेज टूरिज्म) को बढ़ावा देना

***216. श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को अनेक राज्य सरकारों से उनके राज्यों में विरासती पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). पर्यटन संवर्धन करना मुख्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार, पर्यटन विभाग द्वारा प्राथमिकता प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय सहायता, राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ परामर्श करके उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाती है।

2. जिन प्रस्तावों के लिए इस प्रकार की वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है, उनमें पर्यटक केन्द्रों/विश्वदाय क्षेत्रों पर आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना/सुधार करना, मेलों और त्यौहारों का आयोजन करना, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले संवर्धनात्मक दौरे करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन निर्माताओं का पैनल

***217. श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने निर्माताओं का कोई पैनल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनमें से किसी को भी कोई कार्य सौंपा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उपरोक्त पैनल बनाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि कार्य सौंपे जाने संबंधी कोई भी सूचना पैनल में शामिल निर्माताओं को नहीं दी जाती है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। दूरदर्शन के पास प्रसिद्ध निर्देशकों/निर्माताओं का एक पैनल है जिसे दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षा, निर्देशकों, निर्माताओं, लेखकों, कमीदल आदि के ट्रैक रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। फिलहाल, 816 निर्माता/निर्देशक पैनल में हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). पैनल में रखे गए निर्माताओं द्वारा कार्यक्रम निर्माण के प्रस्ताव, समय-समय पर दूरदर्शन के विचारार्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से अर्जित राजस्व

***218. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्रोतों का ब्यौरा क्या है जिनसे दूरदर्शन/आकाशवाणी राजस्व अर्जित कर रहे हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान और अक्तूबर, 1996 तक वाणिज्यिक विज्ञापनों के माध्यम से अलग-अलग कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) उनका वर्ष-वार राष्ट्रीय/क्षेत्रीय ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के किन-किन कार्यक्रमों ने अलग-अलग अधिकतम राजस्व अर्जित किया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) दूरदर्शन और आकाशवाणी विज्ञापन समय के विक्रय के माध्यम से राजस्व अर्जित करते हैं। इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी आर.डी.एस. पेजिंग एवं एफ.एम. चैनलों पर समय स्लॉटों के आवंटन से प्राप्त लाइसेंस शुल्क के माध्यम से भी राजस्व अर्जित करता है।

(ख) और (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) वार्षिक राजस्व अर्जन का कार्यक्रम-वार रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, सामान्यतया दूरदर्शन पर प्रसारित फीचर फिल्मों एवं फिल्म आधारित कार्यक्रमों से अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। आकाशवाणी के मामले में, अधिकतम राजस्व फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रमों से प्राप्त होता है।

विवरण

राष्ट्रीय/क्षेत्रीय ब्यौरों सहित दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा अर्जित राजस्व निम्नानुसार है :—

वर्ष	दूरदर्शन			आकाशवाणी		
	राष्ट्रीय मैट्रो	क्षेत्रीय (करोड़ रुपयों में)	कुल	राष्ट्रीय नेटवर्क	क्षेत्रीय (करोड़ रुपयों में)	कुल
1993-94	189.88	183.10	372.98	9.25	55.10	64.35
1994-95	225.52	172.50	398.02	9.10	55.29	64.39
1995-96	270.46	159.67	430.63	12.85	68.12	80.97
1996-97 (अक्तूबर, 1996 तक)	186.64	82.30	268.94	6.63	40.47	47.10

आकाशवाणी के उपर्युक्त आंकड़ों में आर.डी.एस. पेजिंग तथा एफ.एम. चैनलों पर समय स्लाटों के आबंटन से अर्जित आय शामिल नहीं है।

विदेशी विमान

***219. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आकाश क्षेत्र में विदेशी विमानों की अनेक दुर्घटनाएं होते-होते बची हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशक ने इस संबंध में विदेशी एअरलाइनों के परिचालकों की कोई बैठक बुलाई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या विदेशी विमान चालकों को विमान यातायात नियंत्रण कक्ष द्वारा अंग्रेजी में दिए गए अनुदेशों को समझने में असुविधा होती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). वर्ष 1996 के दौरान, भारतीय आकाश में 8 विदेशी विमानों की दुर्घटनाओं से बचने की रिपोर्ट मिली है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा आकाश में दुर्घटना से बच जाने की घटनाओं के संबंध में विदेशी एयरलाइनों के प्रचालकों के साथ कोई विशेष बैठक नहीं बुलाई गयी है। तथापि, दिक्चालन और आकाश भू संचार में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के संबंध में उजबेक एयरलाइन प्रतिनिधियों के साथ अक्तूबर, 1995 में एक बैठक आयोजित की गयी थी।

(ङ) से (छ). विदेशी विमानचालकों से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

विवरण

वर्ष 1996 के दौरान विदेशी विमानों के आकाश में टकराते-टकराते बच जाने की घटनाएं

	तारीख	संक्षिप्त विवरण	घटना के कारण
1	21.3.96	दिल्ली के ऊपर केथे पैसिफिक 288 और अलितालिया 9033 के बीच टकराते-टकराते बचना	मानवीय कारण
2.	15.3.95	नागपुर के ऊपर ब्रिटिश एयरवेज 12 और ब्रिटिश एयरवेज 11 के बीच टकराते-टकराते बचना	मानवीय कारण
3.	29.3.96	नागपुर के ऊपर सिंगापुर 322 और लाउडा 1 के बीच टकराते-टकराते बचना।	मानवीय कारण
4.	11.5.96	त्रिवेन्द्रम के ऊपर अमीरात 800 और ओमान 1413 के बीच टक्कर होते-होते बचना।	मानवीय कारण
5.	1.6.96	यंगुन एफआईआर में एयर लंका 422 और स्विस एयर 186 के बीच टक्कर होते-होते रह जाना।	मानवीय कारण
6.	21.7.96	दिल्ली एफआईआर में पाकिस्तान 768 और केथे पैसिफिक 271 के बीच टक्कर होते-होते रह जाना। कैथे पैसिफिक 271 को टक्कर से बचने के लिए एफएल-330 के नीचे आना पड़ा।	मानवीय कारण
7.	14.9.96	पीपीबी के ऊपर मलेशियाई और इंडियन एयरलाइंस के बीच टक्कर होते-होते रह जाना।	मानवीय कारण
8.	16.11.96	बंगाल की खाड़ी में "रनप" के ऊपर अमीरात 082 और केएलएम-807 के बीच टक्कर होते-होते रह जाना।	जांचाधीन

भारतीय रेल एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम के बीच समझौता

*220. **श्री ताराचंद भगोरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी रेल लाइन पर चलने वाली "पैलेस-आन-व्हील्स" गाड़ी के संबंध में भारतीय रेल एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते के अंतर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम की हिस्सेदारी कितनी होगी;

(घ) इस गाड़ी के चलाए जाने के प्रथम वर्ष के दौरान इसके परिचालन से कितना लाभ/हानि हुई;

(ङ) क्या इस गाड़ी के वर्तमान मार्ग में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सकल आमदनी 788.88 लाख रुपये है। लाभ/हानि के आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आमान-परिवर्तन

1881. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा-अछनेरा और बांदीकुई-आगरा रेल-लाइनों के आमान परिवर्तन कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है;

(ख) उक्त रेल लाइनों के आमान परिवर्तन कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त रेल लाइनों के आमान परिवर्तन में विलम्ब के कारण रेलयात्रियों और दैनिक यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा कर लिया जायेगा।

(ग) ये कार्य बोल्ट के अन्तर्गत नियोजित किए गए थे। बोल्ट के प्रस्ताव के प्रति असंतोषजनक प्रत्युत्तर के कारण इन योजनाओं में विलम्ब हुआ है।

(घ) और (ङ). इन खण्डों पर सामान्य मीटर लाइन सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल डिब्बों का प्रयोग

1882. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जुलाई, 1996 के "द टाईम्स ऑफ इंडिया" में "सी.ए.जी. इन्डिकटस रेलवेज फॉर वैनान यूज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1995 के लिए अपनी रपट में 1990-91 से 1993-94 तक की अवधि के लिए भारतीय रेलों पर मालडिब्बों के उपयोग पर टिप्पणी की है। यातायात के कम होने के कारण इस अवधि के दौरान मालडिब्बा उपयोग में कम सुधार दिखायी दिया। बहरहाल, 1994-95 से तथा 1995-96 के दौरान, अर्थव्यवस्था उन्नत होने के कारण अधिकांश मालडिब्बा उपयोग आंकड़ों में उल्लेखनीय सुधार दृष्टिगोचर हुआ है, जो कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है :—

वर्ष	शुद्ध टन कि.मी./ मालडिब्बा दिन	प्रतिशत में कमी-बेशी	मालडिब्बा कि.मी./ मालडिब्बा दिन	प्रतिशत में कमी-बेशी
1990-91	1407		110.5	
1991-92	1439	2.3	113.2	3.5
1992-93	1457	1.2	116.4	2.4
1993-94	1506	3.3	125.0	7.4
1994-95	1590	5.6	138.5	10.8
1995-96	1754	10.3	148.1	6.9

वर्ष	मालडिब्बा फेरे	प्रतिशत में कमी-बेशी
1990-91	11.50	
1991-92	11.10	3.5
1992-93	10.83	2.4
1993-94	10.59	2.2
1994-95	9.89	6.6
1995-96	9.07	8.3

मालडिब्बा उपयोग सूचकांक यथा शुद्ध टन कि.मी./प्रति मालडिब्बा दिन, मालडिब्बा किलोमीटर प्रति मालडिब्बा दिन तथा मध्य, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व रेलों के लिए मालडिब्बा फेरों का वर्ष 1991-92 की तुलना में वर्ष 1995-96 का तुलनात्मक ब्यौरा निम्नानुसार है :—

शुद्ध टन कि.मी. प्रति मालडिब्बा प्रति दिन

रेल	1991-92	1995-96
मध्य	1473	1621
पूर्वोत्तर	2109	1787
पूर्वोत्तर सीमा	1388	1611
दक्षिण	1245	1372
दक्षिण मध्य	1516	1737
दक्षिण पूर्व	1384	1877

मालडिब्बा किलोमीटर प्रति मालडिब्बा प्रति दिन

रेलवे	1991-92	1995-96
मध्य	112.0	127.0
पूर्वोत्तर	146.0	157.0
पूर्वोत्तर सीमा	89.0	93.0
दक्षिण	102.1	107.6
दक्षिण मध्य	129.9	172.1
दक्षिण पूर्व	87.6	131.1

तुलनात्मक मालडिब्बा फेरे-1991-1992 तथा 1995-96

रेल	1991-92	1995-96
मध्य	6.6	5.1
पूर्वोत्तर	6.1	6.2
पूर्वोत्तर सीमा	6.4	6.4
दक्षिण	6.2	5.4
दक्षिण मध्य	6.2	5.6
दक्षिण पूर्व	6.6	5.1

दक्षिण को जाने वाली सुपरफास्ट रेलगाड़ियों का देर से चलना

1883. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण को जाने वाली कुछ सुपरफास्ट रेलगाड़ियां सामान्यतः देरी से चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं। बहरहाल, गाड़ियों की आवाजाही दुर्घटनाओं, आन्दोलनों उपस्कर की खराबी, अलार्म चेन को खींचने, शरारती तत्वों की गतिविधियां और खराब मौसम आदि जैसे कारणों से प्रभावित होती है।

(ग) विभिन्न स्तरों पर गहन जांच और प्रतिदिन मानीटरिंग करने सहित नियमित रूप से सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, निरीक्षकीय और अधिकारिक दोनों स्तरों समयपालन अभियान चलाए जा रहे हैं।

देश में राष्ट्रीय विमान पत्तन

1884. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय विमानपत्तनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का आने वाले वर्षों में नए स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विमान सेवा को और अधिक कुशल और सुविधाजनक बनाने तथा विदेशों को जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) देश में 120 सिविल विमानपत्तन हैं जिनमें 5 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, विमानपत्तनों में रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण वाले 28 सिविल एन्क्लेव तथा 87 विमानपत्तन भा.वि.प्रा. के नियंत्रण वाले शामिल हैं।

(ख) और (ग). नए स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने के सम्बन्ध में विमान कम्पनी प्रचालकों द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाता है।

(घ) और (ङ). अंतर्देशीय सैक्टर पर इंडियन एयरलाइंस के अलावा गैर-सरकारी विमान कम्पनियां भी विभिन्न शहरों के बीच विमान सेवाएं प्रचालित करती आई हैं। विदेशी विमान कम्पनियां अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों से भारत से बाहर के गन्तव्यों को अनुसूचित सेवाएं प्रचालित करती हैं। तथापि, विदेश जाने के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को बाहर की सरकारों द्वारा लगाए गए वीजा, मुद्रा तथा अन्य प्रतिबन्धों का पालन करना होता है।

गंगटोक के लिये रेल संपर्क

1885. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम की राजधानी, गंगटोक को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिये कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). चूंकि गंगटोक कठिन पर्वतीय भू-भाग में स्थित है अतः रेलवे लाइन का निर्माण कठिन होगा। हालांकि सिवाका से गेलिकोला तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

त्रिवेन्द्रम हावड़ा एक्सप्रेस का रैक

1886. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस का अपना रैक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय त्रिवेन्द्रम जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस में पुराने डिब्बे प्रयोग किए जा रहे है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त रेलगाड़ी में नए डिब्बे लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं। 6323/6324 तिरूवनंतपुरम-हावड़ा एक्सप्रेस 6321/6322 तिरूवनंतपुरम-गुवाहटी एक्सप्रेस के साथ संबद्ध है।

(ग) से (ङ). निर्वात ब्रेक सवारी डिब्बे 6323/6324 तिरूवनंतपुरम-हावड़ा एक्सप्रेस में लगाए गये हैं। रेलें अब केवल वात ब्रेक मुक्त सवारी डिब्बों का निर्माण कर रही हैं जो कि गाड़ियों में चरणबद्ध आधार पर लगाये जा रहे हैं।

थियेटरों का व्यावसायिक परिसरों में परिवर्तन

1887. श्री जी.एम. कुंदूरकर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में लगभग 500 थियेटर या तो बंद पड़े हैं अथवा व्यावसायिक परिसरों में परिवर्तन कर दिए गए हैं जिससे फिल्म उद्योग को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). फिल्म प्रभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले 8 वर्षों के दौरान सम्पूर्ण देश में कुल 466 सिनेमाघर बन्द हुए थे। सिनेमाघरों की स्थापना करने एवं बन्द करने का कार्य निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा इसे बाजार शक्तियां द्वारा संचालित किया जाता है। थियटरों को लाइसेंस देना सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के कार्यक्षेत्र में आता है।

[हिन्दी]

सिगरेट, तम्बाकू और शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध

1888. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सिगरेट, तम्बाकू और शराब के कुछ विज्ञापन प्रसारित किए गये थे/किए जा रहे हैं?

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने या कानूनी प्रतिबंध लगाने संबंधी अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान के संबंध में हिंदी में घोषणाएं

1889. श्री रूप चंद मुर्मू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में रेल गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान संबंधी घोषणाएं जन सम्बोधन प्रणाली के द्वारा केवल हिंदी में ही की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अहिंदी भाषा-भाषी यात्रियों की कठिनाइयों को कम करने हेतु अंग्रेजी में भी घोषणा करने का निर्देश उत्तर रेलवे को दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). मौजूदा परिपाटी के अनुसार जन उद्घोषणा प्रणाली पर उद्घोषणाएं हिंदी भाषी राज्यों में पहले हिंदी में तथा बाद में अंग्रेजी में तथा अहिंदी भाषी राज्यों में प्रांतीय भाषा या संबंधित भाषाओं में की जा रही है।

कोंकण क्षेत्र हेतु पर्यटन विकास योजना

1890. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोंकण क्षेत्र के लिए पर्यटन विकास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कोंकण रेलवे निगम तथा हैदराबाद के टूर आपरेटरों के बीच हुए समझौतों के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या भूमिका अदा की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कोंकण क्षेत्र में सिंधुदुर्ग जिले को विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में चुना है और पूर्ण रूपेण आधारभूत संरचना विकास योजना तैयार की है।

(ग) और (घ). रेल मंत्रालय के अनुसार, कोंकण रेलवे कारपोरेशन और पाटिल टुअर्स एण्ड ट्रेवल्स प्रा. लि., सिकंदराबाद के बीच करार के अंतर्गत, टूअर आपरेटर ज्यादा आरामदेय (लग्जरी) पर्यटक रेलगाड़ी के लिए डब्बे (कोचिज) मुहैया कराएंगे, ये सुविधाएं हैं जैसे :—सीटें, खान-पान सुविधाएं, आरक्षण, ऑनबोर्ड सेवाएं तथा टिकट के लिए प्रबंध करना। कोंकण रेलवे कारपोरेशन इस रेल गाड़ी को चलाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे ट्रेक सिंगलिंग, स्टेशन के लिए स्थान, लोकोमोटिव्स, दूर-संचार, ट्रेन क्रू, प्लेटफार्म पर आवागमन आदि, मुहैया कराएगा। प्रचालक, कोंकण रेलवे कार्पोरेशन को, एक ओर की यात्रा के लिए दुलाई-प्रभार का भुगतान करेंगे और लाभ के हिस्से के रूप में कुल मासिक कारोबार का 12 प्रतिशत भी भुगतान करेंगे।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों के मार्गों का विस्तार

1891. डा. राम विलास वेदान्ती : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से बरास्ता सुल्तानपुर चलने वाली राजधानी, शताब्दी, सद्भावना, बरूणा आदि नई रेलगाड़ियों को बरास्ता फैजाबाद-अयोध्या भी चलाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अयोध्या के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ऐसी व्यवस्था करने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। तथापि दिल्ली से बरास्ता सुल्तानपुर कोई शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है और न ही दिल्ली से बरुणा एक्सप्रेस।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिचालन कठिनाइयों के कारण।

पूर्वोत्तर कोच मरम्मत कारखाना

1892. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बरेली स्थित पूर्वोत्तर कोच मरम्मत कारखाना में कितने श्रमिक कार्यरत थे;

(ख) क्या उक्त कारखाने में श्रमिकों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इज्जतनगर/बरेली स्थित पूर्वोत्तर रेलवे कोच मरम्मत कारखाने में गत तीन वर्षों के दौरान काम कर रहे कर्मधारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

1.1.1994	2691
1.1.1995	2598
1.1.1996	2483

(ख) और (ग). कर्मचारियों की संख्या में कमी कुछ तो इज्जतनगर कारखाने में सामान्य सेवा निवृत्ति तथा आमान परिवर्तन के कारण मी.ला. के आवधिक ओवर हालिंग के स्टॉक में कमी के कारण हुई है। यद्यपि इसकी प्रतिपूर्ति के लिए मी.ला. डी.एम.यू. तथा रेल बसों के निर्माण कार्य शुरू किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन में वृद्धि

1893. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राउरकेला इस्पात संयंत्र में गर्म धातु, कच्चा इस्पात और बिक्री योग्य इस्पात का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इसके आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या इसमें अपेक्षित लक्ष्य के बराबर उत्पादन होने लगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या संपूर्ण संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा तप्त धातु, अपरिष्कृत इस्पात और विक्रेय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य और उत्पादन निम्नानुसार है :–

इकाई : हजार टन

	वर्ष 1993-94		वर्ष 1994-95		वर्ष 1995-96	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
तप्त धातु	1350	1205	1350	1233	1500	1302
अपरिष्कृत इस्पात	1320	1148	1340	1178	1500	1205
विक्रेय इस्पात	1130	1130	1160	1201	1190	1148

उत्पादन में गिरावट के प्रमुख कारण आधुनिकीकरण योजनाओं का पूरा न होना, उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड की ग्रिड प्रणाली में व्यवधान, स्वदेशी कोकिंग कोयले की खराब और उतार-चढ़ाव वाली किस्म इत्यादि हैं।

आधुनिकीकरण योजनाओं पर सितम्बर, 1996 तक संचयी व्यय 3127 करोड़ रुपए हुआ।

(ङ) और (च). संयंत्र और उपस्करों का आधुनिकीकरण और सुधार का कार्य निधि इत्यादि की उपलब्धता होने पर आवश्यकतानुसार एक निरन्तर प्रक्रिया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र में संयंत्र और मशीनों का उन्नयन/सुधार का कार्य चल रही आधुनिकीकरण स्कीमों और चल रही परिवर्धन/संशोधन/प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.) स्कीमों के भाग के रूप में किया जा रहा है।

ए.एम.आर. स्कीमों के अन्तर्गत धमन भट्टियों का उन्नयन शीत बेलन मिलों का थाईरेस्टोराइजेशन आदि जैसी कुछ उन्नयन/सुधार स्कीमें शुरू की गई हैं।

आधुनिकीकरण स्कीम दो चरणों अर्थात चरण-I और चरण-II में कार्यान्वित की गई हैं। चरण-I में गुणवता और विभिन्न संयंत्रों-इकाइयों के कच्ची सामग्री आदानों में सुधार करने के लिए प्राथमिक स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए शुरू किया गया है। आधुनिकीकरण के चरण-II में नई शालाओं जैसे सिन्टर संयंत्र, बेसिक आक्सीजन फर्नेश, सतत ढलाई शाला आदि की स्थापना और तप्त पत्ती मिल क्षेत्र में सुविधाओं का उन्नयन शामिल है।

एयर कार्गो यातायात

1894. श्री संदीपान थोराट : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रमुख विमानपत्तनों पर एयर कार्गो के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक वृद्धि क्या थी और इसमें कमी के क्या कारण थे तथा आगामी पांच वर्षों के लिए वृद्धि संबंधी अनुमान क्या है;

(ख) बढ़ते हुए एयर कार्गो यातायात से निपटने विशेषकर बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने, विस्तार करने तथा आधुनिक बनाने एवं स्वचालन प्रणाली शुरू करने आदि के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) आगामी पांच वर्षों के लिए एअर कार्गो में वृद्धि संबंधी सम्भावनाओं का अधिकतम उपयोग करने हेतु बुनियादी नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने/विस्तार करने के लिए अनुमानतः कितने निवेश की आवश्यकता होगी?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) भा.वि.प्रा. विमान कार्गो वृद्धि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। यह केवल विमानपत्तनों पर कार्गो निर्यात में उचित सुधार प्रदान करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान हवाई कार्गो वृद्धि और आगामी दस वर्षों के लिए अनुमान दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). आगामी दस वर्षों के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में कार्गो टर्मिनल भवन के विस्तार, नाशवान वस्तु कारगो टर्मिनलों के विकास की ओर आधुनिक भंडार/कारगो स्थानांतरण प्रणाली प्रदान करने की योजनाएं हैं। इस प्रयोजन के लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान किये जाने वाला अनुमानित निदेश 385 करोड़ रुपए है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों (1991-92 से 1995-96) के दौरान मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हवाई कार्गो की वृद्धि

(आंकड़े 000 टन में)

वर्ष	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास
1991-92	132.3	11.1	83.8	28.8
1992-93	135.2	13.3	101.9	37.7
1993-94	143.4	15.9	115.4	46.1
1994-95	159.1	16.5	133.2	49.0
1995-96	184.0	19.2	154.6	54.6

आगामी 10 वर्षों (1996-97 से 2005-06) के दौरान मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हवाई कार्गो के अनुमान

(आंकड़े 000 टन में)

वर्ष	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास
1996-97	206.1	21.5	173	61.2
1997-98	230.8	24.1	194	68.5
1998-99	258.5	27.0	217	76.7
1999-2000	289.5	30.2	243	85.9
2000-01	324.3	33.8	273	96.2
2001-02	358.4	37.3	301	106
2002-03	396.0	41.3	333	118
2003-04	437.6	45.6	368	130
2004-05	483.5	50.4	406	143
2005-06	534.3	55.7	449	159

केरल की पर्यटन परियोजनाएं

1895. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू योजना के दौरान स्वीकृत केरल की पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक पूरी कर ली गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल में पथानमथिट्टा जिले में अरानमूला में "स्नेक बोट रेस" संबंधी पर्यटन सम्भावना की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बोट रेस को प्रोत्साहन देने तथा इस स्थल का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने चालू योजना अवधि के दौरान केरल राज्य में पर्यटन के विकास के लिए 28 परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इन परियोजनाओं में यात्री निवासों, पर्यटक वन-गृहों मार्गस्थ सुख-सुविधाओं के निर्माण, नौकाओं की खरीद आदि शामिल हैं। इन परियोजनाओं में से पांच परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा पूरी कर दी गई हैं और शेष को पूरी करने संबंधी कार्रवाई चल रही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत सरकार ने केरल में पर्यटकों को आवास सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अरानमूला में एक पर्यटक लॉज का निर्माण करने के लिए केरल राज्य को वर्ष 1994-95 में 22.40 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

आसनसोल रेलवे स्टेशन में आरक्षण कोटा

1896. श्री हाराधन राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल रेलवे स्टेशन से जोधपुर एक्सप्रेस, हावड़ा-गोरखपुर एक्सप्रेस, गंगा सागर एक्सप्रेस, दानापुर एक्सप्रेस, लाल किला एक्सप्रेस तथा जनता एक्सप्रेस में कोई आरक्षण कोटा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आसनसोल के लोग इन रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा दिये जाने के संबंध में मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कदम उठाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). इस समय 5047-हावड़ा-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस, 3231 दानापुर एक्सप्रेस और 5205 गंगा सागर एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए आसनसोल स्टेशन पर आरक्षण कोटा उपलब्ध है। ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

गाड़ी नं.	कोटा	
	वाता.-2 टियर	शयनयान
5047 पूर्वांचल एक्सप्रेस	4	52
3231 दानापुर एक्सप्रेस	—	3
5205 गंगा सागर एक्सप्रेस	—	47

चूंकि आसनसोल स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण उपलब्ध है और जो कलकत्ता से कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इसलिए अन्य गाड़ियों से यात्रा करने के इच्छुक यात्री "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर अपेक्षित आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

इस्पात पर करों/शुल्क की छूट

1897. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस्पात क्षेत्र में करों/शुल्कों में और अधिक छूट दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग). प्रतिवर्ष बजट प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व इस्पात मंत्रालय शुल्क से संबंधित मामलों पर वित्त मंत्रालय को सिफारिश करता है। वर्ष 1997-98 के लिए सिफारिशों को अभी इस्पात मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

अलग-अलग कोचों में सीटों का आरक्षण

1898. डा. असीम बाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्तमान कम्प्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत एक ही परिवार के लिए आरक्षित सीटें/बर्थ एक ही कोच में आस-पास न होकर अलग-अलग कोचों में आबंटित की जाती हैं जिससे हजारों यात्रियों को असुविधा एवं अत्यधिक कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो एक परिवार को एक ही कोच में स्थान उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कदम क्या उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). कम्प्यूटरीकृत पद्धति यह सुनिश्चित करती है कि एक टिकट पर बुक किए गये एक समूह के यात्रियों को सामान्यतः एक ही कक्ष में शायिकायें दी जाएं। यद्यपि उन मामलों में यह संभव नहीं हो पाता जिनमें अधिकांश स्थान पहले ही आवंटित किया जा चुका है और निचली शायिका आदि पाने के इच्छुक दूसरे यात्री पहले ही अपने अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। आरक्षण लिपिकों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी स्थितियों में वे इच्छुक यात्रियों को यह बता दें कि मांगी गयी जगह अलग-अलग स्थानों पर उपलब्ध है।

मुम्बई में रेल परियोजनाओं पर किया गया व्यय

1899. श्री राम नाईक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान बोरीवली-विराट रेल मार्ग (पश्चिम रेलवे), को चार लाइनों वाला रेल मार्ग बनाने, दिवा बसई परियोजना और दिवा-पनवेल परियोजना (मध्य रेलवे) पर परियोजना-वार कुल अनुमानित व्यय, किया गया प्रावधान और वास्तविक व्यय कितना-कितना है;

(ख) कम व्यय होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के काम में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

	नाम	प्रत्याशित लागत	परिव्यय		वास्तविक खर्च	
			95-96	96-97	95-96	96-97
1.	वसई रोड-वैतरणा डी.सी. कर्षण सहित ऊपरी पुल के साथ-साथ तीसरी और चौथी लाइन (16.64 कि.मी.)	46.16	7.18	-	7.18	-
2.	बोरीवली-वसई रोड-लाइनों का चौहरीकरण (17.65 कि.मी.)	131.34	4.00	1.00	4.00	-
3.	दिवा-पनवेल दोहरीकरण	47.00	5.00	23.79	1.00	-
4.	दिवा-वसई रोड दोहरीकरण	90.00	5.00	5.00	**	-

1996-97 के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार बोरीवली-विरार खंड के चौहरीकरण का कार्य, बोल्ट योजना के अंतर्गत उपरोक्त मद सं. 1 और 2 के बदले शुरू किया जाएगा। इसलिए 1996-97 में साझा योजना के लिए नाम मात्र का परिव्यय दिया गया है।

** दिवा-वसई रोड परियोजना को, आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा जुलाई, 1996 में स्वीकृत किया गया था। इसलिए 1995-96 के दौरान कोई खर्च नहीं हुआ था। 42 कि.मी. में से 20 कि.मी. पर कार्य हाल ही में शुरू किया गया है।

1996-97 के अंत में वास्तविक खर्च, परियोजना के लिए उपलब्ध कराए गए परिव्यय के बराबर ही रहने की संभावना है।

(ग) उपलब्ध संसाधनों की समग्र सीमा के भीतर परियोजनाओं की प्रगति की जा रही है।

(घ) पूरी की जानी वाली परियोजनाएं निम्नानुसार है :—

1. बोरीवली-विरार चौहरीकरण	-	2000
2. दिवा-पनवेल दोहरीकरण	-	1997-98
3. दिवा-वसई रोड दोहरीकरण		1998-99

प्रथम श्रेणी पास धारक यात्री के अटेंडेंट का दर्जा

1900. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष बाद भी प्रथम श्रेणी के पास धारक यात्री के साथ यात्रा करने वाले "अटेंडेंट" को वैतनिक सेवक कहा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'अटेंडेंट' शब्द के स्थान पर 'साथी' शब्द का प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार साथी को भी प्रथम श्रेणी के पास धारक यात्री के साथ ही उसी श्रेणी में यात्रा करने अनुमति देने पर विचार कर रही है चूंकि अटेंडेंट द्वारा अन्य श्रेणी में यात्रा करने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) (ङ). सेवारत/सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को जो प्रथम श्रेणी के सुविधा पास पाने की पात्रता रखते हैं, अपनी व्यक्तिगत सेवा हेतु केवल वेतन पर रखे गए परिचर को द्वितीय श्रेणी में साथ ले जाने की अनुमति है। व्यापक प्रतिक्रियाओं तथा वित्तीय निहितार्थ के कारण मौजूदा सुविधाओं को और अधिक उदार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को एम.आर.टी.पी.सी. का नोटिस

1901. श्री विजय गोयल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.आर.टी.पी.सी. ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को टेलीफोन बिलों पर 5 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार वसूल करने की जांय करने हेतु नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार टेलीफोन प्रयोक्ताओं से सेवा प्रभार की वसूली पर रोक लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। एम आर टी पी सी द्वारा आर.एस. मान बनाम एम टी एन एल नाम के मुकद्मों में 17.9.96 को एम टी एन एल को जांच का नोटिस दिया गया था।

(ख) उपर्युक्त नोटिस में कमीशन ने यह बताया है कि अब एम टी एन एल ने बिना किसी वजह बिल की राशि पर 5 प्रतिशत सेवा कर लेना शुरू कर दिया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना किसी वजह सेवा कर लेने के व्यापार के चलन से ग्राहकों पर अनुचित लागत/भार पड़ता है और इससे टेलीफोन सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में बाजार में मूल्यों या आपूर्तियों के प्रवाह के वितरण की स्थिति का इस प्रकार मनमाने ढंग से संचालन किया जाता है जो एम आर टी पी अधिनियम, 1969 की धारा 2(0) (11) की परिभाषा के अनुसार ग्राहकों पर अनुचित लागत/भार डालना है। 21.1.97 को, जिस दिन कमीशन द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी, एमटीएनएल द्वारा जांच नोटिस का उत्तर दायर किया जाना है।

(ग) से (ङ). टेलीफोन उपभोक्ताओं से, वित्त अधिनियम, 1994 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सेवा कर लिया जा सकता है।

अनाधिकृत झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को हटाया जाना

1902. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन मध्य एवं पश्चिम रेलवें के अंतर्गत मुम्बई उपनगरीय सेक्शन में स्थानीय रेल लाइनों के किनारे अनाधिकृत तौर पर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को हटाने तथा उन्हें वैकल्पिक रेल भूमि उपलब्ध कराने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों को हटाना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन रेलवे भूमि के अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। गंदी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के संबंध में रेलवे की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह उन्हें अन्य रेलवे भूमि मुहैया कराये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयरबसों का संचालन

1903. श्री बादल चौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित कोई विमानपत्तन एयर बस के संचालन में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उक्त सुविधाओं का विस्तार अन्य विमानपत्तनों में भी किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) असम में गुवाहटी हवाई अड्डा एअर बस-300 श्रेणी के विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त है। असम में डिब्रूगढ़, मणिपुर में इम्फाल, त्रिपुरा में अगरतला तथा नागालैंड में दीमापुर एअर बस-320 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) लीलाबाड़ी (उत्तरी लखीमपुर) के धावन पथ को सुदृढ़ करके तथा बढ़ाकर एअर बस-320 विमानों के प्रचालन के निमित्त उपयुक्त बनाने हेतु विकसित किया जा रहा है। कार्य के जुलाई, 1998 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

बोकारो शताब्दी एक्सप्रेस का रानीगंज पर ठहराव

1904. श्री महबूब जहेदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और अधिक राजस्व अर्जन हेतु बोकारो शताब्दी एक्सप्रेस को रानीगंज में रुकवाने और गोमोह में वाणिज्यिक स्टॉपेज पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इस रेल गाड़ी में उद्घोषणा प्रणाली/संगीत चैनल को बन्द कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब से शुरू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औचित्य पूर्ण नहीं पाया गया।

(घ) और (ङ). केवल तीन महीनों के लिए गार्ड के यान से प्रयोग के तौर पर अस्थायी उद्घोषणा प्रणाली कार्य कर रही थी।

(च) इसके पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हावड़ा और नई दिल्ली मार्ग के बीच यात्रियों की संख्या में वृद्धि

1905. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और नई दिल्ली मार्ग के बीच यात्रियों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कालका मेल, पूर्वा एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस के लिये टिकट खरीदने वाले यात्रियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है और इस प्रकार उन्हें इन रेल गाड़ियों में जगह नहीं मिलती;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान पूर्वा एक्सप्रेस, कालका मेल के सभी श्रेणियों में प्रतीक्षा सूची में रखे गये व्यक्तियों की प्रतिदिन औसत संख्या क्या है;

(घ) क्या काफी समय से हावड़ा नई दिल्ली के बीच एक भी सुपरफास्ट रेलगाड़ी नहीं शुरू की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या 2381/2382 को अभी सप्ताह में तीन बार चलाये जाने के बदले में प्रतिदिन चलाया जाएगा; और

(छ) यदि नहीं, तो भारी संख्या में यात्रियों को जगह प्रदान करने हेतु सरकार ने किस विकल्प पर विचार किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). नई दिल्ली और हावड़ा के बीच यात्री यातायात में वृद्धि हुई है और कुछ मांगें पूरी नहीं की जा सकी हैं।

2381/2382, 2303/2304 पूर्वा एक्सप्रेस और 2311/2312 कालका मेल में प्रतीक्षा सूची पर विभिन्न श्रेणियों में शेष रहे यात्रियों की औसत संख्या इस प्रकार है :—

हावड़ा की ओर डाउन दिशा में

प्रथम श्रेणी वा.कू.	-	1
द्वितीय श्रेणी वा.कू.	-	4 से 8
शयनयान	-	23 से 88

दिल्ली की ओर अप दिशा में

प्रथम श्रेणी वा.कू.	-	5 से 10
द्वितीय श्रेणी वा.कू.	-	20 से 40
शयनयान	-	300 से 400

(घ) जी नहीं। 1.4.94 से दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच बरास्ता हावड़ा 2421/2422 साप्ताहिक राजधानी शुरू की गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ). जी नहीं। बहरहाल, 1.10.96 से 3039/3040 हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस हावड़ा और दिल्ली के बीच अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए पुनः बहाल कर दी गई है।

ई.एम.यू. गाड़ियों की आवर्ती

1906. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दिल्ली परिक्रमा रेल के अंतर्गत चलाई जा रही ई.एम.यू. गाड़ियों के आवर्ती में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार परिक्रमा रेल के स्टेशन एवं निकटवर्ती डी. टी.सी. बस स्टाप के बीच कोई सम्पर्क बस सेवा उपलब्ध करा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निजामाबाद में दूरसंचार

1907. श्री जी.ए. चरण रेड्डी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के निजामाबाद शहर में दूरसंचार प्रणाली संतोषजनक नहीं है क्योंकि वहां अधिकतर टेलीफोन सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन सेवाओं में तत्परता से सुधार करने और टेलीफोन शिकायतों का निपटान करने के संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दूरसंचार सेवाएं सामान्यतः संतोषजनक हैं।

(ख) उक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सेवाओं में और सुधार करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) पुराने और बेकार उपस्कर का प्रतिस्थापन।

(2) दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण।

(3) जैली फील्ड केबलों का प्रयोग करके दोष प्रवण केबलों का प्रतिस्थापन।

(4) डक्टों में केबलों को बिछाना।

(5) आधुनिक जांच साधनों को शामिल करना।

(6) विश्वसनीय संचारण माध्यम प्रदान करना।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा एच.ई.सी., रांची को दिए गए क्रयादेश

1908. प्रो. रीता वर्मा : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा एच.ई.सी., रांची को दिए गए क्रयादेशों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन क्रयादेशों की संख्या पर्याप्त थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान किन-किन कंपनियों को क्रयादेश दिए गए थे जिन्हें एच.ई.सी. को दिया जा सकता था;

(ङ) इन कंपनियों को दिए गए क्रयादेशों पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान एच.ई.सी. को दिए गए प्रत्येक क्रयादेशों पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेलवे-स्टेशनों का नाम बदलने संबंधी नीति

1909. श्री अमर राय प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की स्वीकृति देने के लिए गृह मंत्रालय ही सक्षम है; और

(ख) प्रारम्भ में जब रेलवे स्टेशनों के नाम रखने का निर्णय केवल उनका मंत्रालय ही करता है तो इनके पास परिवर्तन के मामले में अन्य मंत्रालयों के सम्बद्ध होने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन के प्रस्तावों की जांच गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है क्योंकि अन्य विभागों/मंत्रालयों यथा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डाक विभाग रेल मंत्रालय तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनका परामर्श भी अपेक्षित होता है। राज्य/पड़ोस में उसी नाम से कोई गांव या कस्बा न हो और ऐतिहासिक संबंध नष्ट न हो जाएं आदि भी सुनिश्चित करना होता है।

आकाशवाणी पर थाडो भाषा में कार्यक्रम

1910. डा. जयन्त रंगपी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम के दीपहू आकाशवाणी केन्द्र से थाडो भाषा के कार्यक्रमों का प्रसारण किए जाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। माननीय सांसद डा. जयन्त रंगपी के माध्यम से दिफू कस्बे के स्थानीय थाडो संगठन से दिनांक 11.9.96 का एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें थाडो सहित विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी, दिफू पर समय आवंटित करने की मांग की गई है।

(ग) आकाशवाणी, दिफू के प्रसारण की प्रमुख बोली कारबि है। यहां बोडो, दिमसा एवं असमिया में भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यह केन्द्र अपने सम्पर्क कार्यक्रम प्रणाली (एक्सेस प्रोग्रामिंग सिस्टम) के तहत उप जन-जातियों को अपनी बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने सहित समुदाय के विभिन्न समूहों को अवसर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

साहिबगंज में आप्टीकल फाइबर

1911. श्री थामस हंसदा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में साहिबगंज में आप्टीकल फाइबर उपलब्ध करने संबंधी कार्य 1995-96 के दौरान पूरा किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य भागलपुर से शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) साहिबगंज में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) में दिए गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सितम्बर, 1998 तक।

[हिन्दी]

रेलगाड़ी को अधिक दूर तक चलाना

1912. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री बम्बई से दानू रेलवे स्टेशन तक चलने वाली मेमोड्रेन रेलगाड़ी को उमरगाम और सन्जन रेलवे स्टेशन तक चलाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक इस कथित मांग पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और यह सुविधा यात्रियों को कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). मुंबई/बांद्रा-दहानू रोड डी.एम.यू. गाड़ियों/शटलों का अंवरगाम रोड तथा संजाण तक चलाने की जांच की गई है परन्तु परिचालनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया। बहरहाल मुंबई/बांद्रा और दहानूरोड के बीच कोई ई.एम.यू./एम.ई.एम.यू. गाड़ियां नहीं चल रहीं हैं।

सिल्चर-दिल्ली और कलकत्ता-गुवाहटी के बीच उड़ान

1913. श्री सुशील चन्द्र : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिल्चर-दिल्ली और कलकत्ता-गुवाहटी के बीच उड़ानों की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस समय गुवाहटी से सिल्चर जाने वाले किसी व्यक्ति को कलकत्ता होकर जाना पड़ता है;

(ग) क्या सिल्चर-एजौल और अगरतला को हवाई सेवा से जोड़ने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में मौजूदा स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) इंडियन एयरलाइंस दिल्ली-सिल्चर के मध्य सीधी सेवाएं प्रचालित नहीं करती है। तथापि, सिल्चर को गुवाहटी तथा कलकत्ता से होकर दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा जोड़ा गया है। कलकत्ता तथा सिल्चर के बीच इंडियन एयरलाईंस की सप्ताह में 6 उड़ानें तथा सिल्चर और गुवाहटी के बीच एन ई पी सी की सप्ताह में तीन उड़ानें हैं।

इंडियन एयरलाइंस कलकत्ता-गुवाहटी-कलकत्ता सेक्टर पर एक सप्ताह में 10 बार तथा कलकत्ता-इम्फाल- गुवाहटी-कलकत्ता सेक्टर पर सप्ताह में दो उड़ानें प्रचालित करती हैं।

(ख) एन ई पी सी एयरलाइंस सिल्चर तथा गुवाहटी के बीच सप्ताह में तीन उड़ानें तथा उक्त दो गंतव्य स्थलों के बीच इम्फाल से होकर चार उड़ानें प्रचालित कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

नए राडार

1914. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डी.जी.सी.ए. से नये राडारों को स्थापित करने में हुई देरी; जिन्हें काफी पहले स्थापित किया जाना था, के संबंध में रिपोर्ट देने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) सरकार ने डी.जी.सी.ए. से दिल्ली तथा मुम्बई में विमान यातायात, प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए परियोजना की वर्तमान अवस्थिति संबंधी एक रिपोर्ट देने और उपस्कर चालू करने में हुए विलंब संबंधी कारणों का उल्लेख करने को कहा था।

(ग) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली दूरदर्शन

1915. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन ने नये वर्ष समारोह रिकार्डिंग कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से दर्शकों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कार्यक्रमों के रिकार्डिंग में दर्शकों की भागीदारी हेतु कुछ निदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी, हां। विभिन्न दूरदर्शन केन्द्र समय-समय पर कवि सम्मेलनों, संगीत कार्यक्रमों आदि जैसे विशिष्ट श्रोता/दर्शकों सम्बन्धी कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु दर्शकों को आमंत्रित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

मुरैना, मध्य प्रदेश में टेलीफोन केबिल

1916. श्री अशोक अर्गल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में वर्ष 1973 से अक्तूबर, 1996 के बीच कौन-कौन से स्थानों पर टेलीफोन की केबिल बिछाई गई थी;

(ख) क्या मुरैना से सियोपुर के बीच टेलीफोन लाइन खराब रहती है, जिसके कारण प्रयोक्ताओं को भारी असुविधा होती है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मरम्मत हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मुरैना में टेलीफोन केबिलें निर्धारित मानदंडों के अनुसार बिछाई गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। जब भी यह लाइन खराब होती है, इसे तत्काल ठीक कर दिया जाता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) । मीटर की अपेक्षित गहराई को ध्यान में रखते हुए विभागीय अनुदेशानुसार केबलें बिछाई जाती हैं।

(च) लागू नहीं होता।

(छ) उपर्युक्त भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1993 से अक्तूबर, 1996 तक मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के उन स्थानों के ब्यौरे, जहां टेलीफोन केबलें बिछाई गई हैं।

1.	मुरैना
2.	जिगनी
3.	माताबसैया
4.	डिमनी

5. गोठ
6. अम्बाह
7. पौरषा
8. चांद का पुरा
9. अमरपुरा
10. पारीक्षितपुरा
11. रछंड़
12. राजोधा
13. धर्मगढ़
14. महुआ
15. रायपुरा
16. नूराबाद
17. बनमौरे
18. देवरी
19. खड़ोली
20. सरायछोला
21. बागांचनी
22. कुम्होरी
23. छेरा
24. मुंदरवाजा
25. जौरा
26. धपकान
27. भाटपुरा
28. कैलारस
29. सबलगढ़
30. सुजरमा
31. पहाड़गढ़
32. झुंडपुरा
33. कुल्होली
34. रामपुर कलां
35. बराई
36. मंगरोल
37. खड़गपुर
38. सुंमोली
39. शिवपुर कलां
40. करहाल
41. चन्द्रपुरा
42. हरनीखेड़ा
43. पंडोली
44. बरोड़ा
45. प्रेमसर
46. बामुलीगुसाई
47. नागदा
48. सूई कलां
49. मानपुरा
50. गिरधरपुरा
51. धोधार
52. तर्राकलां
53. रघुनाथपुर
54. शामपुर
55. ओच्छेपुरा
56. बीरपुरा
57. टेन्डरा
58. इकलोड
59. छोटा
60. विजयपुर
61. साहसराम
62. खांडयाहार
63. सौठवा
64. दतारदाकलां

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों को असुविधा

1917. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पर्यटकों विशेषकर उन विदेशी पर्यटकों की समस्या से अवगत है जो विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं और पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण करते हैं;

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों की समस्याओं को कम करने हेतु केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) देश में विशेषकर तमिलनाडु में पर्यटकों को बढ़ावा देने तथा पर्यटक स्थलों को मनोहारी एवं आरामदेह बनाने हेतु प्रस्तावित कार्य योजना क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). सरकार यह बात पूरी तरह जानती है कि देश में जितने भी पर्यटक स्थल हैं, उनमें आधारभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, खुला आकाश नीति, रेलवे द्वारा सुपरफास्ट गाड़ियां आरम्भ करना आदि शामिल हैं। राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर, धन की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर ऐसी सुविधाओं का संवर्धन करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग) से (ङ). पर्यटन का विकास तथा संवर्धन करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, पर्यटन विभाग देश में पर्यटन के संवर्धन के लिए विशिष्ट प्रस्तावों पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र सिल्चर

1918. श्री उधव बर्मन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने असम में सिल्चर के आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यालयों में विभिन्न आरोपों तथा व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने घूस लेने के तथाकथित आरोप में 15 मई, 1996 को आकाशवाणी, सिल्चर के एक अधिकारी के विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज किया है। चूंकि संबंधित अधिकारी को अपराधिक अभियोग में 48 घंट से अधिक की अवधि तक हवालात में रखा गया है। जहां तक दूरदर्शन केन्द्र, सिल्चर का संबंध है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कोई जांच नहीं की है।

[हिन्दी]

देवरिया में डी.ई.टी. का कार्यालय

1919. लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में डी.ई.टी. का कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरसंचार जिला मऊ, जिसमें देवरिया राजस्व जिला शामिल है, का कार्यभार इतना पर्याप्त नहीं है कि देवरिया के लिए पृथक डी.ई.टी. कार्यालय खोलने का औचित्य सिद्ध हो सके।

संसद सदस्यों के कोटे से टेलीफोन कनेक्शन

1920. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश तथा पुष्टि कर दिए जाने के बावजूद विभाग द्वारा उनके कोटे से टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने में विलंब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) माननीय संसद सदस्यों के कोटे से जारी स्वीकृतियों के प्रति टेलीफोन कनेक्शन आम तौर पर स्वीकृति आदेशों के जारी होने की तारीख से 30 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर प्रदान कर दिए जाते हैं। तथापि कुछ मामलों में केबल पेयर, एक्सचेंज क्षमता की अनुपलब्धता जैसे तकनीकी कारणों से ऐसे आदेश लागू करने में विलम्ब हो जाता है।

(ख) स्वीकृत किए गए इन टेलीफोनों को प्रदान करने के कार्य पर दूरसंचार आयोग मुख्यालय में नजर रखी जा रही है और जहां-कहीं विलम्ब का पता चलता है, संबंधित मुख्य महाप्रबंधकों को टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र प्रदान करने के लिए सभी संभव प्रयास करने संबंधी कड़े अनुदेश दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण डाकघर

1921. श्री मुख्तार अनीस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में श्रेणीवार और राज्य-वार कुल कितने डाकघर हैं;

(ख) राज्यवार डाकघर की सुविधा औसतन कितने लोगों को प्राप्त हो रही है; और

(ग) राज्यवार वर्ष 1995-96 के दौरान कितने डाकघर खोले जाएंगे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश में अद्यतन स्थिति के अनुसार डाकघरों की श्रेणीवार तथा डाक सर्किलवार कुल संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग). डाकघरों द्वारा डाक सर्किलवार औसतन जितनी जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है उनका तथा 1995-96 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या का डाक सर्किलवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

डाकघरों का श्रेणीवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उपडाकघर	अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	104	2361	53	13660	16178
2.	असम	16	581	36	3185	3818
3.	बिहार	42	1425	127	10195	11789
4.	दिल्ली	9	410	22	113	554
5.	गुजरात	42	1359	47	7470	8918
	दादर और नगर हवेली	-	2	-	32	34
	दमन एवं दीव	-	6	-	11	17
6.	हरियाणा	15	452	14	2116	2597
7.	हिमाचल प्रदेश	17	441	18	2272	2748
8.	जम्मू व कश्मीर	9	240	31	1328	1608
9.	कर्नाटक	69	1770	301	7659	9799
10.	केरल	51	1445	527	3013	5036
	लक्षद्वीप	-	6	3	1	10
11.	मध्य प्रदेश	52	1363	98	9920	11233
12.	महाराष्ट्र	61	2087	129	10026	12303
	गोआ	2	102	3	141	248
13.	उत्तर पूर्व					
	अरुणाचल प्रदेश	1	44	-	238	283
	मणिपुर	1	48	-	622	671
	मेघालय	2	61	2	416	481
	मिजोरम	1	38	4	340	383
	नागालैण्ड	1	38	-	260	299
	त्रिपुरा	3	79	14	605	701
14.	उड़ीसा	35	1160	195	6682	8072
15.	पंजाब	21	756	10	3057	3844
	चंडीगढ़	1	43	1	7	52
16.	राजस्थान	55	1390	103	8752	10300

1	2	3	4	5	6	7
17.	तमिलनाडु	92	2738	224	9017	12071
	पांडिचेरी	1	36	-	59	96
18.	उत्तर प्रदेश	86	2840	458	16700	20084
19.	पश्चिम बंगाल	44	1623	344	6470	8481
	सिक्किम	1	17	7	171	196
	अंडमान एवं निकोबार	1	25	7	64	97
	कुल	835	24986	2778	124402	153001

विवरण-II

1995-96 के दौरान डाकघरों की संख्या तथा औसतन सेवित जनसंख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	1995-96 के दौरान मंजूर किए गए डाकघर		प्रति डाकघर सेवित औसत जनसंख्या
		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	3	4103
2.	असम	-	1	5887
3.	बिहार	-	2	7338
4.	दिल्ली	-	2	17035
5.	गुजरात	-	1	4643
	दादर और नगर हवेली		-	3049
	दमन एवं दीव		-	5975
6.	हरियाणा	1	2	6361
7.	हिमाचल प्रदेश		2	1896
8.	जम्मू व कश्मीर		2	3780
9.	कर्नाटक		3	9805
10.	केरल		14	5789
	लक्षद्वीप			5173
11.	मध्य प्रदेश	-	3	9256
12.	महाराष्ट्र		3	6417
	गोआ		-	4693
13.	उत्तर पूर्व			
	अरुणाचल प्रदेश	-	-	3059
	मणिपुर	-	-	2722
	मेघालय	-	-	3683
	मिजोरम	-		1791
	नागालैण्ड	-	-	4065
	त्रिपुरा	-	-	3933
14.	उड़ीसा	-	-	3922
15.	पंजाब	1	3	5190
	चंडीगढ़	-		12814
16.	राजस्थान	-	6	4276
17.	तमिलनाडु	-	3	4583
	पांडिचेरी	-	-	7894
18.	उत्तर प्रदेश	-	3	6942
19.	पश्चिम बंगाल	-	3	8030
	सिक्किम		-	2074
	अंडमान एवं निकोबार	-		2866
	कुल	4	53	5517

इरकॉन द्वारा प्रायोजित विदेश यात्राएं

1922. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इरकॉन) ने अपने खर्चे पर कुछ व्यक्तियों को विदेश में यात्रा पर भेजा है जिसके

कारण विमान यात्रा किराये और अन्य खर्चे के रूप में विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन यात्राओं को किन परिस्थितियों में प्रायोजित किया गया;

(ग) क्या सरकार को इस्कॉन में व्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

[हिन्दी]

ब्याज रहित ऋण

1923. श्री डी.पी. यादव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन बेरोजगार लोगों को, जिन्हें नियोजनालय में पंजीकरण कराने के पांच वर्षों बाद तक भी रोजगार न मिला हो, स्वरोजगार दिलाने हेतु ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार युवकों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें नवम्बर, 1996 तक ऋण उपलब्ध करा दिया गया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिम रेलवे प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें

1924. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती/पदोन्नति/नियुक्ति और आवास आवंटन के बारे में रेल विभाग के नियमों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में पश्चिम रेलवे के प्राधिकारियों के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों से प्रादभूत पदोन्नति संबंधी नीति के स्पष्टीकरण के संबंध में पश्चिम रेलवे प्रशासन को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित कर्मचारियों से अभ्यावेदन एवं शिकायतें प्राप्त हुई थी। तथ्यों तथा वर्तमान नियमों के आधार पर अभ्यावेदनों/शिकायतों का निवारण कर दिया गया है और कुछ मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों सहित संबंधित कर्मचारियों को स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। रिक्तियों की बजाय पदों पर पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आरक्षण संबंधी नीति में संशोधन के आदेशों के बारे में कार्मिक तथा प्रशिक्षण संबंधी विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

विदेशी पर्यटकों को सशस्त्र मार्गरक्षण

1925. श्री तारीक अनवर : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषकर बिहार का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों का सशस्त्र मार्गरक्षण किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिहार में हाल ही में पर्यटकों की हत्या की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). बिहार में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए, राज्य सरकार ने पूरी तरह चौकसी के लिए रात्रि और दिन में गश्त लगाने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इन्टरनेट सेवा

1926. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इन्टरनेट एक्सेस सेवा सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में इन्टरनेट एक्सेस सेवा का निजीकरण करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जिन केन्द्रों से दूरसंचार विभाग/विदेश संचार निगम लिमिटेड से इंटरनेट एक्सेस नोड उपलब्ध हैं, उनकी सूची इस प्रकार से हैं :—

उत्तर	-	नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, चंडीगढ़
पूर्व	-	कलकत्ता
पश्चिम	-	अहमदाबाद, मुम्बई और पुणे
दक्षिण	-	हैदराबाद, बेंगलूर, चैन्नई, मैसूर (सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क)

इन नोडों तक डायल अप आधार पर पहुंचा जा सकता है। महानगरों में स्थित नोडों तक, देश के किसी भी स्थान से डाटा संचार सर्किट को लीज करके पहुंचा जा सकता है।

(ग) से (ङ). इंटरनेट एक्सेस की पेशकश करने वाले निजी प्रचालकों के संभावित प्रवेश (इंट्रोडक्शन) का तरीका विचाराधीन है।

हिन्डालको में दुर्घटना

1927. श्री मोहन रावले : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित हिन्डालको में गत तीन वर्षों के दौरान किस प्रकार की और कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने श्रमिक मारे गए और घायल हुए;

(घ) मारे गए और घायल श्रमिकों के परिजनों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ई.एस.आई. का कार्य-निष्पादन

1928. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सीय यंत्रों के अभाव, औषधियों की अनुपलब्धता तथा महिला चिकित्सकों की अपर्याप्त संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ई.एस.आई. नेटवर्क का पुनर्गठन करना, क्रमोन्नत करना तथा आधुनिकीकरण करने तथा बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों पर कितना खर्च किया गया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने वाले राज्यवार कितने कर्मचारियों ने अपना अंशदान दिया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). दिल्ली और नोएडा में क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख के संचालन का उत्तरदायित्व कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई सो) का है। हालांकि चिकित्सा देखरेख पर होने वाला व्यय 7:1 के अनुपात में क.रा.बी.नि. और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा वहन किया जाता है, अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य देखरेख के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों में निहित है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों/औषधालयों में पर्याप्त उपकरणों, डाक्टरों, विशेषज्ञों आदि की व्यवस्था के लिए मानक नियत किये हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में डाक्टरों, दवाइयों, उपकरणों आदि की कमी के बारे में छुट-पुट शिकायतें प्राप्त होती हैं। जैसे ही ये शिकायतें प्राप्त होती हैं उन्हें संबंधित राज्य सरकारों की जानकारी में समुचित निवारात्मक कार्रवाई के लिए लाया जाता है। निगम ने साधारण प्रयोजन उप समिति का भी गठन किया है, जिसमें, अन्यों के साथ-साथ संसद सदस्य भी हैं, जो प्रत्येक वर्ष दो या तीन राज्यों के क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों का दौरा करती है। उप समिति द्वारा इस संबंध में बताई गई कमियों को संबंधित राज्य सरकार की जानकारी में आवश्यक कार्रवाई के लिए लाया जाता है।

(घ) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :-

वर्ष	राशि (रुपये लाखों में)
1993-94	33056.87
1994-95	35079.43
1995-96	38252.73

(ङ) क.रा.बी. अधिनियम के अधीन लाभ देय होते हैं/प्राप्त होते हैं यदि अंशदान देय हों किन्तु उनका वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है। चूंकि इस संबंध में चूककर्ता और गैर-चूककर्ता कारखानों/प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, क.रा.बी. योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने वाले चूककर्ता कर्मचारियों की सूचना नहीं रखी जाती है।

हम्पी का विकास

1929. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को राज्य में हम्पी के विकास हेतु एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने हम्पी, जिसे कि अब विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, के व्यापक विकास हेतु कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने राज्य में पर्यटन संबंधी कार्यों के लिए 20 करोड़ रु. की मांग की है; और

(छ) यदि हां, तो उन पर्यटन संबंधी कार्यों, जिनके लिए कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सहायता की मांग की है, का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). विश्वदाय केन्द्र हम्पी के पूर्ण विकास के लिए कर्नाटक सरकार ने योजना का एक प्रस्ताव भेजा है। परियोजना की अनुमानित लागत 3,962,31 मिलियन रुपए है।

(घ) से (ङ). परियोजना प्रस्ताव विदेशी सहायता के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को विचारार्थ भेजा गया है।

(च) और (छ). कर्नाटक सरकार ने, विभिन्न परियोजनाओं तथा सूचना काउंटर का उन्नयन, विश्वदाय स्मारकों पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था, होटलों का स्तरोन्नयन, प्रचार, प्रयास आदि के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु 20 करोड़ रु. की मांग की है।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालयों में अनियमितताएं

1930. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रोजगार कार्यालयों में हो रही अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं । उनके द्वारा रोजगार कार्यालयों के कार्यों की समीक्षा की जाती है ताकि उनकी प्रचालन संबंधी कार्य कुशलता में सुधार हो सके, रोजगार कार्यालयों द्वारा पंजीकरण तथा नियुक्तियों के मामले में सरल तथा एक समान प्रक्रिया को अपनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को समय-समय पर मार्ग निदेश भी जारी किए जाते हैं।

दिल्ली डाक सर्किल के अंतर्गत डाकघर

1931. श्री सुख लाल कुशवाहा :
श्री हरिवंश सहाय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान अब तक दिल्ली डाक सर्किल के अंतर्गत अनेक डाकघरों का आधुनिकीकरण किया है;

(ख) उन पर कितना व्यय किया गया;

(ग) ठेकेदारों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या ठेके देते समय मानदंड का कड़ाई से पालन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां। दिल्ली सर्किल में डाकघरों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम वर्ष 1994-95 से, डाक विभाग की उत्तरोत्तर वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत लागू कर दिया गया है। दिल्ली सर्किल के अंतर्गत जिन डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया है, उनकी संख्या का वर्षवार ब्यौरा, व्ययसहित नीचे दिया गया है :-

वर्ष	डाकघरों की संख्या	व्यय (रुपए)
1994-95	45	46,03,975
1995-96	3	1,41,55,291
1996-97	1	1,03,826
	49	

(ग) ठेकेदारों का चयन और कार्य को सौंपना संबंधित सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के आधार पर किया जाता है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में दूरदर्शन के प्रसारण केन्द्र

1932. श्री विजय अन्नाजी मुडे :
श्री कचरु भाऊ राउत :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में दूरदर्शन/आकाशवाणी परियोजनाएं पूरी करने के लिए इस पर होने वाले व्यय के बारे में किये गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने के समय कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) इस राज्य में स्थान-वार कितने दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र कार्यरत् हैं;

(घ) क्या इन केन्द्रों की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु अपेक्षित कर्मचारी उपलब्ध करा दिए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंध में विवरण क्रमशः विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ). महाराष्ट्र में इस समय कार्यरत टेलीविजन ट्रांसमीटरों और उनके स्टाफ संबंधी स्थिति विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजन का नाम	अनुमानित लागत मूल (एस.एफ.सी/ ई.एफ.सी. राशि) (लाख रु. में)	संभावित व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	स्थानीय रेडियो स्टेशन, उस्मानाबाद	175.00	267.70 (संशोधित)
2.	5 कि.वा. एफ-एम. ट्रांसमीटर, मुम्बई (द्वितीय स्टीरियो)	310.00	310.60
3.	परभनी टाइन-I चरण	139.30	180.50 (संशोधित)
4.	परभनी में 10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 20 कि.वा. शक्ति में प्रतिस्थापन एवं उन्नयन।	166.25	166.25
5.	क्षेत्रीय कार्यशाला, मुम्बई	114.80	177.77 (संशोधित)
6.	स्थानीय रेडियो केन्द्र, मालवा	327.40	327.40
7.	टाइप-3 स्टूडियो बोरीविली (खाड़ी सेवा), मुम्बई	403.84	873.16 (संशोधित)
8.	स्टूडियो का नवीनीकरण (चरण-2), मुम्बई	150.10	150.10

विवरण-II

राज्य	कार्यान्वयनाधीन	पूंजीगत लागत (लाख रु. में) मूल	संशोधित
1	2	3	4
महाराष्ट्र	**पीपीसी**		
	मुम्बई (एक्सप.)	2018.10	3935.99
	नागपुर (आग.)	263.60	
	पुणे	968.87	
	अ.श.ट्रा.		
	शिरपुर	100.00	
	नवापुर	97.00	
	मानगांव	97.00	
	खोपोली	97.00	
	महाद	97.00	
	उमरखेड	97.00	
	सताना	97.00	
	सिरोंचा	97.00	
	चांदुर	97.00	
	अहेरी	97.00	
	चिकोलो	97.00	
	अम्बेत	100.00	
	म.अ.श.ट्रा.		
	मालवान	83.00	
	मलकापुर	83.00	
	भोकार	83.00	
	बदलापुर		स्वीकृत किया जाना है।

विवरण-III

राज्य में कार्यरत टेलीविजन ट्रांसमीटर (30.11.96 की स्थिति के अनुसार) और स्टूडियो तथा उनमें स्टाफ संबंधी स्थिति

राज्य	विद्यमान
1	2
महाराष्ट्र	**पीपीसी**
	मुम्बई
	नागपुर
	ठ.श.ट्रा.
	अम्बाजोगाई
	औरंगाबाद
	मुंबई
	मुंबई (डीडी II)
	मुंबई (डीडी III)*
	नागपुर
	पुणे
	म.श.ट्रा.
	अचलापुर
	अकोट
	अहमदनगर
	अकलुज
	अकोला *
	अमलनेर
	अमरावती
	आरवी *
	बारशी
	भुसावल
	बीड
	ब्रह्मपुरी *
	बुल्डाना
	चन्द्रपुर
	चिखली **
	चिपलुन *
	देवरूख **
	धुले
	डिगलुर
	गढ़चिरोली
	गोंदिया
	हिंगनघाट
	हिंगोली
	इचलकरंजी
	जलगांव
	जालना
	कंकौली
	कराड
	करंजा (अकोला)
	खामगांव
	किनवाट
	कोल्हापुर
	मालेगांव
	मनमाड
	मेहेकर **
	म्हासले *
	मोर्शी **
	नांदेड़
	नंदुरबा र
	नासिक
	उस्मानाबाद
	पंढ़रपुर
	परभर्नी
	पुसद
	राजापूर *
	रत्नागिरि
	रिस्सोद *
	संगमनेर *
	सांगली
	सतारा
	शाहाद
	शोलापुर
	उमरगा *
	वनी **
	वर्धा
	वाशिम

1	2
	यवतमाल
	नागपुर (डीडी II) *
	अ.अ.श.ट्रा.
	चिकलधारा
	जुन्नार
	करजाट
	खेड
	एक्सेक्ट्र
	औरंगाबाद

* सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टॉफ स्वीकृत किया जाना है।

** अल्प स्टाफ स्वीकृति उपलब्ध है। अन्य सभी केन्द्रों के मामले में स्टॉफ स्वीकृति उपलब्ध है।

[अनुवाद]

समाचार पत्रों हेतु राष्ट्रीय नीति

1933. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन न्यूज पेपर्स सोसायटी ने समाचार पत्रों हेतु राष्ट्रीय नीति संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) क्या सोसायटी ने सरकार की अखबारी कागज संबंधी आयात नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध किया है;

(ग) क्या न्यूज पेपर सोसायटी ने 1996-97 के बजट में विज्ञापन पर 5 प्रतिशत सेवा शुल्क शुल्क लगाने पर चिंता जाहिर की है;

(घ) यदि हां, तो सोसायटी द्वारा की गई अन्य आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) भारतीय समाचार पत्र सोसायटी ने मंत्रालय को सुझाव दिया है कि विशेषतौर से मुद्रण मीडिया में किसी मीडिया नीति की आवश्यकता नहीं है। यह सुझाव श्री राम विलास पासवान की अध्यक्षता में मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की उप समिति द्वारा राष्ट्रीय मीडिया नीति पर व्यावहारिक दस्तावेज तैयार करने के संदर्भ में था।

(ख) भारतीय समाचार पत्र सोसायटी ने अखबारी कागज (चमकीले कागज) के अलावा पर 10 प्रतिशत सीमा-शुल्क लगाने का विरोध किया है।

(ग) और (घ). सोसायटी ने अभ्यावेदन दिया है कि 1996-97 के बजट में प्रस्तावित विज्ञापन संबंधी सेवा कर का अर्थिक विकास पर तथा मीडिया के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा इसके आगे उल्लेख किया है कि यह वाणिज्यिक सूचना की स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव डालता है।

(ङ) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ 1.11.1996 से विज्ञापन सेवाओं पर 5 प्रतिशत की दर से सेवा कर लगा दिया है।

पुरूलिया रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

1934. श्री बीर सिंह महतो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण-पूर्व रेलवे में पुरूलिया रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यह कार्य कब शुरू किया जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सुधार कार्य जैसे स्टेशन भवन (चरण-1) का कार्य पूरा कर लिया गया है और सम्मिलन क्षेत्र के कार्यों, प्लेटफार्मों के फर्श बछाने और गाड़ी संकेतक बोर्ड की व्यवस्था संबंधी कार्यों को शुरू कर दिया गया है और इनके 1997-98 तक पूरा होने की आशा है।

उत्तर प्रदेश में डाकघरों की संख्या

1935. डॉ. मुरली मनोहर जोशी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 और 1996 के दौरान उत्तर प्रदेश में विशेषकर इलाहाबाद में डाकघरों, डाक सहायकों, डाकियों और पत्र-पेटियों की संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश में समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों के संबंध में आकलन कब किया गया था;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में डाक सेवाओं में वृद्धि नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 1994 के दौरान 20035 डाकघर, 11176 डाक सहायक, 4599

पोस्टमैन और 79337 लेटर बाक्स थे। इनमें से 548 डाकघर, 429 डाक सहायक, 325 पोस्टमैन और 1908 लेटर बाक्स इलाहाबाद जिले में थे। वर्ष 1996 के दौरान कुल 20040 डाकघर, 10962 डाक सहायक 4735 पोस्टमैन और 93529 लेटर बाक्स थे। इनमें से 548 डाकघर, 412 डाक सहायक, 332 पोस्टमैन और 3237 लेटर बाक्स इलाहाबाद जिले में थे।

(ख) समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों के मूल्यांकन का कार्य स्थापना की समीक्षा के कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ). डाकघर मानदंडों के आधार पर औचित्य सिद्ध होने और संसाधनों की उपलब्धता पर खोले जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में चालू वार्षिक योजना के दौरान अब तक 34 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 15 विभागीय उप डाकघर खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त जिन ग्रामों में मानदंडों के अनुसार औचित्यपूर्ण होते हुए भी कोई डाकघर नहीं है वहां मूलभूत डाक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 1995 से पंचायत संचार सेवा योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 1995-96 के दौरान 249 पंचायत संचार सेवा केन्द्र मंजूर किए गए हैं।

कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन

1936. श्री सनत मेहता : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 28-2-1996 को जारी किए जाने के पश्चात इससे कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने उद्योगों से छूट हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा इनमें से कितने आवेदनों का निपटान निर्धारित छः माह के अंदर किया गया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) दिनांक 28.2.96 की अधिसूचना द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को 5000/- रु. प्रतिमाह से अधिक मजदूरी आहरित करने वाले कर्मचारियों पर वैकल्पिक आधार पर लागू किया गया है यहां तक कि उजरती दर आधार पर मजदूरी आहरित करने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना के अधीन विशिष्टतः शामिल किए जाने योग्य बनाया गया है। इस स्थिति पर यह बताना संभव नहीं है कि इस संशोधन से कितने कर्मचारियों के लाभान्वित होने की आशा है।

(ख) कर्मचारी पेंशन योजना के अधीन, क.भ.नि. संगठन को किसी आवेदन की छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में विविक्षा करनी होती है और अपनी सिफारिशों के साथ उसे समुचित सरकार को निर्णय के लिए प्रस्तुत करना होता है। अभी तक केन्द्रीय सरकार को क.भ.नि. संगठन की ओर से कोई ऐसा आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

1937. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शामली से दिल्ली के बीच चलने वाली डी.एम.यू.-2 एस.डी. सवारी गाड़ी 6 अक्तूबर 1996 को मेरठ जिले के कासिम खेड़ी तथा बेवाली के बीच पटरी से उतर गई थी तथा मध्य रेलवे के मनमाड अहमदनगर मार्ग पर एक मालगाड़ी 4 सितम्बर, 1996 को महादिदम के निकट पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). दो दुर्घटनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(1) 5.10.96 को उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के कासिमपुर खेडी तथा बावली स्टेशनों के बीच 2 एस.डी. डी.एम.यू. पैसेंजर गाड़ी के 9 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अधिकारियों की एक समिति द्वारा दुर्घटना की जांच की गई थी और जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(2) 4.9.96 को बी.पी.टी.वी.टी.एम. मालगाड़ी के 34 मालडिब्बे मनमाड़ स्टेशन यार्ड में पटरी से उतर गए थे। अधिकारियों की समिति द्वारा की गई जांच में गाड़ी पटरी से उतरने की इस दुर्घटना का कारण ड्राइवर की गलती बताया है जो अपनी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका और रेत के एक ढेर में प्रवेश कर गया।

(ङ) संरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के काम में तेजी लाई गई है।

(2) दुर्घटनाओं में मानवीय भूल की संभावनाओं को कम करने के लिए, सिगनलिंग सर्किटरी में आशोधन किया जा रहा है।

(3) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को खतरे के सिगनलों के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए, सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू कर दी गई है।

(4) रेलपथ के अनुरक्षण के लिए, टाईटेम्पिंग और गिट्टी छनाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(5) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन संबंधी विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए, परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी

यान, दोलनलेखी यान और सुबाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(6) कई डिपुओं में सवारी और माल डिब्बों के अनुरक्षण की सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और उन्हें अपग्रेड किया गया है।

(7) धुरों की कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में दोषों का पता लगाने के लिए नेमी ओवरहाल डिपुओं में अल्ट्रासॉनिक टेस्टिंग उपस्कर लगाए गए हैं।

(8) बिना चौकीदार वाले समपारों पर सीटी बोर्डों/गतिरोधकों और सड़क चिन्हों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(9) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि रेलपथ को सुरक्षित ढंग से कैसे पार करना है, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(10) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(11) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है। इसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग भी शामिल है।

(12) विनिर्दिष्ट समयान्तरालो पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है।

(13) गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है, उन्हें कैश प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(14) कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, समय-समय पर संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

डाक विभाग का परिव्यय

1938. श्री दिनशा पटेल :
श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग का अनुमोदित परिव्यय गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग द्वारा प्रस्तावित परिव्यय से बहुत कम था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात राज्य से संबंधित विशिष्ट योजनाओं के बारे में इस अवधि के दौरान परिव्यय में की गई कटौती के कारण योजनाओं की हानि का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के गत तीन वर्षों के लिए डाक विभाग के संबंध में अनुमोदित परिव्यय, विभाग द्वारा प्रस्तावित परिव्यय से कम था, जैसा कि निम्नलिखित विवरण से पता चलता है :—

वर्ष	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रु.)	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपये)
1993-94	84.93	67.17
1994-95	119.00	92.00
1995-96	150.96	85.00

(ग) गुजरात सर्किल में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 17 भवन परियोजनाएं कम आवंटन के कारण प्रभावित हुई :

वर्ष	मांग (रु.)	आबंटन (रु.)
1993-94	5,84,20,000	4,32,35,000
1994-95	6,67,55,000	5,17,70,000
1995-96	4,02,74,000	3,45,74,000

रेलवे की फालतू भूमि की बिक्री

1939. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्री दिलीप संघानी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी रेलवे भूमि जाची गई;

(ख) उससे क्षेत्रवार अर्जित की गई राशि क्या है;

(ग) इस राशि को किस उद्देश्य पर खर्च किया गया है; और

(घ) अगले दो वर्षों के दौरान कितनी फालतू रेलवे भूमि बेचे जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कुछ नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रांची में उपरि-पुल का निर्माण

1940. श्री राम टहल चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों ने रांची के उपरि-पुल का निर्माण करने के लिए सरकार को अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुल की व्यवस्था की प्रणाली यह है कि राज्य सरकार प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव करे। राज्य सरकार द्वारा पूर्व अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात रेलवे द्वारा इसे निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने हेतु विचार किया जाता है।

प्रतिपूर्ति का भुगतान

1941. डा. बल्लभ भाई कठीरिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं में मृत/घायल व्यक्तियों के निकट संबंधियों को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : पिछले तीन वर्षों के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के संबंधियों/घायल हुए व्यक्तियों को 8.91 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली से राजकोट और अहमदाबाद हेतु विमान सेवा

1942. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में केवल राजकोट में ही एकमात्र विमापत्तन है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली से राजकोट और अहमदाबाद और वापसी हेतु विमान सेवा शुरू करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं। गुजरात के सौराष्ट क्षेत्र में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चार हवाई अड्डे हैं जो भावनगर, केशोद, पोरबन्दर, राजकोट में स्थित हैं तथा एक सिविल इन्कलेव जामनगर में स्थित है।

(ख) से (घ). एनईपीसी एयरलाइन्स, मुम्बई के रास्ते दिल्ली-राजकोट सैक्टर पर एक दैनिक उड़ान प्रचालित कर रही है। दिल्ली को अहमदाबाद के लिए इंडियन एयरलाइन्स की दो दैनिक उड़ानों से और दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच जेट द्वारा एक दैनिक उड़ान से व इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जयपुर के रास्ते सप्ताह में तीन बार की उड़ानों से विमान सेवा से जोड़ा गया है।

[हिन्दी]

ठेका प्रणाली का समाप्त किया जाना

1943. श्री एन.जे. राठवा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सफाई के लिए ठेका प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे रेलवे स्टेशनों का विशेषरूप से पश्चिम रेलवे में स्थितिवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन रेलवे स्टेशनों पर सफाई के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है या इन रेलवे स्टेशनों पर सफाई कर्मियों को नियुक्त करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या है जहां अस्थाई/स्थायी सफाईकर्मी नियुक्त किए जाते हैं; और

(ङ) इस संबंध में हुई प्रगति का क्या ब्यौरा हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां, 1.12.96 तक 96 स्टेशनों पर सफाई कार्य निजी पार्टियों को सौंप दिया गया था इनमें से 24 स्टेशन पश्चिम रेल में है जिनके नाम इस प्रकार हैं :-

1. सूरत
2. विक्रमगढ़
3. भवानी मंडी
4. लखेरी
5. गंगापुर सिटी
6. श्री महावीरजी
7. बयाना
8. अंता
9. थलेरा
10. उपरामल
11. मंडलगढ
12. परसोली
13. बान्द्रा टर्मिनस
14. रामगज मंडी
15. मोरक
16. इंद्रगढ़
17. कोटा ज.

18. हिंडौन सिटी
19. फतेहपुरसीकरी
20. दहीद
21. जलिन्द्रो
22. शामपुर
23. बरूंद्रो
24. बस्सी चरीसाल

ठेकों का उनकी समाप्ति के पश्चात नवीकरण नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

गुजरात/महाराष्ट्र में दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण

1944. श्री हरिन पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्य-वार विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में जिलेवार और दूरभाष केन्द्रवार स्थापित इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रो-मैकेनिकल दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का 1996-97 और 1997-98 के दौरान इस प्रकार के नए दूरभाष केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, हां।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में अभ्रक के भंडार

1945. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अभ्रक का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अभ्रक के भंडार में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अभ्रक आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के अन्तरिम अनुमानों के अनुसार 1.4.1990 तक बिहार में अभ्रक के भंडार निम्नवत हैं :-

(इकाई: किग्रा. में)

जिला	प्राप्त योग्य भंडार
गिरिडीह	463,480
हजारीबाग	929,490
नवादा	12,161,070
बिहार(कुल)	13,554,040

(ख) और (ग). पता लगाए गए भंडारों से अभ्रक उत्पादन एक सतत् प्रक्रिया है और इस प्रकार ये संसाधन कम होते जा रहे हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आई.आई.एस.सी.ओ. का उत्पादन

1946. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि. के उत्पादन में कटौती का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) "सेल" का इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) के उत्पादन में कटौती करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेल यातायात के विस्थापन के कारण यात्रियों को परेशानियां

1947. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गंटूर/नैल्लोर और मद्रास के बीच रेल यातायात के विस्थापन के कारण विजयवाड़ा स्टेशन में उत्तर को यात्रा कर रहे यात्रियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विजयवाड़ा-नई दिल्ली, विजयवाड़ा-लखनऊ आदि के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। बहरहाल अब दिल्ली सहित उत्तर के लिए गाड़ी सेवायें बहाल कर दी गई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब के मुख्य नगरों और चंडीगढ़ के बीच सीधा रेल सम्पर्क

1948. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के लिए पंजाब के मुख्य नगरों से भी सीधी रेल सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने चंडीगढ़ के लिए पंजाब के मुख्य नगरों से सीधी रेल सेवा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) चंडीगढ़ पंजाब के सभी प्रमुख शहरों से रेल द्वारा बरास्ता अम्बाला छावनी जुड़ा हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). राजपुरा तथा चंडीगढ़ के बीच बरास्ता शंभू-लालरू एक नई लाइन का निर्माण शुरू किया गया है जिससे चंडीगढ़ तथा पंजाब के अन्य प्रमुख शहरों के बीच और सीधा संपर्क उपलब्ध हो जाएगा। इस संपर्क से चंडीगढ़ की पंजाब के सभी शहरों से दूरी 23 कि.मी. कम हो जाएगी और इंजन को उल्टी दिशा में चलाने में 20 मिनट का समय भी बचेगा। इस कार्य को दिसम्बर 1998 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू-केशवात-श्रीनगर विमान सेवा

1949. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-केशवात-श्रीनगर तथा श्रीनगर-जम्मू के लिए वापसी विमान सेवायें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुरेज (बारामुला) तथा तंदगादर (कुपवाड़ा) में हेलीकाप्टर सेवा भी उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पवनहंस लिमिटेड का, इस समय गुरेज (बारामुला) और (कुपवाड़ा) में तंदगादर में हेलीकाप्टर सेवाएं आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि किराये काफी अधिक रहेंगे जो कि आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन की संभाव्यता

1950. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए दार्जिलिंग, सुन्दरबन, शंकरपुर, कालिपोंग और पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों के विकास हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए व्यापक कार्य-योजना तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है. तथापि पर्यटन विभाग राज्य सरकारों से प्राप्त विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए, उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर, वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने 500 लाख रुपयों की अनुमानित लागत से सुन्दरबन में पर्यटन के विकास के लिए और 552.25 लाख रुपयों की अनुमानित लागत से अलीपुरद्वार और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

राज्यों में आकाशवाणी का प्रसारण क्षेत्र

1951. श्री बी.एल. शंकर :
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आकाशवाणी के स्टेशनों द्वारा कुल कितने प्रतिशत लोगों तक अपने प्रसारण पहुंचाये जाते हैं;

(ख) क्या देश में ए.आई.आर. नेटवर्क के विस्तार किए जाने के संबंध में सरकार द्वारा अनेक अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का सभी राज्यों में शत-प्रतिशत जनसंख्या तक प्रसारण पहुंचाने का कोई विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) विभिन्न राज्यों में एवं संघ शासित क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा कवर की गई जनसंख्या के प्रतिशत का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग). विवरण-II में दिए गए ब्यौरों के अनुसार विभिन्न राज्यों से देश में आकाशवाणी नेटवर्क के विस्तार/विकास के लिए 1.4.94 से अब तक कुल 25 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ). कुछ इक्का-दुक्का स्थानों को छोड़कर, सम्पुर्ण देश में मीडियम वेव/एफ.एम. ट्रांसमीटर पर रेडियो कवरेज उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, शार्ट वेव बैण्ड पर भी संपूर्ण देश में रेडियो कवरेज उपलब्ध है। सरकार अभी तक कवर न किए गए क्षेत्रों को भी कवर करने के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील है बशर्ते अनिवार्य आधारभूत सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण-I

आकाशवाणी

26.11.1996 की स्थिति के अनुसार

दिन के समय राज्यवार कवरेज

1	2	कवर की गई जनसंख्या का प्रतिशत
I.	**राज्य**	
1.	आन्ध्र प्रदेश	99
2.	अरुणाचल प्रदेश	99
3.	असम	86
4.	बिहार	99*
5.	गोवा	99*
6.	गुजरात	99*
7.	हरियाणा	99*
8.	हिमाचल प्रदेश	88
9.	जम्मू और कश्मीर	97
10.	कर्नाटक	96
11.	केरल	96.5
12.	मध्य प्रदेश	97
13.	महाराष्ट्र	99
14.	मणिपुर	99*
15.	मेघालय	96
16.	मिजोरम	95
17.	नागालैण्ड	97
18.	उड़ीसा	98
19.	पंजाब	99*
20.	राजस्थान	98.5
21.	सिक्किम	95
22.	तमिलनाडु	99
23.	त्रिपुरा	99*
24.	उत्तर प्रदेश	97.5
25.	पश्चिम बंगाल	99*
II.	**संघ शासित क्षेत्र**	
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	85
2.	चण्डीगढ़	99*
3.	दादरा और नगर हवेली	99*
4.	दिल्ली	99*
5.	दमन और द्वीव	99*
6.	लक्षद्वीप एवं मिनीकाय द्वीप समूह	99*
7.	पांडिचेरी	99*
राष्ट्रीय कवरेज		97.3

* कुछ परिस्थितियों की विशेष अपेक्षा पर विचार किए बिना इन राज्यों की कवरेज सामान्यतया 100 प्रतिशत मानी जा सकती है।

विवरण-II

क्र.सं.	उन राज्यों का नाम जिनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए	प्राप्त हुए अभ्यावेदनों की संख्या
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	1
2.	त्रिपुरा	5
3.	असम	3
4.	नागालैण्ड	2
5.	प. बंगाल	1
6.	सिक्किम	1
7.	उत्तर प्रदेश	2

1	2	3
8.	गुजरात	2
9.	मिजोरम	2
10.	अरुणाचल प्रदेश	3
11.	उड़ीसा	1
12.	कर्नाटक	1
13.	बिहार	1
		25

कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

1952. श्री एन. डेनिस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने संबंधी कोई प्रस्ताय विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यात्री यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध हैं और इस समय इसके आदेश आधुनिकोकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खड़गपुर जंक्शन में यात्री सुविधाएं

1953. श्री बार.एल.पी. वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के अधीन खड़गपुर जंक्शन एशिया में सबसे लम्बा प्लेटफार्म है और यात्रियों से अनेक शिकायतें मिली हैं कि इसके प्लेटफार्म सं. 5 और 6 बहुत गंदे हैं, प्लेटफार्म पर पंखे नहीं चलते और अनधिकृत रूप से कब्जा कर प्लेटफार्मों को अपने स्थाई निवास की तरह प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों को उत्तरदायी पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच की गई है;

(ङ) जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इस खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). खड़गपुर जंक्शन पर सभी छः प्लेटफार्मों को साफ-सुथरा रखा जाता है तथा गाड़ियों का आगमन नियमित रूप से होता है। कभी-कभी प्रवासी बंजारों के समूह अपने गंतव्यों पर जाने के लिए गाड़ियों की प्रतीक्षा करते समय प्लेटफार्मों पर ठहर जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

(च) खड़गपुर जंक्शन पर यात्री यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

जामनगर रेलवे स्टेशन में आरक्षण कोटा समाप्त किया जाना

1954. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन में जामनगर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण कोटे को समाप्त किए जाने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). केवल जामनगर स्टेशन के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करने के लिए सांसदों/विधायकों तथा अन्य लोगों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि कम्प्यूटर, प्रणाली से जुड़े सभी स्टेशनों की गाड़ियों में उपलब्ध शायिकाओं के बारे में फ्री एक्सेस की व्यवस्था करता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डाकघर

1955. डा. राम लखन सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किराये पर लिए गए भवनों में कितने डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अपने ही भवनों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ङ) इनका कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) मध्य प्रदेश में दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या इस प्रकार है :—

प्रधान डाकघर	-	6
उप डाकघर	-	1185
कुल	-	1191

(ख) जी हां।

(ग) मौजूदा स्थिति के अनुसार निम्नलिखित 8 विभागीय डाकघर भवन निर्माणाधीन हैं :

(1) तोपखाना डाकघर
(2) कोरबा प्रधान डाकघर
(3) नौगांव डाकघर
(4) खुर्जा डाकघर
(5) पिथमपुर डाकघर
(6) अम्बागढ़ चौकी डाकघर
(7) कटांगी डाकघर
(8) शुजालपुर मंडी डाकघर

किराए के भवनों में कार्य कर रहे शेष डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण निधि, भूमि तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान दिनांक 31.12.96 तक 24.37 लाख रु. की राशि मध्य प्रदेश में विभागीय डाकघर भवनों के निर्माण के लिए आबंटित कर दी गई है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) के अनुसार।

पेयजल की सुविधा

1956. श्री एल. रमना : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शताब्दी एक्सप्रेस के यात्रियों को पहले खनिज जल की दो बोतलें दी जाती थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या अब इस सुविधा में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। प्रति यात्रा 1000 मिलि लि. की केवल एक बोतल जल अनुमेय है और अतिरिक्त पानी की बोतल केवल भुगतान पर ही दी जाती हैं।

(ख) और (ग). मात्र मध्य रेल पर नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के यात्रियों को प्रत्येक भोजन के साथ एक बोतल दी जा रही थी। समीक्षा के बाद इसमें सुधार किया गया है तथा अप्रैल, 1996 से इस गाड़ी के यात्रियों को प्रति व्यक्ति यथा अनुमेय केवल एक बोतल दी जाती है।

आमान परिवर्तन

1957. श्री प्रहलाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में छोटी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन लाइनों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्य के लिए प्राथमिकता तय करने संबंधी कोई दिशानिर्देश हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). नौवीं योजना में शुरू की जाने वाली लाइनों की पहचान अभी नहीं की गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) आमान परिवर्तन के कार्य सामरिक/परिचालनिक आधार पर वैकल्पिक मार्गों का विकास करके अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के लिए शुरू किए जाते हैं और बदले जाने वाले मार्गों का चयन इन्हीं आधारों पर होता है। ऐसे संभावित क्षेत्रों, जो बड़ी लाइन रेल अवसंरचना की कमी के कारण पिछड़े रह गये थे, में शीघ्र विकास के लिए कुछ लाइनों को चुना गया है।

[अनुवाद]

बेहतर वायु परिवहन सेवाएं

1958. श्री विजय पटेल :

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन की भारी संभावनाएं हैं;

(ख) क्या पर्याप्त और बेहतर वायु परिवहन सेवाओं के अभाव के कारण देश में पर्यटन के विकास और संवर्द्धन संबंधी संभावनाओं में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में उड़ानों की संख्या में वृद्धि और उनको बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विमान परिवहन सेवाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें विमान बेड़ा प्राप्ति, हवाई अड्डों के निर्माण और अन्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्थाओं के लिए काफी निवेश अंतर्ग्रस्त है।

(घ) अंतर्दशीय सैक्टरों का गैर सरकारी विमान कंपनियों के लिए खोलने से विमानन उद्योग में एक प्रतिस्पर्द्धा जागी है और इससे देश में विमान सेवाओं की किस्म और आवृत्ति में सुधार हुआ है। इंडियन एयरलाइंस ने अपनी क्षमता में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है और इसने भूमि तथा आकाश दोनों में सेवाओं के स्तर में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं। एयर इंडिया और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने और राजस्व में सुधार हेतु अपने उत्पाद, छवि तथा समयबद्ध कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए भी कदम उठा रही है। यात्री-संतोष में सुधार करने के लिए हाल ही में नये गंतव्य स्थलों को जोड़ा गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की विभिन्न हवाई-अड्डों के स्तरोन्नयन के लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान 3490 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है।

डाक नेटवर्क में विस्तार का लक्ष्य

1959. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्यवार पृथक रूप से डाक नेटवर्क के विस्तार, विशेषरूप से विभागेतर शाखा डाकघर खोलने, विभागेतर शाखा डाकघरों का विभागीय उप डाकघरों में दर्जा बढ़ाने और ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में पत्र पेटियों की आपूर्ति के संबंध में लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान डाक नेटवर्क के विस्तार के अनेक कार्यक्रमों के वास्तविक लक्ष्यों में अत्यधिक कटौती की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा चालू योजना के आरंभ में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश में डाक नेटवर्क के विस्तार विशेष रूप से अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई डी बी ओ) तथा विभागीय उप डाकघर (डी एस ओ) खोलने के संबंध में, डाक सर्किलवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है। अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। विभागीय उपडाकघर खोलने के लक्ष्य में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर से विभागीय उपडाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाना भी शामिल है। 500 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में लैटर बॉक्स सुलभ कराने की नीति के अनुसार लैटर बॉक्सों की आपूर्ति कर दी गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों को सप्लाई किए गए लैटर बॉक्सों से संबंधित राज्यवार जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). समूचे देश के लिए डाकघर खोलने के लक्ष्य में कटौती की गई थी ताकि बजटीय सहायता की सीमा कम की जा सके।

(घ) मूल लक्ष्यों को उक्त संदर्भित कमी के कारण बनाए नहीं रखा जा सका।

विवरण

सर्किलवार लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल का नाम	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
		बीओ*	एसओ**	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	19	5	17	5	2	5	2	5	2	5
2.	असम	27	3	25	3	5	4	4	4	2	4
3.	बिहार	70	8	90	8	3	11	10	11	10	11
4.	दिल्ली	-	5		6	-	10	-	10	1	10
5.	गुजरात	25	5	20	8	5	12	4	12	5	12
6.	हरियाणा	10	3	10	5	2	12	2	10	4	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	हिमाचल प्रदेश	15	1	15	2	12	6	7	10	4	10
8.	जम्मू एवं कश्मीर	5	1	5	1	-	2	-	2	2	2
9.	कर्नाटक	15	5	15	6	1	11	1	10	2	10
10.	केरल	10	3	20	3	3	12	1	9	1	9
11.	मध्य प्रदेश	55	5	35	5	5	9	9	9	9	9
12.	महाराष्ट्र	55	10	80	11	10	6	9	12	9	12
13.	उत्तर पूर्व	35	5	40	4	1	1	4	4	2	4
14.	उड़ीसा	40	5	35	4	4	4	4	4	4	4
15.	पंजाब	10	3	10	3	3	5	2	4	2	4
16.	राजस्थान	60	6	30	5	5	12	5	10	5	10
17.	तमिलनाडु	14	7	10	4	2	5	2	4	2	4
18.	उत्तर प्रदेश	75	10	93	12	14	19	12	16	12	16
19.	पश्चिम बंगाल	60	10	50	5	3	4	2	4	2	4
	कुल	600	100	600	100	80	150	80	150	80	150

* बीओ : शाखा डाकघर

** एसओ उप डाकघर

धारावाहिकों का पुनः प्रसारण

1960. श्री पिनाकी मिश्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाभारत और कृष्ण जैसे धारावाहिकों को बार-बार कभी-कभी बीच से और फिर आरम्भ से शुरू करके प्रसारित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे अन्य धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पुनः प्रसारित किया जा रहा है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). जी, नहीं। धारावाहिक "महाभारत" को पहले डी.डी.-1 पर प्रसारित किया गया था तथा तीन वर्षों के अन्तराल के पश्चात इसे अब डी.डी.-2 पर पुनः प्रसारित किया जा रहा है। धारावाहिक "श्रीकृष्ण" को डी.डी.-2 पर इसका प्रसारण पूरा होने से पहले डी.डी.-1 पर स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा इसे अतिरिक्त फुटेज के साथ पुनः प्रसारित किया गया है/था ताकि देश में अधिक से अधिक दर्शक इसे देख सकें। इसी तरह "बाइबल की कहानियां" तथा "सबका मालिक एक है" नामक धारावाहिक को भी अतिरिक्त फुटेज के साथ पुनः प्रसारित किया गया था।

[हिन्दी]

मण्डला, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करना

1961. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थान-वार कितने आकाशवाणी केन्द्र हैं;

(ख) कितने केन्द्रों को आज तक स्थान-वार स्थापित किया गया है; और

(ग) शेष स्टेशनों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश राज्य में अम्बिकापुर, भोपाल, छत्तरपुर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, जगदलपुर, रायपुर, रीवा, खण्डवा, बेतुल, बिलासपुर, शिवपुरी, छिन्दवाड़ा, रायगढ़, शहडोल, बालाघाट, गुना और सागर में स्थित 19 आकाशवाणी केन्द्र, कार्य कर रहे हैं। अन्य कोई केन्द्र चालू करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार नहीं है।

बिहार में दिए गए टेलीफोन कनेक्शन

1962. श्री राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान आज तक जिला-वार कितने-कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) अक्टूबर, 1996 तक प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की जिला-वार संख्या कितनी-कितनी थी;

(ग) इन प्रतीक्षा सूचियों को, जिला-वार, कब तक समाप्त कर दिया जाएगा;

(घ) क्या टेलीफोन सेवाओं और टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और विकास के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) 1996-97 के दौरान इस प्रयोजनार्थ जिला-वार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(छ) क्या सरकार को टेलीफोन कनेक्शन जारी करने में बरती जाने वाली अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अनुबंध में दी गई प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की 31.3.1989 तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है।

(घ) जी नहीं। टेलीफोन सेवाओं तथा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार विकास योजना प्रस्तावों के अनुसार किया जा रहा है।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(च) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपरोक्त भाग (छ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

बिहार राज्य में प्रदान किये गये टेलीफोन कनेक्शन तथा प्रतीक्षा सूची काजिलेवार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला का नाम	1993-94	1994-95	1995-96	1.4.96 से 31.10.96	31.10.96 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5	6	7
1.	भोजपुर (आरा)	491	367	733	257	947
2.	बक्सर	279	144	507	156	561
3.	भागलपुर	431	2261	1467	739	2502
4.	बांका	97	62	137	141	230
5.	डुमका	135	109	187	51	319
6.	देवघर	293	209	643	63	601
7.	साहिबगंज	109	129	181	49	239
8.	पाकुर	87	56	94	31	7
9.	कोडा	97	39	152	27	159
10.	मुंगेर	285	579	198	93	1697
11.	शेखपुर	79	81	61	16	61
12.	लखीसराय	3331	104	69	61	129
13.	जमुई	99	133	122	33	177

1	2	3	4	5	6	7
14.	छपरा	1263	578	429	293	1664
15.	गोपालगंज	439	331	239	98	552
16.	सिवान	516	490	518	124	1819
17.	पू. चंपारण	1089	993	801	368	1487
18.	प. चंपारण	865	582	734	229	570
19.	दरभंगा	876	1338	361	239	2219
20.	बेगूसराय	588	1390	185	124	1338
21.	समस्तीपुर	569	632	201	138	1094
22.	खगड़िया	438	451	76	57	317
23.	मधुबनी	785	794	196	69	1469
24.	धनबाद	568	1679	1779	1079	1939
25.	बोकारो	255	497	830	381	2582
26	गया	439	1369	1136	321	1113
27.	जहानाबाद	356	421	369	132	419
28.	औरंगाबाद	124	211	188	104	85
29.	नवादा	319	831	507	160	532
30.	हजारीबाग	721	809	1559	439	907
31.	कोडरमा	213	137	435	127	176
32.	चतरा	39	32	69	39	37
33.	गिरीडीह	414	473	783	184	361
34.	पूर्वी सिंहभूमि	463	2879	797	1776	439
35.	प. सिंहभूमि	286	973	534	445	6604
36.	कटिहार	1185	1697	613	461	739
37.	किशनगंज	469	237	308	139	158
38.	पूर्णियां	428	389	387	266	529
39.	अररिया	298	311	98	120	525
40.	सहरसा	470	389	285	217	241
41.	सुपौल	293	312	209	138	37
42.	माधेपुरा	247	285	101	157	199
43.	मुजफ्फरपुर	2613	2005	899	213	2239
44.	वैशाली	571	489	532	131	1503
45.	सीतामढ़ी	732	597	493	116	871
46.	शिवहर	273	213	95	17	369

1	2	3	4	5	6	7
47.	पटना	6492	7219	5892	1639	9732
48.	नालंदा	1086	1384	750	309	1242
49.	रांची	5721	4632	3639	731	1896
50.	गुमला	429	369	263	187	159
51.	लोहरदगा	371	219	129	92	49
52.	पलामू	425	534	423	134	693
53.	गढ़वा	371	219	239	39	43
54.	रोहतास (सासाराम)	597	874	513	264	739
55.	भभुवा	207	111	70	91	120

महाराष्ट्र में आबंटित एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

1963. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान जिले-वार आबंटित किए गए एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथों की संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग पुरुषों तथा महिलाओं को आवंटित किए गए एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या महिलाओं को उक्त बूथ आबंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथों को महिलाओं को आवंटित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) पिछले तीन साल के दौरान महिलाओं को आबंटित किये गये एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के बारे में पृथक रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, आवंटन में अन्य व्यक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) एस टी डी आई एस डी/पी सी ओ बूथों के आवंटन में पुरुषों की भांति महिलाएं भी समान रूप से पात्र होती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). महिला आवेदकों को एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ आबंटित करने के लिए कोई विशिष्ट श्रेणी नहीं बनाई गई है।

विवरण

महिलाओं को आबंटित एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

गोण स्विचन क्षेत्र का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
जलगांव	29	शून्य	8
नागपुर टी/डी	9	26	65
नागपुर (विदर्भ क्षेत्र)	28	76	88
नासिक	54	90	39
कोल्हापुर टी/डी	24	38	45
कोल्हापुर (दक्षिण महाराष्ट्र क्षेत्र)	91	162	152
कल्याण	60	25	45
पुणे	69	274	127
रामगढ़	47	62	31
नांदड़	42	79	91
गोवा	22	31	29
मुम्बई (एमटीएनएल)	87	264	306

विमान दुर्घटनाएं

1964. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक देश में हुई विमान दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विमान दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक विमान दुर्घटना में जान और माल का कितना नुकसान हुआ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). 1994 से 1996 (आज तक) की अवधि के दौरान मुख्य विमान-दुर्घटनाओं के संक्षिप्त विवरण, अपमृत्यु, हानि तथा कारणों के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	तारीख	स्थान	विमान	प्रचालक	अपमृत्यु	विमान को क्षति	घटना का विवरण/संभावित कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	8.3.94	दिल्ली	बी-737	सहारा इंडिया	9	नष्ट हो गया	इंजन विफलता के दौरान प्रशिक्षु विमानचालक द्वारा गलत राडार प्रयोग किए जाने के कारण दुर्घटना हुई।
2.	9.6.94	मन्तलै	मॉले	अपर्णा एविएशन	2	महत्वपूर्ण	जैसा कि विमान हवाई पट्टी के स्तर से नीचे तथा अपने मध्य रेखा से बाहर था तथा ऊंचे टैरेन को बचाने के लिए बायीं ओर मुड़ा विमानचालक ने एग्रोच छोड़ दी तथा दुर्घटना घटी।
3.	9.7.94	कुल्लू के नजदीक	बी-200	पंजाब सरकार	13	नष्ट हो गया	उड़ान कर्मीदल द्वारा भीतर हवाई क्षेत्र के लिए उड़ान के लिए वी.एफ.आर. शर्तों का कड़ाई से पालन न करने की गंभीर भूल के कारण दुर्घटना घटी।
4.	25.8.94	मैनडेल जिला स्वाई	पाइपर सेनेका	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	4	नष्ट हो गया	विमानचालक जब खराब मौसम में से निकल रहा था तब सम्भवतया उसके आंतरिक नियंत्रण के कारण अधिक भारण के फलस्वरूप विमान उड़ान से विघटित हो गया।
5.	2.12.95	दिल्ली	बी-737	इंडियन एयरलाइंस	शून्य	महत्वपूर्ण	पाइलट-इन-कमाण्ड के उड़ान को जल्दबाजी में पूरा करने, विमान को समय पर त्वरित न कर पाने और अपेक्षित एग्रोच से चूक जाने तथा अवतरण से पूर्व स्पीड ब्रेक को पकड़कर रखने में चूक करने के मिले जुले प्रभाव से दुर्घटना हुई थी।
6.	11.7.96	कुल्लू के नजदीक	एल-410	अर्चना एयरवेज	9	नष्ट हो गया	जांच अदालत द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट सरकार द्वारा परीक्षाधीन है।
7.	12.11.96	चरखी दादरी	बी-747 आई. एल.-76	सऊदी अरेबियन तथा कजाखस्तान एयरलाइंस	349	दोनों विमान नष्ट हो गये	दुर्घटना की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

खनन खेत्र में विदेशी कम्पनियां

1965. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री पी.आर. दासमुंशी :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कितनी खानों को भारतीय निजी पार्टियों को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) तत्संबंधी निबन्धन और शर्तें क्या है;

(ग) क्या श्रमिकों के हितों सहित खानों को पट्टे पर देने संबंधी वित्तीय लाभ के बारे में सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार को कितनी हानि हुई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ङ). खनन अधिकार संबंधित राज्य सरकार द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दिए जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देश में खनन कार्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कम्पनियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1994-95 के अन्त तक उत्पादन कर रही तथा गौण खनिजों के अलावा गैर-परमाणु एवं गैर-ईंधन खनिजों के लिए दी गई कुछ 3083 खानों (अस्थायी) में से 316 खानें सार्वजनिक क्षेत्र में थीं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार खनन अधिकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (3) की उपधारा (1) में परिभाषित किसी भारतीय राष्ट्रिक अथवा कंपनी को ही दिए जा सकते हैं। लेकिन प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी भी खनिज के लिए कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दिया जाएगा। रोजगार और किसी आर्थिक कार्य से राजस्व अर्जन जैसे सामान्य लाभों के अलावा, खनन कार्य में संबंधित राज्य सरकारों को रायल्टी और संबंधित प्रभारों का भुगतान करना भी शामिल है।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाएं

1966. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत सी रेलगाड़ियों में शयनयान श्रेणी में विशेषरूप से पेयजल, विद्युत और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं पायी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आम यात्रियों के हित में शयनयान श्रेणी में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां। रेलें यात्री सुविधाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सतत् प्रयास करती है। लम्बी दूरी की गाड़ियों में मार्ग में प्रसाधनों की सफाई के लिए तेज धार वाले सफाई उपकरणों की व्यवस्था के अतिरिक्त चल सफाई वालों की व्यवस्था की गई है। यात्रा शुरू होने से पूर्व स्वच्छता तथा यात्री सुविधाओं की मदों की चालू स्थिति में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी गाड़ियों की पूरी जांच की जाती है।

(ग) और (घ). स्लीपर क्लास सहित सभी सवारी डिब्बों में रेलवे द्वारा विद्युत की उपलब्धता और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया जाता है। द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों में सामान्यतः यात्रियों का लगातार आना-जाना बना रहता है इसलिए डिब्बों के भीतर पेय जल की आपूर्ति की अलग से व्यवस्था बनाए रखना व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल यात्रियों के लिए प्लेटफार्मों/स्टेशनों पर पर्याप्त पेय जल की व्यवस्था की गई है।

विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है और कमियों को सुधारने के लिए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाइयों सहित निवारक कार्रवाई की जाती है।

कांडला पत्तन का विस्तार

1967. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांडला पत्तन के विस्तार हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया है और वहां पर 30 जेटियों (पुश्तों) का निर्माण करने को मंजूरी दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय इस पत्तन के लिए कोई विमान सेवा उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इस पत्तन को देश के अन्य भागों विशेष रूप से मुम्बई और अन्य बड़े शहरों के साथ विमान-सेवा से जोड़ने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने 2020 ई. तक के लिए काण्डला पोर्ट के विकास के लिए एक संदर्श मास्टर योजना तैयार की

है। पोर्ट ने 7 कार्गो बर्थ और 4 तेल पोतघाटों का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय तेल निगम और हिन्दुस्तान पट्रोलियम निगम लिमिटेड ने 2 कृत्रिम पोतघाटों का निर्माण किया है और मैसर्स इफको कैपॉटिव लिक्विड पोतघाट का निर्माण कर रहा है। आठवें, नौवें और 10वें कार्गो बर्थ के लिए निविदाएं जारी की गई हैं।

(ख) से (घ). एन ई पी सा एयरलाइन्स ने काण्डला और मुम्बई के बीच गुरूवार और शनिवार का सप्ताह में दो सेवाएं आरंभ की हैं। इंडियन एयरलाइन्स की इस समय काण्डला को विमान-सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नए रेलवे जोन

1968. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अभी तक बनाए गये नये रेलवे जोनों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन जोनों ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इन नए रेलवे जोनों के कार्य आरंभ करने की संभावना है;

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान उपरोक्त जोन कार्यालय के कार्यकरण के लिए कितनी राशि रखी गई;

(ङ) इन नए रेल जोनों में स्थापित किये जा रहे नए मंडलीय रेल कार्यालयों की संख्या क्या है;

(च) क्या सरकार का इलाहाबाद रेल जोन के अंतर्गत आगरा में मंडलीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इस कार्य का आरंभ होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). सरकार ने भुवनेश्वर, इलाहाबाद, हाजीपुर, जयपुर, बैंगलूरू तथा जबलपुर में छह नये क्षेत्रीय रेल मुख्यालय स्थापित करने का निश्चय किया है। क्षेत्रीय रेलों के लिए उद्घाटन समारोह भुवनेश्वर में 8.8.1996 इलाहाबाद में 28.8.1996 हाजीपुर में 8.9.1996, जयपुर में 17.10.1996 और बैंगलूरू में 1.11.1996 को आयोजित किए जा चुके हैं।

(घ) वर्ष 1996-97 में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 6.81 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(ङ) से (छ). सरकार ने अहमदाबाद, आगरा, पुणे, रांची, रायपुर, रंगिया, गुंटूर तथा सिंगरौली में आठ नये मंडलों को बनाने का विनिश्चय किया है। रेलवे जोनों तथा मंडलों का विस्तृत अधिकार क्षेत्र अभी तक तय नहीं हुआ है। नये जोनों की स्थापना संबंधी कार्य के लगभग 60 माह में पूरा हो जाने की आशा है।

रेलवे लाइन को क्षति

1969. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 1968 में भयंकर बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत दोमोहिनी और चंगराबंधा के बीच रेल लाइन बह गई थी जिससे वहां के लोगों को कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस लाइन को फिर से चालू करने के लिए उस क्षेत्र का फिर से निरीक्षण करने और स्थिति की समीक्षा करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की दोमोहिनी से चंगराबंधा मी.ला. की शाखा लाइन में 1968 की बाढ़ से दरार आ गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस खंड पर भूमि और संरचनाएं राज्य सरकार के लिए छोड़ दी गई थीं। इस संरेखण पर नई लाइन बिछाने की अब कोई योजना नहीं है।

मंगलौर विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं

1970. श्री वी. धनंजय कुमार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). दुबई के लिए सीधी अन्तर्राष्ट्रीय सेवा के निमित्त मंगलौर हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क तथा आप्रवासन संबंधी सुविधाएं स्थापित करने की दिशा में उपाय किए जा रहे हैं। इस समय, वास्तविक प्रचालनों को शुरू करने के संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

केरल में उपरि-पुलों का निर्माण

1971. श्री पी.सी. थामस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उपरि-पुलों के निर्माण हेतु कई आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल के इरणाकुलम जिले में त्रिपुन्तुरा इरिमपनम और मुलानतुरूथी में उपरिपूलों का निर्माण करने की मांग और आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन स्थानों पर रेलवे उपरिपूल का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). पांच प्रस्ताव किए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक पूर्व अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी नहीं की गई हैं।

(ग) से (ङ). केरल के एर्णाकुलम जिले में त्रिपुन्तुरा, इरिमपनम तथा मुलानतुरूथी में ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में अनियमितताएं

1972. डा. जी.आर. सरोदे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में दूरसंचार कर्मचारियों के खिलाफ दायर किये गये मामलों की जिला-वार संख्या क्या है;

(ख) उनमें से निपटाए गये मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) उन मामलों की संख्या क्या है जिनमें जांच चल रही है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). प्रश्न (क) से (ग) का उत्तर निम्नलिखित है :

	महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल, मुंबई	एमटीएनएल मुंबई	पश्चिमी दूरसंचार अनुरक्षा, मुंबई	पश्चिमी दूरसंचार परियोजना, मुंबई	अभ्युक्ति
(क)	144	48	25	-	(क) के संबंध में जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में है
(ख)	103	46	22	-	-
(ग)	41	2	3	-	-

विवरण

सर्किल	जिला	दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या			
		1993-94	94-95	95-96	कुल
1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	नागपुर	3	5	5	13
	औरंगाबाद	1	2	-	3
	धुले	-	1		1
	अकोला	-	2	1	3
	नांदेड़	3	6	6	15
	कल्याण	4	10	8	22
	उस्मानाबाद	-	1	-	1
	भंडारा	-	2	2	4
	चंद्रपुर	3	1	-	4
	रत्नागिरी	-	3	3	6
	नासिक	1	2	4	7

1	2	3	4	5	6
	शोलापुर	1	3	2	6
	सांगली	-	2		2
	जालना		1	-	1
	लातूर	-	1	2	3
	अमरावती		1	2	3
	जलगांव	5	4	2	11
	यवातमल	1	1	1	1
	सतारा	-	2		2
	वर्धा	2	2	-	4
	गोंडिया	-	1	-	1
	कोल्हापुर	4	-	-	4
	पणजी (गोवा)	2	1	-	3
	रायगढ़	2	-		2
	बीड़	1		-	1
	पुणे	1	7	11	19
	जोड़	34	61	49	144
महानगर टेलीफोन निगम लि., मुंबई		14	10	16	48
पश्चिमी दूरसंचार अनुरक्षण					
	मुंबई	7	4	3	14
	पुणे	3	-	1	4
	नागपुर	2	4	1	7
	जोड़	12	8	5	25
	पश्चिमी दूरसंचार परियोजना, मुंबई	-	-	-	-

उत्तर प्रदेश में "जहांगीर का तालाब" का जीर्णोद्धार

1973. श्री मुनव्वर हसन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कैराना स्थित ऐतिहासिक "जहांगीर का तालाब" के जीर्णोद्धार के बारे में केन्द्रीय सरकार को अब तक कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह कार्य अभी तक नहीं किये जाने के क्या मुख्य कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में कैराना नामक स्थान स्थित "जहांगीर का तालाब" के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसे उचित कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवा दिया गया है। चूंकि केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग के अधीन ऐसा कोई कार्यालय (एजेन्सी) नहीं है जिससे जीर्णोद्धार संबंधी काम लिया जा सके। इस प्रकार के सभी प्रस्तावों पर प्रायः राज्य और संघ

राज्य सरकारें ही कार्यवाही करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने "जहांगीर का तालाब" के जीर्णोद्धार के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं भेजा है।

[अनुवाद]

मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की समयबद्धता

1974. श्री मुरलीधर जेना : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की समयबद्धता की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या पूर्व वर्षों की तुलना में समयबद्धता में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 89.2 प्रतिशत।

(ख) जी नहीं। मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का समयपालन 1994-95 के 87.6 प्रतिशत से सुधर कर 1995-96 में 89.2 प्रतिशत हो गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू उड़ानों के यात्री

1975. श्री प्रमोद महाजन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान मुम्बई से घरेलू यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1995 (माह-वार) की तुलना में अप्रैल से नवम्बर, 1996 तक यात्रियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) वे कौन से अन्य विमानपत्तन हैं जिनके संबंध में वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 1996 में यात्रियों की संख्या में कमी आई है; और

(ङ) पर्यटकों और अन्य यात्रियों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। यातायात में 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के अंतर से गिरावट आई है। तथापि, इस गिरावट के मुख्य कारण बताना कठिन हैं।

(ग) अप्रैल, 1996 से नवम्बर, 1996 तक की अवधि तथा 1995 में उसी अवधि के दौरान मुंबई हवाई अड्डे से वाहित अंतर्देशीय यात्रियों का माहवार ब्यौरा नीचे दिया है :—

माह	1996	1995
अप्रैल	530632	526375
मई	575304	597575
जून	517240	550746
जुलाई	481188	511073
अगस्त	524282	512792
सितम्बर	489149	509401
अक्तूबर	494580	526581
नवम्बर	516054 (अनुमानित)	562661

(घ) कलकत्ता, मद्रास, तिरूअनन्तपुरम, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कालीकट, कोचीन, कोयम्बतूर, गोवा, गुवाहटी, हैदराबाद, इंदौर, खजुराहो, मदुरै, मंगलौर, तथा नागपुर हवाई अड्डों पर भी अप्रैल-अगस्त, 1996 की अवधि के दौरान 1995 में उसी अवधि की तुलना में यातायात में गिरावट रिकार्ड की गई है। इस गिरावट के कारणों के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है।

(ङ) अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के यात्रियों की सुविधा के लिए हवाई अड्डों सहित विमान परिवहन सेवाओं का निरंतर विकास तथा विस्तार किया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों के स्तरोन्नयन के लिए 3490 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना है।

हिमाचल प्रदेश के साथ रेल सम्पर्क

1976. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका को परवानू, घेन जेन वाला को नारलागढ़, भानुपुर को नंगल और नंगल को बिलासपुर से रेल से जोड़े जाने के लिए हिमाचल प्रदेश से मांगें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं में से किसी को स्वीकृति दी गई है और उन पर काम आरंभ किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कालका-परवानू तथा भनुपली-बिलासपुर लाइन के लिए मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से निक्षेप कार्य के रूप में कालका-परवानू के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। भनुपली-बेरी बरास्ता बिलासपुर के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और परियोजना के वित्त पोषण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से मिलकर तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

इंडियन एअरलाइन्स द्वारा किया गया व्यय

1977. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान इंडियन एअरलाइन्स द्वारा अपने पायलटों, विमान परिचारिकाओं आदि के पंचतारा होटलों में ठहरने पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कर्मचारियों को दिये गये गिफ्ट/उपहारों पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इंडियन एअरलाइन्स को हुई भारी हानि को देखते हुये इस व्यय को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने विमानचालकों तथा विमान परिचारिकाओं के ड्यूटी के दौरान पांच सितारा होटलों में ठहरने पर वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 की अवधि में क्रमशः 1478.24 लाख रुपए तथा 1878.32 लाख रुपए व्यय किए।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान क्रमशः 15.08 लाख रुपए तथा 9.79 लाख रुपए की राशि के गिफ्ट/उपहार प्रदान किए गए थे।

(ग) अनुसूची तथा विमान मार्ग पद्धति के अनुसार, विमान रूटिंग के परिवर्तन के कारण कर्मीदल के लिए रात्रि हॉल्ट अपरिहार्य है। गिफ्ट/उपहार के कारण व्यय में कमी भी प्रथागत प्रकृति के कारण संभव नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन

1978. श्री दत्ता मेघे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जिला-वार महाराष्ट्र में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं;

(ख) क्या राज्य में टेलीफोन एक्सचेंजों तथा टेलीफोन सेवाओं के विकास और विस्तार के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 1996-97 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य को कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार को टेलीफोन कनेक्शन देने में अनियमितताओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (च). प्रश्न से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

टी.सी.ए. प्रणाली

1979. श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत आने वाले सभी आपरेटरों को अपने विमानों में ट्रांसपोंडर लगाने हेतु बाध्यकारी बनाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो टी.सी.ए. प्रणाली नहीं लगाए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय ने ऐसे विमानों, जिनका अधिकतम भार 5,700 कि. ग्राम से अधिक है और जिनकी सीटिंग क्षमता 30 अथवा इससे अधिक है, पर मोड "एस" ट्रांसपोंडर संस्थापित करने के लिए इसे अधिदेशात्मक बनाने के विषय में फरवरी, 1994 में अनुदेश जारी किए थे।

(ग) आईसीएओ विनियम यह अपेक्षा करते हैं कि मोड "एस" ट्रांसपोंडर के अधिदेशात्मक कैरिज क्षेत्रीय हवाई दिक्चालन करारों तथा सात वर्ष के नोटिस के आधार पर होने चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक अलर्ट तथा कोलिशन एवायडेंस सिस्टम (टीसीएएस) को तत्काल प्रभाव से अधिदेशात्मक नहीं बनाया जा सकता।

कोलार-बंगारपेट के बीच बड़ी रेल लाइन.

1980. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार-बंगारपेट के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य कब शुरू किया गया था और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है और अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या कोलार-बंगारपेट के बीच बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु इस्तेमाल करने के लिए येलगी और कुप्पम से पुरानी और जंग लगी रेल लाइनों को उखाड़कर कोलार ले जाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कार्य को 1994-95 में स्वीकृत किया गया था। इसके 31.3.97 में पूरा होने की संभावना है।

(ख) यह येलहंका-चिकबल्लापुर और कोलार-बंगारपेट परियोजना का एक आंशिक खंड है जिस पर 31.3.96 तक 35.48 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं तथा 5 करोड़ रुपये के परिव्यय की इस वित्त वर्ष में व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ). इस क्षेत्र में पर्याप्त अवशिष्ट जीवन वाली अच्छी हालत में दोबारा उपयोग में आने वाली पटरियों का उपयोग किया गया है। हल्के यातायात वाली लाइनों के लिए रेलों की यह सामान्य प्रक्रिया है।

सिंघानिया सुरक्षा समिति

1981. श्री सोमजीभाई डामोर :
श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंघानिया सुरक्षा समिति को इसके अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के पश्चात भंग कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सुरक्षा उपाय केवल समिति द्वारा सुरक्षा संबंधी पुस्तिकाओं के वितरण तक ही सीमित रहे; और

(ग) यदि हां, तो उसे सौंपे गये कार्यों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). समिति का कार्य विमानकंपनियों, नियामक प्राधिकारियों, विमानपत्तन प्राधिकरण तथा विमानन सपोर्ट एजेंसियों पर उड़ान सुरक्षा स्तर में वृद्धि के लिए सुरक्षा जागरूकता पैदा करने तथा इनके कार्मिकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से परस्पर प्रभाव डालना, सुरक्षा सेमिनार आयोजित करना तथा देश-भर में प्रदर्शन के लिए सुरक्षा पोस्टरों का विकास करना है।

[हिन्दी]

रेलवे सुरक्षा बल

1982. श्री मनहरण लाल पांडेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा बल में कितनी बटालियन/कंपनियां हैं तथा उनके मुख्यालय अलग-अलग किन-किन स्थानों में हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दक्षिण-पूर्व रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत जयराम स्टेशन में रेलवे सुरक्षा बल की नई यूनिट गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेल सुरक्षा विशेष बल जो कि रेल सुरक्षा बल में आरक्षित बल है, बटालियनों तथा कंपनियों के पैटर्न में बंटा है, रे.सु.वि.ब. की 8 बटालियन हैं जिनके मुख्यालय निम्नलिखित हैं :—

पहली बटा.	लम्डिंग (असम)
दूसरी बटा.	गोरखपुर (उ.प्र.)
तीसरी बटा.	लखनऊ (उ.प्र.)
चौथी बटा.	न्यू जलपाईगुडी (प. बंगाल)
पांचवीं बटा.	तिरूचिरापल्ली (त.ना.)
छठी बटा.	दयाबस्ती, दिल्ली-35
सातवीं बटा.	मोलाअली, हैदराबाद (आ.प्र.)
आठवीं बटा.	चित्तरंजन (पं. बंगाल)

प्रत्येक बटालियन में 5 आपरेशनल कंपनियां तथा एक मुख्यालय कम्पनी है। आपरेशनल कम्पनियों को देशभर में जहां कहीं तथा जब कभी आपात परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तैनात किया जाता है।

रेल सुरक्षा बल बटालियन के पैटर्न में संगठित नहीं है। बल को देशभर में जहां कहीं भी रेलवे परिसंपत्तियों तथा प्रतिष्ठान हैं आवश्यकता के आधार पर चौकी तथा बाहरी चौकी के पैटर्न के आधार पर तैनात किया जाता है।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत जयरामनगर में रे.सु.ब. की एक नई इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के देवगोड़ा क्षेत्र में पत्थर

1983. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में देवगोड़ा क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मूल्यवान एलेक्जेनड्रायड पत्थर का भंडार है;

(ख) क्या अप्रैल, 1994 से करोड़ों रुपये का यह मूल्यवान पत्थर उड़ीसा के रास्ते देश से बाहर भेजा गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस अनधिकृत खनन के संबंध में जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेल परियोजनायें

1984. श्री अनंत कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान 30 सितम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार नई रेलवे लाइनें बिछाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कर्नाटक में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन-कौन सी नई परियोजनायें शुरू की जानी हैं; और

(घ) प्रत्येक परियोजना पर अनुमानित कितना खर्च होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) कोत्तूर-हरिहर और कदूर-चिकमंगलूर-सकलेशपुर लाइनों का काम शुरू किया गया है। हुबली-अंकोला नई लाइन के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट योजना आयोग को भेज दी गई है और हसन-बंगलौर और कामराजनगर-मुटुपालैयम नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

(ग) और (घ).

		लागत करोड़ रुपयों में
नई लाइनें		
1.	कोत्तूर-हरिहर	66.00
2.	कदूर-चिकमंगलूर-सकलेशपुर	157.00
आमान परिवर्तन		
1.	बेंगलूरू-हुबली, बिरूर-शिमोगा-तालगुप्पा सहित	405.00
2.	सम्पर्क शाखाओं सहित हॉसपेट-हुबली-गोवा	571.58
3.	लोंडा-मिरज	176.52
4.	गदग-हॉसपेट	180.00
5.	गेलहंका-चिकबल्लापुर और कोलार-बंगारपेट	57.00
6.	यशवन्तपुर-सेलम	195.18
7.	आरसीकेर-हसन-मंगलौर	185.00
8.	मैसूर-हसन	116.00
दोहरीकरण		
1.	कृष्णम राजू फील्ड	105.00
2.	बंगलौर-केरगेरी	24.00

आकाशवाणी का राष्ट्रीय चैनल

1985. श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा" : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आकाशवाणी, नई दिल्ली के राष्ट्रीय चैनल के निर्धारित प्वाइंट चार्ट को संशोधित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं.

(ग) प्रति सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कितना-कितना समय आवंटित किया गया है;

(घ) क्या उपर्युक्त आवंटित समय आकाशवाणी के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी की यह प्रथा है कि निर्धारित पोइंट चार्ट को एक वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है।

(ग) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रति सप्ताह आबंटित किया गया समय निम्नानुसार है :—

	प्रति सप्ताह मिनट
खेलकूद	134
वित्तीय	40
विज्ञान	30 (मिनट प्रति माह)
हिन्दुस्तानी संगीत	360
कर्नाटक संगीत	320
फिल्म संगीत	350

(घ) और (ङ). ये समयावली मौटे तौर पर आकाशवाणी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

पालाघाट-पोल्लाची और गुरूवायुर के बीच रेलवे लाइन

1986. श्री एन.एन. कृष्णादास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में मथुरा मंडल के अंतर्गत पालाघाट-पोल्लाची से गुरूवायूर के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित गुरूवायूर-कुट्टीपुरम रेलवे लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त लाइन का कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कार्य को मंजूरी दी जा चुकी है। अंतिम स्थान निर्धारित, सर्वेक्षण/भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

(घ) 9वीं पंचवर्षीय योजना के भीतर।

बिहार में डाक-तार सेवा

1987. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विशेषकर सारण (छपरा) क्षेत्र में डाक और तार सेवाएं संतोषप्रद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार राज्य में 11789 डाकघरों द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है जिनमें से 378 डाकघर सारण जिले में हैं। बिहार और सारण (छपरा) क्षेत्र में डाक सेवाएं संतोषप्रद हैं।

(ख) सारण क्षेत्र सहित बिहार के सभी डाकघरों में कांउटर कार्य, डाक एवं वितरण सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार

(क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सेवाओं में आगे सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम :

(1) पुराने और घिसे-पिटे उपस्कर को बदलना।

(2) दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण।

(3) जेली भरी केबिलों द्वारा दोष संभावित केबिलों को बदलना।

(4) केबिलों को नलिकाओं में बिछाना।

(5) आधुनिक जांच उपकरणों का प्रयोग शुरू करना।

(6) विश्वसनीय प्रेषण माध्यम प्रदान करना।

विवरण

क्र.सं.	पैरामीटर	31.3.96 की स्थिति के अनुसार सर्किल/सारण	उपलब्धियां अगस्त, 96 सर्किल/सारण	सितम्बर, 96 सर्किल/सारण	अक्तूबर, 96 सर्किल/सारण
1.	दोष/100 स्टेशन/महीना	12.9/70	11.7/7.9	12.0/5.3	12.1/5.0
2.	टूंक क्षमता	78.2/69.2	80.7/73.0	81.1/75.3	81.8/75.7
3.	सी.सी.आर.				
	(i) स्थानीय	81.8/98.6	76.5/95.7	76.3/97.7	75.4/99.0
	(ii) एसटीडी	73.9/74.0	71.1/73.8	69.6/65.0	69.9/66.0
4.	12 दिवस प्रकाश घंटों के भीतर वितरित तारों का प्रतिशत	93.5/88.4	91.6/92.0	91.7/92.4	91.7/93.0

[हिन्दी]

सवारी डिब्बों/माल डिब्बों की आवश्यकता

1988. **श्री ब्रह्मानंद मंडल :**
श्री रमेश चेन्नित्तला :
डा. जी.आर. सरोदे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास माल डिब्बों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो जोनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल असर पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) माल डिब्बों/सवारी की जोनवार अतिरिक्त आवश्यकता कितनी है;

(च) क्या सरकार ने माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों की कमी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार/मंडलवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) माल डिब्बों/सवारी डिब्बों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). रेलवे के माल ढुलाई लक्ष्य के संदर्भ में मूल्यांकन के दौरान माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल, रेल परिवहन की देश में कुल मांग के संबंध में कुछ क्षेत्रों की पूरी न की गई बहुत सी मांगें हैं। डिब्बों का मौजूदा बेड़ा निर्धारित यात्री सेवाओं को चलाने के लिए पर्याप्त है।

(ङ) माल डिब्बों/सवारी डिब्बों की आवश्यकता का आंकलन पूरा भारतीय रेलवे (न की जोन-वार) के लिए किया जाता है जो प्रत्याशित यातायात और उपयोग की क्षमता पर आधारित होता है। 1996-97 में मालडिब्बों और सवारी डिब्बों की आवश्यकता 25,000 माल डिब्बों (चौपहिया इकाई में) और 2096 सवारी डिब्बे ई.एम.यू., एम.ई.एम.यू. और डी.एम.यू. सहित आकलित की गई है। इसके अलावा "अपने माल डिब्बे के मालिक बने योजना" के अंतर्गत 5000 माल डिब्बे प्राप्त किए जाने की आशा है।

(च) और (छ). सामान्यतः इस समय माल डिब्बों की कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं है। बहरहाल, सवारी डिब्बों की सफाई/दशा और उनके क्षेत्रों में गाड़ियों में नये सवारी डिब्बों की व्यवस्था करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती है।

(ज) माल डिब्बे और सवारी डिब्बे आवश्यकता के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं जो संसाधनों की उपलब्धता और उत्पादन क्षमता के अनुरूप होते हैं। इसके अलावा, ग्राहकों को "अपने माल डिब्बे के मालिक बने योजना" के अंतर्गत माल डिब्बे खरीदने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। परिसम्पत्तियों के उपयोग में सुधार करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स की दुर्घटनाएं

1989. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 1996 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "आई.ए. हाई रिस्क एयरलाइन : आईएटीए" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स की दुर्घटना की दर की औसत विश्व के अन्य एयरलाइन्सों से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ ने बताया है कि उन्होंने इंडियन एयरलाइन एयरलाइन्स सहित किसी भी एयरलाइन विशेष के सुरक्षा निष्पादन से संबंधित सुरक्षा आंकड़ों को अपनी सुरक्षा रिपोर्ट में समाहित नहीं किया है।

(ग) और (घ). इंडियन एयरलाइन्स की दुर्घटना दर विश्व औसत की तुलना में कुछ अधिक है चूंकि इंडियन एयरलाइन्स को उड़ान विश्वभर की एयरलाइनों द्वारा संचयी उड़ान की तुलना में काफी कम है। परिणामस्वरूप, एक दुर्घटना हो जाने पर भी दुर्घटना दर में वृद्धि हो जाती है।

(ङ) हवाई अड्डों पर सुविधाओं का दर्जा बढ़ाकर, उड़ान रिकार्डरों की मानीटरिंग करके एयरलाइनों की संरक्षा ऑडिट, निर्धारित कार्यविधि और मौसम के उतार-चढ़ाव को देखते हुए, विमान दुर्घटनाओं और घातक घटनाओं की जांच से प्राप्त सिफारिशों के कार्यान्वयन, सुरक्षा सूचना के प्रदर्शन, विमान क्षेत्रों का आवधिक निरीक्षण, संरक्षा संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन करके विमान सुरक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

भविष्य निधि निदेश

1990. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिकांश कर्मचारियों हेतु भविष्य निधि के निवेश पैटर्न में कुछ परिवर्तन करने तथा सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निधि के अन्तर्गत धन की प्रांतभूति को खतरे में डाले बगैर भविष्य निधि के अभिदाता सदस्यों को अधिकतम लाभ देने के लिए इस धन के निवेश पर लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). कर्मचारी भविष्य निधि में संचित की गयी धनराशि किन्तु जिसे तत्काल संवितरित किया जाना अपेक्षित नहीं है, को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाता है। निवेश पैटर्न की पुनरीक्षा की गयी है और 1.10.96 से यह निर्णय लिया गया है कि पहले प्रत्येक श्रेणी में जमा करवायी गयी राशि से 30 प्रतिशत धनराशि के विपरीत अब 40 प्रतिशत धनराशि बैंकों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में और 20 प्रतिशत विशेष जमा योजना में जमा करवायी जाए। शेष 40 प्रतिशत धनराशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना जारी रखा गया है।

मेड़ता रोड से बीकानेर हेतु लिंक रेलगाड़ी

1991. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को जोड़ने के लिए मेड़ता रोड से बीकानेर के लिए रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बीकानेर और कलकत्ता के लोग हावड़ा से बीकानेर के लिए एक और सुपरफास्ट रेल गाड़ी चलाने की मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां। 12.9.96 से 2307/2308 जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस के संयोजन से चल रही 2307ए/2308ए बीकानेर-मेड़ता रोड लिंक एक्सप्रेस चलाई गयी है।

(ग) और (घ). इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसकी जांच की गई है किन्तु गाड़ी को चलाना परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यवहार्य नहीं पाया गया।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर खान-पान का ठेका चलाने वाली पार्टियां

1992. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर खान-पान बिक्री का ठेका चलाने वाली पार्टियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन द्वारा इन ठेकेदारों का लाइसेंस शुल्क सरकारी तौर पर अनुमति प्राप्त विक्रेता संख्या के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये ठेकेदार सरकारी तौर पर अनुमति प्रदान किए गये विक्रेताओं की तुलना में कहीं अधिक विक्रेताओं को नियोजित कर रहे हैं जिस कारण रेलवे को राजस्व की हानि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (ग). अनुमति प्राप्त विक्रेताओं के साथ-साथ सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन लाइसेंस शुल्क निर्धारित करता है।

(घ) और (ङ). रेल प्रशासन द्वारा नियमित तथा अचानक जांच की जाती है तथा उपयुक्त निवारक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	लाइसेंसधारी का नाम	ठेके का स्वरूप
1.	मैसर्स संजय संदीप सोनकर	ताजे फल
2.	श्रीमती आमनाअली	,,
3.	श्री मुन्ने खां	,,
4.	श्री महबूब खलील	,,
5.	श्री जे.एच. आबिदी	ताजे फलों का रस
6.	मैसर्स एच.पी.एम.सी.	सेब का रस
7.	श्री महबूब उसमानी	फल एवं फल का रस
8.	श्रीमती सिराज नजीर	ताजे फल का रस तथा सलाद
9.	श्री अनंत राम चोटसिया	चाय/बिस्कुट
10.	श्री इकबाल अहमद	चाय/काफी/बिस्कुट
11.	श्रीमती कमला देवी	चाय/काफी/ब्रेड
12.	श्रीमती निर्मला देवी	सिगरेट/बीड़ी/पान/माचिस
13.	श्री सुरेश कुमार राकेश	विविध वस्तुएं

मालगाड़ियां

1993. श्री रूप चन्द मुर्मू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने माल वाहन समस्या से निपटने के लिए एक अनिवासी भारतीय के सुझाव पर प्रति मालगाड़ी 3600 टन-4500 टन के बदले 9000 टन-12,000 टन माल वाहन क्षमता संबंधी कोई महत्वपूर्ण योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अप्रवासी भारतीय ने 1989 में एक मालगाड़ी में 9000 टन लौह अयस्क वाहन क्षमता का सफल प्रदर्शन किया था और ऐसी लम्बी मालगाड़ियां चलाने हेतु दक्षिण-पूर्व रेलवे के ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के आर्थिक लाभों तथा इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). रेलों की क्षमता बढ़ाने की प्रणालियों में से एक भारी कर्षण परिचालन है ताकि मार्गों पर माल यातायात का अधिकाधिक संचलन हो सके। किरिबुरु-बोकारो लाइन सहित रेलों ने कुछ क्षेत्रों में भारी मालगाड़ियों को चलाकर प्रयोग किए थे। किसी क्षेत्र में भारी परिचालन को शुरू करना सतत् अनुसंधान का क्षेत्र है एवं प्रणाली को लागू करने से पहले कतिपय प्रौद्योगिकी और अवसंरचनात्मक समस्याओं को अभी दूर किया जाना है।

[हिन्दी]

बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन

1994. श्री अशोक प्रधान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1.1.1993 और 30.6.1996 के दौरान कनेक्शन/सरकारी आवास (डाक-तार) अनुकम्पा के आधार पर आबंटित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे आबंटन 1.7.1996 और 10.11.1996 के दौरान किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे आबंटन के लिए कोई मानदण्ड/दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इनका कड़ाई से अनुपालन किया जाता है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) :

डाक तथा दूर संचार विभाग

(क) **सरकारी आवास (डाक-तार)**

जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

दूरसंचार विभाग

एस.टी.डी./आई.एस.डी. कनेक्शन/टेलीफोन कनेक्शन

सामान्यतः बिना बारी आधार पर टेलीफोन कनेक्शन अनुकम्पा आधार सहित विभिन्न आधारों पर मंजूर किये जाते हैं। तथापि, अनुकम्पा आधार पर मंजूर टेलीफोन कनेक्शनों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) में दिए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(1) कैंसर, गुर्दे की गंभीर बीमारी, जिगर कैंसर जैसी लंबी बीमारियों से पीड़ित आवेदक।

(2) जो विधवाएं बहुत ही विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में रहती हों।

(3) प्राकृतिक आपदाओं तथा मानव-निर्मित संकट के शिकार व्यक्ति जिनके पास टेलीफोन सुविधाएं नहीं है। इसमें केवल आतंकवादी धमकियों के मामले शामिल किए जाएं।

(4) सत्तर वर्ष और इससे अधिक आयु के भारत के वरिष्ठ नागरिक।

(5) श्रमसाध्य प्रकृति की ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारी, जिन्हें उनके नियोक्ताओं द्वारा उनके घर पर टेलीफोन नहीं दिए गए हैं।

(6) सांविधिक, सरकारी सहायता प्राप्त और सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाएं तथा जाने-माने पत्रकार।

(7) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जिनकी अक्षमता 60 प्रतिशत से अधिक हो।

(8) मान्यता प्राप्त समाज सेवक सहित कोई विशेष अथवा असाधारण मामला जिस पर अनुकम्पा आधार पर टेलीफोन देने के लिए विचार किया जा सकता हो।

(छ) जी, हां।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच में आरक्षण कोटा

1995. श्री हाराधन राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आसनसोल के लिए प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच में आरक्षण कोटे की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभी आसनसोल से प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच में आरक्षण का कोई कोटा नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार आसनसोल से प्रत्येक रेलगाड़ी में कम से कम तीन से चार प्रथम श्रेणी वातानुकूलित शायिकाओं के आरक्षण कोटा आबंटित करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च). आसनसोल स्टेशन पर इस स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों में वातानुकूल प्रथम श्रेणी कोटा आबंटित करने की मांग है। आसनसोल स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं जो कि कलकत्ता के कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली से जुड़ी हुई है तथा यात्री 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर आवश्यकतानुसार आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

विदेशी निवेशक

1996. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी विमान सेवाओं में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अपने देश वापस भेजने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवाओं से संबंधित नीति की पुनरीक्षा विषयक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

एशियन रेल परियोजना

1997. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश एशियन हाईवे एवं रेलवे से असम और म्यांमार को जोड़ने के संबंध में विचार नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विषय पर बंगलादेश के साथ किसी स्तर पर विचार विमर्श हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उस पर बंगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार अब किस प्रकार एशियन रेल परियोजना के संबंध में आगे कार्य करेगी और किस प्रकार भागीदारी करने पर विचार कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). एशियाई भूतल परिवहन अवसंरचना विकास परियोजना के अंतर्गत यू.एन एस्केप दक्षिण एशिया में एक रेल मार्ग, जो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से होकर गुजरेगा, स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए अध्ययन करने पर विचार कर रहा है। यू.एन. एस्केप द्वारा कुछ प्रारंभिक सूचना एकत्रित कर ली गई है तथापि पूर्ण अध्ययन अभी किया जाना है।

[हिन्दी]

आगरा विमानपत्तन का विस्तार और व्यय

1998. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा विमानपत्तन के नवीनीकरण और विस्तार पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है;

(ख) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली विमानपत्तन का कार्यभार हल्का करने के लिए आगरा विमानपत्तन की बढ़ी क्षमता और पर्यटन के संबंध में आगरा के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए आगरा को देश के अन्य महानगरों और विदेशों से हवाई सेवा से जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) क्या सरकार को निजी एयर लाइनों से आगरा से होकर विमान सेवा आरंभ करने पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). आगरा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का 10.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस प्रकार परिवर्तन और विस्तार किया जा रहा है जिससे वहां पर 500 यात्रियों को एक ही समय पर हैंडल किया जा सके। इस कार्य के जून, 1997 में पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) से (ङ). आगरा पहले ही दिल्ली, खजुराहो, वाराणसी और काठमाण्डू से विमान सेवा से जुड़ा हुआ है। इस समय विदेशी विमानकंपनियों को आगरा हवाई अड्डे से/के लिए अनुसूचित उड़ानों की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि दिल्ली हवाई अड्डे का लगातार आधुनिकृत और विस्तारित किया जा रहा है जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं को हैंडल किया जा सके।

(च) इस समय, कोई भी गैर-सरकारी विमानकंपनी आगरा के लिए प्रचालन नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

1999. **श्री राम नाईक :** क्या **संचार मंत्री** 18 जुलाई, 1996 के तारांकित प्रश्न सं. 121 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में नई टेलीफोन सुविधाओं के संबंध में सर्कल कार्यालयों से साप्ताहिक रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है; और

(ग) असंतोषजनक रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). दूरसंचार विभाग मुख्यालय द्वारा, प्रत्येक सोमवार को टेलीफोन पर सप्ताह में लगाए गए नये टेलीफोनों की संख्या के संबंध में सर्किलों से साप्ताहिक रिपोर्टें मंगाई जा रही है। सर्किलों से विस्तृत मासिक रिपोर्टें भी प्राप्त की जा रही हैं जो छपे हुए फार्म में होती है और जिसमें महीने में लगाए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के ब्यौरे होते हैं। इन रिपोर्टों में बेस केन्द्रों के नाम, शामिल गांवों के नाम, तहसीलों, जिलों और गौण स्विचन क्षत्रों के नाम होते हैं।

(ग) यदि प्रगति संतोषप्रद नहीं होती है तो मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार को पत्र द्वारा तथा साथ ही टेलीफोन पर स्मरण कराया जाता है। उनसे संस्थापना के अपने कार्यक्रम में तेजी लाने का अनुरोध किया जा रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना

2000. **श्री विजय गोयल :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की औद्योगिक इकाइयों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रावधानों को लागू करने के सम्बन्ध में चूक के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में मैसर्स सिल्वेनिया तथा लक्ष्मण लि., दिल्ली के सम्बन्ध में चूक की रिपोर्ट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन औद्योगिक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान चूक के मामलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। मै. सिल्वेनिया एण्ड लक्ष्मण लि. दिल्ली में फरवरी 1996 और जून, 1996 से क्रमशः भविष्य निधि और क.रा.बी. बकाया राशियों के भुगतान में चूक की है। क.रा.बि. अधिनियम और क.भ. नि. और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम में यथानिर्धारित अनुसार मै. सिल्वेनिया एण्ड लक्ष्मण लि. सहित चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरूद्ध बकाया राशियों की वसूली के लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही पहले भी की जा रही है। भविष्य निधि में कर्मचारियों के आशंका भुगतान न किए जाने के लिए भा.द.स. की धारा 406/409 के अंतर्गत तीन प्रथम सूचना रिपोर्टें भी मै. सिल्वेनिया एण्ड लक्ष्मण के विरूद्ध दायर की गई है।

विवरण

क--क.रा.बी. में चूक के मामलों की संख्या

क्षेत्र	31.3.94 की स्थिति के अनुसार	31.3.95 की स्थिति के अनुसार	31.3.96 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	2661	3086	3084
असम	695	701	772
बिहार	1333	1366	1380
दिल्ली	1884	1859	1043
गुजरात	2651	2884	3108
हरियाणा	2504	2601	2653
कर्नाटक	2950	3300	3379
केरल	2062	2275	2407
मध्य प्रदेश	1894	2098	2268
बम्बई	4532	4784	4742
नागपुर	455	522	305
पुण	1938	2053	2024
गोवा	266	290	323

1	2	3	4
उड़ीसा	642	690	726
पंजाब	2599	3112	3496
राजस्थान	1524	1716	1863
तमिलनाडु	2250	2194	2362
पांडिचेरी	248	246	242
कोयम्बटूर	745	762	998
मद्रास	1543	1045	1083
उत्तर प्रदेश	1185	1228	1533
पश्चिम बंगाल	3556	4264	4592

ख-क.म.नि. बकाया राशियों की चूक करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या

क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96
आन्ध्र प्रदेश	971	647	743
बिहार	1139	1304	1349
दिल्ली	456	536	500
गुजरात	282	274	209
हरियाणा	360	464	525
कर्नाटक	409	413	424
केरल	503	388	464
मध्य प्रदेश	693	667	505
महाराष्ट्र	876	768	893
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	145	144	124
उड़ीसा	390	343	275
पंजाब	1329	1389	1139
राजस्थान	490	546	577
तमिलनाडु	1316	1525	1281
उत्तर प्रदेश	1230	1352	1458
पश्चिम बंगाल	1232	1216	1216

फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाना

2001. श्री महबूब जहेदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा से बड़हरवाट, आजिमगंज, साहेबगंज तथा दरभंगा के लिए एक्सप्रेस रलगाड़ियां शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) हावड़ा पहले ही बड़हरवा/अजीमगंज/साहिबगंज/दरभंगा से गाड़ी सेवाओं द्वारा जुड़ा हुआ है। हावड़ा से बड़हरवा/अजीमगंज/साहिबगंज/दरभंगा तक एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधन की तंगी।

हावड़ा से चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

2002. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा से शुरू होने वाली सभी सवारी गाड़ियां तथा कई एक्सप्रेस रेलगाड़ियां कम सवारी डिब्बों के साथ चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पूर्व रेलवे को पर्याप्त संख्या में नए सवारी डिब्बे तथा अतिरिक्त सवारी डिब्बे प्रदान किये जाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या परिस्थिति में सुधार लाने हेतु कोई कदम उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि कई बार सवारी डिब्बों को अंतिम मिनट में अयोग्य करार दिए जाने के कारण कम डिब्बों के साथ गाड़ी का चालन किया जाता है।

(ग) से (ङ). 1996-97 के दौरान, 3017/3018 हावड़ा-रामपुरहाट एक्सप्रेस को आरंभ करने और 2307/2308 एक्सप्रेस को बात ब्रेक में परिवर्तित करने के लिए पूर्व रेल को नए बात ब्रेक युक्त सवारी डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं और दार्जिलिंग मेल को बात ब्रेक में परिवर्तित करने के लिए भी इस वर्ष के दौरान नए सवारी डिब्बे प्रदान किए जाएंगे।

लंबित दावों का निपटान

2003. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित रेलवे कार्यालयों में धनराशि अदायगी के कुल कितने दावे लंबित हैं और ये दावे कब से लंबित हैं;

(ख) धनराशि अदायगी दावों के निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या लेखा-परीक्षा में दावों के निपटान की प्रणाली में कहीं खामियों का उल्लेख किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) धन-वापसी कार्यालय, नई दिल्ली में 14970 धनवापसी के मामले निपटारे के लिये लम्बित हैं। इनमें से छः महीनों से अधिक के 3106 मामले और छः महीनों से कम के 11864 मामले निपटारे के लिए लम्बित हैं।

(ख) दावेदार द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने पर रेलवे उचित अवधि के भीतर मामले निपटाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अपरिचित कॉल के खिलाफ शिकायतें

2004. श्री जी.ए. चरण रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में अपरिचित व्यक्तियों द्वारा टेलीफोन पर अभद्र बातें करने की शिकायतें मिली हैं जिससे उपभोक्ताओं के परिवारों को परेशानी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन टेलीफोन कॉलों का पता लगाने के लिए कोई उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां। 1996 के दौरान दिल्ली में शरारतपूर्ण कॉल करने की लिखित रूप से 300 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हुई है।

(ग) और (घ) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में शिकायतकर्ता का नम्बर निगरानी के तहत रखा जाता है और एक्सचेंज प्रणाली के कार्यकरण से स्वतः ही काल करने वाल व्यक्ति के नम्बर का प्रिंट-आउट आ जाता है। तथ्यों की पुष्टि के पश्चात् काल करने वाले के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

तथापि, गैर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के उपभोक्ताओं के मामले में और लम्बी दूरी की आवक काल के मामले में काल करने वाले का पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है।

माइक्रोवेव टॉवर

2005. श्री थामस हंसदा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजमहल में दो वर्ष पूर्व स्थापित माइक्रोवेव टॉवर से एसटीडी सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) 1997-98 तक।

(ग) निर्माण-कार्य पूरा न होने के कारण।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों के न रुकने के कारण यात्रियों को असुविधा

2006. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के वलसाड़ जिले में संजन और उमरगाम रेलवे स्टेशनों पर अनेक रेलगाड़ियों के न रुकने के कारण यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन स्टेशनों से होकर गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों को इन स्टेशनों पर रोकने की व्यवस्था करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो सभी गाड़ियां इन स्टेशनों पर कब से रुकने लगेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) संजाण और अंबरगाम रोड स्टेशनों पर अतिरिक्त गाड़ियों के ठहराव के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय संजान और अंबरगाम रोड स्टेशन दोनों दिशाओं में जाने वाली क्रमशः 19 और 21 गाड़ियों से सेवित हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जांच की गई परन्तु परिचालनिक आधार पर व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

नागपुर से कार्गो सेवा

2007. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर विमानपत्तन से कार्गो सेवा शुरू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के पास नगर में अपनी स्वयं की कार्गो भंडारण सुविधाएं हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विद्यमान पुराने टर्मिनल भवन में 60 लाख रु. की लागत से सुधार करने और एक एकीकृत कार्गो काम्पलैक्स प्राप्त करने की योजना है। दिसम्बर, 1996 तक सुविधाएं तथा भवन तैयार हो जाने की आशा है।

मदुरै स्थित एफ.एम. स्टेशन

2008. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै के कोडाईकनाल में एफ.एम. स्टेशन द्वारा कोई परीक्षण प्रसारण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्टेशन के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). कोडाईकनाल स्थित 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर को नियमित रूप से चालू होने तक यहां से समय-समय पर परीक्षण हेतु प्रसारण किए जा रहे हैं। तथापि, आकाशवाणी, मदुरै में कोई एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) कोडाईकनाल में 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर एवं बहुद्देश्यीय स्टूडियो सहित रेडियो स्टेशन जनवरी, 1997 तक चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हो जाएगा।

लंका-सिल्चर का सर्वेक्षण

2009. श्री उद्धव बर्मन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका-सिल्चर (रामनगर) लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण कार्य संबंधी नई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). लंका-सिल्चर के लिए सर्वेक्षण सितम्बर, 95 में पहले ही पूरा किया जा चुका है।

[हिन्दी]

कोटा विमानपत्तन पर विमान उतरने की सुविधा

2010. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा विमानपत्तन पर विमान उतरने हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस विमानपत्तन पर विमान उतरने की सुविधा प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और यह सुविधा कब तक प्रदान किये जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). कोटा हवाई अड्डा डोर्नियर-228 किस्म के विमानों के लिए प्रचालनात्मक और उपयुक्त है। इस समय, इस हवाई अड्डे के लिए कोई भी विमानकंपनी सेवाएं प्रचालित नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

न्यूनतम मजदूरी

2011. श्री मुख्तार अनीस : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकुशल मजदूरों की राज्यवार न्यूनतम मजदूरी क्या है;

(ख) इन मजदूरी दरों में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था तथा अगला संशोधन कब किया जाना है;

(ग) न्यूनतम मजदूरी की गणना करने का क्या आधार है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों को प्रत्येक वर्ष की शुरूआत में न्यूनततम मजदूरी को संशोधित करने के लिए सलाह देने का है ताकि जीवन स्तर में मुद्रास्फीति में वृद्धि के अनुसार इसे समायोजित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ). समुचित सरकार द्वारा अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की विद्यमान दरों और पिछले संशोधन की तारीखें संलग्न विवरण में दी गयी हैं। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार इन् दरों की ऐसे अन्तरालों पर पुनरीक्षा की जा सकती है जैसाकि समुचित सरकार उचित समझे किन्तु यह पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारों को पहले ही यह सलाह दी जा चुकी है कि न्यूनतम मजदूरी को नियमित रूप से अद्यतन करें और उनमें परिवर्ती मंहगाई भत्ता घटक को शामिल करके उन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ें।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में अकुशल कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1.10.1996 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का नाम	मजदूरी की न्यूनतम दरों की सीमा और पिछले संशोधन की	अभ्युक्ति
1	2	3	4
राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.00 रु. से 42.40 रु.* प्रतिदिन (12.2.96)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न हैं
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.00 रु. से 23.00 रु. प्रतिदिन (1.1.94)	रोजगार दर रोजगार और क्षेत्र दर क्षेत्र दरें भिन्न हैं
3.	असम	33.00 रु. से 43.20 रु.* प्रतिदिन (1.4.95)	रोजगार दर रोजगार दर भिन्न हैं
4.	बिहार	27.30 रु. से 39.70 रु. प्रतिदिन (21.12.95)	रोजगार दर रोजगार दर भिन्न हैं
5.	गोवा	21.00 रु. से 46.00 रु. प्रतिदिन (1.4.95)	रोजगार दर रोजगार दर भिन्न हैं
6.	गुजरात	34.00 रु. से 48.00 रु.* प्रतिदिन (21.3.94)	रोजगार दर रोजगार दर भिन्न हैं (क्षेत्रों के अनुसार)
7.	हरियाणा	51.52 रु. से 55.52 रु.* प्रतिदिन (1.1.95)	कृषि के अलावा सभी रोजगारों के लिए एकल दरें
8.	हिमाचल प्रदेश	26.00 रु. से 45.75 रु. प्रतिदिन (1.3.96)	सभी रोजगारों के लिए दोहरी दरें
9.	जम्मू और कश्मीर	30.00 रु. प्रतिदिन प्रतिदिन (13.3.95)	सभी रोजगारों के लिए एकल दर
10.	कर्नाटक	26.00 रु. से 37.20 रु.* प्रतिदिन (सितम्बर, 94)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न हैं (क्षेत्रों के अनुसार)
11.	केरल	19.50 रु. से 76.40 रु.* प्रतिदिन (31.3.92)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न हैं (क्षेत्रों के अनुसार)
12.	मध्य प्रदेश	22.5. रु. से 43.96 रु.* प्रतिदिन (29.1.94)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न हैं
13.	महाराष्ट्र	8.00 रु0 से 83.00 रु.* प्रतिदिन (29.6.94)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न हैं (क्षेत्रों के अनुसार)
14.	मणिपुर	44.65 रु. से प्रतिदिन (मैदानी क्षेत्र के लिए) 47.65 रु. (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए)	सभी रोजगारों के लिए दोहरी दरें
15.	मेघालय	35.00 रु. प्रतिदिन (16.3.94)	सभी रोजगारों के लिए दोहरी दरें

1	2	3	4
16.	मिजोरम	28.00 रु. से 35.00 रु. प्रतिदिन (11.6.93)	सभी रोजगारों के लिए दोहरी दरें
17.	नागालैंड	25.00 रु. प्रतिदिन (6.7.92)	सभी रोजगारों के लिये एकल दर
18.	उड़ीसा	30.00 रु. प्रतिदिन (15.8.96)	सभी रोजगारों के लिए एकल दरें
19.	पंजाब	51.95 रु. से 55.58 रु.* प्रतिदिन (1.7.95)	कृषि के अलावा सभी रोजगारों के लिए एकल दरें
20.	राजस्थान	32.00 रु. प्रतिदिन (1.1.95)	सभी रोजगारों के लिए एकल दर
21.	सिक्किम	शून्य	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू और प्रवर्तित किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	11.00 रु. से 56.25 रु. प्रतिदिन (21.7.95)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न हैं (क्षेत्रों के अनुसार)
23.	त्रिपुरा	17.70 रु. से 36.00 रु. प्रतिदिन (15.5.95)	-यथोक्त-
24.	उत्तर प्रदेश	18.00 रु. से* 48.00 रु. प्रतिदिन (13.6.96)	-यथोक्त-
25.	पश्चिम बंगाल	17.40 रु. से 45.16 रु. प्रतिदिन (1.12.93)	-यथोक्त-
26.	अंडमान और निकोबार	37.00 रु. से 40.00 रु. प्रतिदिन (15.8.94)	-यथोक्त-
27.	चंडीगढ़	1084.50 रु. प्रतिमाह* (27.2.90)	सभी रोजगारों के लिए एकल दर
28.	दादर और नगर हवेली	35.00 रु. से 40.00 रु. प्रतिदिन (18.5.95)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न हैं (क्षेत्रों के अनुसार)
29.	दमन और दीव	35.00 रु. प्रतिदिन (8.5.95)	सभी रोजगारों के लिए एकल दर
30.	दिल्ली	64.50 रु. प्रतिदिन (1.2.94)	-यथोक्त-
31.	लक्षद्वीप	30.00 रु. प्रतिदिन (1.1.96)	-यथोक्त-
32.	पांडिचेरी	19.25 रु. से 40.20 रु. प्रतिदिन (21.7.95)	कृषि कर्मकारों के लिए दरें
II.*	केन्द्रीय सरकार	34.96 से 63.09 प्रतिदिन (12.7.94)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न हैं (क्षेत्रों के अनुसार)

टिप्पणी 1. * मजदूरी की न्यूनतम दरों के साथ परिवर्ती मंहगाई भत्ते का प्रावधान दर्शाता है।

2. कॉलम (3) में कोष्ठक में दर्शाये गये अंक अंतिम पुनरीक्षित अनुसूचित रोजगार के लिए पिछले संशोधन की तिथि दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

प्रभावित परिवारों का रोजगार

2012. श्री सुशील चन्द्र : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुना-इटावा बड़ी लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रेलों में रोजगार प्रदान करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा अब तक कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया तथा कितने मामले अभी भी विचाराधीन है; और

(ग) शेष लोगों को कब तक रोजगार प्रदान कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलों पर विद्यमान वर्तमान अनुदेशों में रोजगार में तरजीह देने का प्रावधान है बशर्ते कि बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण के कारण व्यक्तियों/उनके परिवार के सदस्यों को कतिपय शर्तें पूरी करनी होंगी तथा गुना-इटावा बड़ी लाइन के निर्माण के संदर्भ में तरजीह देने के मामले उक्त अनुदेशों से शासित होते हैं।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एच.एफ.सी.एल. के विरुद्ध कार्यवाही

2013. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 सितम्बर, 1996 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "डाट फेल्ड टु टेक एक्शन एगेन्स्ट एच. एफ. सी. एल., सी.ए.जी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग 2 जी.एच.जेड. के क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं जबकि एच.एफ.सी.एल. को क्रयादेश दिए गए; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एच.एफ.सी.एल. तथा आई.टी.आई. को गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता टूंक डायलिंग सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, 2 जी एच जैड डिजिटल माइक्रोवेव उपस्कर अधिस्थापित करने का निर्णय किया गया और तदनुसार, इस उपस्कर के 3500 टर्मिनलों की खरीद हेतु पहली बार 1992-93 के दौरान निविदा आमंत्रित की गई थी। मैसर्स एचटीएल (एच एफ सी एल) तथा मैसर्स आई टी आई सहित सूचीबद्ध 13 बोलीदाताओं को निविदा में उनके रैंक के अनुसार खरीद आदेश दिए गए। निविदा खोलने के समय, निविदा में टाइप अनुमोदन की शर्त नहीं थी। यह उल्लेखनीय है कि उस समय निविदा आरक्षण नहीं था।

(2) सभी एक्सचेंजों में एस टी डी प्रदान करने के 8वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 1995 के दौरान की गई समीक्षा के आधार पर 1995-96 की तत्काल आवश्यकता पूरी करने के लिए पूर्व निविदा के तहत अतिरिक्त 1500 टर्मिनलों की खरीद का निर्णय लिया गया। इसके खरीद आदेश टाइप अनुमोदन प्राप्त करने वाली फर्मों नामतः मैसर्स एचटीएल (एच एफ सी एल), मैसर्स श्याम टेलीकॉम तथा मैसर्स फ्यूजित्सू आप्टिकल को दिए गए। उक्त खरीद आदेश मैसर्स आई टी आई को नहीं दिए गए क्योंकि उस समय इस मद के लिए आई टी आई के पास वैध टाइप अनुमोदन नहीं था। ये आदेश (आर्डर) नीचे दिए अनुसार बातचीत से तथा मूल्यों पर दिए गए :—

समरूपण	निविदा का प्रारंभिक मूल्य (रुपए)	बातचीत से तय आरंभिक मूल्य (रुपए)
30 चैनल (1+0)	810320/-	751885/-
120 चैनल (1+0)	989420/-	922190/-

तथापि मामला जांच अधीन है।

(3) पिछले तीन वर्षों के दौरान एचएफसीएल तथा मैसर्स आईटीआई को दिए गए आदेशों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	एचटीएल (एचएफसीएल) टर्मिनल	आईटीआई (टर्मिनल)
1993-94	1050	420
1994-95	-	-
1995-96	1040	344*

* 300 टर्मिनलों के अग्रिम खरीद आदेश सहित।

उत्तर प्रदेश में एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

2014. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री शिवराज सिंह :
श्री सनत मेहता :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा इनके शहरी इलाकों के टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रूग्ण इकाइयों को पुनः चालू करना

2015. श्री संतोष मोहन देव :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय इस्पात प्रा. लि. की इस समय कितनी रूग्ण इस्पात इकाइयां हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं हेतु भारतीरय इस्पात प्रा. लि. द्वारा कोई पुनः चालू किये जाने संबंधी योजना आरम्भ की गई है;

(ग) इनमें से कितनी इकाइयों को पुनः चालू किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्रा. लि. ने पश्चिम बंगाल में 51 प्रतिशत और धोवन-शालाओं पर 6 प्रतिशत का निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 1996-97 के दौरान पुनः चालू की जाने वाली रूग्ण इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) संयंत्र-वार इन पर कितेना व्यय होने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (छ). सेल 1984-85 से लगातार लाभ कमा रहा है तथापि सेल की निम्नलिखित सहायक कम्पनियां रूग्ण घोषित कर दी गई है तथा उन्हें बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित किया गया है।

- इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि. (इस्को) के पूर्ण स्वामित्वों में सहायक कम्पनी इस्को उज्जैन पाईप एंड फाउन्ड्री कम्पनी लि.।
- इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि. (इस्को) इस्को उज्जैन पाईप एंड फाउन्ड्री कम्पनी लि. मार्च 1994 में बीआईएफआर को संदर्भित की गई थी। बीआईएफआर ने 21.6.1996 को हुई सुनवाई में यह निर्णय लिया कि अपनी सभी बाध्यताओं को पूरा करते हुए यह कम्पनी एक औचित्यपूर्ण समय के भीतर अपनी संचयी हानि की भरपाई कर पाए इसकी आशा नहीं है। अतः इसका समापन करना औचित्यपूर्ण और न्याय संगत है। बी.आई.एफ.आर. के आदेश के अनुसरण में कलकत्ता उच्च न्यायालय में 2.12.1996 को इसकी सुनवाई होनी थी परन्तु यह सुनवाई नहीं हुई।

इसको जून, 1994 में बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित किया गया था। संयुक्त उद्यम कम्पनी में 51% की अधिकांश शेयर धारिता सेल ने अपने पास रखते हुए संयुक्त उद्यम व्यवस्था के माध्यम से इस्को के पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण में भागीदारी के लिए अगस्त, 1996 में पेशकश आमंत्रित की थी। सेल को 2 पार्टियों अर्थात रूस की मैसर्स त्याजप्रोमेक्स पोर्ट (टी.पी.ई.) तथा जापान की मैसर्स मित्सुई से प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्राप्त प्रास्ताव का मूल्यांकन करने के लिए सेल ने बी.आई.एफ.आर. को समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। बी.आई.एफ.आर. ने सेल को 6 जनवरी, 1997 तक समय बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अद्यतन स्थिति यह है कि जापान की मैसर्स मित्सुई ने साम्या भागीदारी जो कि एक संयुक्त उद्यम भागीदार के चयन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की है।

चूंकि इस्को का मामला बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित है इसलिए इसके आधुनिकीकरण के लिए अपनाई जाने वाली कोई भी योजना इस संदर्भ में बी.आई.एफ.आर. के अनुरूप ही होगी।

[हिन्दी]

"नमस्कार" सेवा

2016. श्री पंकज चौधरी :
कुमारी उमा भारती :
श्री सत्यदेव सिंह :
प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा "नमस्कार" सेवा को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर्मचारियों की कर्मचारी कल्याण योजनाएं

2017. डा. बलिराम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार विभाग/डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए कोई कल्याण योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रमंडल-वार योजना-वार इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या इन योजनाओं का उचित प्रकार से क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) दूरसंचार विभाग और डाक विभाग से संबंधित अपेक्षित जानकारी क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(ग) दूरसंचार विभाग और डाक विभाग से संबंधित अपेक्षित जानकारी क्रमशः विवरण-III और विवरण IV में दी गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के ब्यौरे का उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लेख किया जा चुका है।

विवरण-I

दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए कल्याण योजनाओं के ब्यौरे

1. होलीडे होम, शिशुगृह, सिलाई केन्द्र, स्कूल, मनोरंजन क्लब आदि जैसी कर्मचारी कल्याण संस्थाओं की स्थापना तथा उन्हें सहायक अनुदान।
2. दूरसंचार कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन तथा दूरसंचार महिला संगठनों को वित्तीय सहायता।
3. अखिल भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलकूदों में भाग लेने के लिए दूरसंचार टीकों/खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता।
4. कला और दस्तकारी प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों, होलीडे/स्काउटिंग कैम्प आदि का आयोजन।
5. प्राथमिक सहायता और एम्बुलेंस ब्रिगेड आदि के प्रशिक्षण का आयोजन।
6. आपातिक प्रकृति की तत्काल राहत प्रदान करना जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं है या जिसे सामान्य तरीके से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।
7. विभाग के कर्मचारियों द्वारा समर्थित सुपात्र शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता।
8. दूरसंचार कर्मचारियों के बच्चों या आश्रितों को उनकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति या अन्य वित्तीय सहायता।
9. गंभीर या लंबी बीमारी या बड़े शल्य आपरेशनों के परिणामस्वरूप प्रमाणित आपवादिक कठिनाइयों के मामले में वित्तीय और चिकित्सा सहायता तथा दूरसंचार के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता।
10. ऐसे अन्य विशिष्ट प्रयोजन, जो दूरसंचार कर्मचारी कल्याण बोर्ड निश्चित करें।

विवरण-II

डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए कल्याण योजनाओं के ब्यौरे

1. डाक कर्मचारियों के बच्चों के लिए तकनीकी/गैर-तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना।
2. कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता।
3. लंबी बीमारी के मामले डाक कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता, क्षयरोग के रोगियों को पौष्टिक आहार तथा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित कर्मचारियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता।
4. देश में 20 स्थानों पर मनोरंजन क्लबों की व्यवस्था और होलीडे होमों की सुविधा।
5. डाक विभाग के कर्मचारियों के परिवारों और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यकलापों जैसे शिशु गृह, कोचिंग कक्षाएं, सिलाई, टाइपिंग और शार्टहैंड कक्षाओं हेतु केन्द्रीय डाक महिला संगठन को सहायता प्रदान करना।

विवरण-III

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान क्षेत्रीय कर्मचारी कल्याण बोर्डों को दिया गया कल्याण अनुदान

क्र.सं.	सर्किल/यूनिट का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
दूरसंचार सर्किल			(रुपयों में)	(अप्रैल, 96 से सितम्बर, 96 तक छः माह के लिए)
1.	आन्ध्र प्रदेश	10,32,000/-	10,72,000/-	4,11,000/-
2.	असम	1,81,000/-	3,08,000/-	53,000/-
3.	बिहार	4,83,000/-	3,00,000/-	1,46,000/-
4.	गुजरात	12,31,000/-	19,82,000/-	4,51,000/-
5.	हरियाणा	6,77,000/-	3,00,000/-	
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	45,000/-	61,000/-
7.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	3,00,000/-	शून्य
8.	कर्नाटक	19,13,000/-	17,07000/-	4,85,000/-
9.	केरल	15,17,000/-	11,00,000/-	4,86,000/-
10.	मध्य प्रदेश	10,40,000/-	6,67,000/-	3,24,000/-
11.	महाराष्ट्र	15,52,000/-	11,72,000/-	शून्य
12.	उत्तर-पूर्व	43,000/-	37,000/-	32,000/-
13.	उड़ीसा	4,51,000/-	4,06,000/-	2,03,000/-
14.	पंजाब	3,66,000/-	3,88,000/-	1,52,000/-
15.	राजस्थान	6,02,000/-	6,41,000/-	3,2,000/-
16.	तमिलनाडु	18,16,000/-	20,32,000/-	8,20,000/-
17.	उत्तर प्रदेश	10,40,000/-	10,61,000/-	4,12,000/-
18.	पश्चिम बंगाल	4,26,000/-	3,21,000/-	2,40,000/-
19.	अंडमान एवं निकोबार	-	50,000/-	शून्य
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-	-	3,00,000/-
टेलीफोन जिले				
21.	कलकत्ता	8,89,000/-	3,87,000/-	2,93,000/-
22.	मद्रास	4,87,000/-	11,29,000/-	4,22,000/-
दूरसंचार परियोजना सर्किल				
23.	नई दिल्ली	30,000/-	1,00,000/-	78,000/-
24.	मद्रास	95,000/-	1,63000/-	78,000/-
25.	कलकत्ता	1,73,000/-	1,80,000/-	71,000/-
26.	मुम्बई	1,21,000/-	2,68,000/-	1,26,000/-

1	2	3	4	5
दूरसंचार अनुरक्षण सर्किल				
27.	नई दिल्ली	4,38,000/	2,53,000/-	1,91,000/-
28.	मद्रास	3,51,000/	3,14,000/-	1,78,000/
29.	कलकत्ता	1,73,000/	3,00000/-	1,15,000/-
30.	मुम्बई	3,74,000/-	2,86,000/-	1,90,000/-
दूरसंचार फैक्टरियां				
31.	मम्बई	1,50,000/-	3,52,000/-	1,50,000/-
32.	जबलपुर	96,000/-	1,35,000/-	72,000/-
33.	कलकत्ता	1,00,000/-	1,05,000/-	शून्य
अन्य यूनिटें				
34.	क्यू ए बेंगलूर	1,39,000/-	1,43,000/-	67,000/-
35.	टी एंड डी सर्किल जबलपुर	88,000/-	2,09,000/-	75,000/-
36.	दूरसंचार स्टोर कलकत्ता	1,34,000/-	93,000/-	92,000/-
37.	टीटीसी जबलपुर	51,000/-	1,13,000/-	55,000/-
38.	एएलटीटीसी गाजियाबाद	80,000/-	1,37,000/-	69,000/-
39.	टास्क फोर्स, गुवाहटी	शून्य	50,000/-	शून्य
40.	दूरसंचार निदेशालय (मुख्यालय)	1,92,000/-	3,00,000/-	5,00,000/-
	कुल	1,84,80,000/-	1,93,06000/-	77,15,000/-

निधि का आबंटन सर्किलवार किया जाता है, योजनावार नहीं।

विवरण–IV

डाक विभाग के लिए निधि के आबंटन का सर्किलवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	1994–95 (लाख रु. में)	1995–96 (लाख रु. में)	1996–97 (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.00	8.00	
2.	असम	2.00	2.00	
3.	बिहार	3.00	3.50	
4.	दिल्ली	4.00	3.50	
5.	गुजरात	5.75	5.00	
6.	हरियाणा	2.00	2.00	
7.	हिमाचल प्रदेश	1.50	4.00	
8.	जम्मू एवं कश्मीर	0.75	1.00	
9.	कर्नाटक	7.25	6.00	
10.	केरल	5.50	5.00	
11.	मध्य प्रदेश	5.00	5.00	
12.	महाराष्ट्र	8.50	8.00	
13.	उत्तर पूर्व	1.50	1.50	
14.	उड़ीसा	3.25	3.00	
15.	पंजाब	5.15	3.50	
16.	राजस्थान	3.00	4.00	
17.	तमिलनाडु	9.25	9.00	
18.	उत्तर प्रदेश	10.00	9.00	
19.	पश्चिम बंगाल	9.00	7.50	
20.	निदेशालय	0.60	0.50	
	कुल	95.00	91.00	

निधि का आबंटन सर्किलवार किया जाता है, योजनावार नहीं।

[हिन्दी]

रांची रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण का विस्तार

2018. श्री ललित उरांव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रांची रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय का विस्तार करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार गुमला तथा लोहारडगा जिला मुख्यालयों में रेलवे आरक्षण के विस्तार पटल खोले जाने की मांग से परिचित है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल 1997 तक।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गाड़ियों में यात्रियों के लिये स्थान की उपलब्धता

2019. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी संख्या में व्यक्ति पूर्वा एक्सप्रेस द्वारा नई दिल्ली-हावड़ा और हावड़ा-नई दिल्ली मार्गों के यात्रा टिकट खरीद रहे हैं और उन्हें "प्रतीक्षा सूची" में रखा जाता है, बाद में इस गाड़ी में कोई स्थान नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान सभी श्रेणियों में पूर्वा एक्सप्रेस और कालका-हावड़ा मेल के लिये प्रतीक्षा सूची में प्रतिदिन औसतन कितने व्यक्तियों को डाला जाता है;

(ग) क्या गया के रास्ते पूर्वा एक्सप्रेस को इस समय सप्ताह में तीन दिन चलाने के बजाए "प्रतिदिन" चलाया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) 2381/2382, 2303/2304 पूर्वा एक्सप्रेस और 2311/2312 कालका मेल की विभिन्न श्रेणियों में प्रतीक्षारत सूची पर यात्रियों की औसत संख्या इस प्रकार है :—

डाउन दिशा में हावड़ा की ओर		
प्रथम श्रेणी वातानुकूल	-	1
द्वितीय श्रेणी वातानुकूल	-	4 से 8
शयनयान श्रेणी	-	23 से 88
अप दिशा में दिल्ली की ओर		
प्रथम श्रेणी वातानुकूल	-	5 से 10
द्वितीय श्रेणी वातानुकूल	-	20 से 40
शयनयान श्रेणी	-	300 से 400

(ग) जी नहीं।

(घ) परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण।

[हिन्दी]

बिहार में दूरदर्शन/आकाशवाणी

2020. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र रहित जिले कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या इस संबंध में विभिन्न जिलों में डी.डी./आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) आकाशवाणी/दूरदर्शन के पास स्टेशन/केन्द्रों की स्थापना के बारे में जिलावार स्कीम नहीं है। तथापि, बिहार को 10 रेडियो केन्द्रों तथा सिलीगुडी स्थित 200 कि.वा.मो.वे. ट्रांसमीटर द्वारा पूरी तरह कवर किया जाना है। वैशाली, सारन, जहानाबाद, नालन्दा, समस्तीपुर, पूर्णिया तथा किशनगंज जिलों जहां वर्तमान में कोई रिले केन्द्र मौजूद नहीं है, सहित राज्य के सभी जिलों को टी.वी. सेवा द्वारा स्थलीय रूप से पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कवर किया जाता है।

(ख) से (घ). हालांकि इस वर्ष के दौरान आकाशवाणी को राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि, दूरदर्शन को टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मौजूदा कवरेज, परिणामी कवरेज, तकनीकी उपयुक्तता आदि जैसे तथ्यों को ध्यान में रखने के पश्चात ऐसे अनुरोधों पर उचित रूप से विचार किया जाता है तथा तदनुसार विस्तारे संबंधी योजनाएं तैयार की जाती हैं।

रेलों के कार्यकरण की निगरानी

2021. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 सितम्बर, 1996 के फाइनेंसल एक्सप्रेस में प्रकाशित "पैनल टू मानीटर रेलवे फंक्शनिंग" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेलवे के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए एक पैनल गठित करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त पैनल को कब तक गठित कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पैनल का गठन किस स्तर पर करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). गाड़ियों के समय पालन, रेलों पर सफाई और खानपान सेवाओं सहित यात्री सुख-सुविधाओं के सम्बन्ध में शिकायतों/सुझावों की निगरानी के लिए एक विशेष कार्य अधिकारी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय में निगरानी प्रकाष्ठों की स्थापना की गयी है, क्षेत्रीय और मंडल स्तरों पर भी इन पहलुओं पर शिकायतों/सुझावों की निगरानी करने के लिए पृथक प्रकोष्ठों की स्थापना की गयी हैं।

मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर एसटीडी सुविधा

2022. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यटन स्थलों पर एसटीडी सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एसटीडी/आईएसडी/फैक्स तथा टेलेक्स सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन सुविधा

2023. श्रीमती छविला अरविन्द नेताम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जनपद में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है;

(ख) एसटीडी सुविधा वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है;

(ग) 1997-98 के दौरान एसटीडी सुविधा से जोड़े जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है;

(घ) टेलीफोन की प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों की संख्या क्या है;

(ङ) प्रतीक्षा सूची के कब तक निबट जाने की संभावना है;

(च) बस्तर में टेलीफोन सुविधा से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या क्या है;

(छ) टेलीफोन सुविधा न रखने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या क्या है; और

(ज) कब तक सभी ग्राम पंचायतों के टेलीफोन सुविधा से जुड़ जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 59

(ख) 26

(ग) 17

(घ) 1463

(ङ) प्रतीक्षा सूची मार्च, 1997 तक समाप्त होने की आशा है।

(च) 673

(छ) 661

(ज) नौवीं योजना-अवधि के दौरान सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की आशा है।

नई रेल लाइनों के लिये सर्वेक्षण

2024. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री के.डी. सुल्तानपुरी :
श्री के. परसुरामन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान नई रेल लाइनों के निर्माण के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक सर्वेक्षण के लिये कितना आबंटन किया गया है; और

(घ) सर्वेक्षण के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). रेल बजट 1996-97 के प्रलेखों के साथ माननीय सदस्यों को

सप्लाई किए गए अनुदान की मांगें भाग-II, के पृष्ठ 2.1.01 से 2.1.22 में सूचना अंतर्विष्ट है जिसका उसमें अवलोकन किया जा सकता है।

(घ) सर्वेक्षणों का पूरा होना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

नई श्रम नीति को लागू करना

2025. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई श्रम नीति को बनाने व लागू करने में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) की सेवा का लाभ उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना मंत्री महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आर्थिक सुधार और श्रम नीति पर आयोजित त्रिपक्षीय कार्यशाला में भाग लिया;

(ग) यदि हां, तो क्या "इंडिया रिफोर्मस एण्ड लेबर पोलिसीज" रिपोर्ट की जांच के निष्कर्ष पर कार्यशाला में विचार-विमर्श किया गया; और

(घ) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भारत को किस प्रकार की सहायता देने के लिए सहमत हुआ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सेंट मेरी आइलैण्ड का विकास

2026. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक ने मंगलौर तट से लगे सेंट मेरी आइलैंण्ड को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). पर्यटक केन्द्रों का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, तथापि, पर्यटन विभाग विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कर्नाटक सरकार ने मंगलौर के सेंट मेरी द्वीप के विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

[अनुवाद]

हेलीकॉप्टरों का उपयोग

2027. श्री संदीपान थोरात : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल, विद्युत और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों के आ जाने से आगामी कुछ वर्षों में हेलीकाप्टरों के उपयोग संबंधी क्षमता बढ़ जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार तथा अन्य निजी कम्पनियों के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टर बेड़े में इनकी वर्तमान संख्या कितनी है और निकट भविष्य में इनके विस्तार संबंधी योजना क्या है;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नियमित सेवा प्रदान करने के लिए निजी कम्पनियों द्वारा नियोजित संचालनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पायलटों के लिए प्रशिक्षण सुविधायें तथा रखरखाव/मरम्मत आदि के लिए सहयोगी कर्मचारी तथा कार्यशाला सहित हेलीकॉप्टारों के संचालन में वृद्धि हेतु बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने वाले हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी , हां।

(ख) विभिन्न एजेंसियों के हेलीकाप्टरों की बेड़ा संख्या निम्नलिखित हैं :-

केन्द्र सरकार	-	4
राज्य सरकार		18
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		51 (पवनहंस हेलीकाप्टर लि. सहित)
हवाई टैक्सी प्रचालक	-	19
निजी कम्पनियां	-	42

इसके अतिरिक्त पवनहंस हेलीकाप्टर्स लि. दिसम्बर, 1996 के दौरान 2 हेलीकाप्टर्स प्राप्त करेगा और निजी प्रचालक के पास 3 हेलीकाप्टरों के आयात की अनुमति है।

(ग) पर्यटन उद्देश्य हेतु अनुसूचित हेलीकाप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी निजी प्रचालक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रचालनों, अनुरक्षण तथा हेलीकाप्टर आधारित प्रचालनों के लिए कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु सुविधाओं और आधारभूत संरचना की मौजूदगी/इनका निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं।

हॉस्पेट–महबूबनगर रेलवे लाइन

2028. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हॉस्पेट और महबूबनगर के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त लाइन पर कब तक काम शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। 1996-97 के बजट में मुनीराबाद (हासपेट के पास) से महबूबनगर तक एक नई बड़ी लाइन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण शामिल किया गया है।

(ख) 31.3.1997 तक

(ग) सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने पर ही योजना पर विचार करना संभव होगा।

[हिन्दी]

अजमेर और पुष्कर के लिए विमान सेवाएं

2029. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने अजमेर और पुष्कर धार्मिक स्थलों को विमान-सेवा से जोड़ने के लिए मुफ्त में भूमि देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तन का निर्माण कार्य कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अजमेर में एक ऐस हवाइ अड्डे के निर्माण के निमित्त राज्य सरकार से एबी-320/बी-737 किस्म के विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त 460 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने अभी तक भूमि अधिग्रहण करने संबंधी पुष्टि नहीं की है। अत: भूमि अभी सौंपी जानी है और ज्यों ही राज्य सरकार अपेक्षित भूमि सुपुर्द कर देगी त्योंही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण परियोजना पर कार्य शुरू कर देगा।

रेलवे स्टेशनों का विकास

2030. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान किन किन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विकास/विस्तार किया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश में किन-किन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विकास/विस्तार किया जा रहा है और उन पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) निकट भविष्य में कौन-कौन से रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विकास/विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में कोई नया रेलवे स्टेशन स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) ललितपुर, झांसी, उरई, बांदा, महोबा, चित्रकूटधाम, सैयदराजा, चोपन, बिल्ली, बराकलां, दुद्धीनगर, चंदौली, मझवार, तुलसी आश्रम, कुचामन, रेनकूट, कृष्णशिला, शक्तिनगर, देवरिया सदर, इंदारा, बादशाहनगर, बस्ती, इलाहाबाद, बेलथारा रोड, देवरिया सदर, सेलमपुर, कासगंज, बलिया, गोंडा, आगरा फोर्ट, फैजाबाद, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोई और गाजियाबाद।

(ख) मथुरा, झांसी, आगरा कैंट, दिलदारनगर, मृगलसराय, बेलथारा रोड, मऊ जं., सेलमपुर, भटनी, गाजीपुर, सिटी, देवरिया सदर, मंहुआडीह, इलाहाबाद सिटी, पालीभीत, लखनऊ, लालकुंआ, गोरखपुर, गोंडा, कानपुर सेंट्रल, टूंडला, वाराणसी, इलाहाबाद जं. और अलीगढ़। इन स्टेशनों के विकास पर 16.90 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

(ग) रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विकास/विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है तथा प्रत्येक वित्त वर्ष में निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करते हुए आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों के अनुसार इन्हें शुरू किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु धनराशि का आबंटन

2031. श्री दिनशा पटेल :
श्री गोरधन भाई जावीया :
श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के रेलवे स्टेशनों पर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवंटित धनराशि के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक प्रदत्त यात्री सुविधाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुजरात के बदोदरा, छोटा उदयपुर, पंचमहल, भरूच, जम्बूसर तथा जनजातीय क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय रेलों को उनकी मांग के अनुसार निधि की उपलब्धता कराई जाती है तथा निधियों के आबंटन का विवरण राज्यवार नहीं रखा जाता है। यात्री यातायात की मात्रा के आधार पर स्टेशनों पर सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और ये सुविधायें सभी स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। पीने के पानी की सुविधा सभी स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाती है।

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना की अनुषंगी इकाइयों की स्थापना

2032. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना की अनुषंगी/अनुप्रवाहगामी (डाउन-स्ट्रीम) परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यबल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन कम्पनियों और उत्पादों का चयन किया गया है;

(ग) क्या कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कार्यबल द्वारा चयनित की गई सभी इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(घ) ऐसी चयनित कंपनियों के क्या नाम हैं, जिनके साथ अभी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) किन-किन इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(च) इन इकाइयों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां। सितम्बर, 1990 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जिला समाहर्ता, विशाखापत्तनम की अध्यक्षता में एक विशेष कृत्यक बल का गठन किया था। इस कृत्यक बल में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, जिला उद्योग केन्द्र, विशाखापत्तनम आन्ध्र प्रदेश इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन, आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि सदस्य हैं।

(ख) 1993-94 से अब तक सैंतीस (37) डाउनस्ट्रीम और अनुषंगी उद्योग अभिज्ञात किए गए हैं। चयनित डाउनस्ट्रीम और अनुषंगी इकाइयों के नाम का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) अब तक 28 इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं।

(घ) शेष 9 इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं किए गए हैं। जिनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) विवरण-I में दी गई 14 इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

(च) उन इकाइयों, जिन्हें अभी चालू किया जाना है और जो अच्छी तरह से निष्पादन नहीं कर रही है, की प्रगति के संबंध में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा गठित विशेष कृत्यक बल के जरिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। इन उद्यमियों को विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र और कृत्यक बल द्वारा सलाह भी दी जा रही है। निष्पादन न करने वाली इकाइयों को रद्द करने के संबंध में निर्णय समीक्षा करने और औचित्यपूर्ण/पर्याप्त अवधि के बाद कृत्यक बल द्वारा लिया जाता है।

विवरण-I

(पिछले तीन वर्षों में चुनी गई इकाइयां)

उत्पाद/इकाई का नाम	क्या समझौता ज्ञापन हुआ है	क्या प्रचालनरत है	टिप्पणी
1	2	3	4
डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज			
एच.पी. नेप्थालीन			
आंध्र आर्गेनिक्स	नहीं	-	समीक्षा में यह निर्णय लिया गया था
हिमगिरि कैमिकल्स	नहीं		कि मूल्य वर्धित मदें आंतरिक रूप से बनाई जाएं।

1	2	3	4
स्लैग आधारित उद्योग			
श्री रत्नगिरि सीमेंट्स	हां	हां	
श्री सौभाग्या सीमेंट्स (आई)लि.	हां	हां	
हिमालय सीमेंट्स प्रा. लि.	हां	हां	
हिमगिरि सीमेन्ट्स	हां	हां	
विसाखा सीमेंट्स (पी) लि.	हां	हां	
नीलकांता सीमेंट्स प्रा. लि.	हां	हां	
श्री हरिप्रिया सीमेंट्स प्रा.लि.	हां	हां	
श्री सप्तगिरि सीमेंट्स प्रा. लि.	हां	हां	
श्री साई इंडस्ट्रीज लि.	हां	हां	
सुन्दर सीमेंट्स (पी) लि.	हां	हां	
एस.एस.आर. सीमेंट एंड अलाइड बिल्डिंग मैटीरियल (पी) लि.	हां	-	कार्यान्वयनाधीन
सूर्यचक्र सीमेंट्स प्रा लि.	हां	-	कार्यान्वयनाधीन
नागचंद्र सीमेंट्स	हां	-	कार्यान्वयनाधीन
सजीला सीमेंट्स (पी) लि.	हां	-	कार्यान्वयनाधीन
समुद्राय सीमेंट्स (पी) लि.	नहीं	-	पार्टियों से बातचीत चल रही है।
डोलफिन सीमेंट्स (पी) लि.	नहीं	-	पार्टियों से बातचीत चल रही है।
कोक धूलि			
श्री कृष्णा स्टील्स (पी) लि.	हां	-	कोई प्रगति न होने के कारण निरस्त।
रिलायबल बिटूमन्स	नहीं	-	कोई प्रगति नहीं। पार्टियों से बातचीत चल रही है।
साई तेजा एंटरप्राइजेज	हां	-	कार्यान्वयनाधीन
श्रीपराम्बा एंटरप्राइजेज	हां	-	कार्यान्वयनाधीन
टार पिच बेस्ड			
हेमाद्री कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज	हां	हां	
टारकैम पी.लि.	हां		कार्यान्वयनाधीन
अटकल टार प्राडक्ट्स	हां	-	निरस्त
बेनजीन बेस्ड			
प्रहारी एरामैटिक्स	नहीं	-	पार्टियों से बातचीत चल रही है।
हैरिंगटन कैमिकल्स पी. लि.	नहीं	-	पार्टियों से बातचीत चल रही है।
जी मलैय्या	नहीं		पार्टियों से बातचीत चल रही है।
बिलैट पर आधारित इकाइयां (रोलिंग मिलें)			
वेलागापुडी स्टील्स लि.	हां	-	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4
लॉरवेन स्टील्स प्रा. लि.	नहीं	-	पार्टियों से बातचीत चल रही है।
वायर रॉड पर आधारित			
सुराना इंडस्ट्रीज	हां	हां	
गौतमी स्टील्स (पी) लि.	हां	हां	
विसाखा आयरन एंड स्टील लि.	हां	-	कार्यान्वयनाधीन
मृदनलाल स्टील एंड फोर्जिंग्स	हां	-	कोई प्रगति न होने के कारण निरस्त।
आई टी डब्ल्यू सिग्नोह (आई) लि.	हां		
फ्लाई एश बेस्ड			
टैकसर्च आस्ट्रेलिया	हां		कार्यान्वयनाधीन
अनुषंगी उद्योग			
वायर रोप स्लिंग्स			
मद्रास हार्ड टूल्स	हां	हां	

विवरण-II

1. **कोक डस्ट बेस्ड**

   रैलिएबल बिटुमेंस — कृत्यक बल द्वारा इकाई को मार्च, 1995 में चुना गया। बी.एस.पी. द्वारा भी स्वीकार किया गया। पार्टी ने कोई रूचि नहीं दर्शाई और बी.एस.पी. के पत्र का उत्तर नहीं दिया।

2. **एच.पी. नेप्थालीन बेस्ड**

   आंध्र ऑर्गेनिक्स हिमाद्री कैमिकल्स — कृत्यक बल द्वारा इकाइयां सितम्बर, 1995 में चुनी गई। बाद में बी.एस.पी. ने इस मद का उत्पादन बंद करने का निश्चय किया और अतिरिक्त सुविधाओं सहित एच. पी. नेप्थालीन से आन्तरिक रूप से मूल्य वर्धित मदों का उत्पादन किया।

3. **बी.एफ. स्लैग बेस्ड**

   समुद्रा सीमेंट्स प्रा. लि.
   डॉलफिन सीमेंट्स प्रा. लि. — कृत्यक बल द्वारा सितम्बर, 95 में इकाइयां चुनी गई। बी.एस.पी. द्वारा स्वीकार की गई। इकाइयां स्थापित करने के लिए पार्टियों को आमंत्रित किया गया। पार्टियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

4. **बेन्जीन बेस्ड**

   प्रहारी एरोमैटिक्स हैरिंगटन कैमिकल्स लि. — कृत्यक बल द्वारा सितम्बर, 95 में इकाइयां चुनी गई। पार्टियों का इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया। पार्टियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रहा है।

   जी. मलैय्या — कृत्यक बल द्वारा सितम्बर, 96 में इकाइयां चुनी गई। बी.एस.पी. द्वारा स्वीकार की गई। पार्टियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

5. **बिलैट बेस्ड**

   लॉरवेन स्टील्स प्रा. लि. — कृत्यक बल द्वारा सितम्बर, 96 में इकाइयां चुनी गई। बी.एस.पी. द्वारा स्वीकार की गई। पार्टियों को इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। पार्टियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

गुजरात में रेलमार्गों का विद्युतीकरण

2033. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्री दिलीप संघानी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अब तक विद्युतीकृत किये गये रेलमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में उन रेलमार्गों का ब्यौरा क्या है, जिन पर विद्युतीकरण का काम चल रहा है; और

(ग) निकट भविष्य में किन-किन रेलमार्गों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गुजरात में विद्युतीकृत किये गये रेल मार्गों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

खण्ड	मार्ग कि.मी.
साबरमती-अहमदाबाद घोलवड	372
गांधरा-आनन्द	78
वडोदरा-नाहरगढ	173
साबरमती-चन्दोलिया	05
चन्दोलिया-गांधीनगर	23
जोड़	651

(ख) फिलहाल, गुजरात राज्य में रेल मार्ग के विद्युतीकरण का कोई काम नहीं चल रहा है।

(ग) उधना-काकाकंडे मार्ग खण्ड, जो जलगांव-उधना विद्युतीकरण योजना का एक भाग है, का 9वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

रांची और दिल्ली के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना

2034. श्री राम टहल चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची और दिल्ली के बीच एक नई सुपरफास्ट रेलगाड़ी सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग), रांची और दिल्ली के बीच नई गाड़ी चलाने की जांच की जा रही है और औचित्यपूर्ण और व्यवहार्य पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी।

दिल्ली और बरेली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

2035. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछली सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली और बरेली के बीच एक शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो इस आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और इस आश्वासन का कब तक पूरा किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जन्माष्टमी का सीधा प्रसारण

2036. डा. बल्लभ भाई कठीरिया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उ.प्र. में मथुरा में आयोजित "भगवान कृष्ण जन्म दिवस" और उड़ीसा की "भगवान जगन्नाथ यात्रा" के प्रसारण की तरह गुजरात के जामनगर जिले में स्थित द्वारका से रिले किए जा रहे "जन्माष्टमी समारोह" का सीधा प्रसारण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों और संसद सदस्यों तथा विधायकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ), जी, हां। माननीय संसद सदस्य ने एक अभ्यावेदन सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ङ) आधारभूत सुविधाओं के अभाव तथा द्वारिका और अहमदाबाद के बीच माइक्रोवेव लिंक न होने के कारण दूरदर्शन द्वारा द्वारिकाधीश मंदिर, गुजरात से कृष्ण जन्माष्टमी समारोहों के सीधे प्रसारण की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में टेलीफोन का रखरखाव

2037. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगर टेलीफोन निगम लि. ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में टेलीफोन सेवा के रखरखाव में सुधार लाने के लिए गत महीनों में प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा उठाए गए सभी कदम पूरी दिल्ली में लागू नहीं किए जा सके हैं;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में कितने प्रतिशत उपभोक्ताओं को इसके फलस्वरूप लाभ हुआ; और

(ङ) सभी उपभोक्ताओं का इसके परिणामस्वरूप लाभ कब तक मिलेगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने सेवा में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(1) सभी बड़े एक्सचेंजों की दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

(2) पुराने मियाद समाप्त उपस्करों को बदलना।

(3) अक्सर खराब रहने वाली पुरानी भूमिगत केबलों को बदलना।

(4) खम्भों पर लगे वितरण बिंदुओं को दीवाल में लगे वितरण बिंदुओं में बदलना।

(5) खराब टेलीफोनों की मरम्मत के लिए सख्त मानक निर्धारित करना।

(ग) उपर्युक्त सभी उपाय पूरी दिल्ली में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(घ) दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं को लाभ मिला है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बोकारो इस्पात संयंत्र में कुशल/अकुशल मजदूर

2038. प्रो. रीता वर्मा : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में इसके आरंभ होने से लेकर मार्च, 1996 तक कुशल और अकुशल कामगारों और अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) संयंत्र में इस समय संविदा मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ग) ये मजदूर किन कार्यों में लगे हुए हैं;

(घ) अस्थाई रूप से भर्ती किये गये कुशल और अकुशल प्रशिक्षुओं की संख्या क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान श्रेणीवार भर्ती किये गये कुशल और अकुशल कामगारों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त भर्तियों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) बोकारो इस्पात संयंत्र में उसके चालू होने के दिन से कर्मचारियों की संख्या को श्रेणीवार नीचे दर्शाया गया है :-

निम्नलिखित तारीख को श्रमशक्ति की स्थिति	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक	कुल
1	2	3	4
31/03/1972	1167	12651	13818
31/03/1973	1548	21390	22938
31/03/1974	2083	28073	30156
31/03/1975	2646	29508	32154
31/03/1976	2925	29390	32315
31/03/1977	2993	30210	33203
31/03/1978	3093	31999	35092
31/03/1979	3363	36156	39519
31/03/1980	3513	38626	42139
31/03/1981	3757	40378	44135
31/03/1982	3842	43177	47019
31/03/1983	4031	45806	49837
31/03/1984	4094	47202	51296
31/03/1985	4112	47466	51578
31/03/1986	4178	48398	52576
31/03/1987	4195	48260	52455

निम्नलिखित तारीख को श्रमशक्ति की स्थिति	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक		कुल
		कुशल	अकुशल	
31/03/1988	4295	19412	28084	51791
31/03/1989	4480	21596	25268	51344
31/03/1990	4459	22673	24362	51494
31/03/1991	4697	21069	21258	47024
31/03/1992	4715	23900	18690	47305
31/03/1993	5057	24005	19017	48079
31/03/1994	4991	23957	18780	47728
31/03/1995	5381	23529	18626	47536
31/03/1996	5292	23845	18150	47287

(वर्ष 1971-72 से 1986-87 के वर्षों के संबंध में गैर-कार्यपालक संवर्ग में कुशल/अकुशल कामगारों का ब्यौरा नहीं रखा जाता था।)

(ख) 1.11.1996 की स्थिति के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों की कुल संख्या 3809 थी।

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र ऐसे कार्यों जो स्थाई स्वरूप के हैं, के लिए अल्पावधि के लिए ठेकेदार लगाता है। इन कार्यों में सफाई, मरम्मत, अनुरक्षण, मालसंभाल आदि शामिल हैं। इन कार्यों को पूरा करने के लिए ठेकेदार श्रमिकों की तैनाती करते हैं।

(घ) बोकारो इस्पात संयंत्र अस्थायी तौर पर कुशल तथा अकुशल प्रशिक्षुओं की भर्ती नहीं करता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई नियुक्तियां नीचे दर्शाई गई हैं :-

वर्ष	कुशल	अकुशल	कुल
1993-94	3	489	492
1994-95	32	320	352
1995-96	54	184	238

(च) उक्त भर्तियां स्थानीय रोजगार कार्यालयों को अधिसूचना जारी करके तथा अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन जारी करके की गई है। इसके अतिरिक्त, नीति के अनुसार कुछ नियुक्तियां ऐसी की गई हैं जिनमें ड्यूटी के दौरान मरे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया है।

गुजरात में मैट्रो चैनल प्रतिष्ठापित करना

2039. श्री एन.जे. राठवा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य में कुछ मैट्रोचैनल ट्रांसमीटर लगाने के लिए गुजरात राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(घ) इनके कब तक चालू कर दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). देश के और अधिक क्षेत्रों में दूरदर्शन की मैट्रो चैनल (डी.डी.-2) सेवा का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। हालांकि यह सेवा उपयुक्त डिश एण्टीना प्रणाली का प्रयोग करके उपग्रह के जरिए समग्र गुजरात राज्य सहित पूरे देश में उपलब्ध है। तथापि, संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए स्थलीय रूप से प्रारंभ में राज्यों की राजधानियों तथा देश के प्रमुख शहरों में इस सेवा को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाया जा रहा है। अहमदाबाद स्थित उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर तथा गांधी नगर स्थित अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर इस समय गुजरात राज्य में मैट्रो चैनल (डी.डी.-2) सेवा को रिले कर रहे हैं। आठवीं योजना के दौरान राज्य में कोई और डी.डी.-2 ट्रांसमीटर स्थापित करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

पूंजी बाजार से धनराशि का एकत्र किया जाना

2040. श्री हरिन पाठक : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूंजी बाजार से धनराशि इकट्ठी करने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पूंजी बाजार में धनराशि को किस प्रयोजनों के लिए इकट्ठा किया जा रहा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). एक विशिष्ट सार्वजनिक वित्तीय संस्था, भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टी एफ सी आई) ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक 153.65 करोड़ रु. की राशि दी है।

(ग) से (ङ). भारतीय पर्यटन वित्त निगम मार्च, 1997 तक अप्रतिभूत (बिना जमानत वाले) बांडों के माध्यम से अतिरिक्त 100 करोड़ रु. इकट्ठे करने का विचार कर रहा है। ये धन पर्यटन उद्योग हेतु वित्तीय सहायता को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

बोध गया से रेलगाड़ी चलाना

2041. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गया-बोध गया-दिल्ली अथवा दक्षिण भारत के बीच कोई रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार गया से वाराणसी-तिरूपति एक्सप्रेस और वाराणसी-कोचीन एक्सप्रेस चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नही उठता।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में वातानुकूलित कुर्सीयान सुविधा

2042. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक वातानुकूलित कुर्सी यान सुविधा से सुसज्जित रेलगाड़ियां का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में कुर्सीयान के स्थान पर 3-टीयर वातानुकूलित शयनयान उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रेलगाड़ियों में वातानुकूलित कुर्सीयान पुनः लगाने का है क्योंकि किरायों में की जाने वाली बढोत्तरी के कारण अनेक यात्रियों के लिए 3-टीयर वातानुकूलित कुर्सीयान में यात्रा करना सम्भव नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नयी सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना

2043. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फिरोजपुर, फरीदकोट, कोटकपुरा, भटिंडा, दिल्ली मार्ग पर बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले यात्रियों को इस मार्ग पर कोई तीव्रगति की एक्सप्रेस रेलगाड़ी उपलब्ध न होने के कारण असुविधा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, ता क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर यात्रियों की भीड़ और उन्हें हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए फिरोजपुर, फरीदकोट-कोटकपुरा-भटिंडा-दिल्ली मार्ग पर एक शताब्दी रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) एक जोड़ी पैसेंजर सेवा के अलावा इस मार्ग पर पंजाब मेल और जनता एक्सप्रेस तीव्र सेवा प्रदान करती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन पर मराठी चैनल

2044. श्री मोहन रावले : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** दूरदर्शन पर मराठी चैनल के बारे में 12 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5477 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दूरदर्शन चैनल-1 पर प्रातः काल प्रसारण और मुख्य प्रसारण अवधि के दौरान मराठी कार्यक्रमों के लिए लगभग एक घंटे का समय आवंटित करने के लिए मुम्बई और नई दिल्ली में केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 19 अगस्त 1996 के अपने पत्र में यह अनुरोध किया है कि सायं 7.00 बजे तथा सायं 8.30 बजे के बीच का मुख्य प्रसारण समय सिर्फ "माई मराठी" के लिए उद्दिष्ट किया जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि डीडी-I पर सायं 4.30 बजे से सायं 8.30 बजे (सोमवार से शुक्रवार) तक रविवार को सायं 4.30 बजे से सायं 7.30 बजे के बीच का समय स्लॉट पहले से ही मराठी के क्षेत्रीय कार्यक्रमों को समर्पित है।

बुनियादी दूरसंचार सेवाएं

2045. प्रो. पी.जी. कुरियन :
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी भी बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के लिए एक भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है;

(ख) क्या अब तक किसी भी कंपनी द्वारा आशय पत्र प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) समझौते को लागू किए जाने में विलंब के लिए कंपनियों पर क्या दण्ड लगाया गया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). आशय-पत्र धारक 7 कम्पनियों में से पांच कम्पनियों ने अपने-अपने आबंटित सेवा क्षेत्रों के लिए आशय-पत्र स्वीकार कर लिए हैं और शेष दो कम्पनियों के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

स्वीकृति पत्रों में कम्पनियों ने लाइसेंस और इन्टरकनेक्ट करारों से सम्बद्ध कतिपय मुद्दों अर्थात लाइसेंस हस्तांतरण की सुविधा, इन्टरकनेक्ट प्रभारों, बिलों की अग्रिम जमाराशियों, बाह्य वाणिज्यिक ऋणों फोर्स मैजयोर, मध्यस्थता उपबंधों आदि को उठाया है और सरकार अभी इन मुद्दों की समीक्षा कर रही है।

टेलीफोनों का काम न करना

2046. कर्नल राव राम सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरियाणा के महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी और गुडगांव जिलों में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए गए टेलीफोनों के काम न करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन टेलीफोनों को कब तक ठीक कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार ने उक्त जिलों में जिन ग्राम पंचायतों में टेलीफोन नहीं हैं उनमें टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी तथा गुडगांव जिलों में लगभग 15 प्रतिशत ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन खराब बताए गये हैं।

(ग) जनवरी, 1997 तक उन खराब टेलीफोनों को ठीक कर दिये जाने की संभावना है।

(घ) जिन 531 गांवों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं लगाए गये थे, उनमें से 320 गांवों में 1996-97 के दौरान ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये जाने की योजना है। शेष 211 गांवों को 1997-98 के दौरान, टेलीफोन प्रदान कर दिया जाएगा।

टेलीफोन की सुविधा प्राप्त गांव

2047. श्री बी.एल. शंकर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने गांवों में टेलीफोन की सुविधा है तथा कितने गांवों में यह सुविधा नहीं है;

(ख) सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सभी गांवों में टेलीफोन की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी; और

(घ) इसके लिए अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) टेलीफोन सुविधा युक्त/रहित गांवों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) और (ग). सरकार IX वीं योजना अवधि के दौरान देश के सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है। इस उद्देश्य के लिए देश के प्रत्येक गांव में कम से कम एक वी पी टो प्रदान करने हेतु ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी पी टो) कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। गांवों में वी पी टी प्रदान करने में दूरसंचार विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों में निजी प्रचालकों से सहयोग मिलने की आशा है।

(घ) इसके लिए लगभग 3,500 करोड़ रु. के निधि की जरूरत है।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल	1.4.96 की स्थिति के अनुसार कुल गांव	1.4.96 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सार्व-जनिक टेलीफोन युक्त गांवों की संख्या	1.4.96 की स्थिति के अनुसार कवर न किए गए गांवों की संख्या	1996-97 के लक्ष्य
1.	अंडमान निकोबार	292	91	201	201
2.	आंध्र प्रदेश	29460	18653	10807	4000
3.	असम	22224	8430	13794	500
4.	बिहार	79208	12043	67165	6500
5.	गुजरात	18125	12903	5222	4000
6.	हरियाणा	7018	6661	357	357
7.	हिमाचल प्रदेश	16997	4041	12956	1000
8.	जम्मू एवं कश्मीर	6453	1461	4992	600
9.	कर्नाटक	27024	13361	13663	3000
10.	केरल	1530	1530	0	0
11.	मध्य प्रदेश	71526	28012	43514	9850
12.	महाराष्ट्र	40430	23034	17396	5000
13.	उत्तर पूर्व	14197	2492	11705	1000
14.	उड़ीसा	46989	12750	34239	5000
15.	पंजाब	13252	8501	4750	4750
16.	राजस्थान	37889	12274	25615	6500
17.	तमिलनाडु	20196	14430	5766	3200
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	75462	17692	57770	9000
19.	उत्तर प्रदेश (प.)	37106	9957	27149	6000
20.	पश्चिम बंगाल	38337	8125	30212	5000
21.	एम टी एन एल, दिल्ली	191	191	0	0
		603906	216632	387273	75458

उत्तर पूर्व सर्किल में मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, शामिल हैं।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

2048. श्री नामदेव दिवाथे :

श्री प्रमोद महाजन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज तक वैगनों द्वारा भेजे जा रहे कोयला और अन्य मदों की चोरी का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो चोरी हुए सामान की क्षेत्रवार और राज्य-वार मात्रा और मूल्य क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में आंकड़े रेलवे क्षेत्रवार रखे जाते हैं। कोयले तथा मालडिब्बों पर बुक की गई अन्य वस्तुओं की चोरी/उठाईगीरी के ब्यौरों को दर्शाने वाले विवरण-I तथा विवरण-II संलग्न हैं।

(ग) बुक किए गए पारेषणों की चोरी/उठाईगीरी में शामिल व्यक्तियों के साथ कानून के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है तथा मुकदमे के लिए न्यायालय को भेज दिए जाते हैं।

भविष्य में इन वारदातों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:-

1. जहां तक संभव हो भेद्य खंडों पर कोयला तथा अन्य कीमती पारेषणों को ढो रही गाड़ियों का मार्ग रक्षण करना।
2. यार्ड तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खंडों में गहन बीट पेट्रोलिंग करना।
3. मालडिब्बों/सीलों की स्थिति जांचने के लिए अंतर्वर्दल स्थानों पर संयुक्त जांच करना।
4. जहां तक संभव हो भेद्य खंडों में र.सु.ब. सशस्त्र पिकेटों को तैनात करना।
5. अपराधिकयों का पीछा करने का मद्देनजर, सादी वर्दी वाले र.सु.ब. कर्मियों को अपराधिक आसूचना एकत्रित करने के लिए तैनात किया जाता है।
6. उपराधिक आसूचना के आधार पर अपराधियों के अड्डों पर छापे, चोरी गई संपत्तियों के प्राप्तकर्ताओं की छानबीन की जाती है जिससे उन्हें सजा दिलवायी जा सके।
7. भेद्य यार्डों तथा क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए श्वान दस्ता तैनात किया जाता है।
8. अपराधियों तथा चोरी गई संपत्तियों के प्राप्तकर्ताओं को पकड़ने के लिए र.सु.ब., र.रा.पु. तथा स्थानीय पुलिस के मध्य विभिन्न स्तरों पर निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

विवरण-I

वित्तीय वर्षों 1993-94, 1994-95, 1995-96, तथा 1996-97 (अक्तूबर, 1996 तक) के दौरान भारतीय रेल पर परिवहन के दौरान बुक किए गए पारेषणों (कोयले के अलावा) की चोरी/उठाईगीरी के मामलों को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

रेल	अवधि	मामलों की संख्या	संपत्तिक का मूल्य		गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
			चोरी हुई	वसूल की गई	
1	2	3	4	5	6
म.रे.	1993-94	795	3693095	1300487	181
	1994-95	702	16904483	12273737	231
	1995-96	394	3493812	1027534	89
	अप्रैल से अक्तू, 96	105	561994	276603	98
पू.रे.	1993-94	4090	15937001	1009905	125
	1994-95	3219	18057056	1597651	164
	1995-96	2383	10821990	878559	95
	अप्रैल से अक्तू, 96	1213	5473407	955458	113

1	2	3	4	5	6
उ.रे.	1993-94	1112	7818869	1114922	312
	1994-95	933	7157550	1412874	310
	1995-96	887	4977524	2126688	333
	अप्रैल से अक्तू, 96	377	2079528	1004779	216
पूर्वोत्तर	1993-94	843	3998459	75758	66
	1994-95	642	5336338	216680	36
	1995-96	558	2269136	365111	27
	अप्रैल से अक्तू, 96	5	7450	120	1
पू.सं.	1993-94	1306	11300194	286790	88
	1994-95	1212	6768456	186722	70
	1995-96	1117	5670115	143301	52
	अप्रैल से अक्तू, 96	80	773579	275910	79
द.रे.	1993-94	1564	4023745	99520	76
	1994-95	987	3261388	227613	77
	1995-96	611	2773436	396653	90
	अप्रैल से अक्तू, 96	4	9580	9380	15
द.म.	1993-94	439	1481682	378455	130
	1994-95	296	1586437	913201	216
	1995-96	205	560215	44228	38
	अप्रैल से अक्तू, 96	6	20650	14168	18
द.पू.	1993-94	1756	4050179	813519	166
	1994-95	1172	6285176	1350368	118
	1995-96	846	4290041	45526	152
	अप्रैल से अक्तू, 96	30	1115625	470565	59
प.रे.	1993-94	730	6094282	497693	197
	1994-95	662	3269189	315095	177
	1995-96	660	3049025	424555	173
	अप्रैल से अक्तू, 96	49	152897	110482	68
जोड़	1993-94	12635	58397507	5577049 = 10%	1341
	1994-95	9825 (-22%)	68516073 (+17%)	18493941 = 27%	1399
	1995-96	7661 (-22%)	39905294 (-42%)	5452155 14%	1049
	अप्रैल से अक्तू, 96	1869	10194710	3117465	667

विवरण-II

वित्तीय वर्षों 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 (अक्तूबर, 1996 तक) के दौरान भारतीय रेल पर परिवहन के दौरान कोयले की चोरी/उठाईगीरी के मामलों को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

रेल	अवधि	मामलों की संख्या	संपत्तिक का मूल्य		गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
			चुराई गई हुई	वसूल की गई	
1	2	3	4	5	6
म.रे	1993-94	-	-	-	-
	1994-95	-	-	-	-
	1995-96	91	23990	23990	136
	अप्रैल से अक्तू, 96	29	6731	6731	27
पू.रे.	1993-94	33	119779	110919	30
	1994-95	56	125915	138265*	133
	1995-96	326	856508	908148*	343
	अप्रैल से अक्तू, 96	50	103835	105835*	59
उ.रे.	1993-94	70	473382	10025	38
	1994-95	106	365699	1285	15
	1995-96	59	492008	2095	18
	अप्रैल से अक्तू ,96	18	214300	14655	14
पूर्वोत्तर	1993-94	4	1720	1720	4
	1994-95	2	160	160	2
	1995-96	35	21435	21435	54
	अप्रैल से अक्तू, 96	-	-	-	-
पू.सी.	1993-94	-	-	-	-
	1994-95	-	-	-	-
	1995-96	7	1260	1260	11
	अप्रैल से अक्तू, 96	-	-	-	
द.रे.	1993-94	-	-	-	-
	1994-95	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	
	अप्रैल से अक्तू, 96	-	-	-	
द.म.	1993-94	-	-	-	
	1994-95	-	-	-	-
	1995-96	2	8700	8700	17
	अप्रैल से अक्तू, 96	13	19685	19685	35

1	2	3	4	5	6
द.पू.	1993-94	60	606115	609115	33
	1994-95	57	434183	417683	118
	1995-96	54	295191	294591	130
	अप्रैल से अक्तू, 96	49	79450	79450	91
प.रे.	1993-94	-	-	-	-
	1994-95	8	3265	3265	15
	1995-96	2	440	440	6
	अप्रैल से अक्तू, 96	71	40949	40949	119
जोड़	1993-94	167	1200996	731779 =61%	105
	1994-95	228 (+37%)	929222 (-23%)	560658 =60%	283
	1995-96	576 (+153%)	1699525 (+83%)	1260659 =74%	715
	अप्रैल से अक्तू, 96	230	464950	267305	445

* पूर्व रेल पर वसूली, बिना रिपोर्ट वाले तथा असंबंधित कोयले की वसूली के कारण चोरी हुई मात्रा से अधिक हो गई है।

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराना

2049. डा. राम लखन सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में डाक और तार विभाग के सभी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आबंटियों का जिले-वार तथा वर्ग-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) **डाक विभाग :** जी नहीं।

दूरसंचार विभाग : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) **डाक विभाग :** पर्याप्त निधि उपलब्ध न होने के कारण विभाग मध्य प्रदेश में सभी कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है।

दूरसंचार विभाग : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु बहुराष्ट्रीय परियोजना

2050. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 850 मिलियन डालर के निवेश वाली भारत की प्रथम बहुराष्ट्रीय परियोजना में भारत के शत प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को सेल्यूलर टेलीफोन एवं अन्य संचार व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों द्वारा भारत के किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने का विचार है;

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) 1996-97 के दौरान किन-किन राज्यों में यह कार्यक्रम शुरू होने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दूरसंचार विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

अयोध्या में गाड़ी ठहराना

2051. डा. राम विलास वेदान्ती : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयाध्या से होकर जाने वाली डेरा और सियालदाह एक्सप्रेस गाड़ियां यहां पर केवल दो मिनट के लिए ही रुकती है जिसके कारण यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अल्प समय के लिए ठहराने के कारण ये गाड़ियां छूट जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त गाड़ियों के ठहराने के समय को दो मिनट से बढ़ाकर पांच मिनट किया जायगा;

(ग) यदि हां, तो इस ठहरने का समय सीमा को कब तक बढ़ा दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ), जम्मू तवी सियालदाह एक्सप्रेस 2 मिनट, 3151 5 मिनट, 3009/3010 दून एक्सप्रेस 4 मिनट के लिए रुकती है। 3152 एक्सप्रेस की ठहराव की अवधि को 5 मिनट तक बढ़ाना परिचालनिक कठिनाई के कारण न तो व्यवहार्य है और न ही इसका औचित्य है।

[अनुवाद]

दितारी बांसपानी परियोजना

2052. श्री भक्त चरण दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू दितारी बांसपानी परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इस परियोजना पर अक्तूबर, 1996 तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है;

(ग) क्या जापान के आयात निर्यात बैंक ने इस परियोजना के लिये रुपये का ऋण देने के लिए इच्छा प्रकट की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह ऋण कब तक मिल जाएगा और सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वर्तमान प्रत्याशित लागत 402 करोड़ रु. है जिसमें विद्युतीकरण की लागत शामिल नहीं हैं।

(ख) 67.90 करोड़ रु. (सितंबर, 96 तक)

(ग) जी हां।

(घ) परियोजना रिपोर्ट उनके विचारार्थ प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ङ) यह केवल उनके उत्तर तथा निबंधन एवं शर्तें प्राप्त हो जाने तथा सरकार द्वारा विचार किए जाने के बाद ही पता चलेगा।

खुला आकाश संबंधी नीति

2053. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आकाश क्षेत्र में "खुला आकाश संबंधी नीति" के अन्तर्गत प्रवेश करने वाली अधिकांश निजी विमान कम्पनियां या तो बन्द हो गयी हैं अथवा उनकी उड़ानें बन्द हैं अथवा ये बन्द होने की स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा विभिन्न विमान कम्पनियों के संबंध में इसकी आंशिक अथवा पूर्ण रूप से विफलता के कारणों की अब तक समीक्षा कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) राज्यों के स्वामित्व वाली विमान कम्पनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए पंजीकृत चार सात अनुसूचित गैर-सरकारी विमान कम्पनियों में से दो प्रचालनात्मक विमान उपलब्ध न होने के कारण विमान सेवाओं का प्रचालन नहीं कर रहे हैं।

(ख) से (घ), अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवाओं से संबंधित नीति की समीक्षा के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में टेलीफोन सेवाएं

2054. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में पंचायतों में टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने संबंधी कोई योजना तैयार की है/ तैयार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितनी पंचायतों में संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दश के सभी गांवों का कम से कम एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने है और पंचायतें इस नीति के तहत स्वतः आ जाएंगी।

(ख) मध्य प्रदेश में कुल 19226 पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है। जिलावार ब्यौरे विवरण I में दिये गये हैं।

विवरण

टेलीफोन सुविधा वाली ग्राम पंचायतों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	गांवों की कुल संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	464
2.	बस्तर	673
3.	बैतूल	475
4.	भिन्ड	315
5.	भोपाल	127
6.	बिलासपुर	907
7.	छतरपुर	339
8.	छिंदवाड़ा	650
9.	दामोह	303
10.	दतिया	154
11.	देवास	430
12.	धार	348
13.	दुर्ग	446
14.	गुना	512
15.	ग्वालियर	258
16.	होशंगाबाद	412
17.	इंदौर	272
18.	जबलपुर	678
19.	झाबुआ	33
20.	खांडवा	534
21.	खरगोन	744
22.	मांडला	659
23.	मंदसौर	528
24.	मुरैना	635
25.	नरसिंहपुर	365
26.	पन्ना	159
27.	रायगढ़	721
28.	रायपुर	1025
29.	रायसेन	489
30.	राजगढ	426
31.	राजनंदगांव	379
32.	रतलाम	218
33.	रीवा	348
34.	सागर	547
35.	सरगुजा	299
36.	सतना	331
37.	सिहोर	302
38.	शिवनी	389
39.	शाहडोल	384
40.	शाजापुर	456
41.	शिवपुरी	440
42.	सिद्धी	271
43.	टीकमगढ़	254
44.	उज्जैन	387
45.	विदिशा	378
	कुल	19226

संभल में जीर्ण-क्षीर्ण संचार प्रणाली

2055. श्री डी.पी. यादव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संभल की संचार प्रणाली जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, इलेक्ट्रोमेकनिकल एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित करने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) मौजूदा इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंज को चालू वित्त वर्ष के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित करने की योजना बना ली गई है।

[अनुवाद]

विमान कम्पनियों का विस्तार

2056. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **नागर विमानन मंत्री**, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अक्तूबर, 1996 के "फायनानशियल एक्सप्रेस" में "एयरलाइन एक्सपेंशन में लीड टू ट्रैफिक कैयाज इन स्काईज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी विमान कम्पनियां अपनी कम्पनी में और विमान शामिल करने की इच्छुक हैं और निजी विमान कम्पनियों द्वारा अपने बेड़े का विस्तार किये जाने से वायुमार्ग में यातायात की भीड़ बढ़ जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी हां। समाचार में बताया गया है कि विमान यातायात में वृद्धि होने के कारण कुछ गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को और अधिक क्षमता अर्जित करने की योजना बनानी पड़ी है।

(ग) से (ङ). क्षमता का लगाया जाना और संबंधित आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। विमान परिवहन प्रचालनों की संरक्षा, सुरक्षा और सुचारू वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए, आधार संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता, और वर्तमान नीति के अनुसार, इसे ध्यान में रखकर, वर्तमान अनुसूचित प्रचालकों को क्षमता में वृद्धि की अनुमति दी जा रही है, तथा नये प्रचालकों को 50 सीटों की क्षमता तक के विमान आयात की अनुमति दी गयी है।

[अनुवाद]

एयर लंका में हिस्सा

2057. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया, एयर लंका में 40 प्रतिशत हिस्सा रखने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का विशेषकर अपने प्रचालन कार्य में खराब निष्पादन को ध्यान में रखकर एयर लंका में हिस्सा प्राप्त करने के फलस्वरूप किस प्रकार लाभान्वित होने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन योजनाएं तैयार करना

2058. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को अगले 15 से 20 वर्षों के लिए संदर्श पर्यटन योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसी योजनाएं तैयार कर ली हैं और स्वीकृति के लिए सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) उन योजनाओं को मंजूरी और धनराशि उपलब्ध कराने के लिए उचित समन्वय करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). निम्नलिखित राज्य सरकारों ने पर्यटन के विकास के लिए प्रमुख योजनाएं बनाई हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. गोवा
3. हिमाचल प्रदेश
4. कर्नाटक
5. केरल
6. मध्य प्रदेश
7. पंजाब
8. राजस्थान
9. तमिलनाडु
10. असम
11. अण्डमान एवं निकोबार

(ग) और (घ). इन प्रमुख योजनाओं में पर्यटन के विकास के लिए व्यापक क्रियाकलापों का वर्णन है, जिन्हें एक निश्चित समयावधि तथा प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित करना होता है। योजना आयोग, संबंधित राज्य सरकार और पर्यटन विभाग एक साथ योजना पर विचार-विमर्श करते हैं। इन मुख्य योजनाओं के आधार पर चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए धनराशि केन्द्र, राज्य सरकारों और निजी-क्षेत्र से प्राप्त की जाती है।

रेलवे स्टेशनों का विकास

2059. श्री रमेश चेन्निथला :
श्री वी.एम. सुधीरन :
प्रो. पी.जे. कुरियन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में किन-किन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विस्तार/विकसित किया गया है;

(ख) केरल में किन-किन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विस्तार/विकसित किया जा रहा है और बजटीय आवंटन सहित इन

पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है और यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा;

(ग) निकट भविष्य में किन-किन रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण/विस्तार/करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को अलेपी रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कालीकट, एर्णाकुलम जं. तेल्लिचेरी, चेगंनचेरी, चेंगन्नूर पट्टाम्बी, तिरूवंनतपुरम, सेंट्रल और कण्णनोर।

(ख) 108.07 लाख रु. की कुल लागत से त्रिचूर, एट्टमनूर, कायनकुलम जं. और चालाकुडी पर विभिन्न विकास कार्य शुरू कर दिए हैं जिसके लिए 1996-97 के दौरान 72.90 लाख रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। मार्च, 98 तक इन स्टेशनों के कार्यों के पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा प्रत्येक वर्ष में निधियों की कुल उपलब्धता पर निर्भर करते हुए आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें शुरू किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड/हिन्दुस्तान जिंक निगम की वृद्धि दर

2060. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान जिंक निगम आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्रत्याशित वृद्धि दर के अनुसार कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन संगठनों की आधुनिकीकरण योजना तथा नौंवी योजना अवधि की अनुमानित वृद्धि दर क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). स्रोतों की कमी के कारण हिन्दुस्तान कॉपर लि. (एचसीएल) प्रगालन और शोधन क्षमता का 47,500 टन वार्षिक से 61,500 टन वार्षिक तक विस्तार के लिए आवश्यक निवेश नहीं कर पाया। अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शोधित तांबे का उत्पादन लगभग स्थिर रहा।

चंदेरिया में नए सीसा-जस्ता प्रगालक के गैर-स्थिरीकरण और आयातित सीसा सांद्रों के अलाभकर मूल्यों के फलस्वरूप हिन्दुस्तान जिंक लि. ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से कम उत्पादन किया।

(घ) एच.सी.एल. ने 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में खेतड़ी कॉपर काम्प्लैक्स के प्रगालक और शोधन शाला क्षमता का 31,000 टन वार्षिक से 1,00,000 टन वार्षिक तक विस्तार करने की योजना बनाई है जिससे कम्पनी की प्रगालन और शोधन क्षमता वर्तमान 47,500 टन वार्षिक से 1,16,500 टन वार्षिक तक बढ़ जाएगी।

हिन्दुस्तान जिंक लि. ने 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्तमान जस्ता प्रगालन क्षमता 20000 टन वार्षिक तक बढ़ाने और 60000 टन वार्षिक की एक नई जस्ता प्रगालक की स्थापना की योजना बनाई है।

खनिज भंडारों के संबंध में एयरो मैग्नेटिक सर्वेक्षण

2061. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खनिज भंडार की संभावना का पता लगाने के लिए आस्ट्रेलिया द्वारा एयरो मैग्नेटिक सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में हीरे, सोने और अन्य बहुमूल्य खनिजों का उचित रूप से दोहन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार ने वर्ल्ड जियोसाइंस लि., आस्ट्रेलिया की मदद से फूलबनी, बौध, बांलानगीर, नौपारा, अंगुल, ढेंकागाल और कालाहांडी के भागों और मयूरभंज जिलों के 75,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का हवाई चुम्बकीय सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने की जरूरत है और इस स्तर पर यह बताना असामायिक होगा कि इन खनिजों के विदोहन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

अंगामाली-मुवत्तुपुजा-पाला-इरुमेली रेलवे लाइन की सर्वेक्षण रिपोर्ट

2062. श्री पी.सी. थामस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंगामाली-मुवत्तुपुजा-पाला-इरुमेली रेलवे लाइन के सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उक्त लाइन पर काम कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

टावर टेलीफोन

2063. डा. जी.आर. सरोदे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जलगांव जिले के कुछ पंचायतों में टावर टेलीफोन लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) कार्यरत ऐसे टावर टेलीफोनों की संख्या कितनी है; और

(घ) उन्हें कार्य करने योग्य बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) महाराष्ट्र के जलगांव जिले की कुछ पंचायतों में एम ए आर आर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संस्थापित किए गए हैं।

(ख) प्रति ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का औसत व्यय 80,000 रु. है।

(ग) एम ए आर आर प्रणाली के कुल 212 ग्रामीण पंचायत टेलीफोन कार्य नहीं कर रहे हैं।

(घ) सभी एम ए आर आर टेलीफोनों को अच्छी तरह कार्य करने योग्य बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

मंडी में अर्चना एयरवेज के विमान की दुर्घटना

2064. श्री सत महाजन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हवाई पट्टी के निकट मंडी जनपद में अर्चना एयरवेज के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच के क्या परिणाम रहे?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जांच रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

केरल में उपरि पुलों का निर्माण

2065. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रेल उपरि पुलों पर चल रहे निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन निर्माण कार्यों पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अनुमानित व्यय कितना है;

(ग) क्या सरकार को केरल में अम्बाला पूना रेल उपरि पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने में हो रहे अत्यधिक विलम्ब की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं, और इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). ब्यौरा निम्नानुसार है :—

कार्य का नाम	रेल द्वारा खर्च की जाने वाली लागत (लाख रुपये में)	रेलों द्वारा अब तक किया गया खर्च (लाख रु. में)
1. वेलिंगटन द्वीप और कोचीन बाई पास को जोड़ने वाला लिंक रोड (एन.एच. 47 ए) पर ऊपरी सड़क पुल।	375.95	141.95
2. वरकाला में निचला सड़क पुल	189.16	
3. वडकनचेरी और मुल्लूरकरा के बीच ऊपरी सड़क पुल	30.65	12.65
4. तल्लीचेरी के निकट ऊपरी सड़क पुल।	91.86	103.68

(ग) और (घ). संविदागत समस्याओं के कारण कार्य में विलम्ब हुआ था। 80% कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य के 31.8.97 तक पूरा होने की संभावना है।

अंबाला और मुरादाबाद मण्डल के अंतर्गत नई रेलवे लाइन

2066. श्री मुनव्वर हसन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अम्बाला और मुरादाबाद मण्डल के अंतर्गत नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आपराधिक मामलों में वृद्धि

2067. श्री मुरलीधर जेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल उड़ीसा नई दिल्ली के बीच चलने वाली गाड़ियों में संबंधित कर्मियों की लापरवाही के कारण इन दिनों आपराधिक मामलों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ठेके पर कमांडरों/पायलटों की भर्ती

2068. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स में ठेके पर पायलट, कमांडर आदि की भर्ती करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन कर्मियों की भारी कमी के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने हेतु क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). कमांडरों की विद्यमान तथा अप्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिए, सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स को ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कमांडरों, जिनके पास वैध लाइसेंस है, को दो वर्ष की अवधि के लिए तथा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ठेके पर, नियुक्त करने की अनुमति दे दी है।

[अनुवाद]

ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क

2069. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). प्रस्तावित ट्रांस एशियन रेल पर यू.एन. एस्कैप द्वारा अपनी एशियाई भूतल परिवहन अवसंरचना विकास परियोजना के अंतर्गत विचार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोप तक आधारभूत रेल सम्पर्क मुहैया कराना है। इसमें यह भी कल्पना की गई है कि यह नेटवर्क रेलवे का विस्तार करके लैंड लाक्ड देशों को पड़ोसी क्षेत्रों के मुख्य भाग से भी जोड़ेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली हवाई अड्डे पर आग लगना

2070. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर विशेषकर दिल्ली हवाई अड्डे पर आग लगने से सरकारी संपत्ति नष्ट हुई है;

(ख) यदि हां, तो नष्ट हुई संपत्ति का राज्य-वार/विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अग्निकांडों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जांच-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए गए?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). वर्ष 1994 से 1996 तक की अवधि के दौरान देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर आग लगने की घटनाएं निम्नवत हैं :—

1994 कोई घटना नहीं हुई।

1995 एक घटना दिनांक 18.2.95 को मुम्बई विमानपत्तन के टर्मिनल 1बी में स्थित आयुद्त के कार्यालय में आग लग गई। अनुमानतः 3.02 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बिजली की फेयरल में आग लगने से दुर्घटना हुई थी।

1996 तीन घटनाएं (1) दिनांक 1.2.96 को तमिलनाडु में तिरूचिरापल्ली विमानपत्तन पर आग लगी जिससे भारतीय तेल निगम के दो टैंक और एक तेल शेड ध्वस्त हो गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय तेल निगम को क्रमशः 30000 रु. और 2.5 लाख रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ।

(2) 19.8.96 को गुवाहाटी विमानपत्तन पर बिजली की शार्ट सर्किट हो जाने से आग लग गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अनुमानतः 2000 रुपए का नुकसान हुआ था।

(3) दिनांक 30.10.96 को आग लगने से दिल्ली विमानपत्तन का टर्मिनल 1ए पूरी तरह से नष्ट हो गया था। भारतीय

विमानपत्तन प्राधिकरण को अनुमानतः 11 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक विशेषज्ञ समिति आग लगने के कारण की जांच कर रही है।

(ङ) विमानपत्तन के सभी टर्मिनलों पर एक एककालिक जांच तथा अग्निशमन व्यवस्थाओं जिनमें फायर अलार्म प्रणाली भी शामिल है, का निरीक्षण किया जा चुका है। टर्मिनल भवनों पर फायर डिटेक्शन और अलार्म प्रणाली अग्निशामक यंत्र, वेट राइजर और फायर हाइड्रेंट प्रणाली तथा वातानुकूलन प्रणाली की रिटर्न एयरडक्ट में फायर डैम्पर लगवाए गए हैं।

बाल फिल्मों का विकास

2071. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल फिल्मों का विकास समुचित और संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). बाल फिल्में क्योंकि एक विशिष्ट आयु वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं इसलिए इनका सीमित बाजार है और अतः इनका निर्माण सीमित संख्या में किया जाता है।

(ग) बाल फिल्म समिति, भारत (जिसे अब राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र अथवा संक्षिप्त में रा.बा. एवं यु.च.के. कहा जाता है) की स्थापना विभिन्न भाषाओं में बाल फिल्मों का निर्माण करने के लिए की गई है। 1995-96 में इसे बाल फिल्मों के निर्माण के लिए योजना के तहत 160 लाख रु. का सहायता अनुदान दिया गया था। राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र सम्पूर्ण विश्व से उत्कृष्ट बाल फिल्में आमंत्रित करके प्रत्येक एकान्तर वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन करता है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा बाल फिल्म के रूप में प्रमाणित फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने के लिए राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों द्वारा विचार किया जाता है। सरकार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्तम बाल फिल्म को पुरस्कार भी प्रदान करती है।

महाराष्ट्र में अपर्याप्त टेलीफोन सुविधाएं

2072. श्री दत्ता मेघे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां टेलीफोन सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या उन जिलों में संचार सुविधाओं के प्रसार हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). महाराष्ट्र के सभी जिलों में प्रतीक्षा सूची है तथा 31.10.1996 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची का जिलावार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। महाराष्ट्र के सभी जिलों में संचार सुविधाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1996-97 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए जिलावार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची वाले जिलों के नाम तथा चालू वर्ष (1996-97) के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य।

क्र.सं.	जिले का नाम	31.10.96 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	वर्ष 1996-97 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4
1.	जलगांव	12562	5800
2.	रायगढ़	6548	7000
3.	कल्याण	65171	36000
4.	रत्नागिरी	6018	1800
5.	सिंधदुर्ग	3083	1500
6.	सांगली	12787	7000
7.	सतारा	7626	5800
8.	शोलापुर	9597	8800
9.	नागपुर	16448	13000
10.	बीड़	2907	1700
11.	जालना	1631	700
12.	लातूर	3676	3000
13.	उस्मानाबाद	1514	1200
14.	परभानी	1634	1600
15.	अहमदनगर	14669	9200
16.	औरंगाबाद	8045	7600
17.	नांदेड़	2439	2700
18.	नासिक	26646	15300
19.	धुले	8359	4700
20.	पुणे	54808	39500
21.	अकोला	3658	3900
22.	अमरावती	4815	3700
23.	भंडारा	1793	1100
24.	बुलधाना	2132	1000

1	2	3	4
25.	कोल्हापुर	12761	4400
26.	चंद्रपुर	2912	2500
27.	गढ़चिरोली	412	(262)*
28.	वर्धा	1715	1500
29.	येवतमाल	3273	1000

* टिप्पणी-* चंद्रपुर के 2912 गौण स्विचन क्षेत्रों के 25000 में से।

[अनुवाद]

तलचेर-सुकिंदा रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

2073. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रस्तावित तलचेर-सुकिंदा रेलवे लाइन संबंधी कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस लाइन के निर्माण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इसकी अनुमानित लागत क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) क्षेत्रीय रेलवे के परामर्श से सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही योजना आयोग के साथ मिलकर इस पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत 245.58 करोड़ रुपये है।

राजस्थान से नई रेलगाड़ियां चलाना

2074. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान से नई रेलगाड़ियां चलाए जाने के लिए राजस्थान सरकार ने कोई मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी कुछ मांगों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में नई रेलगाड़ियां चलाए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ग) पिछले तीन वर्षों (जनवरी 94 से अक्तूबर 96 तक) के दौरान राजस्थान को सेवित करने के लिए चलायी गयी गाड़ियों में निम्नलिखित गाड़ियां शामिल हैं :—

1994

1. 391/392 (नयी संख्या, 199/200) बीकानेर-जयपुर फास्ट पैसेन्जर।
2. 4721/4722 नई दिल्ली-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस।
3. 393/394 जोधपुर-बीकानुर पैसेन्जर।
4. 2465/2466 जोधपुर-जयपुर एक्सप्रेस।
5. 181/182 जयपुर-रेवाड़ी शटल।
6. 183/184 अलवर-रेवाड़ी शटल।
7. 185/186 अलवर-मथुरा शटल।
8. 2413/2414 जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस।
9. 2015/2016 नई दिल्ली-जयपुर शताब्दी एक्सप्रेस।
10. 4711/4712 चण्डीगढ़-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस।
11. 9735/9736 जयपुर-सीकर-लोहारू एक्सप्रेस।
12. मेड़ता रोड और मेड़ता सिटी के बीच 10 जोड़ी रेल बस सेवाएं।

1995

1. 2461/2462 मंडौर एक्सप्रेस।
2. 4863/4864 मरूधर एक्सप्रेस।
3. 187/188 जयपुर-हिसार शटल।
4. 9759/9760 जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस।
5. 2467/2468 बीकानेर-जयपुर एक्सप्रेस।
6. 1 जेपीजे/2 जेपीजे-जैसलमेर-जोधपुर पैसेन्जर।
7. 2307/2308-जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस।
8. बीकानेर और कोलायत के बीच 4 जोड़ी रेल बस सेवाएं।

1996

1. 33/34-नामच-चित्तौड़गढ़ पैसेन्जर।
2. 2413ए/2414ए जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस।
3. 2307ए/2308ए-बीकानेर-मेड़ता रोड लिंक एक्सप्रेस।
4. 9767/9768-जयपुर-मद्रास एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
5. 201/202-अजमेर-जयपुर फास्ट पैसेन्जर।
6. 1/2 डी आर रतनगढ़-डेगाना पैसेन्जर।
7. 4311/4312-अजमेर-बरेली एक्सप्रेस।

प्रायोजित समाचार कार्यक्रमों को अनुमति न देना

2075. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रायोजित समाचार कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर अनुमति न देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सामयिक कार्यक्रमों (करंट अफेयर प्रोग्राम) को दूरदर्शन पर अनुमति देने की संभावना है यदि वे दूरदर्शन के अधिकारियों की नियमित जांच के लिए कार्यक्रमों को भेजें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). दूरदर्शन पर प्रायोजित/क्रमीशंड श्रेणियों के अन्तर्गत सामयिक कार्यक्रम पहले से ही प्रसारित किए जा रहे हैं बशर्ते वे प्रसारण संहिता और दूरदर्शन के निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हों।

[हिन्दी]

अतिरिक्त रेल मार्ग की लम्बाई

2076. श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जोन-वार रेल मार्ग की लंबाई में हुए अतिरिक्त योग का क्या ब्यौरा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तथा प्राप्ति का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान पश्चिमी जोन में रेल मार्ग की लम्बाई में अतिरिक्त योग नगण्य था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे मार्ग किलोमीटर में क्षेत्रवार शुद्ध बढ़ोत्तरी संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) नई लाइनों के निर्माण का लक्ष्य 428 कि.मी. था जिसकी तुलना में उपलब्धि 374 कि.मी. रही है। आमान परिवर्तन के फलस्वरूप हुए समायोजन से भी मार्ग की लम्बाई में कुछ वृद्धि हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेलवे	मार्ग कि.मी.		मार्ग की लंबाई	टिप्पणी
	31.3.93	31.3.96 में शुद्ध वृद्धि		
मध्य	7,076	7,047	(-)29	मथुरा अलवर खंड के एक भाग को पश्चिम रेल को दिए जाने के कारण कमी।
पूर्व	4,303	4,318	(+)15	
उत्तर	10,995	11,004	(+)9	
पूर्वोत्तर	5,130	5,107	(-)23	लखनऊ मंडल में लाइन के एक भाग का बंद कर दिए जाने और कुछ भाग उत्तर रेलवे को सौंप देने के कारण कमी।
पूर्वोत्तर सीमा	3,858	3,816	(-)42	चपरमुख-सिलघट टाउन लाइन को बंद करने के कारण आंशिक कमी।
दक्षिण	7,009	7,049	(+)40	
दक्षिण मध्य	7,218	7,203	(-)15	सिकंदराबाद मंडल में दोहरी लाइन खंड के विद्युतीकरण मार्ग कि.मी. को अद्यतन किये जाने के कारण।
दक्षिण पूर्व	7,161	7,351	(+)190	
पश्चिम	9,736	10,020	(+)284	
जोड़	62,486	62,915	(+)429	

विदेशों में रेल परियोजनाएं

2077. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में देश-वार भारतीय रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेल मंत्रालय के अधीन रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसिज लिमिटेड (राइट्स) तथा इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकान) नामक सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम विदेशों में रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन/निष्पादन करते हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	देश	परियोजना	मूल्य
1	2	3	4
राइट्स			
1.	मार्जाम्बिक	मोएफएम के लिए वित्त विशेषज्ञ एवं लेखा अधिकारी की व्यावसायिक सेवाएं।	0.212 मि.अ.डा.
2.	बोत्स्वाना	प्रबंधन सहायक सेवा परियोजनाएं।	0.389 मि.अ.डा.
3.	घाना	घाना रेलवे प्राधिकरण के लिए सलाहकार परामर्श इंजीनियर सेवाएं।	0.083 मि.अ.डा.
4.	कैमरून	मैलंग डस्चंग रोड के लिए अतिरिक्त इंजीनियरी अध्ययन।	0.140 मि.अ.डा.
5.	तंजानिया	(क) सामान्य प्रबंधन सहायता तंजानिया रेलवे निगम।	0.393 मि.अ.डा.
		(ख) तंजानियां रेलवे निगम के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण।	0.151 मि.अ.डा.
		(ग) तंजनिया रेलवे निगम के लिए ईंधन कुशलता अध्ययन।	0.151 मि.अ.डा.
		(घ) 140 कि.मी. रेलपथ नवीकरण परियोजना तंजानिया रेलवे निगम।	0.275 मि.अ.डा.
		(ङ) तकनीकी प्रबंधन सहायता-तंजानिया रेलवे निगम।	0.320 मि.अ.डा.
6.	नेपाल	(क) नेपाल में 9 पुलों के लिए डी पी आर तैयार करना और निर्माण प्रबंधन करना, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।	रु. 248 लाख
		(ख) जनकपुर रेलों पर बिग्गोपुल का पुनर्स्थापन।	रु. 7 लाख
		(ग) भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क।	रु. 7.50 लाख
		(घ) नेपाल में एमएमटी और टीएफटी के लिए पर्यावरण निर्धारण संबंधी अध्ययन।	रु. 7 लाख
		(ङ) 2 अदद रेल इंजनों, 12 अदद सवारी डिब्बों की आपूर्ति और सहायता सेवाएं।	रु. 501.20 लाख
		(च) नेपाल में जनकपुर के ईद-गिर्द प्रस्तावित आउटर रिंग रोड संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन।	रु. 12.00 लाख
7.	भूटान	भूटान में 3 पुलों के लिए डी पी आर और निविदा प्रलेख तैयार करना-विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।	रु. 28 लाख
8.	ट्यूनिशिया	फास्फेट की ढुलाई करने वाले माल डिब्बों का उन्नयन।	रु. 41 लाख
9.	मलेशिया	(क) स्वचालित नक्कल ट्यूब कपलर के संबंध में परामर्श सेवाएं।	रु. 28.22 लाख
		(ख) क टी एम वी के माल डिब्बों और सवारी डिब्बों के लिए अनुरक्षण प्रबंधन सेवाओं हेतु परामर्श।	रु. 0.177 मि.अ.डा.
10.	मारीशस	मारीशस में रिजर्वायर सेडीमेन्टेशन अध्ययन।	0.135 मि.अ.डा.

1	2	3	4
11.	श्रीलंका	बड़ी लाइन के डब्ल्यूडीएम 6 रेल इंजन की आपूर्ति।	रु. 320 लाख
12.	वियतनाम	(क) वाई डी एम 4 डीजल रेल इंजनों तथा वातानुकूल सवारी डिब्बों के लिए अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति।	रु. 292 लाख
		(ख) रेल इंजन के अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई।	रु. 0.80 लाख
		(ग) डीजल रेल इंजन के अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति।	रु. 52.93 लाख
13.	पेरू	(क) एलको इंजनों के लिए डीजल रेल इंजन के अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति।	रु. 120.30 लाख
14.	चिली	एलको इंजनों के लिए डीजल रेल इंजन के अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति।	रु. 1 लाख
15.	बंगलादेश	रेल इंजनों का अनुरक्षण।	रु. 1800 लाख
इरकान			
1.	तजानिया	तंजानिया रेलवे निगम के लिए 100 बीएस 90 ए टर्न आउटों और सहायक पुर्जों की आपूर्ति।	269 लाख रुपये
2.	नेपाल	(क) घरान में पेंशन भुगतान कार्यालय परिसर का निर्माण।	354 लाख रु.
		(ख) सड़क पुनर्स्थापन परियोजना।	981 लाख रु.
3.	बंगलादेश	(क) बंगलादेश रेलों के मेमनसिंह-जमालपुर खण्ड पर छः रेलवे स्टेशनों के लिए रेल सिगनल और अन्तर्पाशन संबंधी कार्य।	600 लाख रु.
		(ख) दूसरी सड़क की पुनर्स्थापन और अनुरक्षण परियोजना।	3000 लाख रु.
4.	ईरान	ईरानी इस्लामिक गणराज्य की सरकारी रेलों के अहवाज-बदरे-इमाम खंड पर सिगनल परियोजना/ठेके पर हस्ताक्षर हो गए हैं परन्तु कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है।	2055 लाख रु.
5.	मलेशिया	(क) मलेशियाई रेलों उपयोग के लिए 10 अतिरिक्त वाई डी एम 4 डीजल रेल इंजनों को पट्टे पर देना।	
		(ख) पूर्व में सप्लाई किए गए 24 रेल इंजनों का अब अनुरक्षण किया जा रहा है।	5068 लाख रु.
		(ग) मलेशिया में पोर्ट क्लांग के निकट दक्षिणी कार्ड लाइन का निर्माण और उसे चालू करना।	275 लाख रु.
6.	अंगोला, इटली और लेबनान	संयुक्त राष्ट्र न्यूयार्क के लिए इंजीनियरी तथा सहायता सेवाओं की व्यवस्था के लिए ठेका।	4.95 मिलियन अमरीकी डालर

[अनुवाद]

राजभाषा हिंदी पुरस्कार

2078. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष राजभाषा हिंदी की परीक्षा आयोजित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) न्यायाधीशों की तालिका तैयार करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) क्या इस वर्ष पुरस्कार के लिए चयन किए गए कर्मचारियों का चयन योग्यता के आधार पर किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). जी नहीं, प्रश्न नहीं उठते।

डिब्बों की कमी

2079. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमांत और दक्षिण-पूर्व रेलवे में सभी प्रकार के डिब्बों की कमी है;

(ख) सरकार द्वारा इन मंडलों को अतिरिक्त सवारी डिब्बे प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन मंडलों को दूसरे मंडलीय रेलवे से डिब्बे लेने पड़ते हैं;

(घ) क्या डिब्बों के अभाव में हावड़ा और नई जलपाईगुड़ी के बीच शताब्दी एक्सप्रेस को चालू नहीं किया जा सका है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) निर्धारित सूची के अनुसार गाड़ियों को चलाने के लिये सवारी डिब्बों की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग). 3017/3018 हावड़ा रामपरहाट एक्सप्रेस को शुरू करने के लिए पूर्व रेलवे ने 1996-97 के दौरान नये वात ब्रेक सवारी डिब्बों का आबंटन किया है। 2307/2308 एक्सप्रेस को वात ब्रेक में परिवर्तित करने के लिए तथा 3143/3144 मेल को वात ब्रेक में परिवर्तन के लिए वर्ष के दौरान नये सवारी डिब्बे दिये जाएंगे। 2801/2802 एक्सप्रेस वात ब्रेक में परिवर्तन के लिए द.पू. रेलवे को सवारी डिब्बे दिये गए हैं। इसी तरह चालू वर्ष के दौरान 5659/5660 कामरूप एक्सप्रेस और 5645/5646 एक्सप्रेसों का वात ब्रेक में परिवर्तन के लिये पू.सी. रेलवे को नये सवारी डिब्बे दिए जाएंगे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

टिकियापाड़ा रेलवे यार्ड में रेलवे कर्मचारियों को सुविधाएं

2080. श्री हाराधन राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के टिकियापाड़ा रेलवे यार्ड में रात्रि में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त प्रकाश, डाक्टरों, एम्बुलेंस, टेलीफोन और कैंटीन आदि की सुविधाएं न होने के कारण भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनको अक्सर अपनी ड्यूटी "डाक्स" पर करनी पड़ती है जहां हमेशा गंदा पानी भरा रहता है;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के उच्चाधिकारियों का ध्यान इन समस्याओं की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। दिन के समय में कैन्टीन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) टिकियापाड़ा एक निचला क्षेत्र है और मानसून के दौरान वहां पानी भर जाता है। पानी को निकालने के लिए पम्प मुहैया कराए गए हैं जिन्हें चौबीसों घन्टे चलाया जाता है।

(ग) और (घ). जी हां। टिकियापाड़ा कोचिंग यार्ड में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और इस व्यवस्था की नियमित रूप से जांच की जाती है। दिन के समय टिकियापाड़ा डिस्पेंसरी के डाक्टरों के अलावा रेलवे के हावड़ा ऑर्थोपेडिक चिकित्सालय में पर्याप्त टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं जो टिकियापाड़ा यार्ड से लगभग 2 कि.मी. दूर हैं। पानी भरने की समस्या के समाधान के लिए जल निकासी प्रणाली में सुधार करने के लिए हावड़ा म्युनसिपलिटी के मेयर के साथ बैठक की गई है।

[हिन्दी]

देश में पाश्चात्य टेलीविजन संस्कृति

2081. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में पाश्चात्य टेलीविजन चैनलों के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक औपचारिक सांस्कृतिक नीति तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पेजिंग सेवा

2082. श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1996 के "द इकानोमिक टाइम्स" में "पेजर्स ए फैट बुक बट ए फ्यू पेजज मिसिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) मंत्रालय द्वारा पेजिंग सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए उसे पूरा करने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं; और

(घ) निकट भविष्य में उपभोक्ताओं को सेल्यूलर फोन और पजरस् की मांग के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इससे किस क्षेत्र में वृद्धि दर के बढ़ने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार विभाग द्वारा पेजिंग और सेल्यूलर सेवाओं के लिए बाजार का कोई अध्ययन नहीं किया गया।

(ग) और (घ). दूरसंचार विभाग ने भारतीय पंजीकृत कंपनियों की गैर-विशिष्ट आधार पर रेडियो पेजिंग तथा सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवाओं के लिए लाइसेंस दिए हैं। किसी सेवा क्षेत्र में सेल्युलर सेवाओं के लिए दो स्थान (स्लाट) तथा रेडियो पेजिंग सेवा के लिए 2 से 5 स्थान (स्लॉट) आबंटित करने की सीमा रखी गई है। जम्मू एवं कश्मीर तथा अण्डमान एवं निकोबार क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किलों में सेल्युलर सेवा के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। पटना शहर को छोड़कर बिहार सर्किल में भी रेडियो पेजिंग सेवा के लिए भी कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। यह आशा है कि लाइसेंस प्राप्तकर्ता कंपनियाँ देश में पेजिंग तथा सेल्युलर सेवाओं के बढ़ते उपभोक्ता आधार की मांग का पूरा कर सकेंगे।

[हिन्दी]

पर्यटकों को असुविधा

2083. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आगरा-फतेहपुर सीकरी के बीच आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ।। के भारी क्षतिग्रस्त होने और इस संकरे मार्ग पर भारी यातायात के कारण फतेहपुर-सीकरी क्षेत्र में पर्यटकों को होने वाली असुविधा और वहां बार-बार हान वाली दुर्घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर ही, यातायात के योग्य दशा में रखने के लिए सभी तरह के प्रयास करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. ।। के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि, भारी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करने का कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बों का निर्माण

2084. श्री महबूब जहेदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बों का निर्माण बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कालका मेल, दार्जिलिंग मेल, मुम्बई-हावड़ा मेल, अमृतसर मेल, कोरोमंडल एक्सप्रेस एवं गीतांजलि एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूलित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के संयुक्त डिब्बों को जोड़ने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यात्रियों ने इन संयुक्त डिब्बों को पसंद नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पूर्ण रूप से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बे पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं पूर्वोत्तर रेलवे को उपलब्ध कराए जाएंगे;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) इस खंड में राजधानी एक्सप्रेस में उच्च श्रेणी स्थान में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कालका मेल तथा पूर्वा एक्सप्रेस में आंशिक तौर पर प्रथम श्रेणी वातानुकूल सवारी डिब्बे उपलब्ध करा दिए गए हैं जबकि कोरोमंडल तथा गीतांजलि एक्सप्रेस पर कोई प्रथम श्रेणी वातानुकूल सवारी डिब्बा नहीं है, मुंबई-हावड़ा तथा अमृतसर मेल पर पूर्ण प्रथम श्रेणी वातानुकूल सवारी डिब्बे चल रहे हैं। 18.11.1996 से दार्जिलिंग मेल के आंशिक तौर पर प्रथम श्रेणी वातानुकूल सवारी डिब्बों को पूरे प्रथम श्रेणी वातानुकूल सवारी डिब्बों से बदल दिया गया है।

(ग) और (घ). आंशिक तौर पर प्रथम श्रेणी वातानुकूल सवारी डिब्बे बहुत लंबे समय से उपयोग में है। आंशिक या पूर्ण प्रथम श्रेणी वातानुकूल सवारी डिब्बों की व्यवस्था यातायात संभावनाओं पर निर्भर करती है। आंशिक तौर पर प्रथम श्रेणी वातानुकूल सवारी डिब्बों का संरक्षण अच्छा रहा है।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ). प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में रेल संपर्क

2085. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने समूचे पश्चिम बंगाल में उत्तर-दक्षिण को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल में पूर्व-पश्चिम को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां चलाने के लिए मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या मुर्शिदाबाद, नाडिया, बीरभूम, बांकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर जिलों के बीच ऐसी रेलगाड़ियां चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि दुर्गापुर से बांकुरा होकर झारग्राम, रानीगंज से मेनिया होकर बांकुरा रेल लाईन का निर्माण करके और बर्द्धमान-कटवा छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलकर ये रेलगाड़ियां चलाना अत्यधिक जरूरी है;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय का सभी जिलों को सीधी रेलगाड़ियां चलाने के लिए पूर्वी रेल लाइन को दक्षिण पूर्व रेल लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पूर्व-पश्चिम संपर्क नैहाटी और बंडेल तथा चामराग्राम और न्यू फरूक्का के बीच उपलब्ध है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते। तथापि, बांकुरा-दामोदर रेल के आमान परिवर्तन तथा उसके तारकेश्वर/वर्धमान/दुर्गापुर तक विस्तार के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही इस संपर्क के संबंध में आगे विचार करना संभव होगा।

(ङ) और (च). दक्षिण-पूर्व रेलवे तथा पूर्व रेलवे पहले ही एक-दूसरे से जुड़ी है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज

2086. श्री.मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बलसाड़ जिले में बन्दरबेला, संजान, पनेहलाई और अन्य स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने संबंधी कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। गुजरात में बलसाड़ जिले के बन्दरबेला, पाने हलार तथा अन्य स्थानों पर टेलीफोन स्थापित करने की मांग की गई है। इस जिले में पांचाली नाम का कोई गांव नहीं है। यह पानेहलार के स्थान पर गलत छप गया प्रतीत होता है।

संजन में एक टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही कार्यरत है।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान, बन्दरबेला और काकबाड़ में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। 1997-98 के दौरान, पनेहलार के आवेदकों को कृष्णपुर में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्थानीय टेलीफोनों का दुरूपयोग

2087. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायनामिक लॉकिंग सिस्टम द्वारा एसटीडी लॉकिंग सुविधा की तरह स्थानीय टेलीफोनों के दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का दिल्ली और मुम्बई में स्थानीय टेलीफोनों के लिए गुप्त लॉकिंग प्रणाली शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो गुप्त लॉकिंग प्रणाली के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). डाइनामिक लॉकिंग सुविधा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता बाहर जाने वाली सभी प्रकार की कॉलों को बंद करके स्थानीय कॉलों के साथ-साथ एसटीडी/आईएसडी कॉलों के दुरूपयोग पर रोक लगा सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

तमिलनाडु में डाकघर

2088. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) डाकघरों को वार्षिक योजना स्कीम के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से खोला जाता है बशर्ते कि वे विभागीय मानदंडों को पूरा करते हों और संसाधन भी उपलब्ध हों। बस रही कालोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के संबंध में विभाग की नीति यह है कि इसके लिए ग्राम पंचायत वाले ऐसे ग्रामों को तरजीह दी जाती है जहां मूलभूत डाक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तथापि चालू वार्षिक योजना के दौरान तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लक्ष्य की तुलना में वर्ष के दौरान 4 अतिरिक्त विभागीय डाकघर खोले गए।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

2089. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार आज तक टेलीफोन कनेक्शन के लिए लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनके शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिनांक 31.10.96 की स्थिति के अनुसार लंबित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान, दूरसंचार विभाग द्वारा लगभग 24.5 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार 8वीं योजना के दौरान नए कनेक्शनों की संख्या 86 लाख हो जाएगी। भविष्य में भी यही वृद्धि दर बनाए रखने का प्रस्ताव है।

विवरण

दिनांक 31.10.96 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए लंबित पड़े आवेदन-पत्रों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	215625
2.	असम	27335
3.	बिहार	57435
4.	गुजरात (दादर, दीव, दमन तथा नगर हवेली सहित)	284644
5.	हरियाणा	97297
6.	हिमाचल प्रदेश	46585
7.	जम्मू एवं कश्मीर	28844
8.	कर्नाटक	230318
9.	केरल (लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र)	590330
10.	मध्य प्रदेश	62223
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	388276
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा सहित)	14920
13.	उड़ीसा	23057
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	228129
15.	राजस्थान	188753
16.	तमिलनाडु (संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी सहित)	442902
17.	उत्तर प्रदेश	178104
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित)	156759
19.	दिल्ली	73861

[अनुवाद]

दूरसंचार उपकरण

2090. श्री जी.ए. चरण रेड्डी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सहित ग्यारह राज्यों के लिए कतिपय दूरसंचार उपकरणों तथा 8 एम.बी./एस. (ओ.एल.टी.ई.+एम.यू.एक्स.+डी.डी.एफ.) को उत्तर प्रदेश को दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) आन्ध्र प्रदेश अन्य राज्यों को इन उपकरणों का खेप कब तक मिल जाएगा;

(घ) उपकरणों के इस अन्यत्र उपयोग करने हेतु दोषी अधिकारियों को सजा देने के लिए जांच कराई गई है अथवा इसका प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। पूर्वी उत्तर प्रदेश सर्किल में तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपस्कर उन्हें दे दिया गया था। तथापि, इस उपस्कर की आपूर्ति शुरू होने से पहले ही इन सभी ।। राज्यों को ऐसा उपस्कर पुनः आवंटित कर दिया गया था और इन सभी राज्यों को अतिरिक्त मात्रा में भी उपस्कर आवंटित कर दिया गया था।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों को मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित उपस्कर मिलने की आशा है।

(घ) और (ङ). उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भारित पट्टे पर ए-310 एस और एल 1011 विमान

2091. श्री संतोष मोहन देव :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोप की कारिबजेट और अमरीका की एयरोक्लब से तीन एयरबस ए-310 एस और दो लॉकहीड एल-1011 विमानों को भारित पट्टे पर लेने संबंधी सौदे की जांच के लिये कोई जांच-दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस जांच दल द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). एयर इंडिया के कथित वट-लीज करार के कतिपय पहलुओं के बारे में "दी डेली" (मुम्बई) में प्रकाशित एक खबर में निहित आरोपों का केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। इस समय, सत्यापन को पूरा करने के लिए किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

मानार्थ पास

2092. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री भक्त चरण दास :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मानार्थ पास जारी किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गत 3 वर्षों के दौरान जारी किए गए मानार्थ कार्ड पासों की संख्या इस प्रकार है :—

कोटि	1994	1995	1996
1. संसद के भूतपूर्व सदस्य	1258	1301	1620
2. अर्जुन पुरस्कार विजेता आलंम्पिक पदक विजेता तथा एशियन और राष्ट्रमण्डलीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता।	-	-	318
3. राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन (एन एस एफ एस) तथा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आई ओ ए) से संबंद्ध राज्य ओलम्पिक एसोसिएशन्स (एस ओ ए) के अध्यक्ष तथा सचिव।	-		41
4. शौर्य पुरस्कार (विजेता तथा शौर्य पुरस्कार विजेताओं की विधवा) चक्र श्रृंखला	-	-	352
5. रेलमंत्री के विवेक से संगठनों तथा व्यक्तियों को मानार्थ कार्ड पास।	186	323	423

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लिये रेल संपर्क

2093. श्री अशोक प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को रेल संपर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). सर्वेक्षण शुरू हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

दूरदर्शन पर भ्रामक विज्ञापन

2094. श्री पंकज चौधरी :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
कुमारी उमा भारती :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन और अन्य प्रचार माध्यम पर भारी संख्या में प्रसारित किए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों की जानकारी है जो उपभोक्ताओं को भ्रामक, अधूरी एवं गलत जानकारी देते हैं;

(ख) क्या सरकार का ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर विज्ञापनों के टेलीकास्ट/प्रसारण को विज्ञापन संहिता के प्रावधानों द्वारा विनियंत्रित किया जाता है तथा संहिता के अनुरूप न होने वाले किसी भी विज्ञापन को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। उक्त संहिता के उल्लंघन संबंधी यदि कभी कोई शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त होती है तो दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों समुचित सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं।

नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना

2095. डा. बलिराम :
श्री अमर पाल सिंह :
कुमारी उमा भारती :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री कचरु भाऊ राउत :
श्री अशोक प्रधान :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सरकारी क्षेत्र में बड़े/मध्यम/लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार स्थानों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में किसी भी स्थान के चयन का मानदण्ड क्या है;

(घ) नये इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वारा इस्पात उत्पादन की मात्रा में कितनी वृद्धि होगी और यह कितनी समयावधि में संभव होगा;

(ङ) इस पर कितना व्यय आने की संभावना है;

(च) उपरोक्त इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए जिन गैर-सरकारी कम्पनियों को अनुमति दी गई है उनका राज्य वार स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं और इस संबंध में क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं; और

(ज) इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये कितने आवेदन लम्बित हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग). जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के क्षेत्राधिकार से भी छूट दे दी गई है। अतः इस्पात के उत्पादन/प्रक्रमण सुविधाओं की स्थापना हेतु, स्थान-संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर, औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अतः उद्यमी अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर देश में कहीं भी ऐसी सुविधाएं स्थापित कर सकते हैं। इस समय केन्द्र सरकार का देश में इस्पात का उत्पादन करने वाली किसी नई ग्रीनफील्ड एकीकृत इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उड़ीसा राज्य सरकार ने नीलाचल इस्पात निगम लि. के नाम तथा पद्धति के तहत एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिसकी साम्या भागीदारी में केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की भागीदारी है/भागीदारी रखने का प्रस्ताव दिया गया है।

(घ) से (च). उपलब्ध जानकारी के अनुसार जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के बाद स्थापित किए गए/स्थापित किए जा रहे नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(छ) नई औद्योगिक नीति के तहत नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। तथापि दोधाघाट, जिला पटना, बिहार में मृदु स्टेथेल इंगट और अलाय स्टील कास्टिंगस का उत्पादन करने के लिए 28,000 टन वार्षिक क्षमता का इस्पात संयंत्र निजी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए फरवरी, 1995 में मैसर्स प्रोग्रेसिव स्टील (इण्डिया) लिमिटेड का एक आशय-पत्र जारी किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार यह कम्पनी उत्पादन सुविधाएं संस्थापित कर चुकी है। उक्त कम्पनी ने सरकार से कोई सुविधा/सहायता देने के लिए सम्पर्क नहीं किया है।

(ज) नई औद्योगिक नीति के तहत नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम एवं स्थान	क्षमता (लाख टन)	निवेश (करोड़ रुपए)	स्थिति/चालू होने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	नोवा उद्योग लिमिटेड (नैनीताल, उत्तर प्रदेश)	2.40 बी एण्ड आर	101.40	बन्द, दिसम्बर, 1993 में बी आई एफ आर के अन्तर्गत
2.	इण्डियन सीमलैस एस एण्ड ए लिमिटेड (पुणे, महाराष्ट्र)	1.50 बी एण्ड आर/सीमलैस बार	175.00	दिसम्बर, 1994 में उत्पादन शुरू हुआ।
3.	लायड्स स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (वर्धा, महाराष्ट्र)	6.00 एच आर सी/सीआर सी/जी पी जो स्प्रि	885.00	दिसम्बर,1995 में उत्पादन शुरू हुआ।
		विविधिकरण	326.00	कार्यान्वयनाधीन अक्तूबर, 1996
4.	राजेन्द्र स्टील लिमिटेड (रायपुर, मध्य प्रदेश)	1.70 एच आर सी	215.83	जनवरी, 1996 में उत्पादन शुरू हुआ।
		1.30 विस्तार	118.50	कार्यान्वयनाधीन, जून, 1998
5.	इस्सर स्टील लिमिटेड	20.00 (एच आर सी)	3933.00	मार्च, 1996 में उत्पादन शुरू हुआ।
6.	प्रकाश इडस्ट्रीज लिमिटेड (भरोच, गुजरात और सिलवासा, डी एन एच)	1.20 बिलेट/एल पी (सिलवासा में रोलिंग मिल कार्यान्वयनाधीन)	62.52	मार्च, 1996 में उत्पादन शुरू हुआ।
7	जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (रायगढ़, मध्य प्रदेश)	5.00 स्लैब/बिलेट	421.00	मार्च, 1996 में उत्पादन शुरू हुआ।
8.	नोवा स्टील्स (आई) लि. (बिलासपुर, मध्य प्रदेश)	2.00 डब्ल्यू आर/ बी एण्ड आर	140.00	सितम्बर, 1996 कार्यान्वयनाधीन
9.	कल्याणी स्टील्स लिमिटेड (रायचूर, कर्नाटक)	2.15 ब्लूम/एल पी	231.00	कार्यान्वयनाधीन सितम्बर, 1996
10.	मालविका स्टील लिमिटेड (जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश)	5.75 डब्ल्यू आर/ बी एण्ड आर (प्रथम धमन भट्टी प्रज्वलित, कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू)	1532.50	कार्यान्वयनाधीन सितम्बर, 1998
11.	जिन्दल विजयनगर स्टील (बेलारी, कर्नाटक)	12.50 (एच आर सी)	3300.00	कार्यान्वयनाधीन स्टेज I दिसम्बर, 96 स्टेज II सितम्बर, 97 स्टेज III अप्रैल, 98

1	2	3	4	5
12.	साउदर्न आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (सेलम, तमिलनाडु)	2.20 बी एण्ड आर, डब्ल्यू आर (धमन भट्टी प्रज्वलित, कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू)	450.00	कार्यान्वयनाधीन मार्च, 1997
13.	एस जे के स्टील कारपोरेशन लिमिटेड (अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश)	2.63 एल पी/बिलेट	405.00	कार्यान्वयनाधीन अप्रैल, 1997
14.	ट्राईडेन्ट स्टील लिमिटेड (दहेज, गुजरात)	1.00 एल पी	99.00	कार्यान्वयनाधीन अप्रैल, 1997
15.	निप्पोन डेनरो इस्पात लि. (रायगढ़, महाराष्ट्र)	3.00 (एच आर सी)	457.00	कार्यान्वयनाधीन 50 प्रतिशत जुलाई, 1997 तक 50 प्रतिशत जुलाई, 1998 तक
16.	कुमार मेटालर्जिकल कारपोरेशन लिमिटेड (नालगौण्डा, आन्ध्र प्रदेश)	1.25 डब्ल्यू	127.00	कार्यान्वयनाधीन मार्च, 1998
17.	ग्राण्ड फाउण्ड्री लिमिटेड (पुणे, महाराष्ट्र)	1.20 बी एण्ड आर, डब्ल्यू आर	260.00	कार्यान्वयनाधीन अप्रैल, 1998
18.	उषा इस्पात लिमिटेड (स्तारदा, महाराष्ट्र)	6.00 एल पी	1400.00	कार्यान्वयनाधीन सितम्बर, 1998
19.	बेलारी एस एण्ड ए लिमिटेड (बेलारी, कर्नाटक)	4.14 एल पी	891.00	कार्यान्वयनाधीन सितम्बर, 1998
20.	भूवाल्का इण्डस्ट्रीज लि. (बेलारी, कर्नाटक)	2.70 बिलेट	452.00	कार्यान्वयनाधीन अप्रैल, 1999
	कुल	112.62	20095.75	

[अनुवाद]

संतृप्त ट्रंक रूट

2096. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सभी ट्रंक रूट पूरी तरह संतृप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्तमान में 3600 टन से 4500 प्रति ट्रेन के बजाय 9000 टन प्रति ट्रेन की हैवी हाल मालभाड़ा गाड़ी इस दुःखदायी क्षमता की समस्या का समाधान कर सकती है, को ध्यान में रखते हुए एक अप्रवासी भारतीय ने 1989 में इस आमूल परिवर्तनकारी प्रणाली का प्रदर्शन किया था;

(घ) यदि हां, तो कृपया तत्संबंधी ब्यौरा दें;

(ङ) क्या सरकार ने हैवी हाल मालभाड़ा गाड़ी आपरेशन के बारे में हाल में आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मंडल से सहयोग संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार आस्ट्रेलिया के साथ सहयोग समझौते पर विचार कर रही है;

(छ) क्या सरकार पूर्व में अप्रवासी भारतीयों द्वारा आरम्भ की गयी परियोजनाओं के साथ हैवी हॉल मालभाड़ा गाड़ी चलाने का विचार रखती है; और

(ज) यदि हां, तो हैवी हॉल मालभाड़ा गाड़ी ऑपरेशन से होने वाले लाभों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). अनुमानों के अनुसार भारतीय रेलों पर कुल यातायात का लगभग 70 प्रतिशत यातायात ट्रंक मार्गों पर ढोया जाता है।

(ग) व (ङ). मालगाड़ियों का अधिक ढुलाई प्रचालन उसी मार्ग पर अधिक यातायात ढोने के लिए रेलवे की क्षमता बढ़ाने का एक तरीका है। अधिक ढुलाई वाली गाड़ियां चलाने का कार्य ऐसा है जिसके लिए निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता होती है। भारतीय रेलों ने 9000 टन तक की भार वाली गाड़ियां चलाकर भारी ढुलाई परिचालन का परीक्षण किया है। विदेशी रेलों, जिसमें आस्ट्रेलियाई रेलवे शामिल है, से भी विचार विमर्श किया गया है। बहरहाल, इस प्रणाली को अपनाने से पूर्व कतिपय प्रौद्योगिकीय और अवसंरचनात्मक समस्याएं दूर की जानी हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में पी.सी.ओ.

2097. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पीसीओ उपलब्ध कराने और स्वचालित ट्रंक एक्सचेंजों में कई लाइनों की क्षमता में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1996-97 के दौरान 6500 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन पी सी ओ प्रदान करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफोनों के जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1996-97 के दौरान स्वचालित एक्सचेंजों में कई लाइनों की क्षमता का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज गौण स्विचन क्षेत्रों/जिला मुख्यालयों में प्रदान किए जाते हैं।

विवरण

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन पीसीओ के दूरसंचार जिला-वार ब्यौरे

दूरसंचार जिला का नाम	दूरसंचार विभाग द्वारा 1996-97 के लिए निर्धारित वी पी टी के लक्ष्य
1	2
आरा	333
भागलपुर	283
छपरा	357
दरभंगा	398
दुमका	282
धनबाद	500
गया	363
हजारी बाग	476
जमशेदपुर	476
कटिहार	438
मुजफ्फरपुर	438
मुंगेर	370
मोतीहारी	275
पटना	351
रांची	392
सासाराम	398
सहरसा	370
जोड	6500

[अनुवाद]

कर्नाटक में टी.वी. रिले आकाशवाणी केन्द्र

2098. श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री बी.एल. शंकर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में स्थानवार कितने टेलीविजन रिले केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र हैं;

(ख) स्थानवार कितनी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनको पूरा करने के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का राज्य में नए टेलीविजन और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके कब तक पूरे हो जाने की संभावना है;

(च) क्या 1972 से गुलबर्गा में टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित नहीं किया गया है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इसे कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) टी.वी. केन्द्रों तथा आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग). विवरण-II संलग्न है।

(घ) और (ङ). हालांकि आकाशवाणी के पास नये रेडियो केन्द्रों को स्थापित करने के लिए वर्तमान में कोई स्कीम नहीं है तथापि, दूरदर्शन का मंगलोर, मैसूर, रायचूर तथा हसन में 4 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यद्यपि इन परियोजनाओं के स्थानों को मंजूरी दे दी गई तथापि, उक्त स्कीमों को अभी मंजूरी दी जानी है। स्कीमों की मंजूरी के बाद इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा जो पारस्परिक प्राथमिकताओं की तुलना में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(च) से (ज). गुलबर्ग के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 कि.वा.) को 3.9.1977 से चालू कर दिया गया है। इस समय मौजूदा 1 कि.वा. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर को 10 कि.वा. ट्रांसमीटर में बदलने का कार्य किया जा रहा है तथा 1997 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण-I

दूरदर्शन		आकाशवाणी
1		2
		भद्रावती
उ.श.ट्रां		
	बंगलौर	धारवाड़
	धारवाड़	गुलबर्ग
	गुलबर्ग	मंगलोर/उडीपी
	शिमोगा	मैसोर
अ.श.ट्रां.		
	अरसीकेर	बंगलोर
	अथनी	हसन
	बागलकोट	चित्रदुर्ग
	बन्तवाल	हॉस्पेट
	बेलगाम	रायचूर
	बेल्लारी	मरकरा
	भटकल	कारवार
	बीदर	
	बीजापुर	
	चिकमगलूर	
	चिकोडी	
	चित्रदुर्ग	
	दावानगेरे	
	गडग बेतगरी	
	गंगावती	
	हसन	
	हास्पेट	
	हुंगोद	
	कारवार	
	कोलर गोल्ड फील्ड	
	कुम्टा	
	मन्दया	
	मंगलौर	
	मेटीकेरी	
	मुदीगेरे	
	मैसोर	
	पवनगडा	
	रायचूर	
	रामदुर्ग	
	रानीबेन्नूर	
	सन्दूर	
	सिरसी	
	तिपटूर	
	उडुपी	
	बंगलौर (डी.डी.-2)	
अ.अ.श.ट्रां		
	सकलेशपुर	

विवरण-II

दूरदर्शन

राज्य	कार्यान्वयनाधीन	पूंजीगत लागत (लाख रु. में)	लक्ष्य तिथि तथा स्थिति (लाख रु. में)
1	2	3	4
कर्नाटक	उ.श.ट्रा.		
	गुलबर्गा *	547.30	1997
	बंगलौर (डीडी 11)	232.05	1997
	अ.श.ट्रा.		
	गोकाक	89.65	तैयार *

1	2	3	4
	जामखण्डी	89.65	1997-98
	हरपनहल्ली	100.70	तैयार *
	बासवा कल्याण	100.70	तैयार *
	सागर	100.70	तैयार *
	हट्टीहाल	100.70	1997-98
	डण्डेली	97.00	-तथैव-
	तुमकूर	97.00	-तथैव-
	पुत्तूर	97.00	-तथैव-
	मुधोल	97.00	-तथैव-
	तालीकोटा	97.00	-तथैव-
	इन्दी	97.00	-तथैव-
	हुबीन हिप्पागों	97.00	-तथैव-
	हिरीयूर	97.00	-तथैव-
	होसदुर्ग	97.00	-तथैव-
	कुदलीगी	97.00	-तथैव-
		97.00	-तथैव-
	अ.अ.श.ट्रा.		
	सुल्या	83.00	-तथैव-
	बादामी	83.00	-तथैव-
	मधुगिरि	83.00	-तथैव-

* संचालन एवं अनुरक्षण के लिए अत्यधिक स्टाफ की मंजूरी दी जानी है।

आकाशवाणी

1.	बीजापुर 6 कि.वा. एफ.एम.ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टर (ग्था.र.कें.)	257.90 लाख	तैयार
2.	गुलबर्ग के 10 कि.वा.मो. म.वे. ट्रा. का 20 कि.वा. मो.वे.ट्रा. से प्रतिस्थापन/उन्नयन	206.54 लाख	दिसम्बर, 96
3.	बंगलौर: 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. (स्टीरियो चैनल)	397.00 लाख	अन्तरिम स्थापना तैयार

वायरलैस के लोकल लूप प्रणाली का विकास

2099. श्री विजय पटेल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय कंपनी/संस्थान ने विदेशी सहयोग से वायरलैस के लोकल लूप प्रणाली विकसित की है जिसमें ताम्बे के तार के स्थान पर रेडियो संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं जो टेलीफोन उपभोक्ता का एक्सचेंज से संपर्क कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रणाली के अंतर्गत टेलीफोन संचार पर खराब मौसम के दौरान भी कोई प्रतिकूल, प्रभाव नहीं पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने हेतु वायरलैस के लोकल लूप प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां। इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईटीआई), मद्रास, ने मैसर्स एनालॉग डिवाइसेज इन्कॉर्पोरेशन, यूएसए के सहयोग से डिजिटल एन्हान्स्ड कौर्डलैस प्रौद्योगिकी मानक के आधार पर वायरलैस स्थानीय लूप प्रणाली के संबंध में विकास कार्य शुरू किया है।

(ग) और (घ). खराब मौसमी के दौरान इस प्रणाली में टेलीफोन संपर्क पारंपारिक वायरलाइन प्रणालियों की तुलना में अप्रभावित रहता है तथा इस प्रकार लाइनमैन की सेवाओं पर निर्भरता कम होती है।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार की योजना दूरसंचार नेटवर्क में वायरलैस स्थानीय लूप प्रणाली शुरू करने की है। ऐसी प्रणाली की आवश्यकताओं को दर्शाने वाला एक व्यापक विवरण पहले ही तैयार किया जा चुका है। स्थानीय लूप प्रणालियों में ऐसे वायरलैस जो मोटे तौर पर आवश्यकताएं पूरी करते हैं, कंपनियों द्वारा उनको पेशकश (ऑफर) किए जाने पर उनका क्षेत्रीय परीक्षण किया जाता है। आईआईटी, मद्रास द्वारा विकसित प्रणाली का मद्रास टेलीफोन नेटवर्क में परीक्षण किए जाने का प्रस्ताव है।

बल्ब फैक्टरियों के आन्दोलनरत कर्मचारी

2100. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में मिनिएचर बल्ब फैक्टरियों के कर्मचारियों का आन्दोलन उनकी लम्बे अर्से से लम्बित मांगों पर ध्यान न दिये जाने के कारण अपने चरम शिखर पर है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्दोलन को रोकने तथा इससे संबंधित मुद्दों का सुलझाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) फिलहाल, कानपुर में मिनिएचर बल्ब इंडस्ट्रीज में कर्मकारों का कोई आन्दोलन नहीं चल रहा है। कर्मकारों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 1.9.96 से आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जिसका तत्पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के हस्तक्षेप से निराकरण हो गया।

(ख) कर्मकार उजरती दर मजदूरी को अनुसूचित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित किए जाने, और कारखाना अधिनियम तथा विभिन्न अन्य श्रम कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित किए जाने की मांग कर रहे थे।

(ग) 19.9.96 को आयोजित द्विपक्षीय बैठक के पश्चात्, कर्मकारों की मांगों को अनौपचारिक विचारण के लिए उप श्रमायुक्त, कानपुर के पास संदर्भित किए जाने पर सहमति हो गयी। दोनों पक्षकारों को सुनवाई के पश्चात् उप श्रमायुक्त ने 10.10.96 को अपना पंचाट दे दिया। तबसे, संबंधित पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है और उत्पादन सुचारू रूप से हो रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रोन्नति

2101. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय रेलवे और रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयन ग्रेड के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नत करने के कुछ प्रस्ताव विगत 8 माह से लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ अधिकारी निकट भविष्य में आगे बिना किसी प्रोन्नति के अवसर के सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं तथा अपनी प्रोन्नति में अनावश्यक विलम्ब के कारण खिन्न और अपमानित महसूस कर रहे हैं;

(घ) क्या दिसम्बर, 1996 तक पदोन्नति के आदेश जारी नहीं होने से ऐसे अधिकारियों का भारी आर्थिक हानि होगी;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन प्रस्तावों को तत्काल स्वीकृति देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतचाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गोवा में टेलीफोन एक्सचेंज

2102. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोवा में और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 97 से पहले आर्मबोल (हरमल), उत्तरी गोवा में एक सी-डॉट 256 किस्म का नया टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त मडगांव, कैंसौलिन, बेरका, संकोल तथा अलाडीना स्थित एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है।

दरभंगा और रांची में भ्रष्टाचार की शिकायतें

2103. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा तथा रांची के दूरसंचार एककों में अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में मामलेवार की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। तथापि अनियमितताओं के कुछ मामलों का पता चला है।

(ख)

वर्ष	रांची	दरभंगा
1993	1	1
1994	4	शून्य
1995	3	2

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अधिकारी का नाम	की गई कार्रवाई
1	2
रांची	
वर्ष 1993	
श्री ए.के. सिन्हा, दूरसंचार जिला प्रबंधक	अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी और विधिवत विचार करने के बाद कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

1	2
वर्ष 1994	
श्री ए.के. सिन्हा, दूरसंचार जिला प्रबंधक और अन्य।	चूक के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की गई।
2. श्री ए.के. सिन्हा, दूरसंचार जिला प्रबंधक	सी.बी.आई. द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
3. श्री पी. पंजीयारा, एस.टी.टी.	बड़ी शास्ति के लिए अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है।
4. श्री मुंद्रिका सिंह, सहायक इंजीनियर	बड़ी शास्ति के लिए कार्यवाही जारी है।
श्री आर.बी. सिंह	
लेखा अधिकारी (टीआरए)	
वर्ष 1995	
1. श्री आर.बी. सिंह, एसटीटी	आरोप सिद्ध नहीं हो सके।
2. श्री बी.बी. हैंबरम टीडीई	वही
3. श्री मदन पुरी टीडीई	वही
दरभंगा	
वर्ष 1993	
श्री पी.एन. झा, सहायक इंजीनियर (जी) झंझारपुर	अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया है और बड़ी शास्ति के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।
वर्ष 1994	शून्य
वर्ष 1995	
1. श्री एस.एस.झा. दूरसंचार जिला इंजीनियर	उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए मामला विचाराधीन है।
2. श्री आर.सी.झा., सहायक इंजीनियर (जी)	सी.बी.आई. मामले की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर सेवाओं हेतु लाइसेंसों की जांच

2104. श्री चित्त बसु : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व दूरसंचार मंत्री के कार्यकाल के दौरान सैल्यूलर और अन्य दूरसंचार सेवाओं के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की जांच करवाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). विभाग का फिलहाल सेल्यूलर और अन्य दूरसंचार सेवाओं के लिए अभी तक जारी किए गए लाइसेंसों की जांच करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, चूंकि लाइसेंस, निविदा शर्तों तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार प्राप्त बोलियों के अध्ययन के बाद जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

डी.एच.क्यू. डाकघर का स्थानांतरण

2105. श्री हरिवंश सहाय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी.एच.क्यू. डाकघर को प्रधानमंत्री कार्यालय के समीप स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) साउथ ब्लाक के गेट नं. 11 के सामने खाली जगह छोड़ने के प्रयोजन से रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर डीएचक्यू डाकघर "ए"

ब्लाक के निकट के वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। यह वैकल्पिक स्थान रक्षा मंत्रालय ने उपलब्ध कराया है।

(ग) चूंकि डीएचक्यू डाकघर के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय ने रखा था अतः रक्षा प्राधिकारियों ने इसके सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखा ही होगा।

[अनुवाद]

बुकिंग क्लर्कों द्वारा गबन

2106. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1995 के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बुकिंग क्लर्कों द्वारा भुगतान आदेशों के माध्यम से बड़ी धनराशि का गबन किया गया था और इस मामले को आगे जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जांच पूरी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या इस मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). जी नहीं। वास्तव में, वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश के सतर्कता विभाग द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कुछ बुकिंग क्लर्कों तथा धनवापसी कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की धनवापसी कार्यालय द्वारा 36,384 रुपए की राशि के धोखाधड़ी पूर्ण वापसी का मामला पकड़ा गया था। 6 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और उनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है। अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई के अलावा धन वापसी कार्यालय के पांच कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है और 3 बुकिंग क्लर्क को 5 वर्ष के लिए कैश ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है।

वाणिज्य तथा सतर्कता संगठनों द्वारा इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए नियमित रूप से निवारक अचानक तथा छद्म जांच की जाती है।

फ्लैक्स टैक्नोलाजी

2107. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस समय रेडियो पेजिंग सर्विस हाईस्पीड प्राटोकाल से संबंधित कौन सी प्रौद्योगिकियां शुरू की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में फ्लैक्स या ई.आर.एम.ई.एस. प्रौद्योगिकियां शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). दूरसंचार विभाग ने रेडियो पेजिंग सेवा के प्रचालन के लिए, अनेक भारतीय पंजीकृत कंपनियों को लाइसेंस दिया है। निविदा/लाइसेंस की शर्तों के मुताबिकि, सेवा प्रदाताओं को पी ओ सी एस ए जी-प्रोटोकॉल का प्रयोग करना अपेक्षित है। इन सेवा प्रदाताओं से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे पी ओ सी एस ए जी प्रोटोकॉल के स्थान पर उनहें "फ्लैक्स", ई आर एम एस नामक हाई स्पीड प्रोटोकॉल का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए।

हाई स्पीड प्रोटोकॉल में उत्कृष्ट (अपकमिंग) और प्रतियोगी (कॉन्टेंडिंग) प्रौद्योगिकियां हैं अर्थात् फ्लैक्स जिसे मोटोरोला ने विकसित किया है तथा ई आर एम ई एस जो एक यूरोपीय स्टेंडर्ड है।

लाइसेंस करार के प्रावधान के अनुसार, पेजिंग सेवा में पी ओ सी एस ए जी प्रोटोकॉल के स्थान पर हाई स्पीड प्रोटोकॉल की शुरूआत करने के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

तमिलनाडु तथा केरल से खाड़ी देशों में नौकरी के इच्छुक व्यक्ति

2108. श्री के. परसुरामन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान विशेषकर तमिलनाडु तथा केरल से खाड़ी के देशों में नौकरी करने वाले कुशल टेक्नीशियनों अर्धकुशल व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने के दृष्टिकोण से नौकरी पेशा लोगों की संख्या में गिरावट को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय से क्लीयरेंस/अनुमति प्राप्त करने के बाद, केरल और तमिलनाडु राज्यों से विदेश नौकरी के लिए उत्प्रवास करने वाले व्यक्तियों की, जिनमें खाड़ी देशों को जाने वाले व्यक्ति भी हैं, संख्या, वर्ष 1993-94 और 95 के दौरान निम्नानुसार थी :-

	1993	1994	1995
केरल	1,55,208	1,54,407	1,65,629
तमिलनाडु	70,313	70,525	65,737
	2,25,521	2,24,932	2,31,366

यह देखा जा सकता है कि जब कि केरल राज्य से नौकरी के लिए केरल राज्य से लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। तमिलनाडु से नौकरी के लिए उत्प्रवासी संरक्षी

कार्यालय से क्लीयरेंस/अनुमति प्राप्त करने के बाद, विदेश जाने वाले कर्मकारों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं है कि तमिलनाडु राज्य से नौकरी के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में सही अर्थों में वास्तविक कमी आई है। व्यवसायी और कुशल कर्मकारों की श्रेणी में शामिल व्यक्तियों से उ. सं. कार्यालय से उत्प्रवास क्लीयरेंस प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की गई है, यदि उनके पासपोर्ट पर "उत्प्रवास जांच जरूरी नहीं" की स्टाम्प लगाई गई हो। सम्भवतः तमिलनाडु राज्य से इस श्रेणी के अनेक व्यक्तियों ने भी वर्ष 1995 के दौरान नौकरी के लिए उत्प्रवास किया। ऐसे उत्प्रवासियों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

किश्तवार में एसटीडी सुविधा

2109. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और पद्दर (किश्तवार) क्षेत्र के लोगों के लिए कोई टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र के लिए एसटीडी सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) वहां टेलीफोन के लिए कोई पंजीकृत मांग नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज (एमआईएल टी-64) की योजना बनाई गई है। एम सी पी सी वी सैट के जरिए संपर्क माध्यम (मीडिया) का प्रस्ताव है।

एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ

2110. कर्नल राव राम सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और गुडगांव जिलों में कितने-कितने एसटीडी/पीसीओ बूथ चल रहे हैं;

(ख) उक्त प्रत्येक जिले में ऐसे बूथों के आवंटन के लिए कितने आवेदनपत्र लम्बित हैं; और

(ग) इन आवेदकों को ये बूथ कब तक आवंटित कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कार्यरत एस टी डी/ पी सी ओ बूथों की संख्या निम्नलिखित है :

1. महेन्द्रगढ़ 22
2. रिवाड़ी 54
3. गुड़गांव 284

(ख) आवंटन के लिए लंबित आवेदन-पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :-

1. महेन्द्रगढ़ 64
2. रिवाड़ी 226
3. गुड़गांव 118

(ग) दिसम्बर, 1997 तक।

मध्याह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वायुयान (संशोधन) नियम, 1996 तथा इंडियन एयर लाइन्स के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

नागरिक विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत, वायुयान (संशोधन) नियम, 1996 जो 2 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 349(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं.एल.टी.769/96]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं.एल.टी.770/96]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 10 के अंतर्गत रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं.एल.टी.771/96]

राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं.एल.टी.772/96]

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं.एल.टी.773/96]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं.एल.टी.774/96]

(दो) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं.एल.टी.775/96]

(तीन) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं.एल.टी.776/96]

भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम- 1996

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : महोदय, मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1996 जो 7 फरवरी, 1996 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं.एल.टी.777/96]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश देना है :-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 4 दिसंबर, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित शिक्षु (संशोधन) विधेयक 1996 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

अपराह्न 12.03 $^{1}/_{2}$ बजे

शिक्षु (संशोधन) विधेयक 1996

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 4 दिसंबर, 1996 को यथापारित शिक्षु (संशोधन) विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आश्वस्त किया था कि कल कश्मीर में जो घटा है उस बारे में आप हमें सदन में मामला उठाने की अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सबको चांस मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, अमरनाथ यात्रा की रिपोर्ट ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ भी नहीं जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री इन्द्र कुमार गुजराल वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : उपाध्यक्ष महोदय, चीन लोक गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री च्यांग जेमिन भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 28 नवम्बर, 1996 से दिसम्बर, 1996 तक राजकीय यात्रा पर भारत आए। राष्ट्रपति श्री च्यांग ने हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष, संसद में प्रतिपक्ष के नेता तथा स्वयं मेरे साथ बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ विस्तार से बातचीत की । राजनीतिक दलों के नेता भी उनसे मिले। मैंने अपने समकक्ष तथा उप-प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री, श्री छियन छिछन् के साथ अलग से लम्बी बातचीत की। वार्ताएं सौहार्द और मैत्री के माहौल में संपन्न हुई। चीन के राष्ट्रपति ने व्यवसायी समुदाय के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान किया और वे आगरा घूमने भी गए।

चीन लोक गणराज्य के किसी राष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा थी। यह यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी की 1988 में चीन यात्रा के दौरान उच्चतम स्तर पर आरम्भ हुई वार्ता की सतत् प्रक्रिया का एक हिस्सा थी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, श्री आर. वेंकटरामन तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव भी चीन की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री, श्री फंग और अन्य उच्च स्तरीय चीनी नेता भी भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। भारत के लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा की माननीय उपसभापति की चीन यात्राओं और चीन के इन्हीं समकक्षों की भारत यात्राओं से दोनों देशों की संसदों के बीच संपर्क बनाए रखे गए। इन उच्च स्तरीय यात्राओं के फलस्वरूप ही हमें अपने द्विपक्षीय संबंधों के सभी संगत मुद्दों पर रचनात्मक रूप से चर्चा करने की अनुमति मिली है।

हाल के वर्षों में, भारत चीन संबंध परिपक्व और ठोस हो गए हैं। हमने सीमा मसले सहित बकाया मामलों को सुलझाना जारी रखते हुए, सभी क्षेत्रों में परस्पर लाभदायक सहयोग का विस्तार करने की कोशिश की है। माननीय सदस्यगण मेरी बात से सहमत होंगे कि विगत कई वर्षों से भी अधिक समय से अमल में लाई गई इस नीति के लिए सदन में ऐसी आम सहमति परिलक्षित होती है जो दलगत राजनीति से अलग हटकर है।

दोनों पक्षों ने इस यात्रा के परिणाम पर संतोष व्यक्त किया है जिससे हमें अपने संबंधों की वर्तमान स्थिति का तथा इस सदी के अंत तक और उससे आगे भी अपने संबंधों के लिए संभावनाओं का मूल्यांकन करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति श्री च्यांग इस बात पर सहमत हुए कि अनसुलझे मतभेदों पर बातचीत करने के साथ-साथ भारत और चीन को रचनात्मक और सहयोगात्मक संबंधों की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि भारत और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ोसी के से संबंधों से दोनों देशों के लोगों के मूलभूत हितों की रक्षा में मदद मिली।

इस यात्रा का एक विशेष लाभ यह हुआ है कि भारत-चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपायों के संबंध में करार संपन्न किया गया है। यह करार सितंबर, 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंहराव की चीन यात्रा के दौरान भारत-चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन बनाए रखने के संबंध में सम्पन्न किए गए करार के आधार पर तैयार किया गया है। 1993 के करार

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

के अनुसार दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्पष्ट करने और विश्वासोत्पादक उपाय करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य बलों को कम करने के लिए कदम उठाएंगे। विश्वासोत्पादक उपायों से संबंधित वर्तमान करार में व्यवस्था की गई है कि दोनों देशों में से कोई भी पक्ष एकदूसरे के खिलाफ सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। इस करार में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर परस्पर सहमत भौगोलिक क्षेत्रों के अन्दर चुनिंदा श्रेणियों के हथियारों और सैन्य बलों को परस्पर सहमत अधिकार सीमा तक कम करने अथवा सीमित करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। भौगोलिक क्षेत्रों की दूरी तथा अधिकतम सीमा का निश्चिय संयुक्त कार्यकारी दल और विशेषज्ञ दल की बाद में होने वाली बातचीत में किया जाएगा। इस करार में कई विश्वासोत्पादक उपायों का भी प्रावधान किया गया है जिनसे सीमावर्ती क्षेत्रों में शान्ति और अमन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। दोनों पक्ष सम्पूर्ण वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्पष्ट करने की प्रक्रिया, जिसमें मानचित्रों का आदान-प्रदान भी शामिल है, में तेजी लाने पर भी सहमत हुए हैं।

विश्वासोत्पादक उपायों से संबंधित करार में भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति का सुनिश्चिय करने के हमारे प्रयासों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया गया है। हमारा मानना है कि इन करारों को पूरा-पूरा क्रियान्वयन होने से परामर्शों के लिए एक संस्थागत रूपरेखा विकसित करने की कार्यसूची को आगे बढ़ाने में, सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग तथा शांति और अमन बनाए रखने में और भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक ऐसे तरीके से सैन्य बलों को कम करने अथवा सीमित करने की दिशा में कदम बढ़ाने में सहायता मिलेगी जिससे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो सके।

हमारे प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच वार्ताओं के दौरान दोनों पक्ष सीमा प्रश्न का न्यायोचित, औचित्यपूर्ण और परस्पर स्वीकार हल निकालने के बारे में अपने अपने प्रयत्न जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं। विश्वासोत्पादक उपायों से संबंधित करार में यह समझबूझ परिलक्षित हुई है। 1993 के करार की तरह इस नए करार में इस तथ्य के लिए समुचित प्रावधान रखा गया है कि सीमा के प्रश्न पर भारत और चीन के अपने-अपने दृष्टिकोण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस करार का अनुपालन किया जाएगा।

चीन के राष्ट्रपति के साथ व्यापक स्तर पर हमारी बातचीत के दौरान दोनों पक्ष संबंधों और अधिक आर्थिक और प्रौद्योगिकी विषय शामिल करने के लिए सहमत हुए। यह सहमति व्यक्त की गई कि भारत और चीन के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार के सार्थक प्रसार के लिए चीन के विदेश व्यापार और आर्थिक सहयोग मंत्री और मेरी सहअध्यक्षता में संयुक्त आर्थिक ग्रुप की अगली बैठक 1997 की प्रथम तिमाही में की जाएगी। दोनों देशों के बीच कार्यात्मक सहयोग को बढ़ाने की सम्भावना का पता लगाने के लिए भारत-चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उप दल की भी बैठक अगले वर्ष के शुरू में होगी।

विश्वासोत्पादक उपायों के करार के अलावा अन्य तीन करारों पर हस्ताक्षर किए गए। ये करार 1 जुलाई, 1997 को हांगकांग के वापस चीनी संप्रभुता के अंतर्गत आने के बाद हांगकांग में हमारे कौंसली स्थापना के रखरखाव, स्वापक दवाओं के अवैध व्यापार और संगीन अपराधों की रोकथाम में सहयोग और समुद्री व्यापार से संबंधित हैं। ये करार भारत और चीन के बीच देश से वैध और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों के लिए एक संस्थागत ढांचे के विकास में अपना योगदान देंगे।

हमने अफगानिस्तान और म्यांमार में हुई नई गतिविधियों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर उपयोगी बातचीत की। मध्य एशिया में सहयोग की सम्भावनाओं पर भी विचार किया गया। हमने चीनी राष्ट्रपति को दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ संबंध सुधारने के अपने प्रयत्नों के बारे में संक्षेप में बताया। संयुक्त राष्ट्र के अंगों मे गुटनिरपेक्ष देशों तथा अन्य विकासशील देशों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने से संबंधित प्रश्न सहित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार पर भी हमने विचारों का आदान-प्रदान किया। हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के लिए अपनाए गए किसी भी वास्तविक मापदंड से सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को एक स्थायी सदस्य के रूप में स्थान मिल सकेगा। दोनों पक्ष इस बात से सहमत थे कि क्षेत्रीय और अतर्राष्ट्रीय मसलों पर वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग से दोनों देशों को आपसी लाभ होगा और इसे संवर्धित किया जाना चाहिए।

चीन के राष्ट्रपति और उपप्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री के साथ हमारी बातचीत के दौरान हमने पाकिस्तान को चीनी मिसाइलों तथा अन्य हथियारों की बिक्री तथा पाकिस्तान की नाभिकीय कार्यक्रमों में चीन द्वारा सहायता करने के बारे में अपनी चिन्ताओं से अवगत कराया है। चीन के राष्ट्रपति को इस बात से अवगत करा दिया गया है कि सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग है और हम यह उम्मीद करते हैं कि चीन इस वास्तविकता को शीघ्र मान्यता प्रदान कर देगा। एक दूसरे के देश की एकता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर एक दूसरे की चिन्ताओं पर पर्याप्त ध्यान देने पर बल दिया गया है। हमने इन महत्वपूर्ण मसलों पर चीन के साथ वार्ता जारी रखने का प्रस्ताव किया।

चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हमारे सबसे बड़े पड़ोसी देश चीन के साथ अपने संबंध को तेजी से सुधारने की प्रक्रिया में एक सार्थक कदम है। इसने देशों को उच्चतम स्तर पर अपने वर्तमान संबंधों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया है। इससे हम सहयोगी तथा रचनात्मक संबंधों के लिए दीर्घकालीन आधार पर मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में भी अग्रसर हुए हैं। न्यायोचित ढंग से, औचित्यपूर्ण

और आपसी स्वीकार्य तरीके से सीमाविवाद हल करने के अपने निश्चय को दोहराते हुए सीमा क्षेत्रों में शांति और अमन को प्रभावी तौर पर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतरिम तौर पर ठोस कदम उठाने के लिए दोनों देश सहमत हुए। हमने इस यात्रा का उपयोग चीनी पक्ष को भारत की एकता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करने से संबंधित कुछ प्रमुख मसलों पर अपनी चिंता से अवगत कराने के लिए भी किया है।...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : भारत-बंगलादेश जल-विवाद का क्या हुआ? हम माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की सराहना करते हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : सभा को इस मुद्दे पर कभी चर्चा करनी चाहिए। हम भी मंत्री महोदय को चीन की तरफ से सकारात्मक कदम उठाने के लिए बधाई देते हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुरक्षा मंत्री जी को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए कहें। जो वक्तव्य मेरे मित्र विदेश मंत्री श्री गुजराल ने दिया है, उसके बारे में मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। कल विदेश नीति पर बहस आरम्भ हो गयी। श्रीमती गीता मुखर्जी ने उस बहस का आरम्भ किया, तब तक यह वक्तव्य हमारे सामने नहीं था। कल की बहस में मेरी पार्टी के जो उप-नेता हैं, विदेश नीति पर प्रवक्ता हैं श्री जसवंत सिंह जी वे बोले थे। अगर यह वक्तव्य उनके सामने होता तो वे इस पर भी टिप्पणी करते, क्योंकि यह वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के साथ हमारे संबंधों में और सुधार हो, सारा सदन यह चाहेगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सदस्यों द्वारा उठाए जाएंगे और सदस्य जिनका संतोषजनक उत्तर चाहेंगे। अब उन्हें कब उठाया जाए, मैं इस संबंध में आपका मार्गदर्शन चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो बहस चल रही है उसमें यह आ सकता है।

(व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : बहुत अच्छा डवलपमेंट किया है सरकार ने। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की कार्यवाही किस तरह से चल रही है। उससे जुड़ा हुआ सवाल है यह।

उपाध्यक्ष महोदय : बेहतर होता पहले आ जाता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वक्तव्य पहले हो सकता था और विदेश-नीति पर चर्चा बाद में हो सकती थी। यह संसदीय कार्य मंत्री किस तरह से सभा के काम का संचालन कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) **:** इसमें कोई व्यवस्था दिखायी नहीं देता।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : यदि सभा को समय मिलता है तो इस मुद्दे पर अलग से चर्चा की जानी चाहिए। यह बहुत ही सकारात्मक कदम है। हमें इस संबंध में सरकार को निर्देश देना चाहिए और तब सभा इस मामले पर चर्चा कर सकती है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जो डिसकशन पहले से चल रहा है, उसी में समय बढ़ाया जा सकता है।

कुमारी ममता बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर अलग से डिसकशन होना चाहिए ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम उन्हें दुबारा बोलने के लिए बुला लेंगे। विभिन्न पार्टियों के जो दूसरे मैम्बर्स बोलने बाकी रह गए हैं, वे इस पर बोल सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश नीति पर चर्चा होने की बात पहले से तय थी और यह तय था कि कार्य सूची में विदेश नीति पर चर्चा का मुद्दा आने वाला है। सरकार को पता था और सारा देश जानता था कि चीनी गणराज्य के राष्ट्राध्यक्ष यहां आए और उनसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। सरकार के दृष्टिकोण से लोग अवगत होना चाहेंगे इसलिए उस समय दोनों में मेल बैठा कर चर्चा हो सकती थी।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत सम्मान करता हूं। मैं पूरे सम्मान के साथ यह कहता हूं कि हमने स्वतः स्पष्ट वक्तव्य देने को जानबूझकर स्थगित कर दिया क्योंकि चीनी दल के सदस्य पड़ौसी देश में भी जा रहे हैं। मैं वक्तव्य देने से पहले वहां के घटनाक्रम को भी देखना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह हमारे पड़ोस में जा रहे थे। वह वहां क्या कहते हैं, इसका भी बड़ा महत्व है। उसको ध्यान में रखकर सरकार ने वक्तव्य दिया है लेकिन विदेश नीति पर चर्चा थोड़ी आगे बढ़ायी जा सकती थी। इसका आपसे सम्बन्ध नहीं है। मैं संसदीय कार्य मंत्रालय पर हमला कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं फिर कहता हूं कोई आपत्ति नहीं है। चाहे मेरे माननीय पुनः यह बात

क्यों न कहें क्योंकि मैं भी यह चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति की चर्चा सार्थक हो, अतः यह उपयोगी होगी यदि मेरे माननीय मित्र इस समझौते और अन्य बातों पर टिप्पणी करेंगे। इसका स्वागत है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं अन्यथा अपनी कार्यसूची में आपने आज का यह कार्य किया है। मैंने आपसे यह अनुरोध आपके कक्ष में किया था। दुर्भाग्यवश, राज्यसभा में भी यही चर्चा चल रही है। अतः मैं आपका आभारी रहूंगा यदि सभा में इस पर चर्चा अगले सप्ताह हो और तब तक आप कोई भी मामला उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य ने इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी कि इस पर स्टेटमैंट आना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक लैप्स है।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले आप कहें कि लैप्स है, मैं उसके पहले कुछ आग्रह करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो मैंने कह दिया।

श्री राम विलास पासवान : कल इस मामले को उठाया गया था कि विदेश मंत्री जी इस पर स्टेटमैंट क्यों नहीं दे रहे हैं। कल हम लोग यह चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में एक घंटा और आगे बढ़ा कर चर्चा की जाए और विदेश नीति पर चर्चा चार की बजाय छः बजे की जाए लेकिन सदन की राय थी कि कार्य सूची में विदेश नीति के ऊपर बहस शुरू की जाए। चेयर ने भी रूलिंग दे दी कि विदेश नीति पर चार बजे चर्चा शुरू की जाए। मैं नही समझता कि संसदीय कार्य मंत्रालय या सरकार की तरफ से कोई लैप्स है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय स्टेटमैंट तो आज आई है। अब इस पर कब चर्चा होगी?

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस पर अगले हफ्ते डिसकशन होगा।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, कल हमने यह निर्णय किया था कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा जो कि विदेशी मामलों से संबंधित है, जारी रहेगी और उत्तर प्रदेश का मामला कल उठाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय भी यह कहते हैं कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा को आगे स्थगित नहीं कर सकते हैं और इसे जारी रखना चाहिये।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : आपने जो भी कहा है हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। परन्तु बंगला देश के साथ 9 तारीख को एक और संधि पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। यह भी हमारे लिये महत्वपूर्ण है। ...**(व्यवधान)**

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आप इसे अगले सप्ताह तक स्थगित करना चाहते हैं तो आप यह भी ध्यान रखें कि बंगला देश के संबंध में वक्तव्य दिया जाये क्योंकि समाचार पत्रों आदि में काफी जानकारी आ रही है और जैसा आप उचित समझें। हम इस विषय पर पृथक चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हम लोग दोनों ही इस विषयों पर बोलना चाहेंगे। यदि भा.ज.पा. के उपनेता को पुनः बोलने का अवसर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि नेता और उप नेता बोल सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस पर कोई आपत्ति होगी, परन्तु हम यह जानना चाहेंगे कि बंगला देश के मामले में चर्चा के लिये कितना समय दिया जायेगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जहां तक बंगला देश का सवाल है मैं इस समय कोई वचन नहीं दे सकता हूं क्योंकि सरकार ने बंगला देश के साथ अभी किसी समझौते को अन्तिम रूप नहीं दिया है। ...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : यह सही है। परन्तु कल यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री का कार्य कर रहे हैं। यह क्या है? **(व्यवधान)** मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री का कार्य कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मैं इस मामले पर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने समझौते को अन्तिम रूप दिया है या नहीं। मैंने यह मामला सभा में उठाया था। यह विशिष्ट विषय केवल संघीय सूची तक सीमित है।

यह बंगला देश के साथ द्विपक्षीय मामला है। भारत सरकार संवैधानिक रूप से पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा किस प्रकार प्रतिनिधित्व करवा सकती है और वह भी उस महत्वपूर्ण मामले पर जो भारत के हितों से संबंधित है? यह बंगला देश और कलकत्ता अथवा पश्चिम बंगाल के दो बंगालियों के बीच का मामला नहीं है। यदि श्री ज्योति बसु को फरक्का से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है तो क्या यह कह सकते हैं कि डा. फारूख अब्दुल्ला को केन्द्रीय सरकार की और से कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जायेगी? क्या अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री को मैक मोहन लाइन के मामले को चीन के प्रधानमंत्री के साथ उठाने की अनुमति दी जायेगी। क्या मिजोरम के मुख्यमंत्री को बर्मा के मामले को सभा के प्रधानमंत्री के साथ उठाने की अनुमति दी जायेगी? क्या ऐसी चीजें अब वास्तव में हो रही है? अतः मैं यह मांग करता हूं कि इस मामले में संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आपकी अनुमति और मेरे उत्साहित साथियों को सम्मान देते हुये, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मेरे माननीय मित्र ने सभा में कहा है, मैंने उसे नोट कर लिया है। श्री ज्योति बसु बंगला देश सरकार के निमन्त्रण पर बंगला देश गये थे। उन्होंने किसी समझौते की बात नहीं की थी। ...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उन्होंने बात की है। उन्होंने इसके बारे में बताया है। समाचार पत्रों में यह बताया गया है कि वे 3400 क्यूसेक्स जल बंगलादेश को दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : समाचार पत्रों में यह बताया गया है कि श्रीमती शेख हसीना के साथ अपनी बैठक में उन्होंने सब बातों को अन्तिम रूप दे दिया है, क्या यह बात पक्की है। या तो आप इस वक्तव्य को गलत बताइये या सही स्थिति स्पष्ट कीजिये। यह सही नहीं है। ये द्विपक्षीय मामले हैं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं आशा करती हूं कि आप बंगलादेश के मामले में हमारी भावनाओं पर ध्यान देंगे। बंगलादेश से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। यह बताया गया है कि श्री ज्योति बसु ने कहा है कि वे बंगलादेश को 3400 क्यूसेक्स जल जारी करने जा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिणी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बहिन ममता जी बोल रही हैं और दूसरे साथी कह रहे हैं लेकिन वे यह भूल गये कि इस सरकार में हर घटक दल का अध्यक्ष अपने आपको प्रधानमंत्री समझता है। इस सरकार में तो बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं तभी श्री ज्योति बसु मुख्यमंत्री के रूप में नहीं प्रधानमंत्री के रूप मे गये।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : विदेश मंत्री महोदय को उचित सम्मान देते हुये मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ अधिक संवेदनशील मामले पर बातचीत करने को विदेश मंत्री द्वारा हल्के रूप में नहीं लेना चाहिये। दूरदर्शन में बताया गया है कि सब बातों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ...**(व्यवधान)** यह ठीक नहीं है। न केवल एक बार बताया गया है बल्कि अनेक बार बताया गया है। महोदय, आप सरकार को यह निर्देश दें कि वह सभा में यह पक्का स्पष्टीकरण दे कि कुछ नहीं किया गया है। ... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं यह स्पष्टीकरण दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष पहले ही यह बात कही गई है। आपकी बात पर मुझे जो नोटिस दिया गया है उसके संदर्भ में मैं यह कह रहा हूं कि श्री ज्योति बसु वहां गये थे। जो मैंने कहा है मैं उसको दोहराता हूं। श्री बसु बंगलादेश के साथ किसी समझौते पर 'नहीं' मैं 'नहीं' शब्द को दोहराता हूं नहीं पहुंचे हैं। संधि दिल्ली में होगी। भारत सरकार निर्णय करेगी कि उसको क्या करना है। परन्तु साथ ही साथ मैं अपने साथियों को सम्मान देते हुए यह कहूंगा कि यह भारतीय कूटनीति का बहुत ही सौभाग्यपूर्ण पहलू है कि एक राष्ट्र के रूप में शिष्टमंडलों का नेतृत्व करते हैं। अटल जी यहां मौजूद हैं। उन्होंने अनेक भारतीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया था और वह भी देश के लिये अत्यन्त गौरव के साथ। मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने स्वयं भी जब विपक्ष में था तब कांग्रेस सरकार के अनेक शिष्टमंडलों को नेतृत्व किया था। ...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैंने उसका समर्थन किया था। ... **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : मैं केवल एक मिनट लूंगा। सदस्यों द्वारा दी गई राय व्यक्तिगत राय होती हैं। यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि अतीत में ऐसे मौके थे जब श्री निक्सन चीन आये थे और उससे पहले श्री किसिंगट आये और वहां लोगों से बातचीत की। और दूरदर्शन पर कुछ और ही बताया गया। वस्तुतः कहीं जाना और चर्चा करना एक बात है। यह मत समझिये कि कांग्रेस इसके विरूद्ध है। ...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : हम उस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी परन्तु यह मेरे राज्य के बारे में है। मेरे राज्य के हित मौजूद हैं। ...**(व्यवधान)** सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिये।

श्री संतोष मोहन देव : हम यह कह रहे हैं कि हम श्री ज्योति बसु के वहां जाने और बातचीत करने पर आपत्ति नहीं करते हैं। हम यह आपत्ति कर रहे हैं कि दूरदर्शन यह बताने का प्रयास कर रहा है कि उन्होंने वह कार्य करने के लिये उन्हें सहमत कर लिया है। सूर्खिया बतायी जाती हैं। माननीय मंत्री यह बता रहे हैं कि किसी बात को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया। इस पर हस्ताक्षर 9 तारीख को होंगे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री संतोष मोहन देव : तो आप क्या कह रहे हैं?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं यह कह रहा हूं कि जो भी संधि है उनको यही अन्तिम रूप दिया जायेगा। हमने अभी किसी अभी संधि को अन्तिम रूप नहीं दिया है। केन्द्रीय सरकार के स्तर पर हमने कुछ नहीं किया है।

श्री संतोष मोहन देव : आप अन्तिम रूप दे रहे हैं और हम आपसे सहमत हैं। परन्तु गलत यह है कि जब हम यह कहते हैं कि संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् आप सभा में इस पर चर्चा करें?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं यही करूंगा। मैंने इस पर आपत्ति नहीं की है। ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं यह नहीं कहता हूं। जिस समय किसी संधि पर हस्ताक्षर होंगे तो स्वाभाविक रूप से मैं स्वतः एक वक्तव्य दूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : इससे हम सहमत हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैंने मंत्री से यह समझ लिया है कि श्री ज्योति बसु का दौरा एक निजी दौरा था जोकि निजी निमन्त्रण पर हुआ था और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सरकारी दौरा नहीं था। क्या अब स्पष्ट है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यह बिल्कुल स्पष्ट है। आप नाराज न हों। बंगाल केवल आपका राज्य नहीं है, यह मेरा राज्य भी है। मुझे इस शब्द से आपत्ति है। अतः हमें ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैंने 'मेरा राज्य' नहीं कहा है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आपने ऐसा कहा है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैंने 'मेरा राज्य' नहीं कहा है। मैंने कहा है, "यह मामला दो बंगाली समुदायों के बीच का नहीं है बल्कि यह दो राष्ट्रों के बीच का मामला है।"

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : निश्चित रूप से आपने यही कहा है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैंने कहा है कि यह दो राष्ट्रों के बीच का मामला है। आप गलत कह रहे हैं।...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, आपने अनुमति नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें। अब श्री मुलायम सिंह यादव को वक्तव्य देना है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : ऐसा क्यों है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें पहले ही बुला चुका हूं।

महोदया, कृपया बैठ जाएं।

कुमारी ममता बनर्जी : मेरी बात बहुत ही स्पष्ट है। हमारे बंगलादेश के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। हम उनकी मदद करना चाहते हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आप अपनी बात कह चुकी हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह विवादास्पद मामला क्यों उठ रहा है? यह इसलिए उठा रहा है क्योंकि हमें बंगलादेश का ध्यान है और हमें बंगलादेश के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध रखने चाहिए। हम बंगलादेश की हर प्रकार से मदद करना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि श्री ज्योति बसु इस करार के संबंध में अपना योगदान सर्वाधिक मानते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस करार पर भारत सरकार, बंगलादेश सरकार और भूटान सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। श्री ज्योति बसु यह नहीं कह सकते हैं कि वे इतने क्यूसेक पानी दे रहे हैं। वे इस बारे में निर्णय लेने वाले कौन हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : वे मैच के श्रेष्ठतम खिलाड़ी हैं, निर्णय लेने के लिए मैच के कप्तान नहीं हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यहां पर बोले गए सभी असत्य वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया बैठ जाएं। श्री मुलायम सिंह यादव को एक वक्तव्य देना है।

अपराह्न 12.28 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारतीय वायु सेना के लिए रूस द्वारा 40 एस.यू.-30 एम.के. विमानों की आपूर्ति

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन को यह जानकारी देते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि दो वर्ष की लंबी बातचीत के बाद हमारे रक्षा सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने रूस से भारतीय वायु सेना को 40 एस.यू. 30 एम.के. विमानों की आपूर्ति के लिए रूस से एक अनुबंध किया है। यह अनुबंध हमारे रक्षा मंत्रालय तथा रुजवोरुझनी और इर्कुत्स्क वैमानिकी उद्योग ऐसोसिएशन के बीच हुआ है। इस अनुबंध की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) पहली बार, रूसी एजेन्सियां हमारे रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को अनुसंधान व विकास में भागीदार बनाने और संयुक्त रूप से वैमानिकी विकसित करने पर सहमत हुई हैं।

(2) यह अनुबंध, भविष्य में ऐसे विमानों की पूर्ति के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारत में ही इस विमान के लाइसेंस उत्पादन की अनुमति देता है।

एस.यू.-30 अपनी किस्म का ऐसा बहु-उद्देश्यीय विमान है, जो लक्ष्य-भेदन की अचूक क्षमता रखता है और इसकी सहन-शक्ति भी बहुत अधिक है। इसकी विशिष्टियां भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। यह विमान अपनी किस्म के विमानों की श्रेणी में भी अपनी लागत से कहीं अधिक उपयोगी है।

यह समझौता भारत-रूस के पुराने मैत्री संबंधों, जो अन्य क्षेत्रों के अलावा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी विद्यमान हैं, का द्योतक है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंध और अधिक घनिष्ठ हुए हैं। इस प्रकार दोनों पुराने मित्र देशों की यह महत्वपूर्ण भागीदारी संपूर्ण क्षेत्र की स्थिरता को बल देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मुझे कुछ कहना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं रूस के साथ इस समझौते के लिए।

पहली बार रूस के साथ जो समझौता हुआ है उसमें इस बात का समावेश किया गया है कि रशियन एजेन्सीज यहां पर अन्वेषण करने में और अन्वेषण को आगे बढ़ाने में मदद देंगी। मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ देता हूं।

[अनुवाद]

> "पहली बार, रूसी एजेन्सियां हमारे रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को अनुसंधान व विकास में भागीदार बनाने और संयुक्त रूप से वैमानिकी विकसित करने पर सहमत हुई हैं।"

[हिन्दी]

और इसी तरह से जो दूसरी धारा है

[अनुवाद]

> "यह अनुबंध भविष्य में ऐसे विमानों की आपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को भारत में ही इस विमान के लाइसेंस उत्पादन की अनुमति देता है।"

[हिन्दी]

ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसके लिए हमारे रक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं।

रक्षा मंत्री : माननीय नेता, विरोधी दल ने जो टिप्पणी पढ़ी है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सारा हाउस आपको धन्यवाद देता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऑनरेबल मैम्बर्स, एक फैसला हाउस में हुआ था कि कोई भी माननीय सदस्य एक हफ्ते में एक बार ही एक इश्यू जीरो ऑवर में उठा पायेगा।...**(व्यवधान)** कल मैंने राम नाईक जी को रोक दिया था। दफ्तर से नोट गलत आ गया, उसमें लिखा था कि वह पहले ही तीन बार इश्यू उठा चुके हैं उसके कारण मैंने उनको पहले रोक दिया था। इसके लिए मुझे खेद है। अब राम नाईक जी आप बोलिये।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं जो विषय उठा रहा था वह आज और भी गंभीर बन गया है और वह विषय है मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज का जो सैंसिटिव इंडेक्स है वह सेंसिटिव इंडेक्स तीन साल में सबसे नीचे यानी 2745 प्वाइंट तक पहुंच गया है। यह बहुत गंभीर गिरावट है और एक दृष्टि से देश की इकोनोमिक स्थिति के डेंजर सिगनल के रूप में इसको देखा जा सकता है, माना जा सकता है। जून 1996 में जब यह सरकार आई उस समय सैंसिटिव इंडेक्स 4131 प्वाइंट था और वहां से यह गिरते-गिरते कल 2745 प्वाइंट यानी 1386 प्वाइंट नीचे गिर गया। अब इसके कारण जो छोटे-छोटे इंवेस्टर्स हैं उनके मन में आशंकाएं आ रही हैं, वे एक दृष्टि से भयभीत हुए हैं। सरकार की जो वित्तीय संस्था है वह शेयर मार्केट में कोई रुचि नहीं ले रही है और यह देखा जा रहा है कि फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ इसमें खेल खेल रहे हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा एक तर्क बन रहा है। स्थिति इतनी गंभीर बन गई है कि पिछले सप्ताह मुम्बई स्टाक एक्सचेंज की डेली टर्न ओवर जो सामान्यतया 15 सौ करोड़ की होती थी, वह सात सौ करोड़ यानी 50 प्रतिशत से नीचे है। उपाध्यक्ष महोदय, आज के अखबार का हैडिंग देखेंगे तो

[अनुवाद]

इस संबंध में 'इंडियन एक्सप्रेस' के आज के संस्करण में कहा गया है "सैंसिटिव इंडेक्स तीन वर्ष में सबसे नीचे पहुंचा" 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने कहा है : सैंसिटिव इंडेक्स गिरा तथा 'टाइम्स ऑफ इंडिया' कहता है : सैसिंटिव इंडेक्स और अधिक गिरा'।

[हिन्दी]

इस प्रकार से यह एक गंभीर स्थिति आ गई है और इसलिए वित्त मंत्री जी को इस स्थिति पर बयान देना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं और साथ ही साथ आपसे यह भी मांग करना चाहता हूं कि यह जो स्टेट ऑफ इकोनोमी आई है और कहां से कहां तक पहुंची है, इस पर सदन में बहस होनी चाहिए। मैंने ज्वाइंट कमेटी ऑन सिक्युरिटी स्कैम में काम किया था, कहीं दूसरा सिक्युरिटी स्कैम तो नहीं आ रहा है, ऐसी एक स्थिति बन रही है इसलिए मेरी मांग यह है कि वित्त मंत्री इस विषय में बयान दें और आज जो इकोनोमी की हालत है उस पर सदन में चर्चा हो, ऐसी भी मैं मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सईदा कोटा (नरसारावपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में आई तूफानी बाढ़ के द्वारा तटवर्ती क्षेत्र में रेल पटरी पानी में बह गई है।

यह हरेक वर्ष की आम बात बन गई है जिसके परिणामस्वरूप देश को बहुत अधिक आर्थिक घाटा उठाना पड़ता है।

अतः सरकार को समुद्री तटवर्ती क्षेत्र के आंतरिक भाग के लिए किसी वैकल्पिक रेल पटरी बिछाने के बारे में विचार करना चाहिए।

अतः मैं विनुकोंडा, दरसी, पोडिली और कानीगिरी के रास्ते नाडीकुडी से वेंकटगिरि तक एक वैकल्पिक रेल पटरी बिछाने का सुझाव देता हूं। यह तटवर्ती रेल पटरी का एक विकल्प होगी। इसके अतिरिक्त, इस प्रस्तावित रेल पटरी से गुंटूर, प्रकासम और नैल्लौर जिलों को पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार के इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए और मद्रास से विजयवाड़ा तक तटवर्ती रेल पटरी की एक वैकल्पिक रेल पटरी के रूप में नई पटरी बिछानी चाहिए।

[हिन्दी]

डा.एम.पी. जायसवाल (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले बगहा-छितौनी रेल पुल के संबंध में एक महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में उठाना चाहता हूं। उस जगह बड़ी लाइन पर एक रेल पुल का निर्माण हुआ जिसके साथ-साथ एक सड़क पुल का निर्माण कार्य भी चल रहा था। उसके पायों का निर्माण कार्य हो चुका है लेकिन देग ढालने का कार्य रेल मंत्रालय के द्वारा रोक दिया गया है। चूंकि रेल मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि उस सड़क पुल के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने जो 22 करोड़ रुपए का अंशदान देना था, उसमें से 18 करोड़ रुपया दे दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार जो 18 करोड़ रुपए का अंशदान देना था, वह राशि दे दी है, लेकिन भारत सरकार के जल-संसाधन मंत्रालय ने जो 22 करोड़ रुपए देने थे, जो केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, वह राशि अभी तक नहीं दी गई है। चूंकि रेल मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि इस सड़क पुल की महत्ता को देखते हुए, चूंकि उसके पायों का निर्माण हो चुका है, केवल देग की ढलाई का कार्य बंद कर दिया गया है, वे सदन को जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण रेल सड़क पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराने के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से जो 22 करोड़ रुपए की राशि दी जानी है, उस जल्दी स जल्दी उपलब्ध कराएंगे। उस पुल को शीघ्र तैयार कराने का आश्वासन उन्हें सदन में देना चाहिए।...**(व्यवधान)** रेल मंत्री जी सदन में बैठे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि सदन में उनका वक्तव्य आना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, रेल मंत्री जी तैयार हैं...**(व्यवधान)** वे स्वयं बिहार से आते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना विषय उठा चुके हैं। मैं मंत्री जी को नहीं रोकता। यदि वे कहना चाहें तो कहें।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : बगहा-छितौनी रेल-रोड पुल, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल है लेकिन रेल मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है, उसे हमने पूरा कर दिया है। आप जानते हैं कि सरकार की कलैक्टिव रिस्पौन्सिबिलिटी है। जहां तक वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय का संबंध है, पहले जब गुजराल साहब के पास वह मंत्रालय था, हमने रेल मंत्रालय की तरफ से लिखा था। उसके बाद जब जनेश्वर मिश्र जी के पास वह मंत्रालय आया, हमने उन्हें भी लिखा और मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे आग्रह किया कि यह बहुत महत्वपूर्ण रूट है, इसकी स्वीकृति जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। हम मंत्री जी से फिर आग्रह करेंगे। माननीय सदस्य भी यदि उनसे बात करें तो अच्छा रहेगा।

डा. एम.पी. जायसवाल : आप कैबिनेट में तय करा दीजिए, आप सदन के नेता हैं।

श्री राम विलास पासवान : यह कैबिनेट का मामला नहीं है, बल्कि एक मंत्रालय का है।

श्री रामसागर (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ से उत्तर भारत को जाने वाली सभी ट्रेनें और बसें हमारे क्षेत्र जिला बाराबंकी से गुजरती हैं, पास होती हैं। लखनऊ के बाद, सफेदाबाद ऐसा रेलवे क्रासिंग हैं जहां घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। इस सफेदाबाद-बाराबंकी रेलवे क्रासिंग पर कई भीषण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और दुर्घटनाओं की शंका बराबर बनी रहती है। इस रेलवे क्रासिंग पर ट्रैफिक जाम और भीड़ को देखते हुए, पूरी बाराबंकी की जनता की तरफ से बराबर यह मांग की गई है कि यहां एक ओवरब्रिज बना दिया जाए। जब रेल मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र थे, उन्होंने यह कहा था कि इसे बनवा दिया जाएगा। हमने उस ओवरब्रिज के संबंध में वर्तमान रेल मंत्री जी से भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज की लागत का आधा धन यदि उत्तर प्रदेश सरकार दे दे तो हम इसे यथाशीघ्र बना सकते हैं।

लेकिन मान्यवर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। इसलिए अगर माननीय मंत्री जी चाहें, तो बाराबंकी के इस सफेदाबाद क्रासिंग के ओवरब्रिज के बारे में रिपोर्ट मंगा सकते हैं और उसे शीघ्र प्रारंभ करने के लिए आदेश दे सकते हैं। यह बाराबंकी जिले की मूल समस्या है और यहां मंत्री जी मौजूद हैं, यदि ये चाहें, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल

मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे बाराबंकी जिले के सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग के ऊपर ओवरब्रिज शीघ्र बनाना प्रारंभ करने के आदेश दें और यहां सदन में इसकी घोषणा करने की मेहरबानी करें।

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने कल के अखबारों में छपी खबरों के अनुसार यह निर्णय लिया है कि वह एक, दो और पांच रुपए के करेंसी नोटों को बंद कर रही है। आगे नहीं छपेंगे या मुद्रित नहीं होंगे, यह बहुत गलत होगा, क्योंकि एक, दो और पांच के करेंसी नोटों की जो स्थिति है वह बहुत चिन्तनीय है। नोट गंदे और फटे हैं जिनको देखकर तरस आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, करेंसी नोट किसी देश की सरकार की आर्थिक स्थिति, स्थायित्व और गरिमा को भी प्रकट करते हैं। हमारे देश के नोट गंदे और कटे-फटे हैं जिनको देखकर बहुत दुख होता है। महोदय इसके कारण छोटे-छोटे ग्रामीणों को व्यापारी और दुकानदार लूट रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इनको बंद नहीं करना चाहिए बल्कि इनकी मात्रा बढ़ानी चाहिए और इनको ज्यादा संख्या में छापा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय एक, दो और पांच रुपए के सिक्के बाजार में आए हैं, लेकिन उनकी स्थिति यह है कि दो रुपए का सिक्का एक रुपए जैसा दिखता है और पांच रुपए का सिक्का अठन्नी जैसा दिखता है। इसको लेकर गांवों में छोटे छोटे लोगों को वहां के दुकानदार लूट रहे हैं। फिर महोदय, नोट तो ज्यादा संख्या में रखे जा सकते हैं, लेकिन सिक्के ज्यादा संख्या में पर्स में नहीं रखे जा सकते हैं। वैसे भी नोटों की अपनी एक अहमियत होती है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि एक, दो और पांच रुपए के नोटों का छापना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी संख्या प्रचलन में बढ़ाने के लिए और अधिक मात्रा में मुद्रण किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष एक अत्यंत गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के लोगों में बहुत क्रोध, वेदना और रोष है। जबकि बाकी सभी राज्यों को आर्थिक पैकेज दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों को आर्थिक पैकेज से वंचित रखा गया है।

[हिन्दी]

क्या यह हमारी मर्यादा और शालीनता की हमें सजा दी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। नौंवे फायनेंस कमीशन ने हमारे साथ नाइंसाफी की थी और हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट की सूची में से निकाल दिया था। उसके बाद एक रंगराजन कमेटी बनी। उसने कहा कि नान प्लान को हटाया जाए।

[अनुवाद]

हमने बिजली के ऊपर जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया, तो हमें उसकी अनुमति नहीं दी गई। हमसे कंसेंट नहीं ली जा रही है। हमें चमेरा और बैरास्यूल में रायल्टी देते हैं, लेकिन हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। हमें 1200 करोड़ रुपए का घाटा है। जब से राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, तब से हमें दो प्रतिशत मिल रहा है जबकि हमारा राइट 7.50 प्रतिशत बैठता है। हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने इस माह की दो तारीख को बगैर पार्टीबाजी के सर्वसम्मति से एक रिजोल्यूशन पास किया है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार को पैकेज लाना चाहिए। हम अपना धैर्य खो रहे हैं और मैं केन्द्र सरकार को यह चेतावनी देना चाहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हों।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। समूचे उत्तर प्रदेश में 66 जिले हैं और सभी जिलों में चाहे पक्ष के और चाहे विपक्ष के माननीय सदस्यों को पूछ लीजिए, सब मानते हैं कि बिजली का भयानक संकट बना हुआ है। बिजली किसी जिले में ठीक प्रकार से न मिलने के कारण पानी और विद्युत का गहन संकट हो गया है। आप जानते हैं कि आजकल बिजली कितनी महत्वपूर्ण है। आजकल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है और केन्द्र सरकार सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। इसलिए मेरी मांग है कि यह सरकार वहां के प्रशासन को आदेश करे कि 66 जिलों में अविलंब बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। 66 जिलों में से 40 जिलों में भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है जिसके कारण किसानों की जमीनें असिंचित पड़ी हुई हैं और तमाम फसल बर्बाद हो रही है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आगरा और फिरोजाबाद के क्षेत्र में बिजली का संकट छाया हुआ है। भारत सरकार प्रदेश सरकार को आदेश करे कि उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था की जाए। यह किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है उत्तर प्रदेश के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए।

मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। क्या ये माननीय सदस्यों को आश्वासन देंगे?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है? मैंने केवल एक व्यक्ति को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए। फसल सूख रही है। ...**(व्यवधान)** प्रधानमंत्री जी को किसान का बेटा और मजदूर का बेटा कहते हैं। लेकिन उन लोगों को पानी और बिजली नहीं मिल रही है।...**(व्यवधान)** सरकार को जवाब देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं,। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। आपकी बात हो गई। आपकी बात रिकार्ड में आ गई है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आखिर कुछ सीमा होनी चाहिए। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री चेन्नित्तला।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोट्टायम में स्थित चाय बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को वहां से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है।

महोदय, चाय बोर्ड का यह कार्यालय कोट्टायम में लम्बे समय से काम कर रहा है। वास्तव में, चाय बोर्ड के इस क्षेत्रीय कार्यालय से चाय उत्पादकों तथा श्रमिकों जो नजदीक के क्षेत्र इडुक्की में काम करते हैं, को बहुत लाभ मिलता है। अचानक ही, चाय बोर्ड के अधिकारियों ने अब इस कार्यालय को कोट्टायम से इरनाकुलम ले जाने का निर्णय लिया है। यह केरल के पूर्वोत्तर भाग के श्रमिकों और चाय उत्पादकों के साथ बहुत बेइंसाफी होगी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस क्षेत्रीय कार्यालय को कोट्टायम से कोचीन ले जाने का निर्णय क्यों लिया है। चाय उत्पादक, बागान मालिक और श्रमिक इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि चाय बोर्ड के इस क्षेत्रीय कार्यालय को कोट्टायम से कोचीन ले जाने के इस निर्णय को निरस्त कर दिया जाए। इससे चाय का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। बागान मालिक बहुत ही दुःखी हैं। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कोट्टायम जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, से चाय बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को कोचीन ले जाने का विचार छोड़ दिया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में मेहनतकशों की स्थिति सुरक्षित नहीं है। उनके रोजगार की सुरक्षा भी नहीं है। उज्जैन की इंदौर टैक्सटाइल मिल के मजदूरों पर लाठी चार्ज हो गया। वे मिल चलाने की मांग कर रहे थे। उन पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। मिल को चलाया जाना चाहिए। सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों में घोर असंतोष है। पांचवा वेतन आयोग लागू किया जाना चाहिए। उसकी सिफारिशें जल्दी आनी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ ने यह मांग की है। । जनवरी, 1994 से सारे कर्मचारियों को इस वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की जा रही है।

न्यूनतम वेतन 'डी' वर्ग के कर्मचारी को 3000 रुपये मिलना चाहिए, ऐसी भी उनकी मांग है। आयोग की सिफारिशें जल्दी आनी चाहिए, देश भर के श्रमिकों के कन्फैडरेशन, सारे के सारे मजदूरों के कन्फैडरेशन आज दिल्ली में इस समस्या के बारे में विचार कर रहे हैं और श्रम शक्ति भवन पर आज उनका प्रदर्शन है। सरकार मजदूरों की, मेहनतकशों की मांगों को नजरअंदाज नहीं करे, उनकी मांगों को पूरा करे, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र पटना की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अब से कुछ माह पहले पटना में दूरदर्शन केन्द्र का स्टूडियो खुला था, उसका उद्घाटन भी किया गया था, जिसमें लाखों रुपया खर्च हुआ, वहां उपकरण बैठाये गये, वहां बड़े-बड़े भवन बनाये गये, लेकिन बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि खुलने के कुछ ही दिनों के बाद स्टूडियो केन्द्र बन्द कर दिया गया। इसके सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान कई बार मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी आकृष्ट किया था, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अभी तक दूरदर्शन केन्द्र बन्द पड़ा है।

दूरदर्शन केन्द्र की अपनी एक अहमियत है। वहां का स्टूडियो बन्द पड़ा रहने के कारण विस्तारपूर्वक वहां का फंक्शन गांव-गांव तक

नहीं जा पाता है, बिहार के लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्री जी से यह निवेदन होगा कि इस ओर विशेष ध्यान देकर उसको चालू करायें। हम जब उनको एप्रोच करने का काम करते हैं तो वे कहते हैं कि वहां कर्मचारियों का अभाव है। अगर कर्मचारियों का अभाव है तो लाखों रुपया खर्च करके आपने वहां पर भवन क्यों बनाया? इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे जैसे भी हो, कर्मचारी एपांइट करने पड़ें, टैक्नीकल स्टाफ एपांइट करना पड़े, यथाशीघ्र एपाइंटमेंट करके दूरदर्शन केन्द्र को शीघ्र चालू करायें ताकि बिहार की जनता उससे लाभ उठा सके और सरकार ने जिस मंशा से उस भवन को निर्मित करने का काम किया है, वहां पर लाखों रुपये के उपकरण लगाने का काम किया है, वह मंशा पूरी हो सके। अगर यह चालू नहीं किया गया तो सारी मशीनें वहां खराब हो जाएंगी। सारी की सारी मशीनें वहां खराब हो रही हैं, टैक्नीकल चीज है, उसको चालू कराना बहुत जरूरी है।

बिहार की जनता के हित में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए पुरजोर मांग करता हूं कि यथाशीघ्र उस दूरदर्शन केन्द्र के स्टूडियो को चालू कराया जाये ताकि बिहार की जनता को इससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, सारे देश में 63 आर्मी कॅंटोनमेंट अर्थात् मिलिट्री कॅंटोनमेंट हैं। इनकी व्यवस्था कॅंटोनमेंट बोर्ड द्वारा की जाती है। इसमें चुने हुए पार्षद भी रहते हैं। आजादी के पहले से यह व्यवस्था चलती आ रही है। आजादी के बाद कॅंटोनमेंट में रहने वाले नागरिकों का पार्षदों, सांसदों और विधायकों से सम्पर्क बढ़ा और आजकल तो यह स्थिति है कि सांसद और विधायक अपने कोटे से कई काम कॅंटोनमेंट के इलाकों में कराते हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा यह सुझाव है कि आर्मी कॅंटोनमेंट जहां पर हैं, वहां के सांसद और वहां के विधायक को बोर्ड का पदेन सदस्य माना जाये। इस प्रकार का नियम में परिवर्तन होना चाहिए, यह मेरा आग्रह है।...**(व्यवधान)**

श्री सुख लाल कुशवाहा (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित कराना चाहूंगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में बागूपुर में स्थित जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्पात लाइमस्टोन कम्पनी की क्वेरी है, उसमें मजदूरों के साथ बेहद बेइन्साफी और अन्याय होता है, उनका शोषण होता है। मैंने उस क्षेत्र में मौके पर जाकर देखा, वहां न उनके लिए बुनियादी सुविधाएं हैं, न पीने के पानी व्यवस्था है, न उनके लिए आवास की कोई सुविधा है। वे बेचारे घायल हो जाते हैं तो उनको खदान से ऐसे फैंक दिया जाता है, जैसे कोड़े-मकौड़े हों और वे अपनी तरफ से पैदल चलकर सतना जाते हैं। वहां जो वाहन होते हैं, उन गाड़ियों में वहां के अधिकारी अपने ऐशो-आराम में और अपने लड़कों और अपनी बीवियों को घुमाने के लिए शहर में भेजते हैं।

मजदूरों को गाड़ियों के माध्यम से अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जाता है। जबकि प्राथमिक उपचार की व्यवस्था खदान के बगल में ही होनी चाहिए। उनके लिए पानी की व्यवस्था भी बहुत खराब है। अगर मजदूर अपने बुनियादी सवालों के लिए आवाज उठाते हैं तो ठेकेदार और अधिकारी मिलकर उनके प्रति दमनात्मक रवैया अपनाते हैं, लाठी चार्ज कराते हैं और उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराते हैं। जिन मजदूरों ने अपने खून से देश को सींचा है, उनके साथ ऐसी बेइन्साफी होती है। मेरी मांग है कि वहां जितने भी पदस्थ अधिकारी हैं, उनको तत्काल निलम्बित किया जाए और उनका स्थानांतरण किया जाए। इसके साथ ही जो ठेकेदार माफिया बना हुआ है, मजदूरों का खून पीता है, उनकी आवाज को दबाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जांच कराकर मजदूरों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमे बना रखे हैं उनको सरकार वापस ले।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : इतने वर्ष निकल जाने के बाद भी हम यह मानते हैं कि इस देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस देश की आजादी के संघर्ष के लिए कांग्रेस का योगदान रहा और अंग्रेजों को यहां से भगाने में कांग्रेस और महात्मा गांधी का बहुत योगदान रहा। लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी का नाम लेने वाली और अपने आपको वास्तविक कांग्रेस कहलाने वाली तमिल मनीला कांग्रेस, उनके एक सदस्य भारत सरकार के वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने लंदन में अंग्रेजों के साथ बैठक में एक बात कही थी, जो पूरे देश के लिए शर्म और दुर्भाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि आप पहले हमारे यहां आए थे और 200 साल तक राज किया था।** इस प्रकार का बयान वित्त मंत्री दें, अगर नहीं दिया तो इसका स्पष्टीकरण दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके कहने का आधार क्या है, किस आधार पर कह रही हैं?

कुमारी उमा भारती : मेरे पास प्रमाण हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। मैं कल सदन में रखूंगी। अगर ऐसा कहा गया है तो केन्द्र सरकार इस पर क्या विचार कर रही है?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अलाऊ नहीं किया, देखने के बाद अलाऊ करूंगा।

कुमारी उमा भारती : हिन्दी और अंग्रेजी के अखबारों में भी यह छपा है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रूफ देखूंगा।

कुमारी उमा भारती : मैं प्रूफ लाकर दूंगी। मैं यहां लंदन का ऑडियो और वीडियो कैसेट लाकर पेश करूंगी।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि मैंने परमिट नहीं किया है। अब आप बैठ जाएं।

कुमारी उमा भारती : मैं दस मिनट के अंदर प्रूफ लाती हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : इसको प्रोसीडिंग से निकाला जाए। कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी उसको बाद में देखूंगा।

(व्यवधान)*

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : अगर आप कल प्रूफ लाएंगी तो यह बात कल बोलतीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे पहले कह दिया है, अब कहने की क्या जरूरत है। उमा जी अब आप बैठ जाएं।

अपराह्न 1.00 बजे

जम्मू और काश्मीर में श्रीनगर के निकट कुलगाम कस्बे पर आतंकवादियों के हमले के बारे में

[हिन्दी]

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, कल कश्मीर वैली के कस्बा कुलगाम में जब सी.पी.आई.एम. के स्टेट सेक्रेटरी श्री मोहम्मद सुयूफ तारीगामी जो हमारी स्टेट के एक माने हुए नेता हैं, वह पब्लिक मीटिंग को एड्रैस कर रहे थे तो वहां बम फटा जिसमें 5-6 व्यक्ति मारे गए और 20 लोग जख्मी हुए। इस पब्लिक मीटिंग के बारे में काफी दिन पहले बताया गया था और सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेज को मालूम था कि यहां पब्लिक मीटिंग होने वाली है। इस पब्लिक मीटिंग में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब डा. फारूख अब्दुल्ला को भी इन्वाइट किया गया था लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस पब्लिक मीटिंग के लिए सिक्योरिटी का उचित इंतजाम नहीं किया गया। मैं यह महसूस करता हूं कि जब से असेम्बली के इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान स्पोन्सर्ड टेरेरिज्म बढ़ा है तथा इंफिल्ट्रेशन भी बढ़ी है और सिक्योरिटी फोर्सेज तथा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोआर्डिनेशन कम हुआ है। मैं यह चाहता हूं कि माननीय होम मिनिस्टर साहब वहां जाएं और देखें कि किस तरह से बढ़ती हुई इंफिल्ट्रेशन को रोका जाए, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोआर्डिनेशन को बढ़ाया जाए और इस तरह की जो रोज घटनाएं हो रही हैं, उनको कैसे रोका जाए और खास तौर से चीफ मिनिस्टर साहब जो आए दिन दिल्ली आते रहते हैं, वह स्टेट के मामले को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वह चीफ मिनिस्टर साहब को कहें कि वह अपना ज्यादा वक्त स्टेट को दें और खास तौर से आज जो सर्दियों के मौसम में पूरा सेक्रेटेरिएट जम्मू में आ गया है और कश्मीर वैली में कोई बैठता नहीं है, मैं यह कहूंगा कि कुछ मंत्रियों को सर्दियों के मौसम में कश्मीर में रखना चाहिए ताकि वे यह देखें कि पाकिस्तान स्पोन्सर्ड टेरिज्म वहां ज्यादा न फैले और इलेक्शन में जिन सियासी पार्टीज के नेताओं ने हिस्सा लिया, वे आज टेररिस्ट्स के निशाने में आ सकते हैं और आ रहे हैं। इसलिए माननीय होम मिनिस्टर साहब को इसको रोकने के लिए पूरे स्टैप्स लेने चाहिए। यह बड़ा ही सीरियस मामला है, इसकी तरफ पूरे देश को ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कल कश्मीर में मेरी पार्टी सी पी आई (एम) द्वारा एक सार्वजनिक सभा आयोजित की जा रही थी। हमारे राज्य नेता और विधायक मोहम्मद युनूस तारीगामी उस बैठक को संबोधित कर रहे थे। उस सार्वजनिक सभा में गोलाबारी की दुर्घटना हुई...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उस गोलाबारी में तीन व्यक्ति मारे गए और कई लोग जख्मी हुए। मेरी श्री युनूस से आज बात हुई और उन्होंने यह बताया कि उस बिस्फोट में उन्हें चोट पहुंची ...**(व्यवधान)**। यह एक बहुत ही गम्भीर दुर्घटना थी। सुरक्षा के मामले में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं बरतनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री यहां पर हैं। मैं इस तथ्य की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा और यह जानना चाहूंगा कि जब इस सार्वजनिक सभा को आयोजित करने की घोषणा बहुत पहले कर दी गई थी तब क्या इस सभा के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी अथवा नहीं। इस प्रकार की दुर्घटना क्यों घटित हुई? सुरक्षा संबंधी मामलों में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं बरतनी चाहिए।

राज्य में एक निर्वाचित सरकार स्थापित की गई है। जो आतंकवादी ताकतें जम्मू कश्मीर में शांति का वातावरण नहीं चाहती हैं, वे इस प्रकार की समस्याओं के पैदा करने की कोशिश करेंगी। जम्मू कश्मीर की स्थिति के संबंध में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह बहुत है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी व्यवस्था के संबंध में कारगर कदम उठाए

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

जाएं और इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटित न हों। गृह मंत्री आज अथवा कल इस घटना के संबंध में वक्तव्य दें...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मोहम्मद युनूस तारीगामी को मुबारकबाद देता हूं कि चुनाव के बाद यह पहली पब्लिक मीटिंग थी। जिन लोगों को चुनाव में दो-तिहाई बहुमत मिले हैं, उनमें से एक भी आदमी पब्लिक मीटिंग एड्रैस नहीं कर सका। तारीगामी ने वहां पर पब्लिक मीटिंग एड्रैस करके जवांमर्दी का सबूत दिया है। जैसा कि बताया गया है, इस पब्लिक मीटिंग में बाकायदा समय से पहले सबको पता था। वहां पर जो स्थिति बनी है, वहां की सरकार ने वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज को डिमोरलाइज किया है। वे हमेशा यह कोशिश करते हैं कि हम सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ एक्शन लेंगे। जिसका नतीजा यह हो रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना काम ही बन्द कर दिया है। उन्होंने बार-बार वहां पर मांग की है कि इस क्षेत्र को डिसटर्ब एरिया घोषित करें, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक तारीगामी नहीं बल्कि वहां पर जितने भी पोलिटिकल लीडर्स हैं, उनमें सिवाय नेशनल कान्फ्रेंस के लोगों के बाकी किसी को सिक्योरिटी नहीं मिल रही हैं, बल्कि उनसे बुलैट कार भी वापिस ले ली गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन हालात के अन्दर सब पोलिटिकल वर्कर्स को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।...**(व्यवधान)** ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। ये शायद भूल गए हैं, जब जग मोहन जी वहां पर गए थे और उन्होंने थोड़ी सी भी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा सख्ती करनी शुरू की थी, हालात सुधारने शुरू किए थे, तब भी ये चिल्लाते थे और उन्होंने दूसरी तरह से शोर मचाना शुरू किया था। आज भी इनको लग रहा है कि वहां पर ऑन ग्राउन्ड वही स्थित है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस ग्राउन्ड स्थिति को देखते हुए वहां की सरकार को यह बाकायदा हिदायत दी जाए, होम मिनिस्टर साहब सारी परिस्थिति को जानते हैं और मैं चाहता हूं कि एक स्टेटमेंट आए। दिन प्रति दिन वहां पर स्थिति बिगड़ रही है। पाकिस्तान वहां पर डैलीब्रेटली कोशिश कर रहा है। वहां पर जो सरकार बनी है, वह किसी काम की नहीं है और सब लोग वहां से भागकर, अपने परिवारों को लेकर जम्मू में बैठे हैं, कोई स्थिति को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग फेस कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्स के लोग, उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। इस डिमोरलाइजेशन को रोकना चाहिए, तभी वहां के हालात सुधरेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्तजी, आप कुछ बोलना चाहेंगे। ...**(व्यवधान)** ठहरिए, उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : आपका एक डैमोक्रेटिक लीडर के नाते फर्ज बनता है कि आप दूसरी ओपनियन ले लें। हमारा भी प्वाइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री गुलाम रसूल कार : महोदय, काश्मीर के बारे में यहां जो तकरीर हुई है, दरअसल में काश्मीर के मामले को हल करना है। जो यह समझते हैं कि वहां पर बमबारी होनी चाहिए, बेतहाशा लोगों को मारना चाहिए...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो किसी ने नहीं कहा है।

श्री गुलाम रसूल कार : कहा गया, सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी...**(व्यवधान)** यह भारतीय जनता पार्टी का प्वाइंट ऑफ व्यू रहा है कि उसको डिसटर्ब एरिया करार दिया जाए। काश्मीर का इन्टरनेशनल मसला है। ये नाजुकता को नहीं समझते हैं। वहां पर लोगों के वोट से सरकार आ गई है, जो एक डैमोक्रेटिक सरकार है। जो कैंडिडेट इलैक्शन में खड़े थे, हर एक को सिक्योरिटी है। अलबत्ता ऐसे लोगों को सिक्योरिटी नहीं है, जो पोलिंग एजेंट या कोई और है, लेकिन उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका और काश्मीर सरकार के दरमियान बहुत अच्छा तालमेल हैं। कभी-कभी एट्रोसीटीज होती हैं, तो सरकार के लोगों को उनके जजबात को इजहार करने का फर्ज बनता है। कभी-कभी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले एट्रोसीटीस करते हैं और हद से आगे बढ़ जाते हैं।...**(व्यवधान)** गुप्त साहब, पहले आपको सारे मामले की जांच कर लेनी चाहिए, पोलिटिकल इश्यू बनाए बगैर। मौजूदा सरकार के तीन महीने हुए हैं और यह कहा जा रहा है कि यह सरकार किसी काम की नहीं है और यह कुछ नहीं करती है। वहां मिनिस्टर ने बारामूला में मीटिंग की, कुपवाड़ा में मीटिंग की, अनन्तनाग में मीटिंग की और हर मीटिंग की और हर मीटिंग में मिनिस्टर प्रिसाइड करता था, लेकिन मिनिस्टर घर-घर नहीं जा सकता है। फिर मैं कहता हूं। मौजूदा सरकार को एक्टिव रहना चाहिए और लोगों से मेल-मिलाप होना चाहिए। जल्से और मीटिंग में उनको पूरा-पूरा प्रोटैक्शन मिलना चाहिए तथा साथ ही इसको पोलिटिकल इश्यू नहीं बनाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : महोदय, मैं यह प्रूफ लेकर आ गई हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उसको बाद में देखेंगे। पहले आप उनको बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैं आपको इस समय बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। मैंने गृहमंत्री को जवाब देने के लिए कह दिया है।

(व्यवधान)

गृहमंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों की चिन्ताओं और व्यक्त किये गए विचारों से सहमत हूं जिन्होंने इस घटना जो घटित हो चुकी है, के मामले को यहां उठाया है यह अत्यन्त गम्भीर घटना है। मैं इस विचार से भी सहमत हूं कि घाटी में सुरक्षा स्थिति के सम्बन्ध में किसी ढील के लिए कोई आधार नहीं है।

केवल यही घटना नहीं हुई है आतंकवादियों द्वारा लगभग प्रतिदिन हत्याएं की जा रही हैं। उनके लक्ष्य मुख्यतः या तो वे लोग हैं जो नेशनल कांफ्रेंस को समर्थन दे रहे हैं अथवा जो फारुख अब्दुल्ला साहब के समर्थक हैं, और सुरक्षा दलों के सदस्य हैं उन्हें लक्ष्य बनाया जा रहा है और हत्या करने के लिए चुना जा रहा है और दुर्भाग्य से सुरक्षा दल भी उन लोगों को पूरी सुरक्षा देने में समर्थ भी हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। चुनावों के दौरान भी श्री तारीगामी के ससुर गए थे और आज यह घटना दूसरे क्षेत्र में घटित हुई है जहां वे इस सार्वजनिक बैठक में मुख्य वक्ताओं में से एक वक्ता के रूप में भाग लेने गए थे और वहां उस बैठक में मुख्य मंत्री के भी भाग लेने की सम्भावना थी।

मुझे घटना के ब्यौरे का पता नहीं है-मुझे इसका पता लगाना होगा-लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं। निसन्देह जब कोई सार्वजनिक बैठक होनी होती है तो इसकी सूचना अवश्य दी जाती है। सार्वजनिक बैठक चुपचाप तो की जा नहीं सकती। तैयारियां की जाती हैं और प्रचार किया जाता है अब सभी जान गए होंगे कि सार्वजनिक बैठक होने जा रही है और मुख्यमंत्री के भी एक वक्ता के रूप में आने की सम्भावना है। लेकिन क्या वहां अतिरिक्त सूचना भी थी कि आतंकवादियों के उस क्षेत्र में आने की सम्भावनाएं है। यह मैं नहीं जानता मुझे इतना पता लगाना पड़ेगा। मैं इसका पता लगाऊंगा और मैं इस सभा में एक विस्तृत वक्तव्य के साथ, जैसाकि सदस्यों की इच्छा है, वापस आऊंगा।

मैं सहमत हूं कि सुरक्षा प्रबंधों को काफी हद तक कसा जाना चाहिए। काफी पहले हमने निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश और कश्मीर में चुनावों के पश्चात् अर्द्ध सैन्य दलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को, जिन्हें कई राज्यों से हटा दिया गया था और चुनावी उद्देश्यों के लिए भेजा गया था, राज्यों में पुनः लौटाया जाएगा। लेकिन अब जो कश्मीर में हो रहा है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम उस निर्णय पर अडिग नहीं रह सकते। हम कश्मीर से कोई भी दल चाहे वेथल सेना हो अथवा अर्द्ध सैन्य दल हो वापस नहीं बुला रहे हैं। वर्तमान स्थिति में जब तक इस प्रकार का आतंकवाद जारी है ऐसा करना पूर्णतः गलत होगा। मैं सहमत हूं कि राजनैतिक तौर पर पाकिस्तान इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। जब यहां चुनाव हो रहे थे तो उसने हर कीमत पर उसे रोकने का प्रयास किया था निसन्देह वह घाटी में और अधिक अशान्ति फैलाने का प्रयास करेगा। अतः सुरक्षा दलों के वास्तविक व्यवहार के बारे में अर्थात क्या वे उतने सतर्क और सक्रिय नहीं थे जितना उन्हें होना चाहिए था और क्या वहां कोई शिथिलता दिखाई गई थी अथवा नहीं, इस मामले में इन सब परिस्थितियों का पता लगाने के लिए मुझे थोड़ा समय अवश्य दिया जाए। यदि आवश्यक हुआ तो मैं स्वयं वहां जाऊंगा। यह बात नहीं है कि मैं कोई सुरक्षा के बारे में विशेषज्ञ हूं लेकिन इसकी जांच करना आवश्यक है और यह पता लगाना भी आवश्यक है कि क्या हमारे सुरक्षातंत्र में खामियां हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा कि एक सदस्य ने उल्लेख किया है, इस मौसम में दरबार श्रीनगर में जम्मू आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है। अतः यदि वे लोग जम्मू गये हैं तो इसका मतलब यह भी कि वे डर के मारे भाग रहे हैं। किसी ने कहा कि वे डरपोक हैं। वे भागकर जम्मू जा रहे हैं। इस समय दरबार जम्मू में लगता है श्रीनगर में नहीं। इसलिए मैं सहमत हूं कि विभिन्न दलों के सभी मुख्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं, जिनमें चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, जो पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसमें सन्देह नहीं है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इन उपायों को लागू किया जाए और पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् मैं सभा में वक्तव्य दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.20 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.20 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में मंदसौर में एक केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय कर्मचारियों की निरंतर मांग तथा उनके बालकों को शिक्षण सुविधा की दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निवेदन किया गया था कि मध्य प्रदेश के मंदसौर नगर में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाये। इसे उचित ठहराते हुये विद्यालय खोले जाने की तदर्थ स्वीकृति

दी गयी थी, किन्तु वर्तमान शिक्षण सत्र में भी केन्द्रीय विद्यालय न खोले जाने से कर्मचारियों को काफी कठिनाई हुई है।

सामान्यतः केन्द्रीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होता रहता है। अतः उनके बालकों को निर्बाध व समान शिक्षण की दृष्टि से केन्द्रीय विद्यालय उपयुक्त होता है, जहां पाठ्यक्रम की समानता होती है। इसी दृष्टि से मंदसौर में भी केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना स्वीकृत किया गया था। राज्य सरकार द्वारा वहां उपयुक्त स्थान प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। अतः मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री से निवेदन है कि उक्त विद्यालय खोले जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

(दो) बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए राजस्थान को धनराशि दिये जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गत वर्षा में भरतपुर, अलवर व उसके आसपास काफी बाढ़ आयी थी। केन्द्र सरकार ने कितना नुकसान हुआ, इसकी जांच करने के लिये एक दल भी जयपुर भेजा था उसने भी रिपोर्ट दे दी है। इसी प्रकार राजस्थान के रेतीले मैदान हनुमानगढ़ आदि में बाढ़ आयी थी और उसने भी राजस्थान सरकार की मदद करने के लिये केन्द्रीय टीम ने सिफारिश की थी। परन्तु रकम स्वीकृत होने के बाद भी नहीं मिली है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अभी आई बाढ़ का अवलोकन किया था परन्तु अभी तक दोनों आई बाढ़ में किसान का जो खेत, मकान, खेती का जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति के लिये केन्द्र ने धनराशि नहीं दी है। बेहद सूखे से निपटने के लिये प्रतिवर्ष जो राशि दी जाती है वह ही दी है।

केन्द्र से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार को बाढ़ से हुये नुकसान पूर्ति की रकम शीघ्र दें।

[अनुवाद]

(तीन) पश्चिमी उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

डा. कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : पश्चिमी उड़ीसा में उपलब्ध क्षमता के दोहन में अनावश्यक विलम्ब हुआ है। अपर इन्दिरावती बहुउद्देश्यीय परियोजना के निर्माण में विलम्ब से कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिलों के लोगों में असंतोष फैला है जो के.बी.के. जिलों के नाम से जानी जाती हैं विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त इन्दिरावती परियोजना कुछ दशक पहले आरम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सूखाप्रवण अविभाजित कालाहांडी जिले में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना था। यदि इन्दिरावती परियोजना को समय से पूरा किया जाता तो कालाहांडी सूखाप्रवण जिलों की सूची से हटाया जा सकता था चूंकि स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और कालाहांडी बोलंगीर और बारगढ़ जिले के उपखण्ड पद्मापुर के किसान मुख्य रूप से खेती के लिए बरसात के पानी पर निर्भर करते हैं? अतः सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता है।

पश्चिमी उड़ीसा में इन जिलों में आरम्भ की गई सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में हुए असाधारण विलम्ब के कारण इन जिलों में भयंकर स्वरूप का वर्तमान सूखा पड़ा है। जब तक चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जाता तब तक इन जिलों के किसानों की स्थिति में सुधार संभव नहीं है।

पश्चिमी उड़ीसा में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं मांग करता हूं कि पश्चिमी उड़ीसा में सभी लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के अलावा अपर सुकतेल परियोजनाओं को भी यथासंभव शीघ्र पूरा किया जाए। इसके साथ-साथ बारगढ़ जिले में पद्मापुर उपखण्ड में ओंग सिंचाई परियोजना को अंतिम रूप दिया जाए और विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत किया जाए ताकि इस परियोजना को यथाशीघ्र आरम्भ किया जा सके।

[हिन्दी]

(चार) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रख-रखाव और उनकी मरम्मत सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत अच्छी नहीं है, जनहित की समस्या को देखते हुए इसके मरम्मत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह राज्य मार्ग भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं। अन्य राज्यों में इस राष्ट्रीय राज मार्ग की हालत कुछ ठीक है, परन्तु बिहार राज्य में इसकी स्थिति दयनीय है। इसकी मरम्मत के लिये राज्य सरकार के पास धन उपलब्ध नहीं है।

इसलिये केन्द्र सरकार से हमारी मांग है कि बिहार राज्य के राष्ट्रीय मार्ग की मरम्मत की व्यवस्था की जाये।

(पांच) तमिलनाडु में केन्द्रीय परियोजनाओं को कार्यान्वित न किए जाने के कारणों की जांच किये जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्थन : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने वर्ष 1991-96 के दौरान तमिलनाडु की विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि मंजूर की थी परन्तु दुर्भाग्यवश कोई भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी जिसके परिणामस्वरूप राज्य में विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित हुआ है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जवाहर योजना कार और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के हितों के लिए योजनाओं और संघ सरकार द्वारा स्वीकृत अनुसचित जाति की जनसंख्या के हित के लिए दी गई धनराशि के संबंध में विकास परियोजनाओं के पूरा न किये जाने के कारणों की जांच कराए।

मैं अपील करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करे।

(छह) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुपर रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

***श्री डी. वेणुगोपाल** : उपाध्यक्ष महोदय, रेल परिवहन देश में संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर और देश के ऊपरी भाग को दक्षिण क्षेत्र से जोड़ने में रेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक वर्ष आन्ध्र में जब तूफान अथवा भारी वर्षा आती है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियां बुरी तरह प्रभावित होती हैं। यह समस्या प्रत्येक वर्ष होती है। देश के उत्तर भाग को दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले लम्बी दूरी के यात्रियों को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस अवधि के दौरान कई गाड़ियों के रद्द होने से अथवा मार्ग बदल दिये जाने के कारण कई करोड़ रुपये की हानि होती है। इससे न केवल लोग को हानि होती है। बल्कि रेलवे को भी भारी हानि उठानी पड़ती है। अतः सुपर राजमार्गों की तरह से सुपर रेल लाइनें बिछाये जाने की आवश्यकता है यह एक बहुत अच्छी भावी योजना है। यदि कश्मीर से कन्याकुमारी तक थी तो कम से कम आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रारम्भिक परियोजना के रूप में सुपर रेलवे लाइन बिछाई जाए।

(सात) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की पुनरीक्षा किये जाने से पूर्व इस पर विस्तृत चर्चा किये जाने की आवश्यकता

श्री सनत मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की व्यापक रूप से पुनरीक्षा करने जा रही है। सरकार के स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 'फेरा' प्रावधान विद्यमान आर्थिक परिदृश्य के साथ सामंजस्य नहीं रखते हैं। यह भारत सरकार के सचिव (राजस्व) की टिप्पणी थी।

सरकार यह स्पष्टीकरण दे कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के किन प्रावधानों की पुनरीक्षा करनी आवश्यक होगी और आर्थिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में इस पुनरीक्षा को करने के लिए क्या परिणामी कदम उठाए जाएंगे और सभा को यह बताएं कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी ताकि इस पूरे मामले का गहराई से अध्ययन किया जा सके। चूंकि इससे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विनियमों में परिवर्तन होगा और इसकी विदेशी मुद्रा की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी अतः यह आवश्यक होगा कि उन परिस्थितियों जिनके परिणामस्वरूप उस समय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विनियमों को बनाने की आवश्यकता पड़ी थी, और परिवर्तित आर्थिक सुधारों के संदर्भ में विद्यमान परिस्थितियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोई भी कार्य जल्दबाजी में न किया जाए और सभी सम्बन्धितों के साथ व्यापक चर्चा की जाए।

* मूलतः तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपराह्न 2.30 बजे

[अनुवाद]

उत्तर-प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे। श्री प्रमथेश मुखर्जी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बहरहामपुर) (पश्चिम बंगाल) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। महोदय, आज मुझे अपना भाषण जारी रखने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

सबसे पहली बात जो यहां कही जानी चाहिए, वह यह है कि उत्तर प्रदेश को तो समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन उत्तर प्रदेश पर चर्चा को आज जरूर समाप्त किया जा सकता है।

मैं किसी राज्य में सांविधिक तंत्र के असफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में सरकारिया आयोग की व्याख्या का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। मैं इन बातों का फल भी उल्लेख कर चुका हूं। सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसी राज्य में राजनीतिक संकट अथवा गतिरोध की स्थिति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के लिए प्रमुख कारक माना जाना चाहिये। इस मामले में ऐसी स्थिति उभर कर आई है, जिसमें राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी पड़ी है और यह कोई ऐसी सरकार, जिसका विधान सभा में बहुमत नहीं है, बनाने की असमर्थता को दर्शाती है।

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि राज्यपाल की इस सिफारिश का जो प्रयोजन है, पहले उस पर विचार किया जाना चाहिये। अब, राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने संबंधी राज्यपाल की सिफारिश का उद्देश्य क्या है? जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने संबंधी राज्यपाल की सिफारिश का उद्देश्य सरकार को भंग करना नहीं था, क्योंकि वहां किसी सरकार का अस्तित्व ही नहीं था।

अनुच्छेद 356 के प्रयोग अथवा उत्तर प्रदेश विधान सभा को निलंबन की अवस्था में रखने की राज्यपाल की सिफारिश का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को अथवा विभिन्न दलों के अथवा गठबंधनों को आपसी सहमति पर पहुंचकर सरकार बनाने के लिए अधिक समय देना था। यहां तक कि ऐसी सहमति बनाने और सरकार का गठन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी इतना ही समय दिया गया था। इस सिफारिश का उद्देश्य आपसी सहमति पर पहुंचने और सरकार बनाने की सभी संभावनाओं का पता लगाना था। लेकिन राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से अलगाव के सम्बन्ध में कोई क्या कर सकता है? आशा की एक किरण दिखाई दी थी कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों के बीच सरकार बनाने के सम्बन्ध में आपसी सहमति चल रही है। चुनावों से पूर्व कोई सहमति नहीं थी लेकिन चुनावोपरांत वहां आपसी सहमति, पारस्परिक सहमति के विकसित होने की आशा थी। सरकार बनाने के लिए ऐसी आशा की जा रही थी कि सरकार बनाने के लिए चुनावोपरांत सहमति, आपसी सहमति विकसित होने जा रही है। यह एक अच्छी बात है और ऐसा हो जाता है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन राजनीति में हम भारतीय जनता पार्टी से अलगाव के बारे में कुछ नहीं कर सकते और भारतीय जनता पार्टी से अलगाव के सम्बन्ध में कोई कुछ नहीं कर सकता।

आज, यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में अलग-थलग पड़ गई है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि कुछेक महीने पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखे गये विश्वास प्रस्ताव अथवा भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक सरकार के समर्थन में कोई भी आगे नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के शोरगुल के जवाब में केवल एक ही बात कही जा सकती है कि वह बहुमत प्राप्त करें और देश पर शासन करें। अगर उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो वे देश पर शासन करने का दावा नहीं कर सकते। देश पर शासन करने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं रोकता। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और उन्हें दिल्ली पर शासन करने की अनुमति दी गई, उन्हें राजस्थान पर शासन करने की अनुमति दी गई थी और उन्हें महाराष्ट्र पर शासन करने की अनुमति दी गई थी, और अगर उन्हें बहुमत मिला होता, तो उन्हें उत्तर प्रदेश पर भी शासन करने की अनुमति दी जा सकती थी।

लेकिन गुजरात में वे बहुमत खो बैठे। अतः, वह गुजरात पर शासन करने की विश्वनीयता खो बैठे। किसी भी दल को बहुमत प्राप्त करना चाहिये और देश पर शासन करना चाहिये। यह प्रजातंत्र का नियम है और यही नियम इस देश का भी है।

हम यहां यह उल्लेख करना चाहते हैं कि वघेला प्रकरण के पश्चात तथा भारतीय जनता पार्टी के विरोधाभासों के जगजाहिर होने के पश्चात्, भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन संबंधी धारणा नष्ट हो गई है। भारत के लोगों को उनकी असलियत का पता चल गया है। वे अपने उद्देश्यों के लिए किसी दलित मुख्यमंत्री का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन किसी दलित महिला को अथवा किसी गरीब किसान को अथवा किसी भूमिहीन किसान को अपनी जीविका हेतु भूमि का एक छोटा सा फालतू टुकड़ा नहीं दे सकते। यह भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। आज की सजग जनता इसे स्वीकार नहीं कर सकती।

जो भी हो, यहां कई बातें कही जा सकती हैं। हम सभी वे सभी बातें जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्बन्ध में लोगों की जो धारणा थी, वह समाप्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष ताकतें सरकार का गठन करने के लिए आम सहमति पर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। मैं सरकार से केवल सामान्य स्थिति बहाल करने का अनुरोध करता हूं। इससे अधिक यहां कुछ नहीं कहना है। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश राजनीति में सामान्य स्थिति बहाल करने की शुरूआत करें... **(व्यवधान)** यहां उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थिति बहाल करना केन्द्र सरकार का पहला काम है। वहां सामान्य स्थिति नहीं है। वहां विकास का प्रश्न है। वहां प्रशासन का प्रश्न है। केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप करके इन सभी प्रश्नों पर विचार करना चाहिये।

इससे अधिक यहां कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सी बातें पहले ही बताई जा चुकी हैं...**(व्यवधान)** लोगों का विश्वास उनसे उठ चुका है। वह बहुमत प्राप्त कर सकते हैं और देश पर शासन कर सकतें हैं। यही लोकतंत्र का नियम है। यहां उपस्थित मेरे मित्रों को यह बात नहीं भुलानी चाहिये। लोगों का विश्वास उठ चुका है। उत्तर प्रदेश में पांच वर्षों के भीतर पहले ही चार चुनाव हो चुके हैं।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थिति बहाल करने और विकासात्मक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बहाली के लिए तत्काल विश्वास बनाने संबंधी उपाय अपनाने का अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस प्रकार माननीय गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किये गये सांविधिक संकल्प का अनुमोदन करता हूं।

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी उद्घोषणा पर चर्चा यहां शुरू की गई, तो इस पर अनेक दृष्टिकोणों से चर्चा की गई थी। मैं समझता हूं कि सांवैधानिक मानदंडों और संवैधानिक प्रथा, जो अपनाई गई है, उनमें काफी अंतर है।

यह सच है कि राष्ट्रपति शासन संबंधी राष्ट्रपति की उद्घोषणा की अवधि 17 अक्तूबर, 1996 को समाप्त हो गई। राष्ट्रपति की पूर्व उद्घोषणा को रद्द करके उसी दिन यह उद्घोषणा जारी की गई।

संवैधानिक विशेषज्ञ अब इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत लागू किये गये राष्ट्रपति शासन का, दलों को सरकार बनाने का अवसर दिये बिना, अनुच्छेद 356(5) के अंतर्गत एक वर्ष से अधिक की समयावधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

हमने सभा में अनेक सदस्यों के भाषण सुने हैं। उन्होंने बताया है कि जब अनुच्छेद 356 लाया गया था, तो उस समय डा. अम्बेडकर, जो इस अनुच्छेद को पुरःस्थापित कर रहे थे, ने आशा व्यक्त की थी कि यह अनुच्छेद इस देश के सांविधानिक इतिहास में लगभग सुप्त अवस्था में रहेगा और ऐसी उम्मीद की गई थी कि यह देश हमारे संविधान में सन्निहित लोकतंत्र के सामान्य नियमों द्वारा शासित होगा। परन्तु इन सभी सांविधानिक मानदंडों को पालन किया जाना थी। निःसंदेह, यह वांछनीय होगा कि इन सभी मानदंडों का पालन किया जाये, लेकिन ऐसी परिस्थितयां उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि इस पर कार्यवाही करते समय संविधान को समझना होगा और उसकी व्याख्या करनी होगी। अब, ऐसे लोग भी हैं जो यह शोर मचा रहे हैं कि जब एक वर्ष पहले ही बीत चुका है तो 17 अक्तूबर, 1996 को राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाना चाहिये था। मैं मौजूदा सरकार के राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी सांविधानिक विशेषाधिकार पर विचार नहीं करना चाहता लेकिन स्थिति का तकाजा वर्तमान कार्यवाही को उचित ठहराता है।

भारतीय जनता पार्टी की उच्चाकांक्षाओं के बावजूद, लोगों ने उन्हें बिल्कुल ठुकरा दिया है। यहां तक कि मई, 1996 में भी उन्हें 34 प्रतिशत या उससे थोड़े अधिक मत मिले। कुछेक महीनों के उपरांत उनका वोट बैंक समाप्त हो गया और उन्हें कुल मतों का केवल 32 प्रतिशत मिला। 32 प्रतिशत मतों के द्वारा वे सरकार बनाना चाहते हैं। वह चाहते थे कि राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें चूंकि वह सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है, अब, जब हम कुछेक लोकतांत्रिक मानदंडों की बात कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि इन मानदंडों को केवल तभी अपनाया जा सकता है, जबकि राजनीतिक दल भी लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप अपने मानदंडों और अनुशासन को अपनायें। लेकिन भातरीय जनता पार्टी एक बार नहीं कई बार इस बात का प्रदर्शन कर चुकी है कि वह उन लोकतांत्रिक मानदंडों, उन परंपराओं में विश्वास नहीं करती, जिसकी किसी लोकतांत्रिक सरकार से उम्मीद की जाती है। पहली बात जो लोग याद रखेंगे वह यह है कि कल्याण सिंह की सरकार के समय, किसी लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के सम्मुख यह हलफनामा देकर भी कि वे कानून और व्यवस्था बनाये रखेंगे, बाबरी मस्जिद को ढह जाने दिया। यह हलफनामा उन्होंने लोगों को, न्यायालय को दिया था। अब, अगर मुख्यमंत्री ही ध्यान न रखें, यहां तक कि अपने शपथपूर्ण वायदों का कोई सम्मान न करे, तो उनसे लोकतांत्रिक परंपराओं, लोकतांत्रिक मानदंडों की उम्मीद किस प्रकार की जा सकती है? संवैधानिक मानदंड केवल तभी चल सकते हैं, जबकि राजनीतिक दल भी कुछेक संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप आचरण करें।

अब एक दूसरा उदाहरण देखिए। कुछेक महीने पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तो उनके द्वारा सरकार बनाने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं थी और वह इसे भली-भांति जानती थी। इसके बावजूद भी भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक मानदण्डों के अनुसार, उस समय सबसे बड़ी पार्टी अर्थात् भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। भारत के राष्ट्रपति ने सत्यनिष्ठा से सांविधानिक सिद्धांतों का पालन किया।

लेकिन क्या उस समय सरकार बनाने संबंधी राष्ट्रपति के आमंत्रण को स्वीकार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित था, जो यह भली-भांति जानती थी कि 12 या 13 दिनों तक वह शासन तो कर सकती है लेकिन उनके बहुमत सिद्ध करने की संभावना दूर-दराज तक नहीं है।

[अनुवाद]

संवैधानिक मानदंड ऐसे वातावरण में कार्य कर सकते हैं जहां राजनीतिक दल इन नियमों का पालन ईमानदारी पूर्वक और संविधान की भावना के अनुसार करते हों। जब भारत के राष्ट्रपति ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया तब वह अच्छी तरह जानते थे कि बिना खरीद फरोख्त के सरकार बनाने के लिए बहुमत सिद्ध करना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि 12 या 13 दिन तक तो वे सत्ता में रह सकते हैं। यदि मैं ऐसा कहूं, एक पूरा...*। इन दोनों अवसरों पर जब उत्तर प्रदेश में श्री कल्याण सिंह की सरकार थी और तब भी जब केन्द्र में भाजपा ने कार्य किया, भाजपा का यही रवैया रहा। ऐसा कहना उन्हें शोभा नहीं देता कि राज्यपाल को उन्हें आमंत्रित करना चाहिए क्योंकि वे सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। यह सच है कि वे सबसे बड़ा राजनीतिक दल है परंतु बहुमत के लिए उनके पास तीन दर्जन से भी अधिक सदस्य कम पड़ गए और इसके बावजूद वे राज्यपाल को संतुष्ट नही कर पाए कि भाजपा उत्तर प्रदेश में एक स्थिर सरकार बना सकती है।

महोदय, यह टिप्पणी की गई है कि दल के सदस्यों की संख्या सभा में दिखाई जानी चाहिए न कि सभा से बाहर। निःसंदेह, यह निश्चित मानदंड नहीं है। परंतु यह स्वस्थ राजनैतिक नैतिकता की परिपाटी है। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 175 (2) के अंतर्गत विधासभा के सदस्यों को संदेश दे सकते थे कि वे स्वयं अपना नेता चुनें। राज्यपाल के पास यह भी एक विकल्प था। परंतु ऐसे समय में, जब राज्यपाल पूरी तरह संतुष्ट हैं कि विरोधों के बावजूद राजनीतिक दल स्थिर सरकार नहीं बना सकता है तो राज्यपाल संविधान के

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इसकी सूचना भारत के राष्ट्रपति को देता है। यह सच है कि इस संतुष्टि की सीमित न्यायिक पुनरीक्षा की जा सकती है।

वे न्यायालय जा चुके हैं और न्यायालय यह फैसला करेगा कि राज्यपाल की संतुष्टि कहां तक केवल संबद्ध विचारों से ही प्रभावित होती है बाह्य विचारों से नहीं। भाजपा कैसे कह सकती है कि वह उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी जबकि उनके पास लगभग 40 सदस्य कम हैं? राज्यपाल को स्थिति का मूल्यांकन करना है। वह विभिन्न आधारों पर मूल्यांकन करेंगे और राज्यपाल ने सही कहा है कि उन्हें चिंता थी कि स्थिर सरकार कैसे बनाई जा सकती है। इसका एक ही विकल्प था कि संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस-बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को आमंत्रित किया जाए। पहले, जब राष्ट्रपति ने श्री राजीव गांधी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था उस समय कांग्रेस के संसद में भाजपा से अधिक सदस्य थे।

हमारे सदस्यों की संख्या अधिक थी। फिर भी राजीव गांधी ने स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को कहा था कि इतने सदस्यों से वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। परंतु जब राष्ट्रपति ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने यह भली-भांति जानते हुए भी कि उनके लिए सरकार बनाना संभव नहीं है, वे 13 या 14 दिन संसद में रहना चाहते थे। इसलिए मैं यह कहूंगा कि उनमें राजनैतिक नैतिकता नहीं है जो अब यह कह रही है कि राज्यपाल ने असंवैधानिक कार्य किया। इस देश के राजनैतिक दलों को संविधान का आदर करना सीखना चाहिए और इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह एक सबक है। राज्यपाल के पास इस समय अन्य कोई विकल्प नहीं है। उन्हें यह देखना है कि भाजपा को आमंत्रित करने के बावजूद क्या सरकार बनाने की कोई संभावना है। वे इस बारे में बता नहीं पाए। यदि वे चाहते हैं कि 12 या 13 दिन की तरह सत्ता में बने रहें। जैसाकि वे केन्द्र में रहे, यह ऐसा मामला है जिसकी जांच संवैधानिक विशेषज्ञ निश्चित रूप से करेंगे। परंतु इस समय ऐसा नहीं किया जा सकता है।

कांग्रेस ने राजनैतिक सबक सिखाया है। 142 सदस्यों के बावजूद कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा सरकार को केन्द्र में कार्य करने के लिए अपना समर्थन दिया है। यदि कांग्रेस अपना सहयोग नहीं देती तो वर्तमान सरकार चल नहीं सकती। ऐसा माना गया कि संयुक्त मोर्चा ने कांग्रेस और बसपा के अधीन धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकजुट किया। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए राज्यपाल को पता लगाना था कि किस प्रकार स्थिर सरकार बनाई जाए। यदि कठोर संविधानवाद का पालन किया जाए तो मानदंडों का निश्चित हनन हो सकता है। लेकिन हमें यह देखना है कि संविधान एक जीवन्त दस्तावेज है। यह मात्र सैद्धांतिक ही नहीं है। इसे राजनैतिक स्थिति की वास्तविकताओं के अनुकूल बनाना पड़ेगा। वर्तमान राजनैतिक स्थिति को देखते हुए राज्यपाल के पास राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है और राष्ट्रपति को इसकी उद्घोषणा करनी है। लेकिन इसके साथ-साथ संवैधानिक मानदण्डों के अनुसार व्यवहार करने और स्थायी सरकार बनाने का प्रयास करने के लिए सभी राजनैतिक दलों के लिए सम्भावनाएं खुली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दल वर्तमान सरकार में सभी मुद्दों पर समर्थन नहीं दे रहा है। मूल मुद्दों पर हमें आलोचना करने और असहमति का अधिकार है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्यपाल की वर्तमान कार्यवाही, जो उनका संवैधानिक दायित्व भी हो सकता है, को स्पष्ट किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं बोलने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस सदन के अन्दर पिछले दो दिनों से उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति शासन के सिलसिले में लम्बी बहस हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बातों को बहुत विस्तार से रख चुके हैं। सिद्धान्त रूप में हम लोग राष्ट्रपति शासन का समर्थन नहीं करते, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। आप उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजों पर गौर करें। वहां भारतीय जनता पार्टी को 176 सीटें मिलीं, जबकि उसका समता पार्टी के साथ गठजोड़ भी था। किसी भी पार्टी ने और किसी भी मोर्चे ने जो वहां विधान सभा के चुनाव लड़ रहा था, अपने चुनाव घोषणा पत्र में आपके साथ सरकार बनाने की बात नहीं कही थी। सभी ने आपको साम्प्रदायिक कहा था, देश-तोड़क कहा था। जब राज्यपाल महोदय से मिलने माननीय कल्याण सिंह के नेतृत्व में आपका प्रतिनिधिमंडल गया तो उन्होंने भी यही लिखकर दिया कि हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दल है इसलिए हमें आमंत्रित किया जाए, हम सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। 176 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी को वहां के 14 निर्दलीय सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : तो फिर 199 कैसे हो गए?

श्री मुख्तार अनीस : किसी तरीके से हो गए होंगे। आपको बहुमत मिल ही नहीं सकता था। आप इस सदन में भी सबसे बड़े दल थे। आपको राष्ट्रपति जी ने 13 दिन का समय दिया, क्या आप बहुमत सिद्ध कर पाए। इसीलिए वहां पर राज्यपाल महोदय ने आपको नहीं बुलाया।

जहां तक और दलों की बात है, एक मोर्चा बना था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी शामिल थीं, उनको 100 सीटें मिलीं। लेकिन चुनाव में क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने अपने-अपने भाषणों में समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में कई प्रकार की बातें कहीं कि हम इनको जेल भिजवा देंगे, यह कर देंगे-वह कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जब आपका मोर्चा बना था, तब आपको उनको कहना चाहिए था कि इस प्रकार की बातें मत कहो। उन पर अंकुश रखना चाहिए था। भा.ज.पा. के सम्मानित नेता मुरली मनोहर जोशी जी यहां बैठे हुए हैं। कल्याण सिंह जी ने समाचार पत्रों के माध्यम से बयान दिया और उन्होंने गम्भीर आरोप ब.स.प. पर लगाए कि इन्होंने अपने शासनकाल के समय में ये-ये अपराध किए, यह सारा अखबारों में छपा है। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति है, उसके अंदर राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव ही लोक सभा पास कर सकती है, और कुछ नहीं कर सकती।

जहां तक धारा 356 का प्रश्न है, आज के संदर्भ में इसकी इसलिए आवश्यकता है कि आप दुबारा कोई मस्जिद न तोड़ सकें, देश में कोई उपद्रव न कर सकें और अगर करें तो जिस तरीके से गुजरात में आपकी सरकार गई, वैसी परिस्थिति यहां हो तो इसका उपयोग किया जा सके। मैं भा.ज.पा. के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आपने किसी दूसरी पार्टी के साथ, बी.एस.पी. के साथ सरकार बनाने की कोशिश की तो आपकी पार्टी में कोई न कोई फिर गयाराम पैदा हो जाएगा। इसलिए आप विपक्ष में बैठिए और अगले समय का इंतजार करें। जनता अगले चुनाव में बता देगी कि आप कितने पानी में हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति शासन का समर्थन करता हूं और गृह मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव यहां रखा है, उसका भी समर्थन करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : कल यह तय हुआ था कि बी.जे.पी., कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सदस्यों के बोलने के बाद गृह मंत्री जवाब देंगे, फिर वोटिंग होगा। बी.ए.सी. में इस पर चार घंटे की बहस तय हुई थी, जबकि छः घंटे हो गए हैं। राज्य सभा में भी इस पर बहस चल रही है और गृह मंत्री को वहां भी जाना है, अगर चार बजे तक हम इसको खत्म कर देते हैं तो वे दूसरे सदन में भी जा सकते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

मेरा केवल इतना ही अनुरोध है। इसे 4 बजे से पहले पूरा कर लेना चाहिये।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास 12 माननीय सदस्यों के नाम हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : रोजाना नये नाम आ जाते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, टाइम बढ़ता गया और नाम भी नये आते गए। अब फैसला हाउस ने करना है। मेरा सुझाव है कि चार बजे होम मिनिस्टर राज्यसभा में जाएं और पांच बजे उनका जवाब यहां हो जाए। उससे पहले सारा डिसकशन पूरा हो जाए। पांच बजे वे हाउस में जवाब दे दें।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : मैं आपको यह आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि वह पांच बजे से पहले वापस आ जायेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पांच बजे या पांच बजे के बाद वे बोल लें। अभी नाम तो बोलने वाले बहुत हैं उन सबको बुलावाएंगे तो छह बजेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : महोदय, 15 करोड़ लोगों का मामला है।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, बात करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि इस पर चर्चा के लिये चार घण्टे नियत किए जाने चाहिए। हम छः घण्टे से अधिक समय तक इस पर चर्चा कर चुके हैं और इस चर्चा में अन्य राजनीतिक दल भी भाग लेना चाहते हैं। उन्हें भाग लेने दीजिये। परन्तु मैं केवल इतना कहूंगा कि यह 4 बजे से पहले पूरी हो जाये। अकाली दल भी 10 मिनट ले सकता है। श्री जार्ज फर्नान्डीज 10 मिनट के लिये बोल सकते हैं। श्री संतोष मोहन देव बोलेंगे और तत्पश्चात् गृह मंत्री उत्तर देंगे। यह पूरी हो जायेगी।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह संभव नहीं है। चार बजे तक यह नहीं हो पाएगा, मुझे इसमें कठिनाई नजर आती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि चार घंटे की बजाय पांच घंटे दस मिनट चर्चा हो चुकी है। अब मेरे पास अभी 12 नाम बाकी हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, ऐसे तो सभी बोलना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, बोलना चाहेंगे, यह तो ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पांच बजे के बाद...

(व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : यह जो निर्णय होता है मेरी पार्टी उसकी बहुत इज्जत करती है। उसके मुताबिक हमारी पार्टी की तरफ से एक ही नाम दिया गया और वह बोल चुके हैं। अब इस तरह से अगर हर पार्टी अपना नाम देती रहे तो हमारी पार्टी की तरफ से भी नाम जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अकाली दल का एक ही नाम आया है। जार्ज फर्नान्डीज जी का एक ही नाम आया है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : कल तक दस नाम थे और आज 12 नाम हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह हाउस ने डिसाइड करना है।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : उपाध्यक्ष जी, भाजपा वाले बोल चुके हैं इसलिए अब बाकी लोगों को थोड़ा-थोड़ा टाइम दे दिया जाए।...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूं कि सबको बोलने का टाइम दीजिए। आप और बोलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है।...**(व्यवधान)**

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की 85 सीटों में से 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। उत्तर प्रदेश के साथ अत्याचार हो रहा है।...**(व्यवधान)** आप हमारी पार्टी को बोलने के लिए समय दें। आप यह समय लें कि 85 सीटों में से 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लोग रिप्रजंट कर रहे हैं, उनकी क्या व्यथा है उनकी बातों को सुनना जरूरी है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, जार्ज फर्नान्डीज जी का भाषण होने दीजिए क्योंकि उनका इस मामले पर एक महत्वपूर्ण भाषण है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, हाउस ने डिसीजन लेना है।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसे सबको मानना होगा।

हमें कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार कार्य करना चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : हमें भी मौका मिलना चाहिये ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : संतोष मोहन देव जी कुछ कहना चाहते हैं। आप बोलिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें पहले बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलाऊंगा, अभी पहले टाइम का तो डिसाइड हो जाए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : महोदय, मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं कि जार्ज फर्नान्डीज के दल के कोई भी सदस्य अभी तक नहीं बोले हैं। अतः उन्हें बोलने का एक अवसर दिया जाना चाहिये। अकाली दल के सदस्य भी नहीं बोले हैं। अतः उस दल के एक सदस्य को भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये। मैं श्री सुल्तान पुरी जिनका नाम यहां पर दिया गया है, के नाम को वापस लेता हूं। वास्तव में, मैं केवल दो या तीन मिनट के लिये बोलूंगा यदि किसी दल ने अब तक चर्चा में भाग नहीं लिया है तो आप उस दल के सदस्य को मौका दे सकते हैं। अन्यथा आपको अध्यक्ष महोदय के निर्णय का अनुपालन करना होगा या आप निर्णय ले सकते हैं। हमारे सदस्यों के निश्चित कार्यक्रम हैं। मैं भी 4.30 बजे जा रहा हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कोई डिसीजन नहीं दिया है। मैंने केवल यह बताया है कि मेरे पास अभी 12 नाम हैं, उसके अनुसार यह चार बजे तक समाप्त नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कल हमने इस मामले पर एक नजरिया बनाया था। हमें आज क्या निर्णय करना है?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष जी, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है. ..**(व्यवधान)** साहब, पूरे भाषण होने चाहिए।...**(व्यवधान)** आप हमारी गर्दन काट रहे हैं और आप हमें रोने भी नहीं दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)** तकलीफ भी नहीं कहने देने चाहते, यह कैसा अन्याय है।

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : आपकी गर्दन नहीं कट रही है. आप लोगों की गर्दन हमने बचा ली है।...**(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सब पार्टियों को मौका मिलना चाहिए, केवल बी.जे.पी. और कांग्रेस को ही नहीं।...**(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, सरकार चलाना एक अलग व्यवस्था है और यह संसद जो सबसे बड़ी पंचायत है इसको चलाना हाउस पर निर्भर करता है।...**(व्यवधान)** सरकार के तरीके से तो नहीं चलेगा हाउस हजूर।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : जो पार्टियां रह गयी हैं उनको तो मौका मिलना चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर नहीं है जब हम विभिन्न राजनीतिक दलों को समय आवंटित कर रहे हैं। जैसी कि सभा में परम्परा है, कार्य मंत्रणा समिति समय के बारे में निर्णय करती है। कभी कभी कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय से अधिक समय हो जाता है कभी-कभी यह आधा घण्टा, एक घण्टा, या कार्य मंत्रणा समिति द्वारा आवंटित समय से अधिक हो जाता है। परन्तु अन्ततः कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारित किया जाता है। दलीय संख्याबल के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों को समय दिया जाता है। अतः तद्नुसार विभिन्न दलों को समय दिया जाता है।...**(व्यवधान)** मुझे पूरा करने दीजिये।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : ऐसा बराबर नहीं हुआ है। क्या आपने बराबर ऐसा किया है।...**(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अकाली दल को टाइम क्यों नहीं दिया।...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आप लोग जब इधर बैठते थे तो आपने चार घंटे के टाइम को 12 घंटे तक बढ़वाया है।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : आप मुझे सुन लीजिए। जब आपके नेता बैठे हैं तब आप क्यों खड़े हो रहे हैं।...**(व्यवधान)** जो पार्टी नहीं बोलने हैं जैसे कि संतोष मोहन देव जी ने कहा कि समता पार्टी और अकाली दल का टाइम नहीं मिला है, आप उनको टाइम दे सकते हैं। उसके बाद कांगेस पार्टी को दो-तीन मिनट बोलना है, उसके बाद होम-मिनिस्टर बोलेंगे...**(व्यवधान)**

आप इतनी अनुशासित पार्टी हैं, आप क्यों खड़े होते हैं, आपके लीडर श्री जसवंत सिंह जी बैठे हैं, वे बोलेंगे...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों का सवाल है, ऐसा नहीं चलेगा। हम जरूर बोलेंगे।...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों को जाना है, आप कोई डिसिजन दें।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसा हो हल्ला कर रहे हैं। आप इनके नेताओं को बुलाकर बात करें. ..**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों और वहां की जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुये इनको बोलने दें।...**(व्यवधान)** यहां तानाशाही नहीं चलेगी।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, ये हम लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। यह पक्षपात नहीं चलेगा...**(व्यवधान)** उत्तर प्रदेश के लोगों का शोषण किया जा रहा है...**(व्यवधान)** वहां के लोगों को दबाया जा रहा है। अगर ऐसा किसी और राज्य में हुआ होता तो हिंसक घटनायें हो गयी होतीं...**(व्यवधान)** हिन्दुस्तान के सबसे बड़े राज्य में लोकतंत्र और वहां की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा एक सुझाव है। मैं आनरेबल जॉर्ज फर्नान्डीज को बोलने के लिये कहूंगा और पार्टी लीडर्ज अलग से बैठकर तय कर लें कि कितनी देर में करेंगे। यदि हो जाये तो तय कर लीजिये।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है. ..**(व्यवधान)** अगर उत्तर प्रदेश के विधायकों को मौका दिया जाता तो राष्ट्रपति शासन की नौबत ही नहीं आती। इनकी ज्यादती के कारण अभी तक चुने हुये विधायक विधानसभा का मुंह नहीं देख पाये हैं। आज कम से कम हम लोगों को बोलने का मौका तो दीजिये। जो अन्याय हमारे दल और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हुआ है, वहां के विधायकों के साथ हुआ है, उनकी पीड़ा के बारे में तो हम लोगों को बोलने का समय दें।...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के विधायकों को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया तो यहां पर तानाशाही रवैये के कारण माननीय सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं भारततीय जनता पार्टी के एक आरोप का उत्तर देना चाहता हूं। कार्य मंत्रणा समिति में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मौजूद थे जब इस चर्चा के लिये 4 घंटे के समय के बारे में निर्णय लिया गया।...**(व्यवधान)** हर चीज की सीमा होती है...**(व्यवधान)** यह तरीका नहीं है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : कई बार ऐसा हुआ है कि जितना समय अलॉट किया जाता है उससे ज्यादा समय तक बहस हुई है।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये

[हिन्दी]

जसवंत सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : यह रिकार्ड पर है कि दो घंटे की चर्चा होती है तो आपने छः घंटे तक चर्चा की है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 15 मिनट के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 3.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.32 बजे तक के लिये स्थगित हुई

[अनुवाद]

अपराह्न 3.32 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.32 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुये)

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदनों के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, आरम्भ में मैं आप सबसे यह हार्दिक अपील करता हूं कि आपके सहयोग के बिना सभा की कार्यवाही कैसे नहीं चल सकती है। कतिपय सीमाओं के साथ सभी सदस्यों को बोलने का अधिकार है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि माननीय गृह मंत्री चर्चा का उत्तर 4.30 म.पू. पर देंगे। कुछ माननीय सदस्य, विशेषकर वे जो कतिपय उन राजनीतिक दलों के हैं जो अभी तक बोले नहीं हैं, को बोलने दिया जाएगा। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि कृपया सहयोग दें।

अब श्री जार्ज फर्नान्डीज, कृपया समय सीमा का ध्यान रखें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति महोदय, मैं इस इस प्रस्ताव के विरोध में यहां पर खड़ा हुआ हूं जिस प्रस्ताव को गृह मंत्री ने सदन में रखा है और जिस पर आज तीन दिन से बहस चल रही है। पहली बात तो यह है कि मेरी यह मान्यता है कि जो निर्णय गवर्नर ने और केन्द्र सरकार दिनों ने मिलकर लिया है, वह असंवैधानिक है, वह धारा 356 के विरोध में है। मैं जानता हूं इस पर कुछ बहस यहां पर हुई है। लेकिन मुझे सबसे अधिक परेशानी तब हुई जब इस प्रस्ताव के समर्थन में हमारे मित्र सोमनाथ बाबू, जिनकी हम सभी लोग बहुत इज्जत करते हैं, वह यहां पर खड़े हुए। सोमनाथ बाबू ने धारा 356 में इमरजेंसी के दिनों में जो सुधार हुआ था, उसको हटाकर ऐसी परिस्थिति का देश में दोबारा निर्माण न हो, उसके पक्ष में कोई मामूली अभियान नहीं चलाया था और उस अभियान के तहत इस सदन में जब 1978 को संविधान में संशोधन का एक विधेयक आया था, उसमें सबसे मजबूती से धारा 356 की समाप्ति के लिए सबसे बढ़िया तर्क देकर बोलने वाले जो व्यक्ति थे वह सोमनाथ बाबू थे।

आज मुझे बड़े दुख के साथ इस बात को यहां कहना पड़ रहा है क्योंकि उनके जैसा व्यक्ति ऐसी भूमिका लेने के बाद, उसके पीछे सबसे बढ़िया तर्क देने के बाद, किसी कारणवश आज उससे दूर हटता है तो फिर अनेक चीजों से विश्वास उठ जाता है और विशेषकर इस

देश में प्रजातंत्र को बनाए रखने की जरूरत, जो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कही थी, फिर हम लोग उसे कैसे बनाए रखेंगे, इसको लेकर हमारे मन में बड़ी परेशानी हो जाती है।

सोमनाथ बाबू को याद होगा कि 6 महीने की दो किश्तों के लिए और एक साल के बाद कतई धारा 356 का इस्तेमाल न हो, जब ऐसा प्रस्ताव सदन के सामने आया तो आपने संशोधन दिया था कि 6 महीने की अवधि घटाकर 3 महीने की जाए, दूसरे 6 महीने की अवधि घटाकर फिर 3 महीने की जाए और कुल मिलाकर धारा 356 की अवधि इस देश में कभी भी, कहीं भी, 6 महीने से ज्यादा न हो। अपने संशोधन के तर्क में उन्होंने जो बातें उस समय सदन में कहीं, आज उन्हें याद करना जरूरी है। मैं उन्हें याद दिलाने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं लेकिन मैंने कहा कि आज सदन को उनकी याद कराना जरूरी है क्योंकि वे हमेशा हमेशा के लिए याद रखने लायक बातें हैं।

सोमनाथ बाबू ने पहले दिन अपना संशोधन रखा और अगले दिन उस विधेयक पर सदन में बहस हुई। उनका पूरा भाषण सदन को याद दिलाने की जरूरत नहीं है लेकिन इस सदन में 1978 में जो सदस्य थे, उनमें से अधिकांश सदस्य आज नहीं हैं, उनकी जगह नए लोग आ गए हैं और उन्हें मालूम होना चाहिए कि किस चीज के लिए आज उनसे वोट मांगा जा रहा है। हमारे जो सबसे बुजुर्ग और सबसे अधिक सम्मान के लायक गृह मंत्री, श्री इन्द्रजीत गुप्त हैं, आज वे किस प्रस्ताव पर वोट मांग रहे हैं, यह बात इस सदन के सदस्यों को समझना जरूरी है। सोमनाथ बाबू कहते हैं कि क्यों इससे हमारा विरोध है, आगे चलकर वे बोलते हैं :

[अनुवाद]

> "स्थिति यह है, जो 1959 से आरम्भ हुई है और श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस के महान नेतृत्व में केन्द्र की चालों द्वारा, न कि उचित कारण के अनुच्छेद 356 का उपयोग राजनीतिक कारणों से किया गया था न कि प्रशासनिक कारणों से। यह अनुच्छेद 356 के उपयोग का एक अनुभव है। इसका उपयोग पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विरोधियों के विरूद्ध अविवेकपूर्ण ढंग से किया जाता रहा है। केरल में हम शिकार हुये हैं उड़ीसा में हम शिकार हुये हैं। तब लोग उत्तर प्रदेश हरियाणा में शिकार हुये हैं और क्या नहीं हुआ है।"

[हिन्दी]

आगे उनके द्वारा दिए गए तर्क आप देखिए :

[अनुवाद]

> "अनुच्छेद 356 इस देश में सरकार के संघीय ढांचे का विरोधाभास है। ये साथ-साथ नहीं चल सकता है। या तो बिल्कुल नहीं या सोमनाथ बाबू के लिए कभी कुछ कर सकते हैं।"

[हिन्दी]

मैंने आपका पूरा भाषण पढ़ा है जिस पर मैं अंत में टिप्पणी करूंगा लेकिन उनसे हमें ऐसी अपेक्षा नहीं थी क्योंकि यह मामला सिर्फ इतना नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, आज बंगाल में कौन सरकार में है, कौन नहीं है। यह मामला हमेशा हमेशा के लिए एक मापदंड के तौर पर आप बनाए रखेंगे क्योंकि सत्ता बदलती रहती है और अगर आप इस परम्परा को यहां कायम करके चले जाएंगे तो कल आपके ही ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में सोचना आज बड़ा कठिन लगता है। आप आगे बोलते हैं:

[अनुवाद]

> "यदि कोई राजनीतिक दल सहमत खो दे या केन्द्र में सरकार में अनिश्चतता है तो राष्ट्रपति शासन का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप राज्यों से दूसरे दर्जे की राजनीतिक संस्था क्यों मान रहे हैं? अब इस समय हमने देखा है कि देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दल शासन कर रहे हैं जहां तक राज्यों का सवाल है अनुच्छेद के दुरुपयोग के विरूद्ध कोई बचाव नहीं है। अतः हमने सुझाव दिया था कि ऐसे मामले में जहां चुनाव नहीं हो सकते हैं तो तीन महीने के लिये एक प्रकार का अन्तराल किया जा सकता है ताकि चुनाव किये जा सकें।"

सरकारिया कमीशन का आधार लेकर परसों आपने यहां इन सारा चीजों के खिलाफ बहस की।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, धारा 356 के भी नए अर्थ लगाने की यहां पर कोशिश की। इसमें आप आगे कहते हैं :

[अनुवाद]

> "हम इस हद तक अनुमति दे सकते हैं परन्तु अनुच्छेद 356 को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिये। केन्द्र के हावी के नजरिये के कारण वे राज्य सरकारों के साथ दूसरे प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। केवल राजनीतिक और संवैधानिक रूप में ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप में भी देश में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ शोषण होता है। अनुच्छेद 356 देश के संघीय ढांचे के साथ नहीं चल सकता है। हम इस पर स्पष्ट हैं। देश के लोग इससे सहमत हैं। अनुच्छेद 356 इस देश में राजनीतिक

विरोधियों को दबाने का साधन है और शासक दल में विरोध भी पनपाया जाता है।"

अतः श्री सोमनाथ चटर्जी हम सिद्धन्तों के आधार पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री पी.सी. चाक्को (मुकुन्दपुरम) : यह सुविधा की राजनीति है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या आपने सुना है। वह कहते हैं कि अब यह सुविधा की राजनीति है।

[हिन्दी]

सभापति जी, यहां पर इसलिए मैंने यह याद दिलाया क्योंकि इस पर मतदान होना है और हम चाहेंगे कि लोग जरा सोचकर इस पर मतदान करें। अपने अतीत को न भूलें। अपने प्रिंसीपल्स और कन्विक्शन को न भूलें और केवल एक प्रदेश में एक स्टेट में विशेष परिस्थिति है :—

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : भारतीय जनता पार्टी को आपका समर्थन भी आपके लिये सुविधा का मामला है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम लोग सिद्धान्त की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री चाक्को ने एक टिप्पणी की है जिसका आपने जिक्र किया है। मैंने कहा है कि हमें देश को बचाना है। मैंने यह बहुत ही दुखी मन से कहा है। आपको इस प्रस्ताव पर बोलते हुये मैं सुन रहा हूं मैंने कहा था कि यह टूटी हुई राजनीतिक व्यवस्था है। आज कुछ प्रशासन होना चाहिये। आप, आपके मित्र एवं आपके बड़े भाई यह नहीं कर सकते हैं। इस देश में क्या किया जा सकता है? मैंने भी जोशी से पूछा...**(व्यवधान)** आप अपनी सुविधानुसार देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं...**(व्यवधान)** आप यह नहीं कर सकते हैं...**(व्यवधान)**

श्री फर्नान्डीज, मैं आशा करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की सूची दें पायेंगे जो आज सरकार बना सकते हैं। कृपया वह सूची दीजिये...**(व्यवधान)**

आप उस सरकार के सदस्य थे जिसने 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। उन बातों को मत लाइये।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय (श्री चित्त बसु) : श्री फर्नान्डीज, आप जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं उनका भाषण पूरे ध्यान से सुन रहा हूं। उन पर ध्यान देना चाहिये। परन्तु ऐसा लगता है कि उनका संपूर्ण तर्क निजी आक्षेप है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सोमनाथ जी उसमें तो आप भी शामिल थे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मैं उन्हें चोट नहीं लगाना चाहता था। मैं केवल अपनी व्यथा बता रहा था। मैंने नहीं सोचा कि उन्हें चोट लगेगी और मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी बोली से उनको चोट लगी।

सभापति जी, मैं धारा 356 पर भी कहना चाहता हूं कि इसमें उस पर कई टिप्पणियां की हैं और एक अजीब अर्थ देने का प्रयास किया है और अगर अदालत में खड़े होकर इस पर बहस करने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या ये उसी तर्क को देंगे या नहीं? धारा 356 में जो संशोधन 1978 में हुआ था, उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि उसी पर बहुत कुछ निर्भर है।

> "खण्ड चार में किसी बात के होते हुये भी खण्ड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा के जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से आगे किसी भी अवधि के लिये ऐसी उद्घोषणा को प्रवर्त्त बनाये रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जायेगा जब...मैं दोहराता हूं संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जायेगा जब :
>
> (क) ऐसे संकल्प के पारित किये जाने के समय आपात की उद्घोषणा यथास्थिति संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में है; और
>
> (ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करता है कि संबंधित राज्य की विधान सभा के आम चुनाव कराने में कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए इस संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान धारा 3 के अंतर्गत अनुमोदित ऐसे प्राख्यापन को जारी रखना आवश्यक है।

[हिन्दी]

सोमनाथ जी ने 1978 की जो चर्चा की थी, मैंने उसके कुछ उदाहरण सदन के सामने दिए। जिसने इस संविधान में संशोधन किया, यदि इस सदन के दिमाग में ऐसी कोई भी बात होती कि चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने वाली परिस्थिति आ सकती है तो इसके अंदर एक और जुमला निश्चित ही जोड़ा गया होता। यह संविधान इलैक्शन कमिशन को यह अधिकार देता है कि वह सैटीफाई

करे कि अमुक-अमुक कारण को लेकर चुनाव करना संभव नहीं है, इसलिए एक साल की जो काल-मर्यादा बांधी है, उसे भी तोड़ सकते हैं या राष्ट्र में आतंक के चलते किसी हिस्से में इमरजैंसी हो गई तब आप उसे और आगे बढ़ा सकते हैं। संविधान में संशोधन करते हुए न तो सोमनाथ बाबू ने और न ही और किसी ने, जिन्होंने उस समय इस पर विचार किया था, इस बात पर कोई फैसला लिया। जब श्री मुरली मनोहर जोशी ने सरकारिया कमीशन पर उदाहरण देकर यहां पर बातें कीं तो सोमनाथ बाबू ने उस तर्क को यह कहकर काट दिया कि आपने 4.11.03 का उद्धरण लिया है और हम आपको 6.4.01 का उद्धरण बता रहे हैं। हम उसे पढ़ना चाहेंगे क्योंकि सोमनाथ बाबू ने जब वह बात बताई तो उन्होंने उसके पहले हिस्से को बड़ी मजबूती से रखा।

[अनुवाद]

संवैधानिक तंत्र कई प्रकार से असफल हो सकता है। इस स्थिति के लिए कई घटक उत्तरदायी हैं और वे अति सूक्ष्म हैं। अतः इन सभी स्थितियों को जो इस वाक्यांश—राज्य सरकार इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चल सकती—के दायरे के भीतर आती हैं, को विस्तृत विषय सूची देना कठिन है। तथापि, कुछेक घटनाएं, जो इस अनुच्छेद की परिकल्पना के तहत संवैधानिक असफलता के दायरे के भीतर आती है अथवा नहीं आती है, को बताया जा सकता है और उन पर निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विचार विमर्श किया जा सकता है :

"राजनीतिक संकट"

[हिन्दी]

बाकी का कोई मतलब नहीं है। उस पर समय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज पोलीटिकल क्राईसेस, जिसे परसों श्री सोमनाथ ने यहां पर रखा,

[अनुवाद]

संवैधानिक असफलता संकट अथवा गतिरोध का परिणाम हो सकती है। यह स्थिति उस समय उत्पन्न हो सकती है जब आम चुनावों के बाद कोई भी पार्टी अथवा पार्टियों का समूह अथवा गुप विधान सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है और राज्यपाल द्वारा पता लगाए गए सभी संभावित विकल्प निष्फल हो जाते हैं।

[हिन्दी]

यहां सोमनाथ जी ने एक मजेदार बात कहीं। इन्होंने 4-5 शब्द इस्तेमाल किए।

[अनुवाद]

वे शक्ति परीक्षण के बारे में नहीं कहते हैं। वे शक्ति परीक्षण के लिए शक्ति परीक्षण की बात नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

उन्होंने यह बात कही।

[अनुवाद]

यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब विधान सभा में विश्वास प्राप्त शक्ति परीक्षण का प्रदर्शन करने में असमर्थ रहती है। करने वाली सरकार के गठन में पूर्णतया प्रदर्शित असमर्थता होती है।

[हिन्दी]

इस रिपोर्ट पर श्री सोमनाथ ने विश्वास जताया है। जैसे जनता दल के एक माननीय सदस्य ने सरकारिया कमीशन को डिसमिस किया है। वे राजनीति में आए हुए नए सदस्य हैं। उन्हें मालूम नहीं कि उनके दल ने अपने घोषणा पत्र में सरकारिया कमीशन की क्या तारीफ की है।

उसके निर्णयों पर अमल करने के लिए कैसे उन्होंने अपने घोषणा-पत्र में ही, बल्कि पत्रों में कहा है, लेकिन कल उन्होंने उसको डिसमिस किया है कि सरकारिया कमीशन पर उसका कोई बंधन नहीं है...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : आप बहुत बड़े नेता हैं, वे नये मैम्बर हैं, उनपर किसलिए बोल रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए मैंने कहा, मैंने उनको यह कहकर बचा लिया कि नये हैं, इसलिए उन्हें इन चीजों की जानकारी नहीं है। चूंकि वे बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए अगर उन्होंने अपनी पार्टी का घोषणा-पत्र पढ़ा होता तो कल जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, वह भाषा वे इस्तेमाल नहीं करते।

जब आप सरकारिया कमीशन पर विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि उन्होंने यह नहीं कहा है कि फ्लोर टैस्ट हो तो सोमनाथ बाबू, हम लोग इसके पैराग्राफ नम्बर चार पर चलें, जिसका कुछ उद्धरण परसों यहां पर जोशी जी ने किया था, मैं उसको इसलिए नहीं पढ़ूंगा, जो 4.11.04 पर है, अगर कोई

[अनुवाद]

"विधान सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाली एक पार्टी" न हो तो सरकारिया की क्या सिफारिशें हैं :

"यदि ऐसी कोई पार्टी नहीं होती है तो राज्यपाल को नीचे बताए गए क्रम के अनुसार निम्नलिखित पार्टियों अथवा पार्टियों के समूहों में से निम्न क्रम से मुख्य मंत्री का चयन करना चाहिए :

1. चुनाव से पूर्व पार्टियों द्वारा किया गया गठबंधन। यहां नहीं है,

2. सबसे बड़ी पार्टी, जो अन्य पार्टियों तथा निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से सरकार बनाने का दावा करती है।

[हिन्दी]

और मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, चूंकि उसमें समय लग जाएगा ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : एक मिनट, आप बुरा नहीं मानें। आप एक बात सोचिय, हम लोगों ने कितने साल आपके नारे लगाये हैं, आपको अंदाजा है? आप आज उनसे तालियां पिटवा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, यह आप मुझे बता दीजिए?

श्री शिवराज सिंह : अब आप लोगों के पास यही तर्क बचा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बोल सकते हैं लेकिन कृपया समय सीमा को ध्यान में रखें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं मुश्किल से सात-आठ मिनट बोला हूं, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे समय-सीमा की जानकारी है। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, उसकी जरूरत नहीं है, मगर यह जो बात है :

सबसे बड़ा दल जो अन्य पार्टियों तथा निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से सरकार बनाने का दावा करती है। यही क्रम है। जब उस आर्डर पर पहुंच जाते हैं तो सोमनाथ बाबू, आपने जो कहा, शक्ति परीक्षण की बात न करते आगे जाइये। 4.11.05,

राज्यपाल ऊपर बताई गई चयन प्रक्रिया के अनुसार अपने विवेकानुसार नेता का चयन करेगा। यह राज्यपाल का विवेक होगा, उस द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने की सर्वाधिक संभावना हो।

[हिन्दी]

तो मैजारिटी की बात खत्म हो गई कि केवल मैजोरिटी के बाद बुलाया जा सकता है। गवर्नर के हाथों में पूरा अधिकार है, केवल मैजोरिटी, वरना नहीं, वरना वह ऐसे लोगों को जुटाए और उनको अपने सामने भेड़बकरी जैसे खड़ा करे, उनको विश्वास हो जाये, वे तो बोलते हैं कि :

[अनुवाद]

उनके विवेक के अनुसार उसके द्वारा सभा में बहुमत मिलने की सर्वाधिक संभावना है।

यहां पर राज्यपाल का व्यक्तिगत निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

[हिन्दी]

और आगे उससे भी महत्वपूर्ण बात सोमनाथ बाबू, जो आपकी बात को पूरा काट डालती है, वह यह है:

> "मुख्यमंत्री, यदि सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त पार्टी का नेता नहीं है तो उसे कार्यभार ग्रहण कर लेने के 30 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करना चाहिए।"

[हिन्दी]

यानि चीफ मिनिस्टर नियुक्त होगा, बहुमत बिना नियुक्त होगा, गवर्नर उनको बुला सकेगा और विधानसभा में जाकर फिर वोट मांगने का उनका अधिकार होगा। तीस दिन का उनको वोट मांगने के लिए समय होगा, यह सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है, जो शब्दानुशब्द मैंने सदन के सामने रखी है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री फर्नान्डीज, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से उद्धरण पढ़ रहे हैं। मैं इस पर अपनी पार्टी के मत पर नहीं बोल रहा।

यह सामान्य रूप में था, न कि सिर्फ अनुच्छेद 356 के बारे में। उन्होंने आम चुनाव के बाद व्याप्त स्थिति और मुख्य मंत्री द्वारा बहुमत खो देना तय करने के प्रश्न के कारणों के बीच भेद किया है। यह भेद उन्होंने स्पष्ट रूप से किया है। जिस भाग को मैंने पढ़ा है वह ऐसी स्थिति है जिसके बारे में सरकारिया आयोग ने विचार किया था यदि आम चुनाव के बाद कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए बहुमत में नहीं आती है तो संवैधानिक तंत्र असफल समझा जाएगा। उन्होंने संवैधानिक तंत्र के भंग होने का उदाहरण पेश किया। इसी बात को श्री मुरली मनोहर जोशी अन्यथा ले रहे थे दोहरा रहे थे। मैंने कहा कि सरकारिया आयोग ने स्वयं भी इस बात को कहा था और मैंने इसे पढ़ा।

सभापति महोदय, मैं श्री रमेश भंडारी तो नहीं हो सकता हूं लेकिन आज मैं माननीय सदस्य का लक्ष्य बना हुआ हूं। यही स्थिति है। यदि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने मेरा भाषण सावधानीपूर्वक पढ़ा होता तो उन्हें यह पता चल गया होता कि वास्तव में मैंने क्या कहा था। मैंने कहा कि मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कथन से भी सहमत नहीं हूं। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने यह कहा है कि विधानसभा के अन्दर परीक्षण हर समय नहीं होता है। मैंने केवल उसका हवाला दिया है। अतः माननीय सदस्य संदर्भ से हटकर मुझे उद्धृत कर रहे हैं और जो कह रहे हैं वह सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मैं अभी सवाल जवाब में नहीं जाऊंगा। लेकिन इस पर भी बहस चलेगी, यह केवल सदन तक

ही सीमित नहीं रहेगी, बाहर भी चलेगी। आपने राज्यपाल की बात कही कि मैं यहां 'हल्ला बोल' कर रहा हूं, जबकि मैं आपके ऊपर नहीं कर रहा हूं, मैं तो सरकार के ऊपर 'हल्ला बोल' कर रहा हूं। जहां तक राज्यपाल की बात थी, आपने ठीक याद दिलाया कि हम राज्यपाल पर हल्ला कर रहे हैं। मैंने यह आज शुरू नहीं किया, मैंने यह तब शुरू किया था जब त्रिपुरा में वामपंथी सरकार को इन्होंने जी-जान से हटाने की कोशिश की।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा है कि मैं श्री रमेश भंडारी का समर्थक नहीं हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उस समय आपने सही भूमिका ली थी। तर्क दे सकते हैं कि वह एक धर्मनिरपेक्ष सरकार थी। यहां तो आप धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने की कोशिश में हैं। लेकिन मेरा सरकार पर आरोप है कि जब उस व्यक्ति को गवर्नर बनाकर वहां भेजा, उन्हें यह मेंडेट देकर भेजा, उसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, उसकी बहस यहां नहीं करूंगा, बाहर करेंगे, लेकिन यह मेंडेट था, जब मुझे इसकी जानकारी मिली कि उन्हें गवर्नर बनाकर भेजा जा रहा है तो मैंने आज के प्रधान मंत्री को लिखा था, राष्ट्रपति जी को भी लिखा था कि वह व्यक्ति, जिसने गवर्नर रहते हुए त्रिपुरा के राजभवन में बैठकर वहां चुनी हुई वामपंथी सरकार के साथ इतना जुल्म किया था कि सारे देश में इनको हटाने के लिए अभियान चलाया गया था, आज उनको देश के सबसे बड़े प्रदेश में राज्यपाल बनाकर न भेजें। यह मैंने लिखित में दिया है।

आज सवेरे हमारे मित्र राम नाईक ने शेयर घोटाले की बात छेड़ी थी। शेयर घोटाले के संदर्भ में जब तत्कालीन प्रधान मंत्री ने किन्हीं लोगों पर हमला किया था, तब एक बड़ी साजिश उस राजभवन में बैठे हुए इस राज्यपाल ने की थी कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य नेताओं को हर्षद मेहता का पैसा जो विदेश में जाकर लौटकर भेजा है, इनको कैसे फिक्स किया जाए। इसके लिए राजभवन में अपने टेलीफोन, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने साजिश की थी। हमने यह बात राष्ट्रपति जी से भी कही थी, हालांकि राष्ट्रपति जी का नाम यहां नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमने यह बात कही और सार्वजनिक कही। आज अंततोगत्वा जब एक व्यक्ति के हाथ में देश का सबसे बड़ा सूबा दे रहे हैं और यह जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की सम्भावना है, वह न बने।

अपराह्न 4.00 बजे

यह आपकी जिम्मेदारी है यह कहकर उनको वहां पर भेजा था। इसलिए हम अगर उनके बारे में बाहर भी बोल रहे हों तो उसमें हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देश के संविधान के साथ और लोगों के मतों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं लेना चाहिए, यह हमारी मान्यता है। यहां एक बात जब मैंने परसों सबके भाषण सुने तो उसमें कही गई और आज फिर यहां पर टोका गया कि किस की कितनी सीटें हैं। यह अब कोई बहस का विषय है कि धारा 356 पर बहस हो रही है। सरकारिया कमीशन हम लोगों को कह रहा है कि देश का प्रजातंत्र बनाए रखने के लिए केन्द्र और प्रदेशों के बीच जो रिश्ते हैं उनको बनाए रखने के लिए क्या-क्या उपाय हैं। संविधान का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इन सारी बातों पर बहुत चर्चा हो रही है। किस को कितनी सीटें मिलीं इस पर यहां पर टोका-टोकी हो रही है, टोका-टोकी हो जाए हम इसके विरोध में नहीं हैं।

महोदय, यह कहा जाता है कि कौन किसके ऊपर पत्थर मारे तो यहां यह बात नहीं है कि कौन किसके ऊपर पत्थर मारे लेकिन अगर सात सीटें पाकर पूछोगे कि तुमको केवल 176 सीटें मिली हैं तुम सरकार बनाने के लिए कौन होते हो तो यह शोभा नहीं देता है। 236 में तुम पहले लोकसभा के आम चुनाव में थे, अब तुम केवल 174-176 पर पहुंच गए। लेकिन मात्र पांच सीटें पाकर जब ये सारी चर्चा सदन के भीतर या बाहर की जाती है तो शोभा नहीं देता है तो लोग बोलेंगे कि कौन बोल रहे हैं, किस बॅल के ऊपर बोल रहे हैं।

अपराह्न 4.02 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बस पांच मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। महोदय, मेरे पास यहां आज अखबार की एक फोटो कॉपी है जो अभी मैं लाइब्रेरी से निकाल कर लाया हूं। इसमें प्रधानमंत्री जी की बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। इसमें लिखा है "आप मुझे वोट दो, मैं आपको विकास दूंगा, प्रधानमंत्री, श्री एच.डी. देवेगौडा की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील।" अब मैं इसकी संवैधानिक बातों पर नहीं जाऊंगा। शायद सोमनाथ बाबू इस पर कुछ बोलना चाहेंगे। शायद प्रधानमंत्री के नाते विधारसभा के चुनाव के दरम्यान प्रदेश की सारी अखबारों में इतने ही बड़े विज्ञापन निकालते हैं। पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर वह अध्यक्ष नहीं हैं लेकिन पार्टी के नेता के तौर पर निकालते तो मैं समझता। अगर ऐसा कोई करता था तो बीजू बाबू आप उसका हर बार विरोध करते आए, आज भी आप उसका विरोध करिए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है, अपील है। अभी मुलायम सिंह जी यहां पर बैठे हैं उन्हें मालूम है या नहीं है कि उनकी भी पार्टी का नाम इसमें जोड़ा था और मुझे मालूम है कि आप लोगों को ज्यादा दिन चुनाव अभियान में चलने नहीं दिया गया था। मैं यह भी जानता हूं लेकिन छह पार्टियों की इसमें तस्वीर लगा दी गई, उनका चुनाव सिम्बल लगा दिया गया-समाजवादी पार्टी, जनता दल, इंदिरा कांग्रेस (तिवारी), भारतीय किसान कामगार पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सी.पी.आई.। इन छह पार्टियों के चुनाव चिन्ह डालकर कि आप मुझे वोट दो, यह नहीं कि इन

पार्टियों को वोट दो, इन कार्यक्रमों को वोट दो। आप मुझे वोट दो मैं आपको विकास दूंगा।...**(व्यवधान)**

श्री मुलायम सिंह यादव : अरे, मोर्चे के नेता को वोट दो।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं-नहीं, शुद्ध हिन्दी है। आप मुझे वोट दो मैं आपको विकास दूंगा। इतना सब करने के बाद इसमें सारी बातें हो गई। इसमें जो सबसे मोटे अक्षरों में लिखा है-एक तरफ साम्प्रदायिक एवं पूंजीवादी ताकतें हैं जो राष्ट्र को विनाश की ओर धकेलना चाहती हैं और दूसरी ओर संयुक्त मोर्चा है जो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, किसान मजदूर राज्य की स्थापना की लड़ाई लड़ रहा है।

ये नारे लेकर ही आप गये थे, प्रधान मंत्री गये थे और इन नारों के बाद समाजवादी पार्टी ने जो वोट पाए वे प्रधानमंत्री की मेहरबानी से नहीं पाए, उन्होंने जो सीटें पाई वे अपने बलबूते पर पाई। मुलायम सिंह की शक्ति क्या है, वे कितना काम करते हैं, उनकी राजनीति किस जमीन पर है, यह सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह सब मैं उनकी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि वस्तुस्थिति को सामने रख रहा हूं। मुलायम सिंह जी ने जो पाया है अपने बलबूते पर पाया है। लेकिन यह सारा अध्यक्ष जी, कि "आप मुझे वोट दो मैं तुम्हें विकास दूंगा।" तो लोगों ने कितना वोट दिया और कितनी सीटें दीं। प्रधानमंत्री की पार्टी को सीटें मिलीं 7, वामपंथी को 5, तिवारी कांग्रेस को 4, अजीत सिंह वाली पार्टी को 8 और अब इनके साथ वे नहीं हैं। कुल मिलाकर 24 सीटें मिलीं।

एक माननीय सदस्य : आपको कितनी मिलीं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमें दो मिलीं...**(व्यवधान)** लेकिन न हम प्रधान मंत्री थे न हम लोगों से बोल रहे थे कि हमें वोट दो, हम तुम्हें विकास देंगे।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप आधे घंटे से ज्यादा बोल चुके हैं अब आप समाप्त कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं कि जब यह बात कही जाती है कि किसको कितने वोट मिले, किसको कितनी सीटें मिलीं, तो हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है और जो केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं विश्व के पैमाने पर जो संसदीय प्रणाली है उसके मुताबिक उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। यह जो...**(व्यवधान)** यह जो सेक्यूलर-सेक्यूलर वाली बात चल रही है ...**(व्यवधान)** पार्टियों के बीच में जो विवाद है उसके कारण बहुत बड़ा जुल्म मतदाताओं के साथ हो रहा है। आपने खुद सोमनाथ बाबू कबूल किया कि 34 प्रतिशत वोट पाया है और 176 सीटें पाई हैं। अगर 34 प्रतिशत वोट हैं तो 34 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की जनता के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। इसका भी आपको ख्याल रखना होगा और वह जुल्म आप इस आधार पर कर रहे हैं कि जो आपने अपने दिमाग में एक कल्पना बना रखी है तथा यह तो सेक्यूलर और नॉन सेक्यलर की बहस है, हम चाहेंगे कि उस पर एक बार बहस हो जाए।. ..**(व्यवधान)** इसलिए कि सेक्यूलरिज्म के नाम पर बलात्कार मंजूर है, खजाने की लूट मंजूर है, चोरी मंजूर है...**(व्यवधान)** यह सब सेक्यूलर हैं सेक्यूलरिज्म के नाम पर अगर इस प्रकार के राजकाज की बात चलती है तो अध्यक्ष जी, आज हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप एक बार बहस भी कराईये जिससे यह मुद्दा यहां पर हल हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का सम्पूर्ण विरोध करता हूं और चाहता हूं कि सारे सदस्य इसके विरोध में अपनी राय दें।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : माननीय चेयरमैन साहब, जो प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री जी ने इस हाउस में रखा है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। जब गृह मंत्री जी यह प्रस्ताव इस हाउस में लाए थे तो मुझे परेशानी भी हो रही थी और हैरानी भी हो रही थी कि एक चुनी हुई सरकार को रूल करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश इस देश में सबसे बड़ा प्रांत है। पहले तो उस प्रांत के साथ यह धोखा हुआ कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो उसके साथ विधान सभा का इलेक्शन नहीं करवाया गया। जब इलेक्शन हुआ तो लोगों ने बी.जे.पी. को सबसे ज्यादा वोट डाल। और जब रूल करने का वक्त आया तो आर्टिकल 356 लगा दिया और केन्द्र सरकार ने उनको मौका नहीं दिया। मैं समझता हूं कि यह इस देश की डैमोक्रेसी के साथ मजाक है और डैमोक्रेसी का मर्डर है। मुझे इस बात की हैरानी है कि एक इलैक्टेड गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। मुझे एक बात याद आ रही है कि मैं एक नॉन-स्टाप बस में बैठा था और ड्राइवर हर जगह पर बस रोकता जा रहा था। मैंने पूछा कि क्यों हर जगह पर रोकते जा रहे हो तो उसने बताया कि हम अपने ड्राईवर भाईयों को उठा रहे हैं। मैंने कहा कि यह तो नॉन-स्टाप बस है तो उसने कहा कि यदि अपने ड्राईवर भाईयों को नहीं उठाऊंगा तो और क्या करूंगा। इसी प्रकार हमारी पार्लियामेंट एक बड़ी संस्था है और यहां की रूलिंग पार्टी लोगों को सरकार बनाने का मौका नहीं दे रही है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है?

सभापति जी, जहां तक आर्टिकल 356 का सवाल है, शिरोमणि अकाली दल इसके खिलाफ रहा है और इमरजेंसी में जब मोर्चा लगा तो शिरोमणि अकाली दल ने इन सब लोगों को छुड़वाया जो आज राजगद्दी पर बैठे हुये हैं। इन्होंने कमिटमेंट किया था कि किसी राज्य पर 356 नहीं लगायेंगे। मुझे खेद है कि इस देश की अकाली सरकार पर सबसे पहले आर्टिकल 356 लगाया गया और अब दूसरी सरकारों पर लगा रहे हैं। इसके लिये हमने आनन्दपुर साहिब रिजोल्यूशन बनाया और सरकारिया कमीशन लाये। इस देश में राजीव-लौंगोवाल अकार्ड हुआ। इसमें साफ माना गया कि राज्य केन्द्र संबंधों का पुनर्गठन और विचार होना चाहिये और खासकर आर्टिकल 356 का मिसयूज न हो। जब डा. अम्बेडकर ने संविधान की रचना की तो उस

समय कहा गया था और यकीन दिलाया गया था कि आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं होगा परन्तु आज यह हो रहा है। इसका मिसयूज गवर्नर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नर एक सफेद हाथी है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी ही सिफारिश हमने आनन्दपुर साहिब के रिजोल्यूशन में की थी। मेरे साथ श्री सुरजीत सिंह बरनाला बैठे हुये हैं जिनको एक बार आर्टिकल 356 का मिसयूज करने के लिये उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा तो इन्होंने उस समय इन्कार कर दिया और इस्तीफा दे दिया। यदि ऐसे ही गवर्नर हों तो इस देश की डैमोक्रेसी को बचाया जा सकता है और जहां भंडारी जैसे गवर्नर हों जो एक साल से प्रदेश में अनडैमोक्रेटिक तरीके से 34 परसेंट लोगों का कत्ल करके राज करना चाहता है तो ऐसे गवर्नर को नहीं रहना चाहिये और उसको हटा देना चाहिये।

सभापति महोदय, तीसरी बात यह है कि इस देश में जैसा आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वैसा पहले भी कई राज्यों में हो चुका है। इसलिये कहना चाहता हूं कि इस देश के कांस्टीट्यूशन को री-राईट करना चाहिये और यह प्रान्त के लोगों की भावनाओं और मुल्क के हालात के अनुसार री-कांस्टीट्यूट करना चाहिये। यहां पर मैजारिटी और माईनॉरटी की बातें हो रही हैं और काम भी वैसे हो रहे हैं।

जो पहले माइनॉरिटी में रहकर पांच साल यहां राज करते रहे और घोटाला करते रहे, रेप भी करते रहे, वह सब कुछ माइनॉरिटी में रहकर करते रहे। आज यूपी में माइनॉरिटी की बात की जा रही है।

दूसरी बात जो फर्नान्डीज जी ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में कही है, मैं उससे सहमत हूं। सैक्यूलरिज्म का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। सैक्यूलरिज्म के नाम पर पहले केन्द्र में हिन्दुस्तान के लोगों की इच्छाओं का कत्ल किया गया। जब देश के लोगों ने बी.जे.पी. के हक में वर्डिक्ट दिया और बी.जे.पी. को सबसे बड़ी पार्टी बनाया तो सैक्यूलरिज्म का नारा देकर बाकी सब लोग इकट्ठे हो गए। यह बोला गया था कि चुनावों में बी.जे.पी. ने बी.एस.पी. से टक्कर ली। पार्लियामेंट में डी.एम.के., जनता दल, सी.पी.एम., सी.पी.आई. ने लोगों को बोला कि अगर हमको वोट डालोगे तो कांग्रेस वाले जो घोटालों में फंसे हुए हैं, उनको हम पुट्ठा लटकाएंगे और जब राज करने का मौका आया तो इन्होंने झप्पियां पा लीं।

सभापति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सैक्यूलरिज्म के अर्थ मुल्क के लोगों के सामने लाने पड़ेंगे, नहीं तो यह देश के लोगों के साथ धोखा होगा। यह मानवता का कत्ल हुआ। दिल्ली और कानपुर तथा नागपुर में जहां एक फिरके के लोगों को मार डाला गया, सिर्फ इसलिए कि वह एक विशेष फिरके के लोग हैं। उनका कत्ले-आम किया गया और सबसे पवित्र स्थान जो था, श्री अकाल तख्त साहब, उस पर फौजें चढ़ाई गईं जो भारत की सुरक्षा के लिए है और फौजी टैंक चढ़ाए गए जो भारत की सुरक्षा के लिए हैं। जिन लोगों ने सबसे पवित्र स्थान को ढहा दिया और एक फिरके के लोगों को सड़कों पर मार डाला गया, उस समय उनका सैक्यूलरिज्म कहां गया? सैक्यूलरिज्म का अर्थ भी देश के लोगों के सामने आना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि राज करने के लिए जिसका मर्जी सैक्यूलर कह दो जिसको मर्जी कम्यूनल कह दो।

सभापति महोदय : आप संदर्भ में बोलिए।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : यह संदर्भ में ही है। इससे ज्यादा संदर्भ क्या होगा?...**(व्यवधान)** सबसे अधिक चिन्ता का विषय यही है कि सैक्यूलरिज्म के नाम पर कम्यूनिलिज्म फैलाया जा रहा है। सैक्यूलरिज्म के नाम पर लोगों को वर्डिक्ट का कत्ल किया जा रहा है। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है अगर वहां इलैक्टेड गवर्नमेंट को काम करने का मौका न मिले, बी.जे.पी. जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसको रूल करने का मौका न मिले तो मैं समझता हूं कि इस देश में लोगों का डैमोक्रेसी पर जो विश्वास है वह उठ जाएगा और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए यह जरूरी है कि वहां बी.जे.पी. को सत्ता में आने का मौका देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : सभापति महोदय, हमने विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दिये गये भाषणों को बहुत ध्यान से सुना है। उत्तर प्रदेश में आज जो राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई है, वही स्थिति इस सभा में भी है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल यह कह रहे हैं कि राज्यपाल को उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था जबकि संयुक्त मोर्चा और उसके सहयोगी दल कह रहे हैं कि नहीं, राज्यपाल ने जो कुछ भी किया है वह सही किया है।

हमारे दल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सदस्य इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं। मैं उनके कथन को दोहराना नहीं चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने जो कुछ किया है हम उससे खुश नहीं हैं। हम आशा करते थे कि राज्यपाल कुमारी मायावती को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। यह खेद की बात है कि संयुक्त मोर्चा के बीच एकमत नहीं हो पाया और वे ऐसा नहीं कर पाये।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह उद्घोषणा कर दी गई है और इसे सभा में लाया गया तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें क्या करना चाहिए? जैसाकि हम महसूस करते हैं कि संयुक्त मोर्चा और उनके सहयोगी दलों ने अच्छा काम नहीं किया है। वे इस बात को दोहरा रहे हैं कि वे अमुक का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हैं और वे समर्थन नहीं करेंगे। जब कांग्रेस कार्यकारी समिति ने संयुक्त मोर्चा को समर्थन देने का निर्णय लिया था तो हमने यह नहीं पूछा था कि नेता कौन होगा और नेता कौन होना चाहिए? हमने यह शर्त नहीं रखी थी। हमने बिना शर्त समर्थन किया था। वे हमारे साथ इसकी तुलना कर रहे थे। यह सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि वह विधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए राज्यपाल को उन्हें आमंत्रित करना चाहिए था और वे सभा में यह सिद्ध कर सकते थे

कि उनके पास बहुमत प्राप्त है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें यह बात समझ में नहीं आती है कि वे विधान सभा में किस प्रकार से अपना बहुमत सिद्ध कर सकते थे। हमने यह देखा है कि उनकी राज्यसभा के चुनावों के दौरान कुछ अतिरिक्त बल परीक्षा हुई लेकिन सभी धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा उन्हें बुरी तरह मात मिली।

उनके पास केवल यही दावा करने का विकल्प रह सकता था कि वे केन्द्र में 13 दिनों तक बने रहे और वे उत्तर प्रदेश में भी 7 दिन तक रह सकते थे। यही एकमात्र उपलब्धि हो सकती थी।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : आप अपनी सरकार बनवा लो।

सभापति महोदय : शांत रहिये, उनको बोलने दीजिए

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं उनकी प्रतिक्रिया को पूर्णतः समझता हूं। वे एक अन्य दावा कर रहे हैं कि संसदीय चुनावों के दौरान उन्हें 230 सीटें मिली और अब क्या हुआ है? ये सीटें कम होकर 171 रह गई हैं। उन्हें गुजरात में पराजय मिली। वे महाराष्ट्र में सभी निगमों और नगरपालिकाओं में हार रहे हैं। उनकी सहयोगी शिवसेना वहां जीत रही है। उनकी स्थिति अत्यधिक बुरी है। ऐसे समय में हम यह समझ सकते हैं कि इस देश की जनता ने यह महसूस कर लिया है, जैसाकि हमारे नेता ने इस सभा में एक दिन कहा था कि वह भाजपा से लड़ सकते हैं परंतु धर्म से नहीं अर्थात् धर्म की दुहाई देने से कोई प्रभावित नहीं हो सकता है।

अब प्रश्न यह है कि यहां कांग्रेस क्या निर्णय लेगी? अनेक लोग यह पूछ रहे हैं कि हम व्हिप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। हमें आशा है कि संयुक्त मोर्चा और उनके साथियों को सद्बुद्धि आएगी। यद्यपि वे इस सभा में उद्घोषणा का विरोध कर रहे हैं परन्तु हम अनिच्छा से संवैधानिक बाध्यताओं के कारण इसका समर्थन करेंगे। परंतु मुझे आशा है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा, जो आज स्वीकृत होगी, जल्दी ही उत्तर प्रदेश से वापस ले ली जाएगी और श्री मुलायम सिंह यादव तथा उनके साथी अवसर के अनुकूल होंगे और उत्तर प्रदेश को बचाने के कुछ प्रयत्न किए जाएंगे। श्री मुलायम सिंह यादव को अतीत भूलने की कोशिश करनी चाहिए और वह वर्तमान स्थिति को देखें ताकि वहां आपकी सरकार बन सके। वह दिल्ली में हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश में अन्य लोगों के लिए भी कुछ काम छोड़ देना चाहिए। मैं, राज्यसभा चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में आए चुनावी परिणाम के लिए हमारे कांग्रेस दल, बसपा और सपा के सभी विधायकों का आभारी हूं और उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने सिद्ध कर दिया है और उन्होंने पूरे देश को संकेत दे दिया है कि अब भाजपा की जीत नहीं होगी। यह संदेश चला गया है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : सभापति जी, प्रो. चन्द्रभाजरा को तो आपने टोक दिया, क्या यह ट्रू द प्वाइंट बोल रहे हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : 23 मैम्बर्स कहां से आये हैं, वे कांग्रेस और बी.एस.पी. से ही आये हैं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : श्रीमती सुषमा स्वराज कहती हैं, "13 दिन के राज के दौरान, संसद सदस्य भाजपा को समर्थन देने के लिए पंक्ति में खड़े थे। वे कहां गए? वे संसद सदस्य कहां हैं? कोई भी पंक्ति में नहीं खड़ा था।"

श्रीमती सुषमा स्वराज : अभी बात यू.पी. की हो रही है। ये 23 एम.एल.ए. कहां से आ गये हैं। अगर कांग्रेस, सपा, बसपा से नहीं आये हैं तो क्या आसमान से उतर कर आये हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैडम, यू.पी. में ऐसा टाइम आ गया है कि आपका कोई दोस्त नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हमें आपके जैसे दोस्त नहीं चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : हमें भी आपका साथ या आपके जैसे दोस्त की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

हम इस उम्मीद के साथ उनको समर्थन दे रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां होंगी ताकि गैर-धर्मनिरपेक्ष ताकतों को रोका जा सके।

कल का दिन हमारे लिए राष्ट्रीय शर्मिंदगी का दिन है, इस दिन भाजपा ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को तोड़ा था। मुझे आशा है कि यह सभा इसकी निंदा करेगी और इन्हें मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन संबंधी चर्चा पर बोलने के लिए मैं विचार कर रहा था, और तथ्य ढूंढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि उत्तर प्रदेश की त्रिशंकु विधान सभा अपने देश की कोई पहली त्रिशंकु विधान सभा नहीं हैं, बल्कि इससे पहले भी बहुत से प्रान्तों में त्रिशंकु विधान सभा आई हैं। आज जो राजनीतिज्ञ उसका विरोध कर रहे हैं, जब मैंने देखा कि उस समय वे क्या कर थे तो मुझे 25 साल पहले की एक घटना याद आई। उस समय मैं महा-विद्यालय में पढ़ रहा था फिर भी

जितना मुझे स्मरण है, उसके आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि आज से 25 साल पहले 1971 में पश्चिम बंगाल में त्रिशंकु विधान सभा का जन्म हुआ और आज इस देश के एक सम्मानित और आदरणीय नेता, जिन्हें शायद सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, ज्योति बसु जी उस समय सी.पी.एम. के लैफ्ट ब्लॉक का नेतृत्व कर रहे थे। उस त्रिशंकु विधान सभा में उन्हें बहुमत नहीं मिला था लेकिन उन्होंने राज्यपाल से जाकर यह कहा कि यद्यपि मेरे पास पूर्ण बहुमत नहीं है मगर विधान सभा में चूंकि मैं सबसे बड़े दल का नेता हूं इसलिए बिना बहुमत के, सबसे बड़े दल का नेता होने के कारण, मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए निमंत्रित करना चाहिए... **(व्यवधान)** मैं तो बंगाल की विधानसभा में कभी गया नहीं लेकिन अगर हम हमेशा गलत रहे हैं, कम से कम आप तो सत्य के मार्ग पर चलिए।

उस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री एस.एस. धवन थे। उन्होंने उस समय बिल्कुल वही किया जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने किया कि सी.पी.एम. लैड लैफ्ट ब्लाक को छोड़कर जितने राजनैतिक दल थे उनसे चिट्ठियां मंगवाई कि हम किसी भी हालत में सी.पी.एम. लैड लैफ्ट ब्लाक की मदद करने वाले नहीं है। ऐसी चिट्ठियां आने के बाद, जब ज्योति बसु जी से पूछा गया कि आपके पास बहुमत नही हैं तो उन्होंने 25 वर्ष पूर्व कहा था :

[अनुवाद]

> "राज्यपाल को, संसदीय लोकतंत्र की परिपाटी के अनुसार सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए। केवल सभा में बहुमत का पता लगाया जाना चाहिए न कि राज्यपाल द्वारा।"

[हिन्दी]

आज उस त्रिशंकु विधानसभा का कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी की दृष्टि से रजत जयन्ती वर्ष है लेकिन 25 सालों में इतना अंतर आ गया कि 25 वर्ष पूर्व जिन मुद्दों को जनता के सामने रखकर, ज्योति बसु जी मुख्यमंत्री पद मांग रहे थे, उन्हीं मुद्दों पर अगर कल्याण सिंह जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का निमंत्रण मांगे तो उन्हें गलत सिद्ध किया जा रहा है। उस समय मुझे पता नहीं कि क्या किया था, क्योंकि बंगाल असैम्बली में हम कभी आपका विरोध करने के लिए नहीं पहुंचे।

सभापति महोदय, मैं अभी संतोष मोहन देव जी का भाषण सुन रहा था। वे बोल रहे थे कि हमारी गुजरात में सरकार गई। यू.पी. में भी सरकार नहीं बनी, किसी म्युनिसिपैलिटी में भी हारे। अब उनको संतोष है। ठीक है। इनका नाम ही संतोष है, तो संतोष होना ही चाहिए। अब इनकी केन्द्र की सरकार गई। इनकी सरकार बंगाल में नहीं आई। यू.पी., बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र राजस्थान, केरल में इनकी सरकार नहीं है। मैं कितने राज्य गिनाऊं जहां इनकी सरकार नहीं है। अब एकाध म्युनिसिपैलिटी में इनको बहुमत मिल गया है, तो इनको संतोष क्यों हो रहा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

सभापति जी, जब भी त्रिशंकु प्रतिनिधि ग्रह आता है, तो संविधान में इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा है कि यदि त्रिशंकु लोक सभा या विधानसभा हो, तो क्या निर्णय लिया जाए। जब संविधान में स्पष्ट नहीं लिखा है, तो देश के सारे राजनीतिक दलों को मिलकर यह सोचना चाहिए कि जो बात संविधान में नहीं लिखी है उसके लिए हमें परंपरा का आदर करना चाहिए और परंपरा किसकी होनी चाहिए, जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी हो, उसने जो परंपरा डाली है, उस पर हमें चलना चाहिए और देश का सर्वोच्च सांवैधानिक अधिकारी हमारे राष्ट्रपति जी हैं। मैं किसी एक राष्ट्रपति की या किसी एक घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे याद है कि 1979 में जब पहली बार, उससे पहले तो कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत प्राप्त था, तब पहली बार बहुमत प्राप्त करने का सिलसिला शुरू हुआ और राष्ट्रपति जी की सलाह ली गई। वर्ष 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार टूटी, मोरारजी भाई की सरकार के पतन के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार विपक्ष के नेता श्री यशवंत राव चव्हाण जी को बुलाया। उनसे पूछा, उनसे यह नहीं पूछा कि क्या आपके पास बहुमत है, चिट्ठी दो, पहले सिद्ध करो या मेरे घर में आकर बताओ, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। केवल एक बात थी, जिस पर सरकार गिरी थी। उसके पश्चात् हमारे देश में गत तीन लोक सभा चुनाव हुए हैं-1979 में, 1991 में और 1996 में और तीनों बार ही त्रिशंकु लोक सभा ने जन्म लिया। किसी लोक सभा ने भी बहुमत नहीं दिया। जब पहली त्रिशुकु लोकसभा 1979 में बनी, तो राजीव गांधी जी को बुलाया गया, जो उस समय सबसे बड़े दल के नेता थे। उनको उन्होंने यह नहीं पूछा कि आपके पास बहुमत है या नहीं, चिट्ठी दो। उनको इसलिए बुलाया क्योंकि वे सबसे बड़े दल के रूप में थे। जब राजीव गांधी ने "नहीं" कह दिया, तो उन्होंने वी. पी. सिंह को बुलाया और वी.पी. सिंह को बुलाते समय जो चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने यह लिखा कि बी.जे.पी और सी.पी.एम. आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं कि फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी ने सरकार बनाने से मना कर दिया है और चूंकि आप सैकिड लार्जैस्ट पार्टी हैं, इसलिए आपको बुला रहे हैं। 1991 में भी जो लोक सभा आई वह भी त्रिशंकु लोक सभा थी, लेकिन उस त्रिशंकु लोक सभा में भी,... **(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस : राजीव गांधी ने कहा था कि हम विपक्ष में बैठेंगे।... **(व्यवधान)** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्हें बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि हम विपक्ष में बैठेंगे। हम सरकार नहीं बनाएंगे। इसलिए महाजन साहब जो आपके ज्ञान का भंडार है, वह मुझे लगता है, सीमित हैं यहां नरसिंहराव जी बैठे हैं। उनसे पूछ लीजिए।... **(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : मैं जानता हूं कि आजकल आप राजीव गांधी जी के दल के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। इसलिए आपकी

याददाश्त बिलकुल ठीक है। जिसको बुलाया जाए, वह "हां" कहें या "न" कहें, वह कहने वाले का संबंध है। बुलाने वाले को तू हां कहेगा या न कहेगा, यह पूछकर बुलाने की आवश्यकता नहीं है।... **(व्यवधान)**

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : अरे भैया, यह यू.पी. असैम्बली नहीं है।...**(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस : उन्होंने पहले ही लिखकर दे दिया था कि हम विपक्ष में बैठेंगे।...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : आप खुद वह बात बोल रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं।...**(व्यवधान)**

श्री संतोष कुमार गंगवार : यह उत्तर प्रदेश विधान सभा नहीं हैं, कृपया आप बैठिए।...**(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस : आप लोग भी तो यू.पी. असैम्बली से ही आए हैं।...**(व्यवधान)**

श्री संतोष कुमार गंगवार : सब जानते हैं, कि यू.पी. असैम्बली में क्या होता है कैसे बोला जाता है। आप बोलने का सलीका सीखिए।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, यह घटना तीन बार घटी। तीन लोगों ने अलग-अलग काम किया। राजीव गांधी ने इंकार किया, श्री नरसिंह राव ने स्वीकार करके अल्पमत को बहुमत करके दिखाया।... **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : राजीव गांधी ने इंकार नहीं किया बल्कि खुद जाकर कहा कि मुझे नहीं चाहिए। रिकार्ड में सही जाना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : उन्हें इनवाइट किया गया था।...**(व्यवधान)** मैं कहां कह रहा हूं कि उन्होंने मांगा था...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, उन्होंने स्वयं लिखा था... **(व्यवधान)**

श्री पी.वी. नरसिंहराव (बरहामपुर) **:** महोदय, मैं बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। दल में विधिवत् विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि हम राष्ट्रपति जी को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखेंगे कि वे हमें न तो यह पूछने के लिए बुलाएं कि क्या हम सरकार बनाएगें अथवा न ही सरकार बनाने के लिए क्योंकि उन्होंने कहा कि पत्र में लिखा गया था कि 'हमे लोगों से पर्याप्त जनमत नहीं मिला है।' यह स्पष्ट कारण था जिसके आधार पर हमारा यह अनुरोध आधारित था कि हमें नहीं बलाया जाए। ...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : यह परम्परा है जिसे हम बनाए हुए हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : जब श्री नरसिंह राव को बुलाया तब आपके पास बहुमत नहीं था और तब आपको किसी ने बहुमत के लिए पूछा भी नहीं था। राजीव गांधी तो हैं नहीं। श्री नरसिंह राव को जब दूसरी बार बुलाया तब आपके पास बहुमत नहीं था और किसी ने आपसे यह आग्रह नहीं किया कि पहले राष्ट्रपति भवन में बहुमत सिद्ध कीजिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : मेरे मित्र मामले पर तर्क कर रहे हैं परन्तु उन्हें यह पता होना चाहिए कि केन्द्र में राष्ट्रपति शासन का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार बनाने के लिए कुछ कार्यवाही होनी चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह पहले कहा था।

श्री राजेश पायलट : जी हां, आपने कहा था।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : संतोष जी, संविधान ने कम से कम यह अच्छा किया कि यहां राष्ट्रपति शासन का प्रावधान नहीं रखा, नहीं तो आप सैकुलरिज्म के नाम पर क्या करते, इसका मुझे विश्वास नहीं हैं। ...**(व्यवधान)** यदि सोमनाथ जी की सुनते तो यहां भी नहीं ला सकते थे। ...**(व्यवधान)** राष्ट्रपति जी ने जो बात चार बार परम्परा में डाली, क्या लखनऊ के राजभवन में निवास करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए सर्वोच्च अधिकारी से बड़ा हो गया कि उनकी डाली हुई परम्परा पर चलने से उसने इंकार किया। यदि मान लें कि परम्पराओं के रास्ते में नहीं जाना है। तो ग्रंथों का रास्ता है। मैं सरकारिया आयोग और सबके भाषण सुन चुका हूं। मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा लेकिन मुझे सरकारिया आयोग का जो अछूता पहलू यहां लगा, उसे कहूंगा। जब सरकारिया आयोग बना तो उन्होंने विभिन्न दलों और उनके विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे कि आपकी क्या राय है। मैं केवल 356 धारा के संबंध में कह रहा हूं। जनता पार्टी ने पत्र लिखे उस समय जनता पार्टी में हम जैसे थे, जेना जी, आप भी उसमें थे। यदि उस समय मुलायम सिंह जी हों तो शायद वे भी थे। हम सब मिलकर श्री जार्ज फर्नान्डीज़ की जय-जयकार का नारा लगा रहे थे। ...**(व्यवधान)**

श्री मुलायम सिंह यादव : नहीं लगा रहे थे।

श्री प्रमोद महाजन : मैं 1977 की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। अभी तो आपने कहा। ...**(व्यवधान)**

श्री मुलायम सिंह यादव : हम बोलना नहीं चाहते लेकिन आज हमें ठेस लगी है कि जीवनभर नारे दिए। ...**(व्यवधान)** हमें इसलिए कहना पड़ा क्योंकि श्री फर्नान्डीज कह रहे थे कि हम श्री घटर्जी को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आज सारे समाजवादियों को ठेस पहुंचा दी है। ...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : वैसे एक समाजववादी दूसरी समाजवादी को ठेस पहुंचाने के सिवा करता क्या है।

मैं 1977 की जनता, पार्टी का उल्लेख कर रहा हूं जिनके बहुत सारे सदस्य आज सरकार में हैं। उस जनता पार्टी ने सरकारिया कमीशन को क्या लिखा। जनता पार्टी सरकारिया कमीशन को लिखती हैं :

[अनुवाद]

> "यदि किसी नेता को सभा के अधिकांश सदस्यों का समर्थन नहीं मिलता है तो एकल सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा था :

> "मुख्यमंत्री को प्राप्त बहुमत के संबंध में किसी भी शंका का परीक्षण सभा में किया जाएगा।"

[हिन्दी]

जिस जनता पार्टी के आप सदस्य थे, जिस सरकारिया कमीशन की आप दुहाई देते हैं। सरकारिया कमीशन के बारे में भी उन्होंने कहा था और कम से कम सोमनाथ दा बहुत ज्येष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, कम से कम अगर यह मांग वे करते, जो उन्होंने सरकारिया कमीशन को लिखी थी तो मुझे कम से कम आनन्द होता। मैं 356 के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। सीपीएस ने जो लैटर लिखा, उसमें उन्होंने कहा :

[अनुवाद]

यदि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होती है तो केन्द्र की तरह राज्य में भी चुनाव कराने और नई सरकार बनाने के लोकतांत्रिक उपायों का प्रावधान होना चाहिए।" अतः दल विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखने के विरुद्ध था।

[हिन्दी]

और आज आप जो मतदान कर रहे हैं, वह आपने सरकारिया कमीशन को लिखा था:

[अनुवाद]

हम विधानसभाओं को निलंबित रखने के विरुद्ध हैं।

[हिन्दी]

अगर आप खड़े होकर कहते कि जाओ, उत्तर प्रदेश में हम चुनाव करवाते हैं, अगर किसी को बहुमत नहीं है तो फिर एक बार जनता के पास जाते हैं तो कम से कम सुसंगति होती, लेकिन आज जो आपने सरकारिया कमीशन को कहा था, उसके खिलाफ कर रहे हैं। मैं सरकारिया कमीशन की ज्यादा दुहाई इसलिए नहीं देना चाहता ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने न तो मेरी बात सुनी और न ही मेरा भाषण पढ़ा।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैंने आपका भाषण बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है, न केवल इस बार वरन् जब कभी भी आपने भाषण दिया है।

[हिन्दी]

इसमें मुझे केवल जो लगता है, आखिर सरकारिया कमीशन की बाकी सारी बातों का महत्व, निचोड़ सरकारिया कमीशन ने कहा था, राज्यपाल की नियुक्ति कैसी हो और उसमें उन्होंने उसके 2-4 क्राइटीरिया दिये थे, मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगा, समय का अभाव है, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि निकटवर्ती या भूतकाल में यह व्यक्ति राजनीति से सम्बन्धित न हों। अबं आज अगर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल ऐसा हो, जो पांच साल पहले लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से धोबी-पछाड़ खा चुका हो, हारा हो और अपने जख्मों को सहलाते हुए राजभवन पहुंचा हो तो वह भारतीय जनता पार्टी के साथ न्याय करेगा और वह निष्पक्ष रहेगा, इसकी कोई संभावना नहीं थी और इसलिए अगर राज्यपाल सरकारिया कमीशन ने जो क्राइटीरिया दिये थे, उसके अनुसार होता तो लगता है, वह शायद अलग प्रकार का निर्णय लेता, अलग प्रकार की सोच करता, लेकिन इस राज्यपाल की जो व्यक्तिगत टिप्पणी है, जार्ज साहब उर्सको बहुत प्रभावशाली ढंग से रख चुके हैं, मैं उसकी पुनरूक्ति नहीं करना चाहता, लेकिन जो राज्यपाल अपने कार्यकाल के समय में प्रधान मंत्री के साथ चुनाव प्रचार सभा में जायें, वह राज्यपाल तो उस पोलिटिकल पार्टी का एजेण्ट हो गया। वह किस प्रकार निर्णय करेगा, जो राज्यपाल चुनाव का एक भी नतीजा आने से पहले यह कह दे कि मैं सबसे बड़े दल को बुलाऊंगा नहीं, बुलाओं ने बुलाओं, आपका निर्णय है, आप वहां बैठे हैं, लेकिन जिस राज्यपाल को इतनी भी पेशेंस नहीं है कि चुनाव का परिणाम आने तक इंतजार करे, वह खड़ा होकर जब कहता है तो उस राज्यपाल से किसी न्याय की अपेक्षा नहीं होगी। इसलिए राजनीति में हमसे हारे हुए व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण की चर्चा जार्ज साहब कर चुके हैं, उसकी पुनरूक्ति मैं करना नहीं चाहता और जब से राजभवन में आकर बैठे है, तब से सारा ढंग राजनैतिक दल के

कार्यकर्त्ता के रूप में है, अब ऐसा राज्यपाल निर्णय करे और आप कहें कि उसने जो निर्णय किया है, तो इसपर कौन विश्वास कर सकता है। ...**(व्यवधान)** मैं दो तीन मिनट लूंगा।

बहुत बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी आइसोलेट हो गई, अकेली पड़ गई। मुझे कभी-कभी आश्चर्य लगता है। यह ठीक है कि आपका 14 पार्टी समर्थित और 13 पार्टी का शासन है, लेकिन इन 13 पार्टियों में से बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं, जिनके एक, दो, ढाई, तीन ऐसे मैम्बर हैं, उनको आप पार्टी गिनते हैं तो आंकड़ा बनता है। भारतीय जनता पार्टी हिन्दुस्तान की राजनीति में अकेली नहीं है, हमारे साथ शिवसेना बैठी है। महाराष्ट्र में उनके साथ हमारा शासन चल रहा है। हमारे साथ यहां पर हरियाणा विकास पार्टी बैठी है, जिसका हरियाणा में शासन चल रहा है। हमारे साथ अकाली दल बैठा है, जिसका आने वाली फरवरी में पंजाब में शासन आने वाला है। हमारे साथ समता पार्टी बैठी है, अगर अभी बिहार में चुनाव करा ले। ...**(व्यवधान)** अगर बिहार में आप चुनाव कराने की करो तो वहां भारतीय जनता पार्टी समता पार्टी का आज शासन होगा। ...**(व्यवधान)**

यह भ्रम है, हिन्दुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चार ऐसे दल जुडे हैं, जो विभिन्न प्रदेशों में शासन कर रहे हैं। आप एक-एक, दो-दो दलों को पकड़कर हमारे खिलाफ इकट्ठा करो इससे हम जनता में आइसोलेट नहीं होते हैं। अगर हम विचारों के कारण अकेले हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है। इसी अकेलेपन से ही हम यहां तक पहुंचे हैं। हम इस अकेलेपन से डरते नहीं हैं। जो डरपोक होता है वह घबराता है। 13 लोगों को इकट्ठा करके बी. जे.पी. को रोको, यह खेल डरपोक लोग ही करते हैं। इसलिए यह आइसोलेट की राजनैतिक धमकी हमें देने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति जी, बात सौदेबाजी की हो रही है। सौदे बाजी कौन कर रहा है। अगर धर्मनिरपेक्षता की इतनी पड़ी है तो क्यों नहीं मुलायम सिंह जी, मायावती जी को समर्थन दे देते। दोनों ही धर्मनिरपेक्ष हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप पहले कर चुके हो, फिर कर दीजिए ...**(व्यवधान)** पहले हमने बी.एस.पी. का समर्थन लेकर सरकार बनाई और आपने बी.एस.पी. को समर्थन देकर उनकी सरकार बनाई। आप हमेशा समर्थन देते रहे हो, मायावती जी को फिर दे दो। मैंने पहले समर्थन नहीं दिया था, लिया था, अब भी चाहता हूं कि दिया जाए, हम नहीं देंगे।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, मुलायम सिंह जी ने जो कहा, वह बिलकुल ठीक कहा। वे सौभाग्य से उस राजनीति की बात कर रहे हैं जो मेरी देखी हुई है, मुझे 71 साल पहले की याद नहीं है। यह ठीक है कि हमने मायावती जी को समर्थन दिया था, लेकिन दुनिया यह भी जानती है कि मुलायम सिंह जी केवल मायावती और कांशीराम के सहारे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। जब उन्होंने कुर्सी नीचे से खिसकाई तो इनका मुख्यमंत्री पद नीचे चला गया। तो समर्थन आपने भी दिया, हमने भी दिया इसलिए इस साथ में तो हम दोनों बराबर हुए। अब सवाल इतना ही बचा है कि हम इसलिए साथ नहीं देते कि बी.एस.पी. धर्मनिरपेक्ष है और हम गैर-धर्मनिरपेक्ष हैं। इन दोनों का साथ हो जाए तो हॉट आइसक्रम जैसा हो जाएगा, वह देश के हित में नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि आप दोनों धर्मनिरपेक्ष हैं, अगर दोनों धर्मनिरपेक्षता का साथ देंगे तो दूध में चीनी मिलने जैसा हो जाएगा। आप एक बार करके बताएं। इतनी दुहाई दे रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की, अगर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बन सकती है तो हमारी बन सकती है। यह स्थिति निश्चितरूप से आपको सामने दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल द्वारा केन्द्र शासन को चाहिए कि षड़यंत्र करके देश के सारे संविधान को बाजू में रखकर एक ही संविधान बनाए कि जहां-जहां भी बी.जे.पी. आएगी, हम उसका विरोध करेंगे, हम उसका यही कामन मिनीमम प्रोग्राम है।

उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दस-बीस सीटें कम दी होंगी, इसका हमें दुख है, लेकिन आपमें से किसको समर्थन दिया है, एक को भी नहीं दिया। दो-दो, चार-चार प्रतिशत वोटों के आधार पर आप इतनी बातें कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)** आप कम से कम अपने दल के लिए तो बोलो। ...**(व्यवधान)** आपके दल के कई लोगों के भाषण हो चुके हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री प्रमोद महाजन : इनका समर्थन हट जाएगा तो आप लोग 13 से 12 दलों के हो जाओगे। मैं इतना ही कह रहा था कि राज्यपाल के द्वारा उसको अपना हस्तक बनाकर केन्द्र में संयुक्त मोर्चा सरकार ने षड़यंत्र के रूप में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया है, हमारी मांग है कि इसको हटाकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण देना चाहिए और हमें सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाए। उसे हम सिद्ध करने की स्थिति में हैं। इसलिए हम इस सांविधिक संकल्प का समर्थन नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : सभापति महोदय, इस वाद-विवाद में विशेषकर इसके समापन भाग में पैदा की गई गर्मी और आवेग के पश्चात् मैं अपना उत्तर संक्षिप्त रखूंगा। संक्षिप्त इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि न तो वे लोग जो इस सांविधिक संकल्प का समर्थन कर रहे हैं और न ही वे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, और भाषण देकर एक दूसरे को सन्तुष्ट नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, हम तैयार हैं, हमें भी कहना है। ...**(व्यवधान)** जानबूझ कर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया है, क्योंकि उत्तराखन्ड से 17

विधायक जीत कर आए हैं। बोलने के लिए हमारा नाम है, लेकिन हम छोड़ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**,

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये सब नेता लोग बैठे हैं।

[अनुवाद]

लेकिन उनका अपने ही लोगों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। मेरे पुराने मित्र श्री जसवन्त सिंह, आप इस अनुशासित दल के नेता है, आप एक भूतपूर्व सैनिक है, मैं समझता हूं कि आपके दल के पास इस वाद विवाद में कुछ सदस्यों द्वारा इस प्रकार का व्यवधान डाले बिना और अनधिकृत भाषण दिए बिना अपना विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर था। मैंने कहा है कि मैं इस कारण से संक्षेप में उत्तर दूंगा परन्तु अपने माननीय सदस्या तो मेरी इस बात से सहमत थी कि संकल्प का समर्थन करने वाले अथवा विरोध करने वाले दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे को संतुष्ट करने की कोई संभावना नहीं है। हमने भी पहले ही अपना मन बिना लिया है और आपने भी अपना मन बना लिया है, अब तो बस मत दर्ज करना शेष है इसलिए एक और लम्बा भाषण देने का क्या उपयोग है?

? महोदय, आरम्भ में मैं सभी सदस्यों का, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया। गर्मी और आवेग कम हो जाने पर—जो मेरे विचार से अधिक देर तक नहीं चलेंगे—उत्तर प्रदेश के लोगों के समक्ष अभी भी यह प्रश्न होगा कि यहां से हम किधर जाएं? इस महान संसद में—लोक सभा और राज्य सभा में—अत्यन्त क्रुद्ध और कर्कश शैली में इस बात पर वाद विवाद हुआ कि कौन सही है और कौन गलत है और किसे नया करना चाहिए था। परन्तु इस सबके अन्त में और मतदान का भी परिणाम चाहे जो भी हो, लोगों को इस प्रश्न के साथ छोड दिया जाएगा कि यहां से उत्तर प्रदेश और उसके लोग कहां जाएंगे? मैं समझता हूं कि दलगत भावना से ऊपर उठकर इस प्रश्न पर हम सभी को थोड़ा सोचना चाहिए। यह मेरा मत है कि उत्तर प्रदेश ताकतो का मारा हुआ है जहां ताकतों ने जनता को उस उद्देश्य में असफल कर दिया है जिस उद्देश्य से लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं।

उद्देश्य है सम्बद्ध राज्य की जनता को स्थायी सरकार प्रदान करना जो उनकी समस्याओं को हल कर सके जो विकासात्मक परियोजनाओं और कार्यों को कर सके और उनकी शिकायतों को दूर कर सके।

ऐसी सरकार बनाने ने प्रयोजन से ही जनता वोट देती है उस नजरिये से, मैं समझता हूं हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे दल उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं। अब वहां क्या होने जा रहा है मैं नहीं जानता। हम सब को इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरी स्थिति में एक बात है जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिसका वर्णन किसी ने नहीं किया है—जहां तक मैं समझता हूं कि मैने अधिकतमर भाषण सुने हैं लेकिन किसी ने भी उसका वर्णन भी किया और वह है जातिवाद। मैं हैरान हूं कि किसी ने इसका वर्णन नहीं किया। मेरी राय में जिस प्रकार जातिवाद ने उत्तर प्रदेश के लोगों की विचारधारा को प्रभावित किया, जिस प्रकार से इसने ताकतो, मतदान और अन्य बातों का ध्रुवीकरण किया मुझे याद है कि इस प्रचार का जातिवाद प्रजातन्त्र के लिए अत्यादधिक खतरनाक सिद्ध होगा।

मैं किसी विशेष दल को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि काफी के तक अथवा कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में सभी दल जातिवाद की इस बीमारी से ग्रस्त हैं। आप इसे उम्मीदवारों का चयन करने में देख सकते हैं, आप इसे जिस प्रकार से चुनाव अभियान चलाया गया उसमें तथा जिस प्रकार से प्रचार आदि किया गया है। उससे देख सकते हैं। अतः जब हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात करना आवश्यक है तो मेरी में हमने वास्तव में जो किया है उससे उत्तर प्रदेश नहीं जनता की नजर में इस चुनाव प्रक्रिया और इस प्रजातान्त्रिक प्रणाली जिस पर पिछले 50 सालों से हम चल रहे हैं, को विश्वसनीयता को नष्ट कर सकता है। यदि इतना प्रयास और व्यय करने, घोर परिश्रम और कई चुनाव कराने के पश्चात् भी हम उत्तर प्रदेश के लोगों को सरकार देने में असमर्थ रहें, तो इसकी कोई विश्वसनीयता शेष नहीं रहेगी।

निसन्देह इस चुनाव में अन्तर दलीय प्रतिस्पर्धा कोई नई चीज नहीं है। अन्तर दलीय प्रतिस्पर्धा हमेशा से वहां रही है, कभी कम रही तो कभी ज्यादा रही है। उत्तर प्रदेश में संघर्ष जारी है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या श्री कल्याण सिंह अथवा कुमारी मायावती अथवा मेरे मित्र जो यहां बैठे हुए है, श्री मुलायम सिंह यादव? हम क्या करे? यहां काफी तर्क दिये गये हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। संख्या यहां निर्णायक नहीं। लेकिन जब आप सबसे बड़े दल के बारे में बात करते हैं। आप किस प्रकार आकलन करते हैं कि यह अकेला सबसे बड़ा दल है? यह केवल संख्या पर आधारित होता है और किसी अन्य पर आधारित नहीं होता। यहां यह तर्क दिया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में संख्या के आधार पर अकेले सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए जब वहां कोई दल अथवा संख्या के आधार पर दलों का ऐसा गठबंधन नहीं जिसे बहुमत प्राप्त हो। अब यहां यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस समय हम संविधान के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं—यदि हम संविधान को बदलना चाहते हैं तो वह अलग बात है; प्रत्येक सदस्य को संविधान बदलने का अधिकार है कोई भी कुछ संशोधन प्रस्तुत कर सकता है और इसे बदलने का प्रयास कर सकता है—जिसमें यह उपलब्ध है कि वह दल अथवा दलों का समूह—सरकार चला सकते हैं जो सदन में अपना बहुमत प्रदर्शित कर दें।

अपराह्न 5.00 बजे

अतः यदि हम कहते हैं कि सदस्यों की अधिकतम संख्या वाले अकेले दल को मौका देना चाहिए, यही तर्क है। यहां कई उदाहरण

और कई पूर्वोदाहरण दिए गए हैं। मैं एक बात से चिन्तित भी हूं, मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार से हमारे देश का राजतंत्र विकसित हो रहा है, मुझे आशंका है कि आने वाले वर्षों में कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं होंगी जहां किसी भी दल अथवा दलों के गठबन्धन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होगा। उस समय हम क्या करेंगे? ऐसे मामलों में क्या किया जाएगा जहां केवल यह विकल्प हो कि या तो किसी अकेले सबसे बड़े दल को सरकार सौंप दो, चाहे भले ही उसका बहुमत नहीं हो अथवा किसी की भी सरकार मत बनने दो और क्या वहां राष्ट्रपति शासन जारी रखा जाए। यह अत्यन्त कठिन है क्योंकि संविधान में विद्यमान प्रक्रिया के अन्तर्गत सत्ता पक्ष के पास अवश्य बहुमत होना चाहिए। दूसरी ओर, यदि बहुमत नहीं है, तो आपके पास विकल्प है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल शायद दुविधा में फंस गए। वह नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। मैं, निसन्देह उसी सब बातों का खण्डन करूंगा जो यहां कहीं गई है कि उन्हें वहां विशेष आदेश देकर भेजा गया था। मैं समझता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था कि उसके पास साक्ष्य और सबूत है लेकिन वे हमें इसके बारे में बाद में बताएंगे। हो सकता है कि उनके पास कुछ सदस्य हों। मैं नहीं जानता। जहां तक गृह मंत्री होने के नाते मुझे मालूम है, वह यह है कि इस विशेष राज्यपाल को केन्द्र द्वारा इस प्रकार का कोई ओदश नहीं दिया गया था कि "आपको वहां केवल इस उद्देश्य के लिए भेजा जा रहा है कि वहां किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने दो जाए।"

श्री राम नाईक (उत्तरी मुम्बई) : प्रधान मंत्री ने आपको इसके बारे में नहीं बताया होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : आपसे पूछ करके मैनेडेट नहीं देते हैं। यह तो आपके बिना हो रहा है आप तो बाद में आकर कहते हैं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : उन्होंने यह सार्वजनिक तौर पर भी कहा है।

सभापति महोदय : श्री राम नाईक, माननीय मंत्री जी ने नहीं कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खैर, हो सकता है कि हम में से कुछ सदस्य किसी व्यक्ति विशेष के चयन से सहमत नहीं हो ।

श्री प्रमोद महाजन : तब तो आपको बातों की जानकारी नहीं है। आप पसन्द के बारे में भी जानते हैं। स्वाभाविक है कि आपको इस सम्बंध में जानकारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे भी जानकारी है। श्री जार्ज फर्नान्डीज को भी जानकारी है।

श्री प्रमोद महाजन : वह कम से कम अनुमान तो लगा रहे हैं जबकि आप तो ऐसा करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं केवल अपने ज्ञान और जानकारी के आधार पर बात करता हूं। यदि यह गलत है, तो आप में से कोई भी इसे गलत सिद्ध कर सकता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह हमेशा गलत सूचना रही है।

[हिन्दी]

श्री श्रीराम चौहान (बस्ती) : अपको 356 पर क्या कहना है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन, मैं एक बात कहना चाहता हूं। डा. मुरली मनोहर जोशी ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत इसे लगाए जाने के बारे में कहा है कि यह संविधान के साथ सबसे बड़ा बलात्कार है। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं- मैं आशा करता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्य इसे गलत नहीं लेंगे— मैं समझता हूं कि यह बेहतर होगा यदि भारतीय जनता पार्टी संविधान का वर्णन नहीं करे और बलात्कार की बात नहीं करे। उन्हें इस प्रश्न पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या संविधान उन व्यक्तियों को हिन्दू राष्ट्र की विचारधारा का प्रचार करने की अनुमति देता है जिन्होंने विधान सभा सदस्य या मंत्री अथवा कुछ भी बनने से पहले संविधान की शपथ ली थी? क्या संविधान अनुमति देता है? आप मुझे दिखाएं कि संविधान इस बात की कहां अनुमति देता है कि पूरे देश में अल्प संख्यकों के विरूद्ध यह कहकर अभियान चलाया जाए कि वे देश के प्रति वफादार नहीं है। और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए? क्या ऐसा करने की अनुमति है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर इस बात पर बहस करनी है तो हम तैयार हैं। ...**(व्यवधान)** आपने जार्ज फर्नान्डीज साहब को कहा था कि संदर्भ में रहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी ने अपनी बात समाप्त नहीं की है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संविधान पर बहस होगी तो हम भी तैयार रहेंगे, आप भी तैयार रहियेगा। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय मंत्री ने भा.ज.पा. का नाम नहीं लिया है। वे ऐसा क्यों समझते हैं कि उन्होंने उनके बारे में कहा? ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : वे अनेक प्रकार से यह कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह नहीं कहा कि भा.ज.प. ने कहा है ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप वह स्थिति स्वीकार करें।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, हम तो कहते हैं कि जो हिन्दुस्तान में रहता है, वह यहां का रहे ...**(व्यवधान)** हिन्दु तो अपने आप खड़ा रह जायेगा, हमें तो उनको ऊपर उठाना है ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने नहीं कहा कि आपने किया। आप यह टोपी क्यों लगा रहे हैं?

[अनुवाद]

महोदय, मैं यहां कहना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : गृह मंत्री जी, कृपया अपनी बात संक्षेप में रखिये। हमें जाना है ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे मित्र, शिव सेना पार्टी के नेता, श्री सरपोतदार ने एक बात कही थी- मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं-बाबरी मस्जिद के बारे में उन्होंने कहा था।

[हिन्दी]

यह मस्जिद ता था नहीं, यह ढांचा था। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं...**(व्यवधान)** आपने इतनी देर तक बोला, मैंने इंटरप्ट नहीं किया और जब मैं बोल रहा हूं तो आपको खुजलाल क्यों होती है। आप और किसी की बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं?

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैंने यह नहीं कहा कि यह "बाबरी मस्जिद" है। मैंने कहा था कि यह एक "ढांचा" था ...**(व्यवधान)** मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मस्जिद तो था नहीं, यह नहीं कहा आपने?

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने जो कुछ कहा, मैं उसे स्वीकार करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने वही कहा जो आपने कहा। आपने कहा था कि यह एक "ढांचा" था ...**(व्यवधान)**

जस्टिम गुमान मल लोढा (पाली) : यह मामला न्यायाल के निर्णयाधीन है। इस पर न्यायालय को फैसला करना है। उच्च न्यायालय यह निर्णय करेगा कि यह "ढांचा" था अथवा मस्जिद ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप मत कीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आप इसे किस नियम के अंतर्गत उठाना चाहते हैं?

जस्टिम गुमान मल लोढा : मैंने कहा है कि यह मामला उच्च न्यायालय के न्याय-निर्णयाधीन है और उसे इस पर फैसला करना है कि "यह मस्जिद थी अथवा ढांचा", तो वह इसे मस्जिद कैसे कहते हैं?

सभापति महोदय : वह किसी न्यायिक-मामले का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

जस्टिम गुमान मल लोढा : वह यह किस प्रकार कह सकते हैं कि यह मस्जिद है जबकि यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है। अगर यह कोई "ढांचा", है, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह कोई मस्जिद अथवा मन्दिर है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया इस बात को याद रखें कि कल 6 दिसम्बर है। यह दिन किसी ऐसी चीज की वर्षगांठ है, जिसकी याद इस देश में शर्मनाक दिन के रूप में की जायेगी।

जस्टिस गुमान मल लोढा : यह सभी के लिए शर्मनाक नहीं होगा। यह मामला विचार करने के लिए होगा। उच्च न्यायालय यह निर्णय करेगा कि यह मस्जिद थी अथवा कोई "ढांचा"। आप उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उसे वंचित नहीं कर सकते। यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। हस्तक्षेप मत कीजिये। वह जवाब दे रहे है। वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वह किसी न्यायिक मामले का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा कहना है कि यह दिन एक ऐसी घटना की वर्षगांठ है, जिसने सारे विश्व में भारत के मुंह पर कालिख पोत दी है ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। वह सभा के सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। अतः, कृपया माननीय गृह मंत्री की बात सुनिये। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुमारी उमा भारती, क्या आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हैं? आप यह किस नियम के अंतर्गत उठा रही हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह व्यवस्था का कोई प्रश्न उठा रही हैं। कृपया बैठ जाइये।

कुमारी उमा भारती : महोदय, मेरा व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। बल्कि मेरा भूल-सुधार करने संबंधी प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जी नहीं, आप अपने स्थान पर बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उमा भारतीजी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। उन्होंने कुछ असंसदीय नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : आप इस देश को मुर्ख नहीं बना सकते ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : 6 दिसंबर के बारे में गृह मंत्री जो बोल रहे हैं, वह नहीं कह सकते। ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप बोल चुकी है। आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)** कुमारी उमा भारती *

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : माननीय गृह मंत्री जो ने बिल्कुल ठीक ही कहा है ...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : आप उन्हें अनुमति क्यों दे रहे हैं?

सभापति महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने उन्हें अनुमति दी है।

श्री प्रमोद महाजन : आपने किस नियम के अंतर्गत उन्हें अनुमति दी है?

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। मैंने उमा भारतीजी को अनुमति दी थी। मैंने लोढाजी को अनुमति दी थी और मैं राजेश पायलटजी को भी अनुमति दे रहा हूं। कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री राजेश पायलट : गृह मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि 6 दिसम्बर, 1992 का दिन इस देश के इतिहास का काला पृष्ठ है। इस पर यहां चर्चा की गई थी रिकार्ड खोल कर देखिये ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइये। उन्होंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

सभापति महोदय : आपको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये। उन्होंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : आप किसी विवादास्पद बात को रखने की अनुमति क्यों दे रहे हैं?

सभापति महोदय : अगर आपको कोई बात कहनी है, तो उन्हें पहले अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री राजेश पायलट : मैं सारी सभा का ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 8 या 9 दिसम्बर, 1992 को एक चर्चा की गई थी। जब श्री वाजपेयी जी बोले, तो उन्होने यह कहा :

[हिन्दी]

इस बात से हम भी शर्मिन्दा हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने उस दिन यह कहा, यह रिकार्ड में हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से जानना चाहते हैं कि इस मामले पर उनका क्या दृष्टिकोण है? क्या वे 6 दिसम्बर की कार्यवाही का समर्थन करते हैं अथवा नहीं? उन्हें यह अवश्य कहना चाहिय कि ...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : सभापति महोदय, 6 दिसम्बर के बारे में उमा भारती जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जाना चाहिये। उन्हें इसे वापिस लेना चाहिये और इस सभा से माफी मांगनी चाहिए।

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। गृह मंत्री जी के अलावा और कोई नहीं बोलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइये। माननीय गृह मंत्री बोल रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

अब केवल माननीय गृह मंत्री ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जस्टिस लोढा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) **:** मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा, लेकिन 6 दिसम्बर पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये ... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं कि अब केवल माननीय गृह मंत्री ही बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जस्टिस लोढा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

गृह मंत्री जी बोलिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं संविधान संबंधी प्रश्न और संविधान के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है अथवा क्या नहीं है, इस पर आज नहीं बोलना चाहता। यह सच है कि उस दुःखद घटना के सम्बन्ध में विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न व्याख्यायें की गईं।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) **:** यहां इसका क्या औचित्य

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आप क्यों खड़े हैं। क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : जी हां, महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा 6 दिसम्बर 1992 के प्रयोजनार्थ नहीं थी। इसका 6 दिसम्बर के साथ कोई लेना-देना नहीं है। पूर्व उद्घोषणा को ही जारी किया गया था। पुरानी उद्घोषणा का समय पूरा हो चुका था। अब नये सिरे से चुनाव हो चुके हैं। वहां 6 दिसम्बर का कोई औचित्य नहीं है।

अगर इसमें संविधान का प्रश्न है, तो मैं उनसे पूछूंगा, कि जब उच्च न्यायालय ने नम्बूदरीपाद पर न्यायालय की अवहेलना का आरोप लगाया था, तो उस समय भी संविधान का प्रश्न था। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही थी। जब उन पर न्यायालय की अवमानना करने का अभियोग लगाया गया था, तो वह केरल के मुख्यमंत्री थे। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति जी, वह जो तोड़ा गया, टूट गया, वह स्ट्रक्चर है, या मस्जिद है? यह सारा मामला सबजुडिस है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : राम नाईक जी, आप किस नियम के अंतर्गत बोल रहे हैं?

श्री राम नाईक : महोदय, यह नियम के अंतर्गत है। ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) **:** जब श्री राजेश पायलट ने यह मामला उठाया था तब आपने किसी रूल की बात नहीं की थी, अब आप इनको रूल क्यों पूछ रहे हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : रावलेजी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने केवल राम नाईक जी को अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति जी, वह स्ट्रक्चर था, वह मस्जिद थी, वह किसने तोड़ा, किसको उसके बारे में सजा देनी है, ये सारी की सारी बातें सबजुडिस हैं और सबजुडिस बात डिबेट में कहां से आई? यदि ऐसा होता तो मैं समझ सकता था कि वह जो बोलते हैं वह कोई रेलेवेन्ट है। यह मेरा दूसरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि यह सब इरेलेवेन्ट बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : राम नाईक जी, उनका वक्तव्य तथ्यपूर्ण है।

श्री प्रमोद महाजन : तथ्यपूर्ण वक्तव्य क्या है? ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, यह असंबद्ध है। यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है।

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री महोदय ने संविधान के उल्लंघन की बात कही है। इसलिए यह असंगत नहीं है। कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत होने के कारण 6 दिसंबर के मुद्दे का यहां उल्लेख नहीं किया

जा सकता। यह बहुत स्पष्ट है। स्वाभाविक रूप से, आप इसके किसी संदर्भ से बचना चाहते हैं ...**(व्यवधान)** मैं श्री राम नाईक द्वारा उद्धृत नियम के अंतर्गत व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय : क्या आप वही व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक जैसे हैं। यदि उन्हें इस मुद्दे को उठाने की अनुमति मिलती है, तो मुझे भी मिलनी चाहिए।

जस्टिस गुमान मल लोढा : तब हमें भी अनुमति मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने यह विनिर्णय दिया है कि गृह मंत्री, जब इसका जिक्र कर रहे थे, केवल तथ्यों पर आधारित वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने केवल संविधान के उल्लंघन की बात कही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस बात से सहमत हूं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : यह मामला न्यायालय के विचारार्थ है।

सभापति महोदय : वह ऐसे मामले का जिक्र नहीं कर रहे हैं। जो न्यायालय के विचारार्थ है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब यह मामला समाप्त हो गया है लोढा जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : हम व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं उठा रहे हैं; हम मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ व्यवस्था की बात नहीं उठानी हैं, हमें मस्जिद बनानी है ताकि इस राष्ट्रीय शर्म का अंत हो सके। मेरी यही अपील है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यदि एक माननीय सदस्य मामले को न्यायालय के अंतर्गत होने की दलील देते हैं तो फिर पीठासीन अधिकारी को इस मामले पर विनिर्णय देना चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही अपनी व्यवस्था दे दी है। आप कृपया अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, मैं इस मामले की तह तक नहीं जाता। यदि यह मामला असंगतता का था, तो यह सवाल तभी उठाया जाना चाहिए था जब माननीय शिव सेना नेता इस पर बोले थे ...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : आप उनके साथ एक असंगत मुद्दे पर क्यों बोल रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह आपके गठबंधन के सबसे मजबूत साथी हैं। उनके बगैर महाराष्ट्र में आपका अस्तित्व मिट जायेगा। मैंने उनकी टिप्पणियों को वाजिब महत्व दिया है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति जी, ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप पहले सुनिए और बैठ जाइए। आप लोगों ने जितने पाइन्ट रेज किए, होम मिनिस्टर उनका जवाब दे रहे हैं, उन्हें रिप्लाई देने दीजिए। ...**(व्यवधान)** जोशी जी, आप लोग जो कुछ बोल रहे हैं, वे सबका जवाब दे रहे हैं। आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, आप केवल उन्हीं की बात क्यों सुनते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो मेरी बगल में बैठे हैं। कह रहे हैं कि समय नहीं बचा है इसलिए उसे अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। मुझे कई बातें कहनी हैं लेकिन मैं किसी को उत्तेजित नहीं करना चाहता।

अनुच्छेद 356 को लेकर इतना ज्यादा विवाद रहा है और चर्चा रही है कि इसे किस स्थिति में लागू नहीं करना चाहिए और इसे इस्तेमाल भी करना चाहिए या नहीं इत्यादि इत्यादि। मैं सभा को इस बारे में थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूं जो मैं समझता हूं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कई वर्षों बाद हमारी सरकार ने अन्तर-राज्यीय परिषद की एक बैठक बुलाई थी। यह परिषद पूरी तरह निष्क्रिय थी। मैंने उसकी 20 अक्तूबर को बैठक बुलायी और इसमें प्रधानमंत्री तथा एक राज्यपाल के अतिरिक्त, 23 मुख्यमंत्री संघ राज्य क्षेत्रों के दो प्रशासक तथा राज्य और केन्द्र सरकार के 31 मंत्री शामिल हुए। इसमें सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में जिस एक मसले पर चर्चा हुई वह स्वाभाविक रूप से अनुच्छेद 356 का मसला था।

इसलिए, हम आपको केवल दो बातें बता रहे हैं। पहली बात यह है कि अनुच्छेद 356 के संबंध में क्या किया जाना चाहिए। जो लोग बैठक में शामिल हुए उनकी एक राय नहीं थी। अलग-अलग व्यक्तियों की अलग-अलग राय थी। अंततः निर्णय यह किया गया। मैं इस बैठक के निष्कर्षों को पढ़ रहा हूं :—

> "परिषद ने पाया कि विगत के अनुभवों तथा न्यायिक निर्णयों के आधार पर, अनुच्छेद 356 के जारी रखने/संशोधन के बारे में और अधिक जांच किये जाने की आवश्यकता है और उसी के अनुरूप इस बात पर सहमति बनी कि इस मामले को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति को सौंपा जाये।"

परिणामस्वरूप, इस मामले पर कई मुख्यमंत्रियों को लेकर एक स्थायी समिति गठित की गयी है। इसमें महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों सहित शायद पांच केन्द्रीय मंत्री हैं। इसलिए हम अपने भाजपाई मित्रों का गला नहीं काट रहे हैं। उन्हें इन सभी महत्वपूर्ण

बैठकों, परामर्शों आदि में उचित स्थान दिया गया है। सहमति इस बात पर थी कि इस समिति को आगे इस बात की जांच करनी चाहिए कि इस अनुच्छेद 356 को पूरी तरह त्याग दिया जाये या इसे संशोधित किया जाये, यदि इसे संशोधित किया जाना है, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कैसे संशोधित किया जाये। इसलिए हम समझते हैं हमें समय का पालन करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हमें थोड़ा और धैर्यवान होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम एक दूसरे पर चिल्लाकर इसका हल नहीं निकाल सकते। इसमें पूरी तरह जाना होगा और इसका उचित ढंग से अध्ययन करना होगा।

इसलिए, जहां तक उत्तर प्रदेश के वर्तमान मामले का प्रश्न है, तो सरकार की राय यह है कि विद्यमान स्थितियों के अंतर्गत राज्यपाल के पास जो उन्होंने किया उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि ऐसा कोई दल या गठबंधन नहीं था जो सदन में बहुमत प्राप्त होने का दावा कर सकता।

हमने विधान सभा भंग नहीं की है। हमने गुजरात में भी विधान सभा भंग नहीं की थी। इसे निलंबित रखा गया था। कुछ समय बाद जब कुछ लोग आपस में मिले और अपना बहुमत जुटाया तो विधान सभा को बहाल कर दिया गया। ...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : इसलिए आप ऐसी ही स्थिति यहां भी पैदा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : मैजोरिटी मैनीपुलेट की जा सके। इसलिए आपने यू.पी. असैम्बली को एनीमेटेड सस्पेंशन में रखा है। वरना आप में हिम्मत होती, तो आप यू.पी. असैम्बली का डिजाल्व कर देते। ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अरे दीदी, वे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। अभी-अभी फिर चीफ मिनिस्टर बने थे। वे तो यहां जस्टिस साहब की सीट पर बैठते थे। यह तो हमारा दोष नहीं है कि आपकी पार्टी गुजरात में टूट कर दो टुकड़े हो गई। इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं हैं ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : आपकी पार्टी के मंडल साहब कहां चले गए। आपकी पार्टी के और दूसरे साथी कहां चले गए। ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गुजरात असैम्बली में आपकी पार्टी की पूरी मैजोरिटी थी। कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। इसके बावजूद कुर्सी की लड़ाई में आपकी पार्टी टूट कर दो टुकड़े हो गई। ...**(व्यवधान)**

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : आपने शकुनी की चाल चलकर वहां पर बी.जे.पी. को तोड़ दिया। ...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : कुर्सी की लड़ाई के लिए आप सी.पी.एम. को छोड़ कर इधर आ गए। ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बोलते रहिए। राजस्थान में आपकी सरकार है। दिल्ली में आपकी सरकार है। चिल्लाते रहिए। ...**(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : हमने बचपन से सुना है कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया एक पार्टी होती थी। अब वह टूट कर 36 कम्युनिस्ट पार्टियां बन गई हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस आरोप से सहमत नहीं हूं कि संयुक्त मोर्चा की पार्टियां, संयुक्त रूप से या अलग-अलग इस बात में रूचि लेती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग कैसे रखा जाये। यदि ऐसा होता तो आप कई राज्यों में सत्ता में नहीं होते। कोई भी आपको खरीद फरोख्त या फिर किसी अन्य तरह से सत्ता से वंचित नहीं करना चाहता। यह आप पर है कि आप अपने को सत्ता में बनाये रख पाते हैं या नहीं।

इन शब्दों के साथ, मैं सिफारिश करता हूं कि 17 अक्तूबर, 1996 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो उद्घोषणा जारी की गई थी उसे इस सभा द्वारा अनुमोदित किया जाये।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं। वे मेरे बहुत पुराने प्रिय और आदरणीय मित्र हैं और मैंने व्यक्तिगत रूप से हमेशा उनका आदर किया है और करता रहूंगा।

माननीय गृह मंत्री ने जब हस्तक्षेप किया तो उन्हें अपने उनके प्राकृतिक गुणों, परिपक्वता, वरीयता और स्वाभाविक बुद्धिमता तथा उस राजनीति के बीच निर्णय करना उनके लिए कठिन हो गया। जिसका उन्हें इस विभाग तथा अपने संगति के कारण निर्वाह करना पड़ रहा है। मैं उनके द्वारा व्यक्त की गई उन समस्याओं पर पूर्ण रूप से उनके साथ चिन्ता व्यक्त करता हूं जिनका हम सामना कर रहे हैं उदाहरणार्थ जातिवाद। यह बहुत वास्तविक समस्या है।

मैं इस अत्यधिक गम्भीर समस्या पर ध्यान देने के लिए माननीय गृह मंत्री की प्रशंसा करता हूं। मैं उनकी इसलिए भी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही वास्तविक समस्या को उठाया है जोकि इस सभा के समक्ष थी अर्थात मतदाता की हमारी प्रतिस्पर्द्धात्मक राजनीति में स्पष्ट निर्वाचन उत्तर देने में कठिनाई। इस निर्वाचन उत्तर में केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह सुझाव दिया कि या तो हम एक अल्पमत दल को सरकार बनाने और उसे बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दें अथवा हम सरकार के गठन की ही अनुमति न दें। उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे समक्ष यही समस्या है और इस समस्या के लिए अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग किया

गया है तथा राज्यपाल का यह व्यवहार होना चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन के लिए सबसे बड़े दल को बुलाये यही हमारा मत है और यही रहेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने इसके लिए प्रयास किया था क्योंकि उन्हें उन दलों का साथ लेकर चलने का कठिन कार्य करना है जिनके साथ वे आज बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल भाजपा को शासन करने से वंचित करने के लिए अनुच्छेद 356 लागू करके अनुचित कार्य किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने यही शब्द कहे हैं: भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौती है, वह आज उत्तर प्रदेश मे परिलक्षित हो रही है और बुद्धिमता की कमी, अदूरदर्शिता तथा संकीर्ण राजनैतिक दृष्टिकोण के कारण हम अपनी कठिनाइयों को बढ़ा रहे हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जसवंत सिंह : मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं। मैं अप्रसन्न हूं, चूंकि मैं अप्रसन्न हूं अतः मैं समर्थन नहीं दे सकता। हमारे बारे में जनता फैसला करेगी और निश्चित रूप से करेगी। यह राजनैतिक रूप से एकपक्षीय रहने वाला मुद्दा नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल और इन दलों द्वारा समर्पित वर्तमान सरकार, जो इसमें पहले कमियां पाते थे, इस चुनौती का सामना करने में विफल रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के प्रति मौजूदा चुनौती का सामना करने में विफल रहे हैं और भाजपा को सरकार बनाने के उसके उचित अधिकार से वंचित कर रहे हैं।

हम सभा में इस झूठी मतदान प्रक्रिया के पक्ष में नहीं हो सकते। इसलिए मैं सभा से बाहर जाता हूं।

अपराह्न 5.34 बजे

इस समय श्री जसवंत सिंह और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : महोदय, आपकी अनुमति से ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हमें पहले संकल्प को स्वीकार करना चाहिए और फिर प्रधानमंत्री बोलेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, वे केवल कुछ मुद्दों को स्पष्ट करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव परिणामों की अन्तिम रूप से घोषणा चुनाव आयोग द्वारा 10 अक्तूबर को की गई थी। राज्यपाल ने सभी सम्भावनाओं का पता लगाकर 17 अक्तूबर तक उनके पास लाने के लिए तथाकथित एकमात्र सबसे बड़े दल सहित सभी राजनैतिक दलों को पर्याप्त अवसर दिया था कि क्या वे सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाकर स्थायी सरकार बना सकते हैं। उन्होंने भारत सरकार अथवा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने के लिए एक सप्ताह तक इन्तजार किया। महोदय, वे पूर्णतः विफल रहे हैं।

कोई भी राजनीतिक पार्टी स्वयं अथवा अन्य राजनीतिक पार्टियों के मेल से वांछित संख्या प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकती थी। वे राज्यपाल को सूची भेजने में असमर्थ रहे थे। तत्पश्चात् राज्यपाल के पास भारत सरकार और भारत के राष्ट्रपति के पास अपनी सिफारिशें भेजने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा था। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था।

हाल ही में, राज्य सभा के लिए उप-चुनाव करवाये गये थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का भरसक प्रयास किया कि उनके उम्मीदवार चुनाव जीत जायें। भारतीय जनता पार्टी के सभी तीन उम्मीदवार राज्य सभा चुनाव हार गये। यह बात स्वयं इस बात की स्पष्ट सूचक है कि उत्तर प्रदेश में जनादेश धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए था और हमारे दल की वचनबद्धता भी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के प्रति है। यह इस बात का स्पष्ट सूचक है।

महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम सभी में, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी हो अथवा समाजवादी पार्टी अथवा कांग्रेस अथवा कोई अन्य दल, मतभेद होने के बावजूद भी सरकार को चला रहे हैं उनमें मतभेद है--हाल ही के राज्य सभा के उप-चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सभी तीनों उम्मीदवार हार गये थे। यह स्वयं इस बात का सूचक है और उससे भी अधिक यह कि यह एक प्रकार का गुप्त मतदान था, जिसमें वह सभी प्रकार की राजनीतिक दावपेंच चल सकते थे। महोदय, इन सभी बातों के होते हुए भी वे असफल हो गये। उप-चुनाव की अवधि के दौरान क्या कुछ हुआ, मैं वह सब जानता हूं। वे वांछित संख्या प्राप्त करने में असमर्थ थे। यह स्वयं इस बात का स्पष्ट सूचक है कि राज्यपाल ने जो सिफारिश की थी, वह आधारपूर्ण थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अतः, मैं इस महान सभा से इस संकल्प को स्वीकृति अनुमोदित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा उत्तर प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 17 अक्तूबर, 1996 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.39 बजे

दिल्ली विकास (संशोधन) विधयेक,* 1996

सभापति महोदय : महोदय, कार्यसूची के अनुसार अगला मद संविधान संशोधन विधेयक है। लेकिन यदि सभा में सहमति है तो हम मद संख्या 13 ले सकते हैं। क्या मद संख्या 13 को लेने के लिए सभा को सहमति है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, हम मद संख्या 13 ले सकते हैं।

शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि दिल्ली विकास अधिनियम 1957 को और आगे संशोधित करने हेतु विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली विकास अधिनियम के अंतर्गत, 1957 में इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था कि यह प्लान के अनुरूप दिल्ली का विकास करेगा। दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 द्वारा गठित महानगर परिषद के पूर्व के तीन प्रतिनिधियों ने अधिनियम की उपधारा (3) (च) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया। क्योंकि महानगर परिषद को खत्म कर दिया गया है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए विधान सभा का गठन कर दिया गया है, प्राधिकरण में दिल्ली से निर्वाचित निकाय का कोई प्रतिनिधि नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रभावी कार्यवाही तथा लोकतांत्रिक कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली के तीन प्रतिनिधियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में लिया जाये। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1996 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, बहुत अधिक व्यवधान है।

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री जगमोहन : मैं कुछ बातें कह रहा हूं जो वर्तमान मंत्री से संबद्ध नहीं हो सकती है। लेकिन सरकार के एक अंग के रूप में इन पर विचार करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

अब भी खुसुर-फुसुर हो रही है। कोई बात नहीं सुन रहा है।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि वह शहरी कार्य मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं।

महोदय, मैं जो पहली बात उठाना चाहूंगा वह यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रभावी लोकतांत्रिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तीन विधायकों को इसमें शामिल करने का निश्चय किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यह विधेयक आज से तीन वर्ष पूर्व लाया गया था। सरकार ने इस क्षेत्र या दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रभावी लोकतांत्रिक कार्यकरण से तीन वर्षों तक वंचित क्यों रखा? क्या इस तीन साल के लंबे विलम्ब के लिए कोई स्पष्टीकरण है? इसीलिए मैंने कहा है कि वर्तमान मंत्रालय के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन इसके पूर्व के मंत्रालय क्या कर रहे थे यह बात समझ में नहीं आती। इस अधिनियम में एक साधारण सा संशोधन किया जाता कि जहां भी "महानगर परिषद के सदस्य" का उल्लेख हो वहां "विधान सभा के सदस्य" पढ़ा जाये तो यह समस्या हल हो गयी होती। लेकिन इसमें तीन वर्ष का विलंब क्यों किया गया। इस विलंब के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

मैं जो दूसरी बात कहना चाहूंगा वह यह है कि इसमें इस बात को शामिल किया गया है कि इन सदस्यों में से एक सदस्य नेता विरोधीदल होगा। यह ठीक ही है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : इसमें नेता विरोधी दल का उल्लेख नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि दो सदस्य सतारूढ दल से होंगे और एक सदस्य मुख्य विरोधी दल से होगा।

श्री जगमोहन : यह एक नया सिद्धांत अपनाया गया है। मेरा तो सिर्फ यह कहना है कि आप बगैर स्पष्टीकरण दिये एक सिद्धांत जोड़ रहे हैं।

महोदय, कुछ अन्य बातें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वे हैं कि इसमें यह बात कही गयी है कि डी डी ए को स्थापना डी डी ए अधिनियम के अंतर्गत इस उद्देश्य से की गयी है कि प्लान के मुताबिक दिल्ली का विकास किया जा सके। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि डी डी ए का गठन किया गया था तथा इसकी निगरानी शहरी कार्य मंत्रालय करता है। क्या उल्लिखित कार्य को शहरी कार्य मंत्रालय अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूरा किया गया है। अब, केन्द्र सरकार तथा शहरी कार्य मंत्रालय की नाक के नीचे जोन विनियमन के सभी कानूनों तथा डी डी ए के सभी प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

मैं आपको इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि इन दिनों केन्द्र सरकार की नाक के नीचे ही इमारतों को गिराया जा रहा है और ऐसे भूखंडों पर, जो जोन विनियमन के अंतर्गत केवल ढाई मंजिल तक ही निर्माण कार्य के लिए अधिकृत

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग दो खण्ड दो दिनांक 5.12.96 में प्रकाशित।

है, बहुमंजिला फ्लैट निर्मित किये जा रहे हैं। भूमि माफियाओं तथा बिल्डिंग माफियाओं ने पूरी दिल्ली पर अधिकार कर रखा है। मेरे पास इसके कई चित्र हैं। इससे पॉश कालोनियों की हालत पता चलती है। मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री इस मामले को देखें क्योंकि मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह डी डी ए तथा शहरी विकास मंत्रालय का सांविधिक उत्तरदायित्व है कि वह प्लान के मुताबिक दिल्ली के विकास को सुनिश्चित करे। स्वर्गीय पंडित नेहरू तथा श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी मशक्कत की थी कि दिल्ली का विकास प्लान के मुताबिक हो ताकि यह एक महान राष्ट्र के योग्य राजधानी बन सके। लेकिन अब हम इसे राष्ट्रीय शर्म का एक स्मारक बना रहे हैं। दिल्ली संसार में अब चौथा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। सभी कानूनों का बड़ी निर्लज्जता से उल्लंघन किया जा रहा है। यदि इन चित्रों को देखें तो आप पायेंगे कि अच्छी-अच्छी इमारतों को गिराया जा रहा है और उन भूखंडों पर ऊंची-ऊंची इमारतें बनायी जा रही हैं जबकि जोन विनियमनों के अनुसर उन पर केवल ढाई मंजिला इमारत ही बनायी जा सकती है।

महोदय, यह कोई एक मामले की बात नहीं है, अपितु कई मामलों में ऐसा हुआ है। मैंने इस मुद्दे को कई मंचों पर उठाया है लेकिन मेरी समझ मे ये नहीं आता कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं इन लोगों के पास कि इनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। अब आप कृपया इन निहितार्थों की जांच करें कि क्या हो रहा है—यदि किसी एक मंजिला मकान को 10 या 12 लोगों के रहने के लिए निर्मित किया जाता है और उसमें 100 लोग रहने लगते हैं और उसमें व्यावसायिक इकाइयां या आवासीय इकाइयां बना दी जाती हैं, तो उसमें जल की आपूर्ति कहां से की जायेगी।

मल-जल निकास प्रबन्ध कहां होगा? इन सबके लिए बिजली कहां से आयेगी? उनके लिए पार्किंग स्थान कहां से आयेगा? यदि आप वसंत बिहार जायें-सर्वाधिक फैशन वाले क्षेत्र शांति निकेतन, हौजखास या दूसरे क्षेत्र में जायें तो आप पायेंगे कि इमारतें ढहायी जा रही हैं। मैं एक कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूं और कानून का पालन करने वाले व्यक्ति ही सर्वाधिक कष्ट उठाते हैं क्योंकि उसी के घर के सामने सभी लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं? और जब कोई पंप लगाया जाता है तो उसकी लाइन से भी पानी खींचा जाता है और उसी को पानी की किल्लत होती है। यदि आप ग्रेटर कैलाश या उधर ही कहीं और जायें तो पायेंगे कि यही हो रहा है। इसी के परिणाम-स्वरूप, सारा शहर एक घुटन भर शहर होता जा रहा है। शहर में कहीं न्याय नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा। यदि आप इस दिशा में कोई कदम उठाते हैं तो यह घोटाला उन सब घोटालों से बड़ा होगा जिन्हें हमने आज तक देखा है या जिनके बारे में अखबारों में पढ़ा है।

जबसे सुधार आंदोलन शुरू हुआ है तब से भूमि की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। प्रत्येक इकाई में आप करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। ये सारे लेन-देन काले धन में हो रहे हैं जो जोन विनियमन कानून के विरूद्ध हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इन मौलिक सिद्धान्तों को क्यों नहीं माना जा रहा है। कोई भी अपने मकान के नक्शों में संशोधन नहीं करवाता और न ही सर्विस प्लान को बदलवाता है। कोई उन्हें सेवाएं प्रदान नहीं करता। सड़कें उतनी ही रहती हैं लेकिन कारों की संख्या सैकड़ों में बढ़ती जाती है। आप जल आपूर्ति तथा मल-जल निकासी की समस्या की कल्पना कर सकते हैं। कानून का पालन करने वाले अधिकतर व्यक्तियों के मकान में मल-जल उल्टा बहता है क्योंकि मल-जल का दबाव बहुत अधिक हो जाता है और इसके लिए पहले से कोई व्यवस्था निर्मित नहीं होती। मैं आपको इन चित्रों को भेजूंगा। यदि वास्तव में आप तत्परता से काम करना चाहते हैं तो आप कृपया सीबीआई या फिर कोई अन्य जांच करवायें। अन्यथा यह शहर पूरी तरह नष्ट हो जायेगा। यह शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। कोई यहां रह नहीं पायेगा और तब यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात होगी। जैसे कुछ मामलों में यह अब हो चुकी है।

यहां पर मैं जिस दूसरी बात का उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है—क्योंकि इस असमान विकास के कारण इस समय शहर में लगभग 4000 ब्लू लाइन बसें दौड़ रही हैं। हर रोज सड़कों पर लोगों की हत्यायें हो रही हैं क्योंकि किसी कानून का पालन नहीं हो रहा है। सड़कों पर जगह बहुत कम है परिणामस्वरूप पार्किंग के लिए स्थान नहीं है। इसके बारे में कोई नहीं सोचता। हर रोज लोग मर रहे हैं। यदि आप विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट देखें तो पायेंगे कि इन अवैध निर्माणों के कारण स्वास्थ्य संबंधी खर्चा हजारों करोडों रुपये हो रहा है। यह हजारों करोड़ रुपयों में हो रहा है। भारत अकेले दिल्ली में गंदे और गलाघोटूं पर्यावरण के कारण 5000 करोड़ रुपये का घाटा उठा रहा है। अभी-अभी डेंगू फैला था। पहले प्लेग भी फैला था। यह सब इसलिए है क्योंकि शहर में नियोजित ढंग से कोई कार्य नहीं होता। मूलभूत ढांचे की पूरी तरह कमी है। आपके पास सीलो तथा दूसरी बड़ी-बड़ी गाड़ियां तो आ गयी हैं लेकिन पर्याप्त चौड़ी सड़कें तो नहीं हैं।

नगर पालिकाएं, केवल दिल्ली में ही नहीं, अपितु सभी शहरों में दीवालिया हो गयी हैं। उनके पास पैसा नहीं है। शहरी धनाड्यों द्वारा सारी भूमि हथिया ली गयी है। शहर में एक भी ऐसा मकान नहीं बनता जिसकी कीमत 50-60 लाख रुपये से कम हो। आप ये मकान किसके लिए बना रहे हैं। आप किस तरह की योजनाएं बना रहे हैं? आप शहरों में किस तरह की जिंदगी पैदा कर रहे हैं। यदि राजधानी में यह हालत है तो अन्य शहरों में क्या होगा? आप यह याद रखें कि अगले दो या तीन सालों में हमारे शहरों में इतनी जनसंख्या हो जायेगी जितनी 1947 में पूरे भारत में थी। आप इन शहरों को न रहने के काबिल बना रहे हैं। आप इसमें अस्वास्थ्यकर पर्यावरण पैदा कर रहे हैं। यदि आप सुबह की सैर के लिए जायें तो ढेर सारा धुआं आपकी सांसों के साथ अंदर चला जायेगा। मेरा आपको सुझाव है कि आप वास्तव में एक प्रभावी मास्टर प्लान तैयार करें और उस पर अच्छे ढंग से अमल करें।

इसीलिए सत्य बात तो यह है कि उच्चतम न्यायालय ने अब नगर नियोजक का कार्य अपने हाथ में ले रखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से उच्चतम न्यायालय की इस भूमिका की तारीफ करता हूं क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह नाकामयाब हो गये हैं। यहां तब कि अब जब मैं इस विधेयक पर बोल रहा हूं, सदन लगभग खाली है। इससे हजारों लाखों लोगों का जीवन संबद्ध है। दिल्ली के आधे बच्चे दमें की बीमारी से पीडित हैं। कोई भी व्यक्ति वास्तविक मुद्दे की ओर ध्यान नहीं देता जिसमें उनकी जिंदगी का प्रश्न जुड़ा है। उच्चतम न्यायालय सरकार से प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने और झुग्गियों को हटाने के लिए कहता है। क्या यह उच्चतम न्यायालय का कार्य है? हमें उन कारणों को समझना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय इस तरह से क्यों दखल दे रहा है? उच्चतम न्यायालय इसलिए दखल दे रहा है क्योंकि संसद अपना कार्य नहीं कर रही है, कार्यपालिका अपना कार्य नहीं कर रही है। कार्यपालिका ने तो अपने कार्यों को पिछले कई वर्षों से करना बंद कर दिया है। जब कभी हम जैसे लोग इसके विरूद्ध आवाज उठाते हैं, तो उन आवाजों के अनुसार कर दिया जाता है, भले ही इसका कारण कुछ भी रहा हो। यहां तक कि अब भी मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी इस आवाज को कोई नहीं सुन रहा है। उन्हें अपनी गप-शप में ज्यादा मजा आता है बजाय इसके कि वे इस गंभीर मामले को सुनें जिससे तमाम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है।

दूसरी बात यह है कि सरकार समेकित विकास चाहती है। आधुनिक सरकारें अत्याधक समेकित व्यवस्थाएं हैं। उन्हें तीव्रगति से पूरी शक्ति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। दिल्ली में सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की है जो पूरी तरह विरोधाभासी है। हमें जबकि न्यूनतम प्रयासों के साथ अधिकतम परिणाम प्राप्त करने चाहिए, सरकार ने एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था तैयार की है जिसमें अधिकतम प्रयासों के साथ न्यूनतम परिणाम प्राप्त होते हैं। डी डी ए केन्द्र सरकार के अंतर्गत है, नगर निगम राज्य सरकार के अंतर्गत है पुलिस किसी के अंतर्गत है और भूमि किसी अन्य के अंतर्गत है, तो आप इन सभी निकायों के मध्य समन्वय कैसे करेंगे? यहां तक कि यदि आप एक ऐसी जगह पर स्कूल बनाना चाहते हैं जहां पर झुग्गियां पड़ी हुई हैं, तो आपको प्लान के एन ओ सी के लिए डी डी ए के पास जाना पड़ेगा, और किसी अन्य को भूमि की कीमतें निर्धारित करनी होती है तथा पुलिस की मदद प्राप्त करनी होती है। इस तरह इनमें कोई भी समन्वय नहीं है। यदि शक्तियों का इतना अधिक विभाजन है तो आप दिल्ली का नियोजित विकास कैसे कर सकेंगे। यहां तक कि आज गृह मंत्री कह रहे थे कि अत्यधिक जातिवाद है। यह तो होगा ही। क्योंकि हमने समाज को बांट रखा है हमारा राजनीतिक ताना बाना भी टूट जायेगा। इसी तरह आपने प्रशासनिक ढांचे को तोड रखा है। यह तो होगा ही ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा.यू. वेंकटेस्वरलु : सभापति महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि सभा की सर्वसम्मति से समय बठाया जाए। यह एक साधारण विधेयक है और इसे स्वीकृत किया जा सकता है।

श्री जगमोहन : सभापति महोदय, मैं अपनी बात कल जारी रख सकता हूं।

सभापति महोदय : जगमाहेन जी आप कितना समय लेंगे।

श्री जगमोहन : इसके लिए दो घंटे का समय मिला है और मैंने 5.45 म.प. पर भाषण आरंभ किया है और मैं कम से कम 10 से 15 मिनट और लूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : यह दिल्ली का मामला है, इसमें जल्दी मत कराइये।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : हमारे दो-तीन लोग बोलने वाले हैं।

श्री पी.एस. गढवी (कच्छ) : इस पर सबको बोलना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अभी और छह सदस्यों को बोलना है।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, इसे कल जारी रखें।

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : कल अपराह्न मैं गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य लेंगे।

सभापति महोदय : सभा की सर्वसम्मति क्या है?

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं, महोदय।

श्री जगमोहन : हम कल भी बैठ सकते हैं। वैसे भी यह अचानक आया है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : इसे बिना बारी के लिया गया है। जिन्हें इस पर बोलना था वे पहले ही जा चुके हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : कल हम 3.30 म.प. गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य लेने हैं। हम इसे कल कैसे जारी रख सकते हैं?

सभापति महोदय : कल अपराह्न 2 से 3.30 बजे तक हमारे पास एक घंटा और 30 मिनट का समय है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : कल 3.30 अपराह्न को मैं अध्यक्षपीठ को याद दिलाउंगा।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि कल अपराह्न 3.30 बजे तक यह समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री जगमोहन : इस छोटे से संशोधन को लाने में हमने तीन वर्ष लगा दिए। आप एक दिन का समय नहीं दे सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ठीक है, हम इस विधेयक पर कल चर्चा जारी रख सकते हैं।

श्री जगमोहन : कल या सोमवार को, जो भी दिन उनके लिए उपयुक्त हो। **(व्यवधान)**

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : मैं इसके विरूद्ध नहीं हूं। आप समय बढ़ा सकते हैं। बात यह है कि चूंकि 6 बज चुके हैं इसलिए मैं अध्यक्षपीठ को याद दिला रहा हूं।

सभापति महोदय : अब सभा शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1996 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1996/15 अग्रहायण, 1918(शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।